अष्टम माला, खंड 4, अंक 26

गुरुवार, 18 अप्रैल, 1985,
28 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

दूसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

54
27/3/87

(खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मि
मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं
जायेगा]

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 18 अप्रैल, 1985/28 चैत्र, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (1), नीचे से पंक्ति 6, "श्री श्रीबलल्भ पाणिग्रही" के स्थान पर "श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही" पढ़िये।

पृष्ठ 5, पंक्ति 2, "श्री पी०सी०ठाकुर" के स्थान पर "श्री सी०पी०ठाकुर" पढ़िये।

पृष्ठ 11, पंक्ति 21, पृष्ठ 23, पंक्ति 6 एवं पृष्ठ 73, पंक्ति 8, "श्री बंसीलाल" के स्थान पर "श्री बंसीलाल" पढ़िये।

पृष्ठ 14, पंक्ति 14 एवं 25, "श्री वासुदेव आचार्य" के स्थान पर "श्री बसुदेव आचार्य" पढ़िये।

पृष्ठ 16, पंक्ति 18, पृष्ठ 36, पंक्ति 2, "(हन्दी)" के स्थान पर "(हिन्दी)" पढ़िये।

पृष्ठ 32, नीचे से पंक्ति 7 "रेल विभग" के स्थान पर "रेल विभाग" पढ़िये।

पृष्ठ 38, पंक्ति 11, "श्री विजय कुमार यादव" से पहले अ०प्र०संख्या "3476" पढ़िये और उसके ऊपर बाईं ओर "(हिन्दी)" पढ़िये।

पृष्ठ 54, पंक्ति 9, "जी हाँ।" से पहले "(क)" अंतः स्थापित करिये।

पृष्ठ 62, पंक्ति 14, "श्री एम०बी रत्नम" के स्थान पर "श्री एन०वी०रत्नम" पढ़िये।

पृष्ठ 145, नीचे से पंक्ति 2, पृष्ठ 164, पंक्ति 11 व पृष्ठ 165, पंक्ति 10, "गोबिचेटियालयम" के स्थान पर "गोबिचेट्टिपालयम" पढ़िये।

पृष्ठ 146, पंक्ति 17, "(कोहायम)" के स्थान पर "(कोट्टायम)" पढ़िये।

पृष्ठ 155, पंक्ति 14, "श्री पी०पैंनालैया" के स्थान पर "श्री पी०पैंचालैया" पढ़िये।

पृष्ठ 156, पंक्ति 14, "सिंचाई और वित्त मंत्री" के स्थान पर "सिंचाई और विद्युत मंत्री" पढ़िये।

पृष्ठ 158, पंक्ति 18, "श्री पी० डी०यादव" के स्थान पर "श्री डी०पी०यादव" पढ़िये।

पृष्ठ 166, पंक्ति 14, "श्री वी०सोभराद्रीश्वर राव" के स्थान पर "श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव" पढ़िये।

पृष्ठ 167, पंक्ति 5, "श्री एच०जी०शुमुलु" के स्थान पर "श्री एच०जी०रामुलु" पढ़िये।

पृष्ठ 176, प्रथम पंक्ति, "श्री वी०सोभनाद्री सबरा" के स्थान पर "श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव" पढ़िये।

पृष्ठ 199, पंक्ति 19, "श्री आर०अन्नाम्बो" के स्थान पर "श्री आर०अण्णानम्बो" पढ़िये।

पृष्ठ 211, नीचे से पंक्ति 6, "श्री के०बी०शंकरागौड" के स्थान पर "श्री के०वी० शंकरगौडा" पढ़िये।

पृष्ठ 215, पंक्ति 4 के नीचे बाईं ओर "(हिन्दी)" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 215, पादटिप्पण, "कार्यवृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया" के स्थान पर "अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया" पढ़िये।

पृष्ठ 217, पंक्ति 14, "श्री कम्मोदी लाख जाटव" के स्थान पर "श्री कम्मोदी लाल जाटव" पढ़िये।

पृष्ठ 233, नीचे से पंक्ति 6 एवं 8 "श्री राम प्रकास" के स्थान पर "श्री राम प्रकाश" पढ़िये।

पृष्ठ 231 से 296 तक को पृष्ठ संख्या को पृष्ठ "209 से 274" तक पढ़िये।

पृष्ठ 267, पंक्ति 25, "श्री वी०पी०कुल्लदईवेलु" से "वी" का लोप करिये।

पृष्ठ 287 को पृष्ठ 265 पढ़िये और नीचे से पंक्ति 5 में "आयर" के स्थान पर "अय्यर" पढ़िये।

पृष्ठ 274, नीचे से पंक्ति 2, "स्थगितत" के स्थान पर "स्थगित" पढ़िये।

पृष्ठ 274, अंतिम पंक्ति, "19 चैत्र, 1907 (शक) के लिये स्थगित हुई" के स्थान पर "19 अप्रैल, 1985/29 चैत्र, 1907 (शक) के बारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 26—गुरुवार, 18 अप्रैल, 1985/28 चैत्र, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 486 से 489, 491 से 494 और 496	...	1-18
नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 490, 495 और 497 से 506	...	18-26
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3463 से 3627 और 3629 से 3656	...	26-147
भा पटल पर रखे गये पत्र	...	147-149
मितियों के लिये निर्वाचन		
(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट)	...	150
(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का शासी निकाय	...	150
(तीन) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	...	150-151
यम 377 के अधीन मामले		
(एक) उड़ीसा में तलचर सुपर ताप बिजली संयंत्र तथा इब घाटी ताप-बिजली परियोजना के लिए धन देने की आवश्यकता		
श्री श्रीबलल्भ पाणिग्रही	...	151-152
(दो) दिल्ली क्लाथ मिल को अननुमोदित क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र भेजने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले पारित संकल्प को रद्द करने हेतु निदेश देने की माँग		
श्री ललित माकन	...	152

किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(तीन)	देवली तहसील (राजस्थान) में पेयजल तथा सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने हेतु बीसलपुर सिंचाई तथा जल पूर्ति योजना को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता	
	श्री बनवारी लाल बेरवा ...	152-153
(चार)	उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी में दूरदर्शन ट्रांसमीशन टावर स्थापित करने की आवश्यकता	
	श्रीमती ऊषा वर्मा ...	153
(पांच)	पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता देने की आवश्यकता जिससे कि वह मिदनापुर और अन्य निकटवर्ती जिलों में पेयजल की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए शीघ्र उपाय कर सकें	
	श्रीमती गीता मुखर्जी ...	153-154
(छः)	राजस्थान में बिजली की कमी को दूर करने के लिये कोटा स्थित बिजली घर के दो एककों को उचित रूप से चालू करने तथा सिंगरौली ताप-बिजली घर से बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता	
	श्री वृद्धि चन्द्र जैन ...	154
(सात)	एन. टी. पी. सी. की रामागुन्डम ताप बिजली परियोजना से आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले को 220 किलोवाट पावर लाइन देने की आवश्यकता	
	श्री सी. जंगा रेड्डी ...	154-155
(आठ)	बेघर गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण ऋण की राशि बढ़ाने की आवश्यकता	
	श्री पी. पैंचालैया ...	155
(नौ)	गरीब हरिजनों को उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को सुधारने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की 5,000/- रु. की पहले वाली सीमा को कायम रखने की आवश्यकता	
	श्री महाबीर प्रसाद ...	155-156

विषय		पृष्ठ
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1985-86		
(एक) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय		
श्री बी. शंकरानंद	...	156-174
(दो) उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय		
श्री वी. सोभनाद्रीश्वर राव	...	176-181
श्री बनवारी लाल पुरोहित	...	181-183
प्रो. के. वी. थामस	...	183-184
श्री निर्मल खत्री	...	185-186
श्री अजय विश्वास	...	186-189
श्री आर. जीवारतिनम	...	189-191
श्री आर. प्रभु	...	191-194
श्री ए. चार्ल्स	...	194-196
कुमारी ममता बनर्जी	...	196-199
श्री आर. अण्णानम्बी	...	199-201
श्री उमा कांत मिश्र	...	201-203
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	203.205
श्री राम सिंह यादव	...	205-207
श्री के. के. शंकर गौडा	...	209-213
श्री मूल चन्द डागा	...	213-217
श्री कम्मोदीलाल जाटव	...	217
श्री हरीश रावत	...	218-220
श्री के. पी. उन्नीकृष्णन	...	220-224
श्री जगदीश अवस्थी	...	224-226
श्री एन. डेनिस	...	226-228
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	...	228-229
श्री विष्णु मोदी	...	229-230
श्री सन्त कुमार मंडल	...	230-232
श्री राम प्रकाश	...	232-233
डा. पी. वल्लल पेरूमान	...	232-235
डा. प्रिय रंजन दास मुंशी	...	235

विषय		पृष्ठ
अहमदाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में वक्तव्य		
श्री एस. बी. चव्हाण	...	208-209
अमरीकी कांग्रेस की मानवाधिकार समिति द्वारा पंजाब में तथाकथित मानव अधिकारों के विषय में अमरीकी कांग्रेस की अनेकसी में दी गई जानकारी से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के बारे में चर्चा		
श्री सेफुद्दीन चौधरी	...	236-239
प्रो. के. के. तिवारी	...	239-249
श्री ई. अय्यापु रेड्डी	...	249-250
श्री के. पी. उन्नीकृष्णन	...	250-252
श्री जी. जी. स्वैल	...	252-258
श्री नारायण चौबे	...	258-261
श्री जैनुल बशर	...	261-265
श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर	...	265-266
श्री पीयूष तिरकी	...	266-267
श्री पी. कुलनदईवेलु	...	267-268
श्री अमर राय प्रधान	...	268-269
श्री खुर्शीद आलम खां	...	269-274

लोक सभा

गुरुवार, 18 अप्रैल, 1985/28 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. आप कहां रहे ?

प्रो. मधु दन्डवते : महोदय, मैं आपके कारण अनुपस्थित रहा। आपने श्री शरद पवार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। इसी कारण मुझे चुनाव अभियान पर जाना पड़ा।

प्रो. एन. जी. रंगा : वह अपनी आवाज खो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह सदा सीमा से अधिक इस्तेमाल करते थे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गलगंड तथा रक्तक्षीणता (एनेमिया) के उपचार हेतु नमक को पौष्टिक बनाना

[अनुवाद]

*486. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गलगंड तथा रक्तक्षीणता (एनेमिया) के उपचार हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा नमक को दुगुना पोष्टिक बनाने के बारे में दिये गये प्रस्ताव को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने लौह तथा आयोडीन दोनों से नमक को पौष्टिक बनाने का एक सूत्र तैयार कर लिया है। नये सूत्र के अनुसार पौष्टिक बनाये गये नमक का परीक्षण किया जाना है।

परीक्षणों का ब्यौरा उपलब्ध होने पर उचित निर्णय लिया जायेगा ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सत्ताईस मार्च, 1985 के 'पेट्रियट' में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर निदेशक के बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार किए गये सूत्र के प्रभाव के बारे में मतभेद है···

अध्यक्ष महोदय : क्या यह लोकतान्त्रिक व्यवस्था की खूबी नहीं है ?

श्रीमती मुखर्जी : महोदय वास्तव में यह एक खूबी है ।

चूंकि गलगण्ड और रक्त हीनता दोनों जन स्वास्थ्य को अत्यधिक हानि पहुंचा रहे हैं और चूंकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का सूत्र दोहरी पौष्टिकता द्वारा दोनों बीमारियों को ठीक करने के लिए है इसलिए क्या सरकार एक उचित दृष्टिकोण बनाने से पहले किसी तीसरे विशेषज्ञ की राय लेगी ?

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, हमारे मुल्क के हालात को देखते हुए यह एनेमिया जो है, बहुत ज्यादा तकरीबन हरेक ऐज ग्रुप में फैला है और एनेमिया की वजह से सेहत भी सही नहीं रहती । इन्सान दिन ब दिन कमजोर होता चला जाता है । यह जो आंकड़े हैं, उससे मालूम होता है कि 40 से 60 प्रतिशत जो बच्चा स्कूल जाने से पहले, फी स्कूल चिल्ड्रनर्स को एनेमिया होता है, 25 से 30 प्रतिशत वह औरतें जो बच्चा पैदा करने की ऐज में होती हैं, उनको एनेमिया होता है । तकरीबन इस मुल्क में 50 परसेंट ऐसे लोग हैं जो एनेमिया के शिकार होते हैं । एनेमिया के लिये जरूरी होता है कि हम आयरन उनको दें, इसलिये यह जो गवाइटर की शिकायत है यह आयोडीन से दूर हो सकती है और यह स्कीम को फार्टिफिकेशन हम कर रहे हैं साल्ट विद आयरन । आयोडीन नमक एक ऐसी चीज है जिसको हम रोज खाते हैं । इसकी सबसे कम कीमत होती है ।

दूसरे स्टेट्स में जो हमारा आटा होता है, इसमें आयरन मिला कर देते हैं, जो ब्रेड सभी खाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी चीज नहीं है जिस में हम इस आयरन को मिला सकें । वैसे परेंगनेंट मदर को अभी भी हम आयरन टेबलेट दे रहे हैं, लेकिन उस वजह से यह चीज आई कि अगर साल्ट में आयरन मिला दिया जाये तो उसकी जितनी मिगदाद होगी, थोड़ी-थोड़ी दी जा सकती है और उससे एनेमिया की डैफिशेंसी कम हो सकती है और इसलिए हैदराबाद कलकत्ता वगैरह में यह स्टडी की गई थी । गीता जी के अपने वैस्ट बंगाल के संगरूल हिस्से में यह पाया गया कि जिन औरतों को एनेमिया था, साल्ट देने के बाद उसमें तीन ग्राम की बढ़ोत्तरी हुई । इसका मतलब है कि यह काम हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यह एक ऐसा डिसिशन है, जिसको लेने से पहले हमको देखना होगा और उसकी स्टडी हमने शुरू की है । मैं समझती हूं कि इसमें समय लगेगा । डिसिशन लेने से पहले हम साल्ट का फार्टिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा ।

जहां तक आयोडीन का सवाल है, हमारी सरकार का यह फैसला है कि 1990 तक जो भी इटेबल साल्ट है उसको आयोडाइज किया जाये । (**व्यवधान**)

एक्सपर्ट ओपीनियन लेकर ही हमने यह काम किया है और कहीं भी आई. सी. एम. आर. और डायरेक्टर जनरल के बीच में कोई डिफरेंस आफ ओपीनियंस नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उन्हें इसका खण्डन करना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : अब कर दिया गया है।

प्रो. मधु दण्डवते : यह देश अक्तिपूर्ण दृष्टि कोण है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हो सकता है। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि दूध में 'हाइड्रोजन पर आक्साइड' को बढ़ाने से बलगण्ड हो जाता है। और सभा में की जा रही भारी भरकम शिकायतों के कारण भी यह होता है। पिछली बार प्रश्न काल के दौरान एक प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या अमूल दूध में 'हाइड्रोजन पर आक्साइड' मिलाया जाता है और माननीय मन्त्री श्री मकवाना जी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया था उन्होंने कहा था कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किए जा रहे दूध में हाइड्रोजन पर आक्साइड नहीं मिलाया जाता परन्तु उन्होंने अमूल दूध के बारे में उत्तर नहीं दिया। अतः इसे देखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने अमूल-दूध में हाइड्रोजन पर आक्साइड होने के बारे में कोई जांच की है ? यदि नहीं तो क्या वे इस सम्बन्ध में जाँच करेंगे कि अमूल और अन्य ऐसे उत्पाद में, जिनका व्यापक प्रयोग होता है, हाइड्रोजन पर आक्साइड मिलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है ?

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : अभी गीता जी ने हाइड्रोजन पैराक्साइड मिल्क में मिलने की बाबत बात कही, मैं उनको बताना चाहूँगी कि ऐक्ट के मुताबिक अमूल मिल्क में भी मिलाना मोहिबिटेड है उसको मिला नहीं सकते हैं। (**व्यवधान**)

आपने गाटंर की बीमारी की बात कही है तो यह बात सही है कि बहुत से हाईली इन्डेमिक एरियाज है जहाँ गार्टर की बीमारी है और उसको दूर करने लिए आयोडीन साल्ट की जरूरत है। जो हाईली इन्डेमिक एरियाज घोषित किए गये हैं वहां पर कामन साल्ट नहीं बल्कि आयोडाइज्ड साल्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह आयोडीन नहीं है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : आप दूध में हाइड्रोजन पर आक्साइड होने के बारे में पूछ रही हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप अमूल दूध और अन्य उत्पादों में हाइड्रोजन पर आक्साइड होने के बारे में जांच करेंगे ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं बता रही थी कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत इस पर प्रतिबन्ध है। अतः वे कैसे मिला सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वे कोई जाँच करने पर विचार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह वाद विवाद नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने कोई अधिक समय नहीं लिया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उन्होंने कोई जाँच की है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। कोई जांच क्यों होनी चाहिए जब कि कोई बात ही नहीं है ? यह पहले ही प्रतिबन्धित है। कोई प्रश्न नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह कैसे हो सकता है। कि कोई प्रश्न ही न पूछा जाए ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, यह पहले से ही प्रतिबन्धित है। यदि कोई शिकायत की जायेगी तो जांच होगी। कोई शिकायत नहीं है। अतः कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। यह एक काल्पनिक प्रश्न है।

श्रीमती गीता मुखर्जी :** .....

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : गलगण्ड सिक्किम में भी बहुत है। इस बीमारी का मुकाबला करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह गले का रोग कुछ क्षेत्रों में फैल रहा है अतः हमने स्थानिक रोग के क्षेत्रों की पहचान की है तथा हम इन क्षेत्रों में आयोडायिस्ड नमक सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इस रोग के लिए केवल यही उपचार है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मन्त्री महोदय जी ने अभी उत्तर दिया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अभी भी परीक्षण कर रहा है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात को जानती है कि टाटा केमिकल्स ने पहले से ही आयोडायिस्ड नमक की तकनीक को विकसित किया है। फार्मूला सर्वव्यापी रूप से निर्धारित है। अमरीका के फैडरल नियम के अनुसार दानेदार पोटेशियम आयोडाईड (जीव सम्बन्धी सूक्ष्म को रोकने के लिए) को आंशिक रूप से सोडियम क्लोराइड विलयम में संमिश्रण किया जाता है पी. एच. को बढ़ाने के लिए सोडियम की बायकारबोनेट की कुछ मात्रा मिलाइए और पोटेशियम आयोडाईड की आक्सीडेशन को रोकने के लिए डेक्सट्रोज की कम मात्रा को मिलाइए। यह फार्मूला सर्वव्यापी है जिसे सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। यदि हां, तो सरकार को यह फार्मूला स्वीकार करने और इसे तुरन्त बाजार में लाने में क्या रुकावट है। मैं देश में इस बीमारी से पीड़ित किशोरों की कुल संख्या भी जानना चाहता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय बुलेटिन के अनुसार भारत में यह संख्या 30 प्रतिशत है। मन्त्री महोदय सदन को आश्वासन दें कि आयोडाईड नमक यथाशीघ्र बाजार में उपलब्ध किया जाएगा अथवा इसके उपलब्ध होने में कितना समय लगेगा।

श्रीमती मोहसिना किदवई : महोदय, स्थानिक क्षेत्रों में, जहां यह रोग बहुत फैला हुआ है, इससे 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें दो बातें हैं। पहली, सामान्य नमक को आयोडायिज्ड करना और दूसरी लोहा और आयोडिन के साथ नमक की शक्ति बढ़ाना। हम उन स्थानिक क्षेत्रों के लिए जहां इस बीमारी का प्रभाव बहुत है, नमक को आयोडाइज कर रहे हैं और पूरे देश में उपभोग के लिए वर्ष 1990 तक सभी सामान्य नमक को आयोडायज करने का प्रस्ताव है। हमने कानून में भी संशोधन किया है।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक परिवार एक बच्चा लक्ष्य प्राप्त करना

*487. **श्री पी. सी. ठाकुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या में भारी वृद्धि को रोकने हेतु आगामी वर्षों में "एक परिवार एक बच्चा" लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ख) क्या इसके लिए कोई प्रोत्साहन योजना शुरू करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान नीति दो बच्चों वाले परिवार के मानदण्ड को बढ़ावा देना है। वैसे, सरकार एक बच्चे वाले परिवार को वही मुआवजा और प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है जो इस समय उन लोगों को दिए जाते हैं जो अपने परिवार के आकार को दो/दो से अधिक बच्चों तक सीमित रखते हैं।

एक माननीय सदस्य : मैं समझता हूं कि संसद सदस्यों को इससे छूट है।

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्व व्यापी रूप से लागू नहीं है।

श्री सी.पी. ठाकुर : भारत में जनसंख्या के कतिपय वर्ग जैसे महाराष्ट्र में पारसी और बिहार में पहाड़िया हैं जिन की जनसंख्या नही बढ़ रही है। अधिक समृद्धि समुदाय है जबकि दूसरा वर्ग पिछड़ा समुदाय है। हमारी जनसंख्या के कुछ भाग बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या इनके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और भारत की सामान्य जनसंख्या में उन कारणों को लागू किया गया है ?

दूसरा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार परिवार कल्याण पर प्रतिव्यक्ति व्यय बिहार में सबसे कम है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तथा मध्य प्रदेश में कुछ अधिक है और इन क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है। क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने जा रही है और क्या उन क्षेत्रों में और अधिक व्यय करेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : आदिवासी जनसंख्या के बारे में कुछ अध्ययन किए गए थे कि आदिवासी टोटा वर्ग की जनसंख्या तो कम होती जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा अध्ययन किया गया था लेकिन फिलहाल मेरे पास रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और यह इस प्रश्न से भी नहीं उठता है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है सरकार ने लोगों को जनसंचार के माध्यम से इस बात से अवगत कराने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं और कुछ प्रोत्साहन भी दिए हैं ताकि वे परिवार नियोजन के लिए आगे आएं।

डा. सी.पी. ठाकुर : मेरा प्रश्न यह है कि बिहार में हमारा प्रतिव्यक्ति व्यय सबसे कम है। इस लिए क्या आपका ऐसे राज्यों में और अधिक खर्च करने का विचार है ताकि जनसंख्या में अधिक वृद्धि को रोका जा सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। उदाहरण के लिए आपके पास केरल है जहां यह बहुत अधिक स्वीकार्य है। वहां कुछ अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम राशि खर्च की जा रही है। यह बिल्कुल सही है कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों में (जहां लोग परिवार नियोजन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं) अधिक राशि खर्च की जा रही है।

प्रो. एन. जी. रंगा : वह और अधिक चाहते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह सभी साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सुनें। वह पहली बार बोल रहे है।

श्री एस. एम. गुरड्डी : क्या यह सच है कि सरकार प्रत्येक परिवार को केवल एक ही बच्चे तक सीमित करने के लिए एक व्यापक विधेयक ला रही है ताकि इस देश में जनसंख्या के विस्फोटन को रोका जा सके ? क्या आपके पास कोई विधेयक है या आप कोई नया विधेयक ला रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस समय सदन के सामने इस तरह का कोई विधेयक लाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री एस. एम. गुरड्डी : क्या यह सच है कि देश में परिवार के आकार के सीमित रखने के लिए इस तरह के व्यापक विधेयक की आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय : अब डा. वी. वेंकटेश ।

डा. वी. वेंकटेश : मेरा यह प्रश्न है कि आज हम सभी जानते है कि जनसंख्या विस्फोटन का विस्तार बहुत बड़ा है। इस दिशा में जनसंख्या विस्फोटन को रोकने के लिए बहुत से धर्म इस रास्ते पर आ रहे हैं। सरकार ने ऐसे कौन से उपाय किए है जिससे इस देश में परिवार नियोजन की एक रूपता दिखाई दे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र में यह संभव नहीं है कि किसी धर्म पर हावी हुआ जाए। लेकिन परिवार नियोजन की आवश्यकता के बारे में उन्हें केवल शिक्षा दी जा सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर।

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, गांवों में जहां महिलाएं अनपढ़ भी है और कम उम्र में ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना है कि उनके लिए कैम्पस लगाए जाएं जहां इनके तथा उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : चाइल्ड और मदर केअर योजना के अंतर्गत कमजोर तथा जिन महिलाओं को एनीमिया हो जाता है उनके प्रशिक्षण के लिए प्रावीजन किया गया है। खासतौर से एजूकेशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री रेणु पद दास : वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत मैं नहीं समझता कि केवल एक ही बच्चा का फार्मूला उचित होगा। लेकिन मुझे अब भी दो बच्चों के फार्मूले पर कुछ संदेह है। (**व्यवधान**) मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या दो बच्चों के फार्मूले से ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है या नहीं ? यदि हां, तो इससे किस स्तर तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के क्षेत्रों में विशेषकर जहाँ परिवार

नियोजन की अनुक्रिया जन संचार आदि अभियानों और लोगों को शिक्षा के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। यह सरकार द्वारा किया जा रहा है।

श्री रेणुपद दास : महोदय, यह कोई उत्तर नहीं है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा समान पाठ्यक्रम के लिए प्रस्ताव

*488. **श्री सुरेश कुरूप**† :

प्रो. मधु दण्डवते : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समान पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) इस समय नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है। इसे अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद सरकार अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यचर्या आदि से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर निर्णय करेगी।

श्री सुरेश कुरूप : अध्यक्ष महोदय, 6 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने पहले भाषण में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी और अभी तक नई शिक्षा नीति के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस संबंध में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार के विचाराधीन वे ठोस प्रस्ताव क्या हैं। इसे मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस देश में बेरोजगारी की समस्या के तथा उपलब्ध रोजगार के अवसरों पर भी विचार करेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रोजगार के अवसरों से जुड़ी नई शिक्षा नीति को वैज्ञानिक ढंग से तैयार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह सच है कि प्रधान मंत्री जी राष्ट्र के नाम अपने पहले भाषण में नई शिक्षा नीति तैयार करने की आवश्यकता पर बोले थे। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की बजट मांगों के उत्तर में मैंने इस तरह की नीति बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख किया था। सर्वप्रथम अब हम शिक्षा नीति को पुनरीक्षा में लगे हुए हैं और हमारे पास वे अध्ययन पत्र हैं जिनकी चर्चा की जाएगी और वर्तमान शिक्षा प्रणाली की खराबियों आदि का पता लगायेगी। हमारे पास चर्चा के लिए अन्य पत्र भी है और अन्तिम रूप से चर्चा और राष्ट्रीय वाद-विवाद के बाद हम सिफारीश तैयार करना चाहते हैं। मैंने इन सभी का उल्लेख किया है। मुझे इसे पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा रोजगार की व्यवस्था नहीं करती है। आर्थिक विकास की दर का परिणाम रोजगार होगा। लेकिन मैं अपने माननीय दोस्त के साथ सहमत हूँ कि शिक्षा के स्वरूप और ऐसी शिक्षा प्रणाली में ढले व्यक्ति और उत्पादोन्मुखी रोजगार की आवश्यकताओं के बीच जिसमें न केवल रोजगार ही बल्कि स्व-रोजगार और शिक्षा संस्थाओं द्वारा अपेक्षित लोग भी हो के बीच अनुसंधान द्वारा आदि की बराबरी होनी चाहिए। समग्र रूप से इस सम्पूर्ण प्रणाली की दोनों उत्पादोन्मुखी रोजगार क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र उप पद्धतियों के बीच समानता की कौशिश करनी चाहिए।

श्री सुरेश कुरूप : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार निश्चित समय अवधि के भीतर नई शिक्षा नीति की घोषणा करेगी ताकि देश के लोग नई पद्धति को जान सकें।

वे हमें यह भी बताएं कि क्या सरकार नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहती है और क्या सरकार नई शिक्षा नीति तैयार करने से पहले अध्यापकों और छात्रों दोनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करना चाहती है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : सरकार का यह उद्देश्य है कि अगले शैक्षिणक वर्ष में नई नीति को कार्यान्वित किया जाए और तदनुसार हमने नीति तैयार करने के लिए समय अवधि निश्चित की है। जहां तक परमार्श का संबंध है हम अध्यपकों और छात्रों की भी सलाह अवश्य लेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि गुजरात में कितने सेन्ट्रल स्कूल हैं और कच्छ में कांडला एक बहुत बड़ी पोर्ट है। तो वहां पर एक सेन्ट्रल स्कूल चालू करने के बारे में क्या मन्त्री महोदय ने कुछ सोचा है ?

अध्यक्ष महोदय : ऊषा जी, जरा आप बैठ जाइए, पहले प्रो. मधु दंडवते क्वेश्चन पूछ लें क्योंकि उनका इसमें नाम है।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, हम एक ही समय में दो बातें नहीं कह सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : वह अपना शौर्य खो चुके हैं।

प्रो. मधु दंडवते : मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। कोई बात नहीं महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि आजादी के 37 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति का निर्धारण विचारधीन है। मुझे खुशी है कि इसे तैयार किया जा रहा है। लेकिन पृष्ठभूमि के प्रति मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि नए प्रधान मंत्री जी ने पहले से ही इसकी घोषणा कर दी है कि वह शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ना चाहते हैं। और क्या यह सही नहीं है कि इसे कोठारी आयोग की सिफारिशों में शामिल किया गया है कि डिग्री को रोजगार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

क्या यह सही नहीं है कि 30 साल पहले 1956 में लोक सेवा आयोग ने भी इसी तरह की सिफारिश की थी ? क्या यह सही नहीं है कि दस जमा दो जमा तीन शिक्षा प्रणाली के लिए गठित राष्ट्रीय समिति ने दोबारा ऐसी ही सिफारिश की थी। उस आधार पर, क्या यह सही नहीं है कि सध लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री किदवई (अगर मुझे सही याद है तो) ने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखा था जिसमें फिर वही सिफारिश की गई थी। और क्या यह भी सही नहीं है कि 1979 में जनता सरकार ने इस सिफारिश को मजूर कर लिया था तथा इसे अपनी शिक्षा नीति के प्रारूप का आधार बनाया था। अन्त में, क्या यह भी सही नहीं है कि श्री पार्थसारथी की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने भी वही सिफारिश की थी ?

सभी आयोगों, यहां तक की आपकी अपनी पिछली सरकार द्वारा भी यही सिफारिश किए जाने के बावजूद नीति निर्धारण तथा कुछ समय बाद उसको घोषणा करने के लिए आपको इतने समय की जरूरत क्यों है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अगर प्रो. मधु दंडवते न होते तो मैं यही कहता कि प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप इस तरह पक्षपात नहीं कर सकते। हम सभी समान हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रो. दंडवते की तरफदारी करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : समान में भी किसी एक को तो पहल दी ही जाती है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : शिक्षा आयोग ने, जिसे "कोठारी आयोग" नाम दिया गया था 1964-66 में इस संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं तथा सरकार ने शिक्षा नीति को स्वीकार करके 1968 में उसकी घोषणा की थी ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षा नीति नहीं हैं। केवल इसकी संवीक्षा की जा रही है मेरे विचार से प्रो. दंडवते यह बात स्वीकार करेंगे कि 1968 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति की संवीक्षा करने की जरूरत है। 1968 को समाप्त हुए तो एक अरसा हो चुका है डिग्रियां नौकरी पाने का आधार न हो, इस मूल प्रश्न के लिए उन्होंने डा. किदवई की टिप्पणी और श्री पार्थसारथी की अध्यक्षता में गठित समिति का तथा इस संबंध में जनता सरकार द्वारा 1979 में दी गई स्वीकृति का भी उल्लेख किया है।

प्रो. मधु दंडवते : वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी यही विचार व्यक्ति किए है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : प्रधान मंत्री का भी यही विचार है और मेरा भी यही विचार है। हम उस पर कार्यवाही करेंगे। यह ऐसा काम नहीं है जो एक ही दिन में हो जाएगा। इस मामले में कुछ भ्रांतिया भी हैं। डिग्री प्रदान करना समाप्त नहीं किया जाएगा। डिग्रियां तो मिलेंगी। प्रश्न केवल यह है कि जहां डिग्रियों की जरूरत नहीं है वहां लोगों को केवल डिग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से और अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य न किया जाए। इस उदार दृष्टिकोण को अधिकाधिक स्वीकृति मिल रही है। लेकिन इसके लिए संघलोक सेवा आयोग, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक और निजी उपक्रमों के कर्मचारियों से विचार विमर्श करना होगा। यदि सभी इस बारे में सहमत हुए तब ही इस दिशा में काम शुरू किया जा सकता है। प्रो. दंडवते को यह बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इसके लिए सरकार के उन वर्गों की भी सहमति प्राप्त करनी होगी जो कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी मामलों को देखते हैं। इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा। मैं प्रश्न को टाल नहीं रहा हूं। मेरे विचार से इस मामले में मुझे यथार्थवादी होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : देखें इस सम्बन्ध में ममता जी को क्या कहना है। क्या वे प. बंगाल के सम्बन्ध में कहेंगी ?

कुमारी ममता बनर्जी : माननीय शिक्षा मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा हालतों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम की व्यवस्था कैसे हो सकती है जबकि प. बंगाल जैसे राज्य में राष्ट्रीय आन्दोलन का अध्ययन कराने के बजाय स्कूल स्तर पर मार्क्सवाद पढ़ाया जाता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत मैं अपनी माननीय मित्र को हाल में हुए एक स्वागत योग्य परिवर्तन की सूचना देना चाहूंगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के केन्द्रीय संगठन ने इस साल फरवरी में आयोजित एक बैठक में यह सिफारिश की थी कि सभी बोर्डों में देश भर में सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। इन सिफारिशों पर समय बद्ध आधार पर कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय संगठन का यह एकमत से लिया गया निर्णय है। यह एक स्वागत योग्य परिवर्तन है। मैं इसका स्वागत ही नहीं करता बल्कि आशा करता हूं कि वे राज्य सरकारों के सहयोग से वे इस पर अमल करेंगे। इस निर्णय का एक विशेष मुद्दा यह है कि सभी बोर्ड इस कार्य के लिए समन्वित प्रयास करेंगे और वांछनीय पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता करेंगे। इसलिए वे सभी राज्यों से

सहयोग ले रहे हैं तथा इस निर्णय में सभी राज्य एक पक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे विचार से इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बिहारी गंज से सिमरी बख्तियार तक रेल लाइन बिछाना

[हिन्दी]

*489. **श्री महाबीर प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहारी गंज में सिमरी बख्तियार (जिला माधोपुरा, बिहार) तक रेल लाइन बिछाने के लिए वर्ष 1974-75 में सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नयी मीटर लाइन पर 1974-75 के मूल्य स्तर पर 5.5 करोड़ से अधिक लागत आयेगी तथा इससे एक प्रतिशत से भी कम प्रतिफल प्राप्त होगा।

(ग) संसाधनों की बेहद कमी और पहले से की हुई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ससाधनों की स्थिति में सुधार होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

[हिन्दी]

श्री महाबीर प्रसाद यादव : जब मैं यह प्रश्न तैयार कर रहा था तो मेरे बगल में बैठे हुए सज्जन कह रहे थे कि बंसी लाल जी

अध्यक्ष महोदय : कहीं वे आपके प्रश्न से डर कर, उठ कर तो नहीं चले गए।

श्री महाबीर प्रसाद यादव : उनका कहना था कि बंसीलाल जो बिहार को अनटचेबल मानते हैं। मेरा उनसे कहना है कि वैसे तो पूरे का पूरा बिहार राज्य ही पिछड़ा एरिया है, मगर जिस इलाके की मैं यहां बात कर रहा हूं वह स्पेश्यली बैकर्ड एरिया है। मैं यह भी मानता हूँ कि रेलवे के पास संसाधनों की कमी है फिर भी क्या मत्री जी उस स्पेश्यल बैकवर्ड एरिया के हालात को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कुछ प्रावधान करेंगे। यदि अभी यह सम्भव नहीं है तो कुछ समय बाद भी ऐसा किया जा सकता है या नहीं। क्या वे किसी तरह की कोई कमिटमैंट या एश्योरैंस यहां दे सकते हैं।

श्री बंसीलाल : श्रीमन् बिहार में आजादी से अब तक कुल 721 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनाई गई जिसमें से 315 किलोमीटर नौर्थ बिहार में बनाई गई है। इसके अतिरिक्त पिछले दिनों ही बरौनी से कटिहार तक 182 किलोमीटर रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्राड गेज में परिवर्तित किया गया। इसलिए बिहार में काफी रेलवे का काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि कम काम हुआ हो। फिर भी, मैं इनसे इस बारे में कोई वायदा नहीं कर सकता।

श्री महाबीर प्रसाद यादव : मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि अभी यह सम्भव नहीं है तो कभी भी कुछ किया जा सकता है, या नहीं।

श्री बंसीलाल : कभी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : यहां कहा जाता है कि रेलों के मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : केरल भी पिछड़ा हुआ है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : सातवीं योजना तैयार की जा रही है, अतः क्या रेल मंत्री सातवीं योजना के लिए रेल नीति पर दोबारा से विचार करेंगे और देखेंगे कि रेलों के मामले में कौन से राज्य पिछड़े हुए हैं क्योंकि नई रेल लाइनें शुरू करने पर विचार करते समय इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता रेलों के मामले में पिछड़े होने से उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में पिछड़ापन आता है। अतः क्या वे इस पहलू पर ध्यान देकर इस बात पर विचार करेंगे कि रेलों के मामले में कौन से राज्य पिछड़े हुए हैं तथा सातवीं योजना के तैयार होने पर उन राज्यों को अधिक सहायता दी जाए।

श्री बंसीलाल : सातवीं योजना तैयार करते समय इन सभी बातों पर विचार किया गया था।

प्रो. के. के. तिवारी : मन्त्री जी द्वारा खास कर बिहार के संबंधमें दिए गए इस उत्तर को सुनकर मुझे बौखलाहट होती है। हमारी घोषित नीति क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की है तथा बिहार क्षेत्रीय असंतुलन का एक विशिष्ट उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय : क्या जनसंख्यावार भी ?

प्रो. के. के. तिवारी : सभी केन्द्रीय एजेंसियां देश के विकास के लिए बिहार के खनिज संसाधनों का दोहन कर रही हैं। बिहार की दशा उसके पिछड़ेपन तथा उसकी अर्थ व्यवस्था में तेजी से आ रही गिरावट को देखते हुए मेरे विचार से मन्त्री महोदय को सारी स्थिति पर दोबारा से विचार करना चाहिए। इन सारी बातों को देखते हुए क्या मैं माननीय मन्त्री से आशा करूं कि जिन नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है उन्हें मंजूरी दी जाएगी तथा सातवीं योजना में बिहार को अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जायेगी।

श्री बंशीलाल : जिन रेल लाइनों का सर्वेक्षण किया गया है उनके लिए योजना आयोग जब भी धनराशि आवंटित करेगा, हम उनका निर्माण करेंगे।

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय कृपया रेल मन्त्री से कहें कि वे अपने उत्तर थोड़ा स्पष्ट दिया करें। वे बहुत संक्षिप्त तथा यथातथ्य जवाब देते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, संक्षिप्तता वाकचातुर्य की आत्मा है।

श्री सत्य गोपाल मिश्र

श्री सत्य गोपाल मिश्र : महोदय, सूची में प्रकाशित रिजर्वेशन शब्द के स्थान पर "रिनोवेशन" शब्द होना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि शुद्धिपत्र जारी कर दिया गया है।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : प्रश्न 491

मचादा रेलवे स्टेशन का नवीकरण

*491. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे पर मचादा रेलवे स्टेशन के नवीकरण की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नवीकरण कार्यक्रम के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त नवीकरण का कार्य कब तक पूरा किया जाना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) जी हां।

(ख) इस समय मेचेदा में जो काम चल रहा है, उसमें पर्याप्त बुकिंग खिड़कियों, प्रतीक्षालय, विश्राम कक्षों और ऊपरी पैदल पुल के विस्तार सहित नये स्टेशन भवन के निर्माण की व्यवस्था है।

(ग) स्टेशन भवन के निर्माण में श्रमिक समस्या के कारण देरी हुई है।

(घ) यद्यपि ऊपरी पैदल पुल के विस्तार का काम इस माह के अंत तक समाप्त हो जाने की आशा है, तथापि नये स्टेशन भवन के निर्माण का कार्य लगभग 3 माह में पूरा होने की संभावना है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : हल्दी नदी पर मतनगिनी पुल के बन जाने तथा कोइलाघाट ताप बिजली केन्द्र की स्थापना करने से मचादा रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है। लेकिन उक्त स्टेशन पर बहुत समय पूर्व शुरू किए गये नवीकरण कार्यों से यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या धनराशि की कमी है, स्टेशन की इमारत के नवीकरण के लिए कोइलाघाट ताप बिजली केन्द्र के अधिकारियों से कुछ धनराशि प्राप्त हुई है, निर्माण कार्य कब शुरू किया गया, इसे पूरा होने में लगभग कितना समय लगेगा तथा काम को पूरा करने के लक्ष्य क्या हैं।

श्री बंसीलाल : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ काम लगभग तीन महीने में पूरा होगा। यह काम 4 बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के कोइलाघाट ताप बिजली केन्द्र के मचादा रेलवे स्टेशन के नवीकरण करने के अनुरोध पर शुरू किया गया था। कार्य की मूल लागत 2.73 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी लेकिन काम तथा कीमतों के बढ़ने के कारण इसे बढ़ाकर 6.5 करोड़ रुपये कर दिया गया। कुछ काम जैसे साइडिंग तथा यार्ड के लिए मिट्टी का काम, पहुंच-मार्गों का विस्तार तथा साइडिंग के लिए ट्रैक मैटिरियल की सप्लाई का काम ताप बिजली केन्द्र के अधिकारियों को करना था। रेलवे को 3.15 करोड़ रुपये की लागत का कार्य करना है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : रेल मन्त्री द्वारा दिए गये इस उत्तर से मुझे बहुत हैरानी हुई कि श्रमिक समस्या के कारण काम में देरी हुई है। वास्तव में श्रमिक समस्या नहीं है, श्रमिक समस्या का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऊपरी पुल के विस्तार कार्य में केवल 6-7 श्रमिक लगे हुए हैं। मैं वहां रोज जाया करता था और देखा करता था कि स्टेशन में इमारत में केवल दस-पन्द्रह व्यक्ति काम कर रहे होते थे। और उनका कहना है कि वहां श्रमिक समस्या है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि वहां पर किस प्रकार की श्रमिक समस्या है। क्या रेलवे ने इस सम्बन्ध में सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में कोई शिकायत दर्ज कराई है ? मेरे विचार से वहां पर कोई श्रमिक समस्या नहीं है।

श्री बंसीलाल : श्रमिक समस्या यह है कि माननीय सदस्य के दल वाले ताप बिजली घर के श्रमिक संघ के नेताओं का यह कहना है कि ठेकेदार द्वारा उसी श्रमिक को काम पर लिया जाना चाहिये जिसकी उनका संघ विशेष द्वारा सिफारिश की जाये। पहले तो ठेकेदार ने यह बात नहीं मानी, परन्तु अब मान गया है और इसके बावजूद भी केवल दो श्रमिक उपलब्ध कराये गये अतः मुख्य अड़चन तो केवल उनका दल है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : विवरण गलत है।

श्री बंसीलाल : विवरण कतई गलत नहीं है।

विद्युत चालित इन्जनों का आयात

*492. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विद्युत चालित इन्जनों के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत चालित इंजनों के आयात करने का है; और

(ग) देश में कितने विद्युत चालित इन्जनों का उत्पादन करने तथा कितने विद्युत चालित इन्जनों का आयात करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 1985-86 के दौरान 8 बिजली रेल इन्जन देश में ही बनाने और उच्च अश्व शक्ति वाले विभिन्न डिजाइनों के बिजली रेल इंजनों के लगभग 20 प्रोटोटाइप आयात करने का प्रस्ताव है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मेरे विचार से रेलों का विद्युतीकरण ही एकमात्र मुख्य उपाय है, क्योंकि जहां इससे एक ओर सस्ती यात्रा सुलभ होती है, दूसरी ओर इसमें अनुरक्षण लागत कम और यात्रा सुरक्षित होती है जिसके फलस्वरूप दुर्घटनाएं कम प्रदूषण मुक्त एवं त्वरित यात्रा संभव होती है क्या मन्त्री महोदय मेरे इस वक्तव्य से सहमत हैं ? क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2800 किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था जबकि इस वर्ष मार्च तक केवल 1824 कि. मी. का ही विद्युतीकरण किया जा सका। लक्ष्य और उपलब्धि के बीच यह अन्तर क्योंकर है ? क्या यह सच है कि सस्ती और सुरक्षित यात्रा की हमारी समस्या का विद्युतीकरण ही वास्तव में अंतर है ?

श्री माधवराव सिंधिया : यह केवल भीड़-भाड़ वाले कुछ मार्गों के सम्बन्ध में तो सही है कि विद्युतीकरण लाभजन्य, अधिक टिकाऊ और सस्ता है, परन्तु अलग-अलग मार्गों पर यह बात भिन्नतापूर्ण होगी।

जहां तक विद्युतीकरण के लक्ष्य का सम्बन्ध है, वह तो लगभग 2752 कि. मी. रेल मार्ग का था और हम केवल 1522 कि. मी. मार्ग ही पूरा कर सके, मुख्य रूप से कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि होने के कारण ही ऐसा हुआ। अतः, हमारी उपलब्धि पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या कुल आवंटन को खर्च कर दिया गया है या नहीं। 31 मार्च, 1985 तक छठी योजना के 422 करोड़ रुपये के कुल आवंटन को खर्च कर दिया गया है। है। परन्तु कीमतों में वृद्धि के कारण हम केवल 1522 कि. मी. मार्ग का ही विद्युतीकरण कर सके।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अब हमारे पास गत योजना का भी 1000 कि. मी. रेल मार्ग विद्युतीकरण के लिए शेष बचा हुआ है। क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण का लक्ष्य 5000 कि. मी. से घटाकर 3500 कि मी. कर दिया गया है ? यह बताया गया है कि हाल ही में लिए गये एक मुख्य नीति निर्णय में रेलवे

ने निर्णय लिया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल पथ का भारी पैमाने पर विद्युतीकरण न किया जाए। इसके बजाय खराब रेल पथों और चल स्टाक की मरम्मत करने के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे। सुरक्षित और सस्ती यात्रा के आड़े आने वाले इस नीति परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूँगा कि नीति परिवर्तन का कारण है पांच वर्णों वाला वह शब्द जिसे 'धन' कहते हैं। नीति परिवर्तन का यह समग्र कारण है। मैं उनके इस कथन से सहमत हूं कि यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है तथा योजना आयोग्य से और अधिक धन प्राप्त करने के लिए मैं उनकी सहायता और समर्थन चाहूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे उनका पूर्ण समर्थन मिलेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3380 कि.मी. रेलपथ के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके लिए कुछ समर्थन चाहिये ?

श्री माधवराव सिंधिया : ठीक है महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से यह विनम्र निवेदन कर रहा हूँ।

श्री वासुदेव आचार्य : महोदय, सरकार ने सभी भाप इन्जनों को हटाने की नीति अपनाई है और 1972 से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से एक भी भाप इन्जन बनकर बाहर नहीं आया है। अत: विद्युत इन्जनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। जबकि वर्ष 1984-85 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में, 81 विद्युत रेल इन्जनों का उत्पादन हुआ था, वर्ष 1985-86 में 58 इन्जनों का ही लक्ष्य रखा गया है। अर्थात् चितरंजन लोको मोटिव वर्क्स की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है और उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किए बिना सरकार बोस प्रोटोटाइप विद्युत इन्जनों का आयात करने जा रही है; यद्यपि चितरंजन में ही इस प्रकार के इन्जनों का उत्पादन किया जा सकता है। चितरंजन लोको मोटिव वर्क्स के भूतपूर्व महाप्रबन्धक ने सरकार को एक पत्र लिखा था कि उनका विशेष एकक इन विशेष प्रकार के लोको मोटिव इन्जनों का निर्माण कर सकता है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए।

श्री वासुदेव आचार्य : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को क्षमता का उपयोग करने के बजाय सरकार 20 प्रोटोटाइप इन्जनों का आयात कर रही है। मन्त्री महोदय को यह बात स्पष्ट करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपको तो केवल क्षमता के उपयोग के बारे में पूछना चाहिये था।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की क्षमता 60 इन्जनों के उत्पादन की है। हमें चितरंजन लोको मोटिव वर्क्स से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें लगभग 10.86 करोड़ रुपये की लागत से इसकी क्षमता को 60 से बढ़ाकर 80 करने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। सातवीं योजना में जो लक्ष्य रखा गया है सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में वह यह है कि रेलवे को 3500 लाख टन माल ढोना चाहिये और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु हमें लगभग 570 रेल इन्जनों की प्राक्कलित क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। अत: सम्भवतया कुछ इन्जनों के आयात की आवश्यकता पड़ेगी। परन्तु इस मामले पर विचार किया जा रहा है। और इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रोटोटाइप इन्जन के आयात का एक कारण यह भी है कि हम चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

में केवल 600 अश्व शक्ति के इन्जनों का उत्पादन करते हैं और 6,000 अश्व शक्ति के विद्युत इन्जनों का आयात करने का प्रस्ताव है जिससे कि लाइन क्षमता में बचत की जा सके।

श्री ललितेश्वर शाही : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि कीमतों में वृद्धि के कारण 2700 कि. मी. के प्रस्तावित विद्युतीकरण को घटाकर 1500 कि. मी. कर दिया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि किस अवधि के दौरान यह वृद्धि हुई है ? यह प्राक्कलन कब तैयार किया गया और इस वृद्धि का सामान्य मूल्य सूचकांक से क्या कोई सम्बन्ध है और क्या सामान्य मूल्य सूचकांक से अधिक द्रुत गति से उन वस्तुओं की कीमतें भी बढी हैं जिनकी रेलवे को आवश्यकता पड़ती है ?

श्री माधव राव सिंधिया : वास्तव में इस प्रश्न का विद्युतीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह इन्जनों के आयात के बारे में है अत: इस मामले में मुझे अलग से सूचना की आवश्यकता होगी। मैंने विद्युतीकरण पर मूल प्रश्न का उत्तर देते समय विद्युतीकरण का उत्तर दिया था। परन्तु इसके लिए मुझे अलग से सूचना भेजी जानी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ, जैसा कि मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि कुछ विद्युत इन्जन खरीदने पर विचार कर रहे हैं, वे देश कौन-कौन से हैं और भारतीय मुद्रा में उनकी कीमत क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय : कीमत जब सौदा करेंगे, तब पता लगेगी।

कुछ आधारभूत पाठ्यक्रमों के लिये समान पाठ्यचर्या

*493. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और प्रशान्त महासागर क्षेत्र के देशों के विश्वविद्यालयों के कुलपति आपसी सहयोग को और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु कुछ आधारभूत पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में, समान पाठ्यचर्या रखने के प्रस्ताव पर कार्य करने को सहमत हो गये हैं,

(ख) यदि हाँ, तो उन आधारभूत पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव से विद्यार्थियों में पारस्परिक सद्भावना में वृद्धि होगी और विभिन्न देशों के बीच विद्यार्थियों के आवागमन में भी सुविधा होगी, और

(घ) उक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) एशियाई और प्रशान्त क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन समान शैक्षिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करने और एक-दूसरे के अनुभव का भागी बनने के लिए आयोजित किया गया था। विचार विमर्श के दौरान, अवर स्नातकों के लिए आधारभूत पाठ्यक्रमों की आवश्यकता के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए गए थे ताकि आम जागरूकता को प्रौन्नत किया जा सके। तथापि सम्मेलन ने इस विषय के बारे में कोई विशिष्टि सिफारिश नहीं की।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, इस कान्फ्रैंस में तेरह देशों ने भाग लिया और माननीय मंत्री जी उद्घाटन करने के लिए गए थे। उस कान्फ्रैंस में निश्चय ही काफी चर्चायें

हुई होंगी; कुछ निर्णय भी हुए होंगे। हो सकता है कोई स्पैसिफिक निर्णय न लिए हों, जनरल डिसक्शन हुआ होगा और एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उन्होंने आपको क्या बताया है ? दूसरा प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री जी के टेलीविजन पर भाषण के बाद देश की जनता को कुछ आस्था हो गई थी कि अब शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन होगा। अंग्रेजों के जमाने से जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है; उसमें अब परिवर्तन आएगा। जब तेरह देशों के वाइस चांसलर्स भाग लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वे कुछ न बतायें। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा उन्होंने मोटे तौर पर क्या सुझाव सरकार को दिए हैं और उन पर वे क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, इस कान्फ्रेंस में आठ विदेशी मुल्कों ने भाग लिया। वे मुल्क हैं बगला देश; चाइना, साउथ कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका और थाइलैंड। इनका उद्देश्य यह नहीं था कि हमारी सरकार को कोई सिफारिश दें। इनका उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ायें, लेकिन माननीय सदस्य फाउन्डेशन कोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं कि इन्होंने कोई चर्चा की या नहीं। इन्होंने चर्चा की और तीन ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें ग्रुप-1 ने अपनी सिफारिश, जो कि इंगलिस में है, इस प्रकार दी है :

[अनुवाद]

"आम जागरूकता द्वारा अवर स्नातकों के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम रखना आवश्यक था ये पाठ्यक्रम अनिवार्य होने चाहिये तथा मानविकी विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के पाठ्यक्रम भी इसमें सम्मिलित किए जाने चाहिये।"

[हिन्दी]

ग्रुप-1 की रिकमेंडेशन जब प्रिलिमिनरी के सामने गई, तो उन्होंने इसको एडाप्ट नहीं किया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कान्फ्रेंस की तरफ से रिकमेंडेशन है या नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा है ,हमने उसको नोट किया है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार को शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का विचार है ? मौजूदा शिक्षा नीति हमें ब्रिटिशर्स के जमाने में विरासत में मिली हुई है इसको बदलना बहुत जरूरी है।

इसलिए मैं जानना चाहता हूं, सरकार की तरफ से शिक्षा नीति के बारे में घोषणा छः महीने में, साल भर में या दो साल में कब तक हो जाएगी। चर्चायें हो रही हैं, तो फाइनल स्टेज में क्या आप निर्णय लेने की स्थिति में आ गए हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। पिछली बार भी जवाब दिया था, इससे ज्यादा जवाब आपको क्या देवें।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : जवाब दे दिया है, इससे और ज्यादा आप क्या चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं जवाब दे चुका हूं, शायद माननीय सदस्य उस वक्त सदन में न रहे होंगे।

अध्यक्ष महोदय : उसको पढ़ लेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यदि इतनी तकलीफ भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं उनको बतला दूं कि अगले एकेडेमिक ईयर तक इरादा है कि नई नीति चालू की जाय।

दिल्ली में विद्युत कनेक्शनों की आकस्मिक जांच

*494. **श्री रामबहादुर सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने मार्च, 1985 में बिजली के कनेक्शनों की आकस्मिक जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा जांच किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई;

(घ) बिजली की चोरी के कितने मामलों का पता चला है; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी.शंकरानन्द) : (क) से (ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने मार्च, 1985 में उत्तरी पूर्वी, और पश्चिमी दिल्ली में अचानक जांच-पड़ताल की थी और चोरी के 35 मामले तथा अधिक भार उपयोग करने और बिजली के कनेक्शनों का दुरुपयोग करने संबंधी 185 मामले पकड़े गए थे। चोरी के मामलों में सप्लाई काट दी गई है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। चोरी के कारण ऊर्जा की हानि का समुचित आकलन के बाद, बिलों को भी बढ़ाया जा रहा है। अधिक भार उपयोग करने और बिजली का दुरुपयोग करने के संबंध में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 25 प्रतिशत अधिभार लगाने और बिलों को अधिकतम दर तक बढ़ाने के अनुदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह : महोदय, बिजली की चोरी तथा अधिक भार उपयोग करने की घटनाएं आये-दिन हुआ करती हैं। इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस काम में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लोग भी लगे हुए हैं जिनकी चर्चा पहले भी इस सदन में हो चुकी है। इस लिए मैं जानना चाहता हूँ कि चोरी की 35 तथा अधिक भार उपयोग की जो 189 घटनाएं पकड़ी गई हैं, वे जिनके यहां पकड़ी गई है वे कौन लोग हैं ?

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय मेरा संक्षिप्त सा उत्तर है कि जो लोग इस विद्युत का उपयोग करना चाहते थे, वे ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस की चोरी की है।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह : आप के जवाब में है कि पुलिस के यहां रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, वह रिपोर्ट किसी के खिलाफ तो दर्ज कराई गई होगी, ऐसी स्थिति में उन के नाम बतलाने तथा उन में जो डेसू के अधिकारी हैं उन के नाम बतलाने में क्या कठिनाई है ?

[अनुवाद]

श्री बी. शकरानन्द : महोदय, इन लोगों के नामों को छुपाने की मेरी कतई मन्शा नहीं है। इस समय मेरे पास नाम है नहीं, परन्तु यदि माननीय सदस्य को नाम ही चाहिए तो मैं उन्हें दे दूंगा।

शोलापुर-बीजापुर और होसपेट-शोलापुर रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलना

*496. **श्री एस. एम. गुरड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर, बीजापुर और होसपेट-शोलापुर रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं को कब तक शुरू करने की संभावना है;

(ग) क्या गुंटाकल से होसपेट तक की वर्तमान रेल लाइन को जो कि मालगाड़ियों के प्रयोग के लिए ही सीमित है, यात्रा गाड़ियों के लिए खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इन लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (घ) : प्रथम चरण में गुंतकल से बेल्लारी तक की लाइन 30.12.1984 को यात्री यातायात के लिए खोल दी गई है। जहां तक बेल्लारी से होसपेट तक के खंड को खोलने का सम्बन्ध है, यह काम चरण II में शुरू किया जायेगा बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

अध्यक्ष महोदय : यही मुख्य बात है। **(व्यवधान)**

श्री एस. एम. गुरड्डी : महोदय, हमारे रेल मन्त्री महोदय यहां आकर सदैव यही कहते हैं कि वित्तीय अभाव है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या रेल मंत्री महोदय अथवा रेलवे विभाग ने गत तीन या चार वर्षों से छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन का काम नहीं किया है ?

श्री माधवराव सिन्धिया : महोदय, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की प्रति किलो मीटर लागत 30 लाख रुपये आती है जबकि नई बड़ी लाइन छिपाने पर लगभग 40 लाख रुपया खर्च आता है। निस्सन्देह, यह सब पूर्णतया भू प्रदेश पर निर्भर करता है, परन्तु मैं तो औसत लागत बता रहा हूँ। अतः कभी कभी लाइन बदलने के बजाय नई बड़ी रेल लाइन बिछाना अधिक अच्छा समझा जाता है। इसमें भी निस्सन्देह हर मामला भिन्न पड़ता है। रेल मन्त्रालय ने भी लाइनें बदलवाई हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गर्मियों के मौसम में बम्बई और सौराष्ट्र के बीच विशेष गाड़ियां चलाना

[अनुवाद]

*490. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने यह निर्णय किया है कि गर्मियों के मौसम में बम्बई और सौराष्ट्र के बीच विशेष गाड़ियां न चालायी जाये;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्र वृत्ति

*495. **श्री सत्य नारायण पवार** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक छात्र को छात्रवृत्ति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ताकि देश में उनकी शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) प्रारम्भिक स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क है। इन समुदायों से सम्बन्धित छात्रों को निःशुल्क पुस्तकों और लेखन सामग्री भी दी जाती है तथा लड़कियों के मामले में निःशुल्क वर्दियां भी दी जाती हैं।

2. कुछ राज्य सरकारें पूर्व मैट्रिक अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्तियां/निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है।

3. जहां तक उत्तर-मैट्रिक अध्ययनों का सम्बन्ध है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से सम्बन्धित योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां गृह मंत्रालय द्वारा एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत दी जाती हैं। यह एक उदार योजना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वे सभी छात्र आते हैं, जो इन छात्रवृत्तियों को अभिशासित करने वाली कुछ शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार इस के लिए पात्र हों।

4. छात्रों को, छात्रवृत्तियां विभिन्न दरों पर दी जाती हैं, जो अध्ययन पाठ्यक्रमों पर निर्भर होती हैं। इस समय निम्नलिखित दरें चल रही हैं :—

पाठ्यक्रम		आवासीय अध्येताएं (रुपये प्रतिमाह)		दिवाछात्र	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1. औषधि/इंजीनियरी कृषि में डिग्री तथा स्नातकोत्तर अध्ययन	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष और इससे आगे		200	...	115

1		2	3	4	5
2. भारतीय औषधि, नर्सिंग, फार्मेसी वाणिज्य प्रशासन में डिग्री तथा डिप्लोमा और विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन।	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	145	105	120
3. इन्जीनियरी/औषधि/ कृषि आदि में प्रमाण पत्र पाठ्क्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष और इससे आगे	125	135	100	110
		130	145	105	115
4. स्नातकोत्तर स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम		115	130	70	85
5. कक्षा x -xii/इन्टर मीडिएट पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	75	85	50	60
	द्वितीय वर्ष और इससे आगे	80	95	55	70

निम्नलिखित शर्तें इन छात्रवृत्तियों को अभिशासित करती है :—

(क) छात्रवृत्तियाँ उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदान की जाती हैं जिनके अभिभावकों/संरक्षकों की सभी संसाधनों से होने वाली आय 1,000/रुपये प्र. मा. से अधिक नहीं होती है।

(ख) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के वे छात्र, जो पूर्ण कालिक रोजगार में नहीं होते हैं, इसके लिए पात्र होते हैं।

(ग) पुरुष छात्रों के सम्बन्ध में ये छात्रवृत्ति एक अभिभावक/संरक्षक के मात्र दो पुरुष बच्चों तक सीमित होती है।

1. यद्यपि ये छात्रवृत्तियां राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं, गृह मन्त्रालय उस वचनबद्ध खर्चे के अलावा, जो योजनागत अवधि के अंत में राज्य दायित्व का एक भाग बन जाता है, इन छात्रवृत्तियों को प्रदान करने के संबंध में होने वाले समस्त खर्च को वहन करता है।

6. वर्ष 1984-85 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वालों की कुल संख्या 8.91 लाख (अस्थायी) थी। तथापि, इस संख्या में जम्मू और काश्मीर तथा गोआ, दमन और दीव से संबंधित छात्रवृत्तियों की संख्या शामिल नहीं है क्योंकि उनके संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रसाधन सामग्री में हानिकारक रसायन

*497. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में प्रसाधन सामग्री निर्माता औषध नियंत्रक की अनुमति प्राप्त किए बिना ही प्रसाधन सामग्री बना तथा बेच रहे हैं;

(ख) क्या इन प्रसाधन सामग्रियों में हानिकारक रसायन होते हैं;

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या रक्षात्मक कदन उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रसाधन सामग्री निर्माता प्रसाधन सामग्री का निर्माण औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के अधीन प्राप्त निर्माण लाइसेंसों के अंतर्गत कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

करूर-डिन्डी गुल रेल लाइन

*498. **श्री एल. अदईकलराज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करूर-डिंडीगुल बड़ी रेल लाइन का प्रस्ताव कब अनुमोदित और मन्जूर किया गया था तथा मन्जूरी के समय कुल अनुमानित लागत क्या थी;

(ख) निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था;

(ग) मार्च 1985 तक निर्माण कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) प्रस्तावित करूर-डिंडीगुल नयी लाइन के निर्माण कार्य को 42.86 करोड़ रुपये लागत वाली एक वृहद् संयुक्त परियोजना के भाग के रूप में 1981-82 में अनुमोदित किया गया था ।

(ख) निर्माण कार्य वर्ष 1981-82 में ही प्रारभं कर दिया गया था ।

(ग) इस संयुक्त परियोजना पर मार्च 1985 तक 15.56 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(घ) इस परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि पर निर्भर करेगा ।

मणिपुर के तिपईमुख में बांध

*499. **प्रो. कामसन सिकिमलांग** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर के तिपईमुख में प्रस्तावित बांध संबंधी सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है;

(ख) सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितनी लागत का अनुमान है और उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता क्या होगी;

(ग) इस परियोजना का काम किस विभाग को सौंपा जाएगा (सिंचाई या विद्युत अथवा किसी अन्य विभाग को); और

(घ) इस परियोजना में भारत सरकार का क्या अंशदान होगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत उत्पादन के साथ-साथ सिंचाई बाढ नियंत्रण, अन्तर्देशीय नौवहन और मत्स्य पालन के विकास हेतु लाभ प्रदान करने के लिए परियोजना में बारक नदी पर एक 161 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाना है। परियोजना की अनुमानित लागत 1070 करोड़ रुपये है तथा 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) इन मामलों पर अभी तक निर्णय नहीं लिए गए हैं।

दूरस्थ क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में महिला महाविद्यालयों और छात्रावासों की व्यवस्था

*500. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लड़कियों को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ही अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है क्योंकि उन्हें माध्यमिक और हाई स्कूल वाले स्थानों तक पहुंचने तक के लिए अपने गांव से 15-20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक विकास खंड में छात्रावास सहित कम से कम एक महिला महाविद्यालय खोलने का है ताकि लड़कियों को अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर न होना पड़े और महिला शिक्षा की राष्ट्रीय नीति वास्तविक रूप में कार्यान्वित हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) स्कूल खोलने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। चौथे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण (1978-79) के अनुसार 92-82 प्रतिशत जनसंख्या 1 किलोमीटर की दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूलों/कक्षाओं में तथा 78.83 प्रतिशत जनसंख्या 3 किलोमीटर की दूरी के अन्दर मिडिल स्कूलों/कक्षाओं में पढ़ती है। तथापि यह पता चला है कि बहुत से क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूल सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लम्बी दूरी तक जाना पड़ता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सकरी हसनपुर रेल लाइन का सर्वेक्षण

[हिन्दी]

*501. **श्री राम भगत पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकरी-हसनपुर रेल लाइन का सर्वेक्षण इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त लाइन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार सरकार को भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है और लाखों लोग लाइन बिछाने की मांग कर रहे हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद से रेल विकास कार्य संबंधी कोई काम नहीं हुआ है और क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार सकरी-हसनपुर रेल लाइन का काम शीघ्र शुरू करेगी ?

रेल मन्त्री (श्री बंशी लाल) : (क) जी हां।

(ख) इस नई रेल लाइन के लिए किए गए सर्वेक्षण पर 1.95 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी।

(ग) इस परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है, अतः मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्वतंत्रता के बाद उत्तर बिहार में, आमान परिवर्तन के अलावा, कई नई लाइनें बिछाई गई हैं। सकरी-हसनपुर नई लाइन पर काम प्रारम्भ करने का प्रश्न संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सेतुसमुद्रम नहर परियोजना

[अनुवाद]

*502. **श्री आर. अन्नानाम्बी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक कार्यदल ने सेतुसमुद्रम नहर परियोजना की सातवीं योजनावधि में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कार्यान्वित करने में अभी भी विलम्ब करने के क्या कारण हैं जब कि समुद्र में सर्वेक्षण करने का कार्य काफी समय पहले पूरा कर लिया गया था; और

(ग) सरकार इस परियोजना का कार्य कब तक शुरू कर देगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्र-रहमान अन्सारी) :(क) जी, हां।

(ख) और (ग) सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आंध्र प्रदेश की नई बिजली उत्पादन परियोजनायें

*503. **श्री एस. एम. भट्टम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई बिजली उत्पादन की उन नई परियोजनाओं (सुपर-ताप बिजली और पनबिजली) की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं जो इस समय योजना आयोग/केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के पास विचाराधीन पड़ी हैं;

(ख) उन योजनाओं को किस वर्ष भेजा गया था और इस समय उनकी स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

1. स्कीमें जिनको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकृति दे दी है और अनुमोदन तथा राज्य योजना में शामिल करने हेतु योजना आयोग को भेज दी गई है।

क्रम संख्या	स्कीम	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में रिपोर्ट की प्राप्ति	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्वीकृति
जल विद्युत			
1.	नागार्जुनसागर दायां तट नहर विस्तार	दिसम्बर, 1982	जुलाई, 1984
2.	काकातीया नहर	जून, 1982	मार्च, 1983

2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई नई स्कीमें और जिनके लिए पर्यावरण की वृद्धि से स्वीकृति दी जानी है।

1.	काकातीया नहर के डी-83 के छठे और सातवें मील पर मिनी जल विद्युत स्कीम	जुलाई, 1983	जुलाई, 1984
2.	—वही— बारेहवें मील पर	जुलाई, 1983	जुलाई, 1984
3.	—वही— चौदहवें मील पर	जुलाई, 1983	जुलाई, 1984
4.	—वही— सोलहवें मील पर	जुलाई, 1983	जुलाई, 984
5.	—वही— नौवें और दसवें मील पर	जुलाई, 1983	जुलाई, 1984
6.	—वही— पच्चीसवें मील पर	जुलाई, 1983	जुलाई, 1984

3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मूल्यांकन की जा रही स्कीमें

क्रम संख्या	स्कीम	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में रिपोर्ट की प्राप्ति
1.	प्रियदर्शिनी जुराला	जनवरी, 1985
2.	जालापुट	फरवरी, 1985 (संशोधित रिपोर्ट)

स्कीमें जिनके लिए राज्य सरकार से उत्तरों/संशोधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

क्रम संख्या	स्कीम	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में रिपोर्ट की प्राप्ति	वर्तमान स्थिति
1.	पोलावरम	जुलाई, 1983	के. वि. प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना की राज्य प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
2.	श्री सेलम बायां तट विद्युत घर	मार्च, 1984	राज्य प्राधिकारियों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
3.	काकातीया नहर (मनीग्रार ग्रन्तःप्रपात	फरवरी, 1982	राज्य प्राधिकारियों से संशोधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजना रिपोर्टों का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन संबंधी कार्य शीघ्र पूरा करने के प्रयास करता है। तथापि, यह समुचित रूप से अन्वेषण सम्बन्धी कार्य और परियोजना रिपोर्टों के पूरा होने पर निर्भर करता है जो कि तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हैं। परियोजना को राज्य योजना में शामिल करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

खमराघाट रोड स्टेशन से लगे रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल का निर्माण

*504. श्री आयमल सर्बविन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के अन्तर्गत हावड़ा फरक्का लाइन पर खमराघाट रोड स्टेशन से लगे रेल फाटक पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर एक उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने वर्तमान नियमों के अनुसार लागत में भागीदारी के आधार पर खगड़ाघाट रोड स्टेशन के निकट मौजूदा समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है।

लड़कियों को विद्यालय छोड़ने के स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

*505. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

श्रीमती लाल हंसदा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों की लड़कियों के लिए विद्यालय छोड़ने के स्तर तक निःशुल्क शिक्षा हेतु धन उपलब्ध करायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या पहले से ही इस प्रकार की योजनायें कार्यान्वित कर रहे राज्यों द्वारा इस पर व्यय की जा रही राशि की केन्द्र द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) देश में अधिकांश सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों के लिए शिक्षा कक्षा VIII तक पहले से ही निःशुल्क है। सरकार ने देश में सभी ऐसी संस्थाओं में लड़कियों के लिए शिक्षा कक्षा XII तक निःशुल्क करने का निर्णय किया है।

वर्ष 1985-86 से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को XI से XII तक की कक्षाओं में शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की एक योजना तैयार की जा रही है।

दस सप्ताह तक चलने वाले परिवार नियोजन अभियान की पुनरीक्षा

*506. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने दस सप्ताह तक चलने वाले परिवार नियोजन के, जोकि 20 मार्च, 1985 को शुरू हुआ था, कार्यान्वयन की नीति की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किए गए हैं और 1985-86 के दौरान परिवार नियोजन अभिमान के लिए क्या नीति अपनाने का निर्णय किया गया है; और

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से क्या लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्वालिटी और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए 20 मार्च, 1985 से 10 सप्ताह का एक गहन परिवार नियोजन अभियान आरम्भ किया गया है जिससे कि यह कार्य नियमित आधार पर किया जा सके। वर्ष 1985-86 के लिये निष्पादन के जो लक्ष्य रखे गए हैं, वे हैं—55.6 लाख नसबन्दी आपरेशन, 37.4 लाख आई. यू. डी. निवेशन, 95.1 लाख प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्त्ता और खाई जाने वाली गोलियों के 9.60 लाख उपयोगकर्त्ता। वर्ष 1985-86 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यनीति तैयार की गई है उसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—गर्भरोधन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए गहन प्रयास करना, आपूर्ति प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार करना, कर्मचारियों की निपुणता में वृद्धि, लोगों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना। इन कार्यनीतियों को लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

मैसर्स भंडारी होम्योपैथिक लेबोरेटरीज, फरीदाबाद का नाम काली सूची में रखना

[अनुवाद]

3463. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स भंडारी होम्योपैथिक लेबोरेटरीज, फरीदाबाद का नाम गत वर्ष दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार द्वारा काली सूची में रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से इसे फिर सरकारी औषधालयों में होम्योपैथी दवाओं की सप्लाई हेतु सप्लाईकर्त्ताओं की सूची में शामिल कर लिया गया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) मैसर्स भंडारी होम्योपैथिक लेबोरेटरीज, फरीदाबाद दिल्ली नगर निगम द्वारा काली सूची में रखा गया था तथा परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने इस वर्ष की मान्यता समाप्त कर दी। तथापि, दिल्ली नगर निगम द्वारा इस फर्म को काली सूची में रखने सम्बन्धी अपने आदेश को वापस लेने के बाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने इसे फिर से रजिस्टर कर लिया।

पब्लिक स्कूलों को दी गई रियायतें

3464. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ पब्लिक स्कूल हैं जो प्रायः सरकारी कोष से प्रत्यक्ष रूप से तो कोई अनुदान नहीं माँगते हैं परन्तु वे सस्ती जमीन, आयकर में छूट, बिना बारी के परिवहन सुविधायें और भर्ती में वरीयता आदि के रूप में परोक्ष रूप से सहायता प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार से मान्यता प्राप्त अथवा मान्यता विहीन ऐसे स्कूलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि उक्त स्कूल अभिभावकों से भारी धनराशि वसूल करते हैं और अपने कर्मचारियों और अध्यापकों को भी बहुत कम वेतन देते हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पब्लिक स्कूलों को साधारणतः ऐसे स्कूलों के रूप में लिया जाता है जो सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में एक स्वैच्छिक संघ भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य हैं। ऐसे स्कूल जो इस सोसायटी के सदस्य हैं, केन्द्रीय तथा स्थानीय कानूनों के अधीन इस प्रकार की रियायतों के पात्र हैं।

(ख) इस प्रकार के स्कूल, जो भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य हैं, उस परीक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं जिनसे वे सम्बद्ध हैं।

(ग) सरकार इन पब्लिक स्कूलों में विद्यमान मंहगे फीस ढांचे से परिचित है। इस आशय की कोई भी शिकायत नहीं मिली है कि इन पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों तथा अध्यापकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे में "ई. डी. पी." प्रणाली के बारे में कृतिक बल का प्रतिवेदन

3465. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा भारतीय रेलों पर ई. डी. पी. प्रणालियों की जांच करने तथा तत्सम्बन्धी भावी योजना बनाने के लिए गठित किए गए कृतिक बल के प्रतिवेदन को सरकार ने मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) भारतीय रेलों की जन शक्ति की अपेक्षित मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है,

इसके परिणामस्वरूप पहले ही रोजगार के कितने अवसर समाप्त हो गये हैं और भविष्य में कितने पद फालतू घोषित होने वाले हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) ई. डी. पी. प्रणालियों की जांच करने तथा भारतीय रेलों के लिए संदर्शी योजना प्रस्तुत करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कृतिक बल का गठन किया गया था और रेलवे बोर्ड द्वारा उसकी रिपोर्ट स्वीकार कर ली गयी थी।

(ख) संदर्शी योजना के अनुसार चौथी पीढ़ी के संगणकों के जरिए सामग्री प्रबन्ध, वित्त लेखा, उत्पादन योजना और नियंत्रण, परिसम्पत्ति प्रबन्ध, कार्मिक प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य करने के लिए प्रणाली के अभिकल्प का विकास करने के उद्देश्य से 1978 और 1981 के बीच चार प्रणाली विकास दलों को गठन किया गया था। ये प्रणालियां विकास/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पुराने आई. बी. एम.-1401 संगणकों के स्थान पर चौथी पीढ़ी के नये संगणकों की पहले से ही स्थापना कर दी गई है और ये सवारी डिब्बा कारखाने तथा दक्षिण मध्य रेलवे पर कार्य कर रहे हैं। मध्य रेलवे तथा पंहिया एवं चुरा संयंत्र में चौथी पीढ़ी के नए संगणक लगाये जा रहे हैं और आशा है ये जून, 1985 तक काम करने लग जायेंगे। शेष 7 क्षेत्रीय रेलों और दो उत्पादन यूनिटों के लिये नए संगणकों के लिए निकट भविष्य में आर्डर दिये जाने की प्रत्याशा की जाती है।

दिल्ली में शाखिकाओं और सीटों के आरक्षण के संगणकीकरण की एक पायलेट परियोजना को वर्ष के अन्त में कार्यान्वित कर दिये जाने की आशा है। माल गाड़ी परिचालन के लिए भी विदेशी परामर्श सहायता से संगणकीकृत परिचालन सूचना प्रणाली का विकास करने की योजना है।

(ग) भारतीय रेलों की ई. डी. पी. संदर्शी योजना के, जिसे श्रम संगठन फेडरेशनों ए. आई. आर. एफ. और एन. एफ. आई. आर.) ने स्वीकार कर लिया है और श्रम मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, कारण किसी प्रकार की छटनी होने की सम्भावना नहीं है। वस्तुतः संगणकीकरण के परिणामस्वरूप किसी भी कर्मकारी की छंटनी नहीं की गई है।

वंशधारा नदी पर बांध

3466. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वंशधारा नदी पर गोफ्फा बांध पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि और गांव उस बांध के कारण विलीन हो गये हैं;

(ग) यदि नराडी बांध परियोजना को स्वीकृति मिल जाती है तो गहराई और लम्बाई में लगभग कितनी भूमि जलमग्न हो जायेगी और नदी के दोनों ओर बांध की लम्बाई कितनी रह जायेगी; और

(घ) उड़ीसा के गुनुपुर शहर और जगन्नाथपुर तथा आंध्र प्रदेश के बठीली के लोगों की नियति उस समय क्या होगी जब बांध द्वारा रोके गए पानी से शहर के समीप नालों का प्रवाह रुक जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) वम्सधारा चरण-एक की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, गोटा बराज के पीछे जल आप्लावन तथा एफलक्स बंधों के लिए अधिग्रहण की जाने वाली अपेक्षित भूमि लगभग 186 हेक्टेयर है। कोई भी गांव जलमग्न नहीं होता है।

(ग) और (घ) वम्सधारा चरण-दो की परियोजना रिपोर्ट में नेरादी बराज के पीछे जल आप्लावन तथा एफलक्स बंधों के लिए अधिग्रहण की जाने वाली अपेक्षित भूमि लगभग 685 हेक्टेयर है। परियोजना में मुख्य नदी के बांये किनारे के साथ 10.65 किलोमीटर तटबंध तथा दायें किनारे के साथ 10.90 किलोमीटर तटबंधों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, जगन्नाथपुर तथा वथीली गांवों की सुरक्षा के लिए मुख्य नदी में मिलने वाली सहायक नदियों के साथ बाढ़ सुरक्षा तटबंधों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। गुनुपुर शहर पर परियोजना के प्रभाव का पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा संशोधित अभिकल्प बाढ़ के लिए पश्च जल अध्ययन भी तक नहीं किए गये हैं।

स्कूलों और कालेजों को कम्प्यूटरों का निःशुल्क वितरण

3467. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल और कालेजों में छोटे कम्पयूटरों का निःशुल्क वितरण किया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्कूल और कालेज चुने गये हैं और उनका राज्य-वार वितरण क्या है, और

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान शैक्षिक संस्थानों को कितने कम्प्यूटर दिए जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) इलैक्ट्रानिकी विभाग ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से सारे भारत के 250 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शैक्षिक वर्ष 1984-85 के दौरान संगणक साक्षरता और अध्ययन लागू करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अन्तर्गत, 250 स्कूलों में द्विपक्षीय करार के अधीन यू. के. की सरकार से प्राप्त निःशुल्क बी. बी. सी. एकोर्न माइक्रो कम्प्यूटरों की व्यवस्था की गई है। 42 संसाधन केन्द्रों में, मुख्य रूप से देशभर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य इन्जीनियरी कालेजों में जो स्कूलों को सम्भारतन्त्र (लाजिस्टिक) तथा सशक्त सहायता देने के लिए चुना गया था, इस परियोजना के अन्तर्गत ऐसे ही कम्प्यूटरों की व्यवस्था की गई है। इन स्कूलों और संसाधन केन्द्रों का राज्य-वार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान अन्य 500 स्कूलों और 8 संसाधन केन्द्रों को शामिल करने लिए प्रायोगिक परियोजना का विस्तार किए जाने की सम्भावना है।

विवरण

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सूची जिसमें संगणक शिक्षा प्रायोगिक परियोजना के लिए आबंटित स्कूलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आबटित स्कूलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10

1	2	3
2.	असम	10
3.	बिहार	15
4.	गुजरात	15
5.	हरियाणा	5
6.	हिमाचल प्रदेश	5
7.	जम्मू और कश्मीर	5
8.	कर्नाटक	10
9.	केरल	10
10.	मध्य प्रदेश	15
11.	महाराष्ट्र	20
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	2
14.	नागालैंड	1
15.	उड़ीसा	10
16.	पंजाब	10
17.	राजस्थान	10
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	15
20.	त्रिपुरा	1
21.	उत्तर प्रदेश	25
22.	पश्चिम बंगाल	20
23.	अरूणांचल प्रदेश	1
24.	चंडीगढ़ प्रशासन	5
25.	दिल्ली	20
26.	गोवा, दमन और दीव	5
27.	मिजोरम	1
28.	पांडिचेरी	1

संसाधन केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आबंटित संसाधन केन्दों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	2

1	2	3
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	2
5.	हरियाणा	1
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	2
8.	केरल	2
9.	मध्य प्रदेश	2
10.	महाराष्ट्र	4
11.	उड़ीसा	2
12.	पंचाब चंडीगढ़	3
13.	राजस्थान	2
14.	तमिलनाडु	2
15.	त्रिपुरा	1
16.	उत्तर प्रदेश	5
17.	पश्चिम बंगाल	3
18.	दिल्ली	3
19.	गोवा, दमन और दीव	1

देशों औषधियों का उत्पादन

3468. **श्री मोतीलाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकार द्वारा औषधी निर्माण के लिये जारी किये गये लाइसेंस के अधीन लघु क्षेत्र के अन्तर्गत देशी औषधियों के निर्माण पर औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन प्रतिबन्ध लगा दिए हैं;

(ख) औषधि और प्रशाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के वे उपबन्ध क्या है जो राज्य में औषधि नियंत्रण अधिकारियों को ये अधिकार देते हैं कि यदि कोई निर्माता एकक वाणिज्यिक स्तर पर ही बहुत ही थोड़ी मात्रा में भी आयात प्रतिस्थापक बल्क औषधियों का उत्पादन करना चाहते हैं, जो औषधियों का उत्पादन करने की अनुमति से इन्कार कर दें;

(ग) क्या हरियाणा राज्य में ऐसे कोई उपबन्ध लागू किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन बल्क औषधियों के नाम क्या हैं और क्या गत दो वर्षों के दौरान हरियाणा में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत अनुमति देने से इन्कार किया गया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री भोगेन्द्र झकवाना) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र में औषधियों के निर्माण पर कोई पाबन्दी नहीं है।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्माताओं को केवल औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों का पालन करना होता है।

(ख) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत अधिकारियों की कोई ऐसी शक्ति दी गई हो जिसके आधार पर वे निर्माताओं को बल्क ड्रग्स के लिए इन्कार कर दें बशर्ते कि निर्माता निर्माण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

(ग) और (घ) औषध नियंत्रण हरियाणा से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

रेल लाइन के साथ-साथ पौधे लगाना

3469. **श्री गोपाल कृष्ण चोटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत रेलवे लाइन के साथ-साथ बंजर गड्ढे और अप्रयुक्त परती भूमि भूखे लोगों के लिए खाद्य व्यवस्था करने हेतु "अधिक अन्न उपजाओ" अभियान के अधीन कर्मचारियों को दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो वनरोपण संबंधी नई नीति शुरू करने हेतु रेलवे बोर्ड का दिनांक 16 अक्तूबर, 1984 का परिपत्र संख्या 75/डब्ल्यू. जैड. 16/78 जारी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राजामुन्दरी में दिनांक 23 दिसम्बर, 1984 को प्रधान मंत्री को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसीलाल) (क) रेलपथ के साथ-साथ, यार्डों तथा रेलवे कालोनियों में रेलवे की फालतू भूमि प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किए जाने से पहले भी अधिक अन्न उपजाओ अभियान के सम्बन्ध में सीधे ही अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से रेल कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों को लाइसेंस पर दी जाती रही थी।

(ख) रेल सुधार समिति ने अक्तूबर, 1982 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि अधिक अन्न उपजाओ अभियान के लिए दी गयी रेलवे की खाली भूमि वापिस ले ली जानी चाहिए और वृक्षारोपण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाये। यह सिफारिश स्वीकार कर ली गयी थी और तदनुसार क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी कर दिए गये थे।

(ग) दक्षिण मध्य रेलवे के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मामले की जांच की गयी है और यह विनिश्चय किया गया है कि ऊपर भाग (ख) में जिस संशोधित नीति का हवाला दिया गया है, उसे जारी रखा जाये।

रेल विभाग में सेवा में व्यवधान

3470. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने, स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत पर रेल विभाग में दण्ड के लिए सेवा में किए गये व्यवधान के आदेश को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय को क्रियान्वित किया गया है, और सेवा में व्यवधान के मामलों में क्षमा दे दी गयी है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। 1984 की याचिका संख्या 13705 और 13706 में।

(ख) उपर्युक्त याचिकाओं के याचिकादाताओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गये हैं। फरवरी, 1981 तक ऐसे सेवा-भंग से प्रभावित सेवा निवृत्त कर्मचारियों के मामले में सेवा-भंग निरस्त करने के लिए भी स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्काउटों/गाइडों के लिए यात्रा संबंधी प्रतिबन्ध

3471. **डा. के. जी. अदियोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्काउटों और गाइडों के लिए निःशुल्क यात्रा की सीमा 300 किलोमीटर (एक तरफ की यात्रा) तक प्रतिबन्धित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एन. सी. सी. कैडेटो की भांति स्काउटों और गाइडों को शिविर में भाग लेने में कठिनाई उठानी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्काउटों और गाइडों की यात्रा पर से प्रतिबन्ध हटाने का है

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) रेल दर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर, रेल यात्रा में किसी भी प्रकार की रियायत की स्वीकृति 300 कि. मी. से आगे की दूरियों के लिये ही सीमित है। तथापि, यह प्रतिबंध छात्रों, अन्धे व्यक्तियों, शारीरिक दृष्टि से विकलांगों, क्षय और कैंसर के रोगियों और असंक्रामक कोढ़ से पीड़ित व्यक्तियों के मामलों में लागू नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों की मांगे

3472. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापक पिछले अनेक महीनों से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें तथा शिकायतें क्या हैं,

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और क्या सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करेंगी,

(घ) यदि हां, तो कब तक,

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(च) केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों तथा अध्यापकों की राज्यवार और पद वार कुल संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) प्रत्येक संगठन में कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन भी अध्यापकों की विभिन्न मांगों पर विचार करता रहा है और उन्हें सम्भावी सीमा तक स्वीकार करता रहा है।

(च) केन्द्रीय विद्यालयों में 1-5-1984 की यथा स्थिति के अनुसार राज्यवार तथा पद-वार कार्यरत कर्मचारियों और अध्यापकों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1.5.84 की यथास्थिति के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों तथा शिक्षकों की राज्यवार तथा पदवार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रिंसिपल/उप प्रिंसिपल	स्नातकोत्तर शिक्षक	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	पी. आर. टी.	अन्य शिक्षक	वर्ग 'घ' सहित कार्यालय के कर्मचारी
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	26	106	162	249	89	168
2.	अंदमान निकोबार द्वीपसमूह	01	10	06	09	06	11
3.	अरूणाचल प्रदेश	03	10	07	19	01	23
4.	असम	24	96	96	224	77	209
5.	बिहार	34	147	228	325	155	295
6.	चंडीगढ़	05	26	70	70	30	41
7.	दिल्ली	30	199	346	402	171	279
8.	गोवा, दमन तथा दीव	02	06	15	20	03	17
9.	गुजरात	20	90	145	202	68	158
10.	हरियाणा	16	62	123	164	83	126
11.	हिमाचल प्रदेश	08	20	20	71	06	59

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	जम्मू और काश्मीर	16	51	87	165	53	117
13.	कर्नाटक	23	73	141	232	81	146
14.	केरल	13	43	87	140	59	107
15.	मध्य प्रदेश	48	167	235	509	198	232
16.	महाराष्ट्र	44	188	326	515	178	345
17.	मणिपुर	03	08	09	14	08	22
18.	मेघालय	04	17	22	32	16	33
19.	मिजोरम	01	—	10	—	04	01
20.	नागालैंड	02	01	03	02	08	08
21.	उड़ीसा	13	38	50	117	108	122
22.	पाण्डिचेरी	10	05	01	11	10	11
23.	पंजाब	21	88	166	283	162	182
24.	राजस्थान	27	133	194	224	218	224
25.	सिक्किम	01	06	05	09	09	10
26.	तमिलनाडु	28	115	201	291	185	216
27.	त्रिपुरा	02	07	03	07	18	17
28.	उत्तर प्रदेश	78	397	671	931	603	643
29.	पश्चिम बंगाल	26	102	129	265	224	212

कोच/वैगनों का वास्तविक उपयोग

[हिन्दी]

3473. श्री सी. जंगा रेड्डी :

डा. ए. के. पटेल :

श्री हुसैन दलवाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी रेल लाइन पर चलने वाले अत्याधुनिक यात्री डिब्बों और माल डिब्बों की प्रतिदिन कितने घंटे चलने की क्षमता है और प्रतिदिन उनका वास्तविक उपयोग कितना है और उनका उपयोग कम होने के क्या कारण हैं;

(ख) वास्तविक उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और इस संबंध में वर्ष 1985-86 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) माल डिब्बों में माल चढ़ाने और उतारने में प्रतीक्षा समय और यात्री डिब्बों के मामले में चलने और समाप्त होने वाले स्टेशनों पर प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए वर्ष 1985.86 हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) क्या यह सच है कि मेल और एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के मामले में गाड़ी के समाप्त होने के स्टेशन पर अन्तर परिवर्तनीय रैंक लिंक प्रणाली के उपयोग से लम्बे प्रतीक्षा समय को कम किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1985-86 हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सवारी डिब्बों/माल डिब्बों का उपयोग प्रतिदिन घंटों के हिसाब से ज्ञात करने के लिए आंकड़े संकलित नहीं किये जाते। प्रति वाहन दिन वाहन किलो. मीटर तथा प्रति माल डिब्बा दिन माल डिब्बा किलोमीटर में हिसाब रखा जाता है। बड़ी लाइन पर पिछले चार वर्ष के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	सवारी डिब्बे	माल डिब्बे
1980-81	314	73.4
1981-82	317	83.7
1982-83	342	86.4
1983.84	355	89.1

इसकी कोई सीमा नहीं है कि सवारी डिब्बा/माल डिब्बा प्रतिदिन निरन्तर कितने घंटे चलेगा केवल विशिचत अन्तरालों पर उनके नियत ठहराव, परीक्षण, अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए समय देना होता है।

(ख) सवारी डिब्बों/माल डिब्बों का उपयोग यातायात संचलन के स्वरूप पर निर्भर है।

(ग) सवारी डिब्बों के मामले में प्रारम्भिक/टर्मिनल स्टेशनों पर उनके ठहराव की अवधि

उनके अनुरक्षण तथा रैक लिंक में लगने वाले समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित की गयी है। माल डिब्बों के मामले में यह परेषक/परेषती द्वारा माल लिखने के चढ़ाव/उतराई में लगने वाले समय तथा गाड़ी के परीक्षण के लिए अपेक्षित समय पर निर्भर करती है।

(घ) सवारी डिब्बों के उपयोग में सुधार के लिए मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में रैक लिंकों के अन्तः परिवर्तन को पहले ही एक उपाय के रूप में अपनाया गया है। परन्तु विभिन्न गाड़ियों के बीच रैकों का अन्तः परिवर्तन सदा सम्भव नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में आई. सी. डी. एस. कार्यक्रम का विस्तार

[अनुवाद]

3474. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान आई. सी. डी. एस. योजना के विस्तार का क्या कार्यक्रम है और देश के सभी खण्डों में इसको कब तक लागू करने का प्रस्ताव है, और

(ख) उत्तरोत्तर बढ़ते हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्यकारियों के प्रशिक्षण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम. चन्द्रशेखर) : (क) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवा योजना का चरण बद्ध विस्तार करने का निश्चय किया है। यह बताना सम्भव नहीं है कि किस समय तक देश में सभी खण्डों तक उक्त स्कीम का विस्तार किया जा सकेगा।

(ख) : राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली को गोहाटी, बंगलौर और लखनऊ स्थित अपने क्षेत्रीय यूनिटों सहित तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित चुने हुए अधिकांश संस्थाओं, स्वायत्त समठनों और स्वयं सेवी एजेंसियों सहित समेकित बाल विकास सेवा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है। जहां आवश्यकता होती है वहां राज्य सरकारों द्वारा नए प्रशिक्षण केन्द्रों का पता लगाया जाता है और प्रशिक्षण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई जाती है।

खड़गपुर डिवीजन रेलवे कालोनी में पेयजल का अभाव

3475. श्री नारायण चौबे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत खड़गपुर स्थित रेलवे कालोनी में पेयजल का अभाव है;

(ख) क्या लगभग दो वर्ष पूर्व खड़गपुर में बनाई गई नई कालोनी के काफी क्वार्टरों में वाटर पाइप लाइन कनेक्शन दिये गये थे;

(ग) क्या उक्त क्वाटरों में अब तक जल उपलब्ध हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस क्षेत्र में गहरा नलकूप का निर्माण करने के लिये नियुक्त ठेकेदार निर्धारित समय में कार्य पूरा करने में असफल रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी हां, । इन क्वार्टरों को पाइप लाइन कनेक्शन लगभग एक वर्ष पूर्व दे दिये गये थे ।

(ग) और (घ) इस क्षेत्र में प्रस्तावित नलकूपों के पूरा न होने के कारण इन क्वार्टरों में पानी की सप्लाई चालू नहीं की जा सकी । ये नलकूप शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है, जिसके तुरन्त बाद इन क्वार्टरों को पानी की सप्लाई दे दी जायेगी ।

(ङ) जी हां, ।

(च) ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया था लेकिन बाद में रेलवे के हित में उसे पुन: बहाल कर दिया गया ।

नीलांचल एक्सप्रेस को मुख्य लाईन पर चलाने का प्रस्ताव

श्री विजय कुमार यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलांचल एक्सप्रेस इस समय रोजाना पुरी तक चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रेलगाड़ी सभी सातों दिन ग्रांड कार्ड लाइन पर चलती है;

(ग) यदि हां, तो क्या पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन पर पटना तथा अन्य नगरों/स्टेशनों के यात्रियों को पुरी के लिए यह गाड़ी पकड़ने के लिए गया तक जाना पड़ता है और इस प्रकार उन्हें अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी को चार दिन ग्रांड कार्ड लाइन पर चलाने और सप्ताह के शेष तीन दिन मुख्य लाइन पर चलाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) नीलांचल एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन चल रही है तथापि, गया, झाझा, खड़गपुर के रास्ते नयी दिल्ली और पुरी के बीच अन्य 4 दिन एक नयी गाड़ी अर्थात् 915/916 चलायी गयी है ।

(ख) दोनों गाड़ियां अर्थात् 175/176 और 915/916 ग्रांड कार्ड लाइन पर चल रही हैं ।

(ग) चूंकि यह गाड़ी ग्रांड कार्ड लाइन पर चल रही है अत: मुख्य लाइन के स्टेशनों के यात्री अपनी-अपनी सुविधानुसार उपयुक्त स्टेशनों से इन गाड़ियों को पकड़ सकते हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) मुख्य लाइन के रास्ते इन गाड़ियों का चलाना सीधी यात्रा करने वाले यात्रियों को पसन्द नहीं होगा क्योंकि यह मार्ग ग्रांड कार्ड की अपेक्षा लम्बा मार्ग है । इसके अतिरिक्त, ग्रांड कार्ड लाइन के यात्री इन सेवाओं से वंचित हो जायेंगे और वे इसका विरोध करेंगे ।

6000 अश्वशक्ति के इन्जिनों का निर्माण

[अनुवाद]

3477. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4500 टन भार खींचने हेतु 6000 अश्वशक्ति के इन्जिनों का निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि इस प्रस्ताव में कोई नई प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त है, तो वह क्या है,

(घ) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है,

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है, और

(च) इस इन्जन से गाड़ियों का खींचा जाना कब से आरंभ किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) विस्तृत सेवा परीक्षणों के लिए बोगियों, ट्रांसमिशन और कर्षण उपस्कर में समाविष्ट आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त 20 प्रोटोटाइप थाइरिस्टर रेल इन्जनों का आयात किया जा रहा है। ये रेल इन्जन कम से कम दो सप्लायरों से मगाये जायेंगे। उद्देश्य यह है कि इन रेल इन्जनों की सीरीज में स्वदेशी निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग हेतु अधिकतम उपयुक्त टाइप का चुनाव किया जा सके। प्रोटोटाइप की खरीद के टेंडर आर्डर देने के अन्तिम चरण में हैं।

(च) ये प्रोटोटाइप रेल इन्जन क्षेत्र परीक्षण के लिए भारत में 1987-88 में प्राप्त होने की संभावना है और भारत में इनके थोक निर्माण के लिए उपयुक्त टाइप का चयन 1988 में पूरा कर लेने का कार्यक्रम है।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई समाज और महिला कल्याण सम्बन्धी योजनाएं

3478. **श्री मनोरंजन भगत** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में समाज और महिला कल्याण के बारे में अण्डमान और निकोबार प्रशासन अथवा समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से कोई योजनायें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम. चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटा और कन्याकुमारी के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाया जाना

[हिन्दी]

3479. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोटा और कन्याकुमारी के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस गाड़ी को शुरू करने का है,

(ग) यदि हां, तो कब तक, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) संसाधनों की तंगी तथा यातायात के औचित्य की कमी के कारण कोटा और कन्याकुमारी के बीच एक गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

पोषण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए "यूनिसेफ" से प्राप्त सहायता

[अनुवाद]

3480. श्री अमर सिंह राठवा : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में पोषण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष से नकद और वस्तुओं के रूप में वर्ष वार कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है,

(ख) इस कोष का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और गुजरात के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है,

(ग) क्या यह सच है कि उक्त धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले वास्तविक अभाव ग्रस्त तक नहीं पहुंच रही है, और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि यह धनराशि देश के ग्रामवासियों तक पहुंचे ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम. चन्द्रशेखर) : (क)

(यू. एस, डालर हजारों में)

वर्ष	सप्लाइस	नकद
1982	5032	3551
1983	5132	3228
1984	2758	3843

(ख) इस कोष का उपयोग समेकित बाल विकास सेवा, विशेष पोषाहार कार्यक्रम के उन्नयन (अपग्रेडेशन), खाद्य और पोषाहार में शिक्षा, खाद्य और ग्राम प्रौद्योगिकी आदि जैसे कार्यक्रमों के लिये किया गया। गुजरात को दी गई सहायता नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	नकद और सप्लाइस
	((यू. एस. डालर हजारों में)
1982	45
1983	292
1984	254

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छपरा गोपालगंज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3481. **श्री काली प्रसाद पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार थवेल (बिहार) होकर छपरा से गोपालगंज तक की छोटी लाइन को, उस क्षेत्र के यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए, बड़ी लाइन में बदलने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार गोपालगंज रेलवे स्टेशन को जंक्शन में बदलने पर भी विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्रीबंसी लाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) गोपालगंज के निकट थावे, पहले से ही एक जंक्शन स्टेशन है ।

गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो, मद्रास में गत्यावरोध

3482. **श्री एम. महालिंगम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो, मद्रास में फार्मासिस्टलिपिक से अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति के लिए । जून, 1974 से भर्ती नियमों में 33⅓ प्रतिशत का प्रावधान कर देने से लिपिक वर्ग के कर्मचारी बिना कोई पदोन्नति पाये लिपिक के रूप में ही सेवा निवृत्त हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो लिपिकीय संवर्ग के लिए पदोन्नति अवसरों में वृद्धि करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो, मद्रास में फार्मासिस्ट-सह-लिपिक (उच्च श्रेणी लिपिक का वेतनमान) के 19 पद हैं । 1 जून 1974 से पहले उनके लिए पदोन्नति के अवसर नहीं थे । केवल उच्चश्रेणी लिपिक/आशुलिपिक ही सहायक अधीक्षक के पदों के लिए पदोन्नति के पात्र थे । 1 जून, 1974 के बाद फार्मासिस्ट-सह-लिपिकों को सहायक अधीक्षक के पदों का साढ़े तैंतीस प्रतिशत पदोन्नति कोटा दिया गया । हाल ही में इस प्रतिशतता को घटा कर 25 कर दिया गया है । बकाया 75 प्रतिशत कोटा उच्च श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों के लिए निर्धारित किया गया है । चिकित्सा भण्डार डिपो, मद्रास में उच्च श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों और फार्मासिस्ट-सह-लिपिकों का अनुपात 2.6: । है और उच्च श्रेणी लिपिकों/आशुलिपकों और फार्मासिस्ट-सह-लिपकों के लिए पदोन्नति के अवसरों का अनुपात 3:1 है ।

दिल्ली परिवहन निगम के यात्रियों को उनकी सीटों पर टिकट देना

3483. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 19 मार्च, 1985 के "स्टेट्समेन" में "टू डी. टी. सी. आफीसिअल्ज फेज ट्रायल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार और उसमें दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली परिवहन निगम के बस संचालक पूरी यात्रा के दौरान अपनी सीट पर बैठे रहते हैं जिसके कारण यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए उसके आसपास जमा होना और भीड़ लगानी पड़ती है, जिसके कारण बड़ी दिक्कत और असुविधा होती है,

(ख) यदि हां, तो क्या उनको मालूम है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों के आरम्भ होने वाले स्थान पर यात्रियों को सीटों पर टिकट देने के वर्तमान आदेशों के बावजूद दिल्ली परिवहन निगम के संचालकों द्वारा इनका घोर उल्लंघन किया जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए उनका क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) :(क) जी हां।

(ख) और (ग) बस के चलने के पहले उसके चलने के स्थान पर कंडक्टरों द्वारा यात्रियों को टिकट नहीं दिये जाने के बारे में शिकायत समय-समय पर मिलती रही है और दोषी स्टाफ के खिलाफ हमेशा कार्रवाई की जाती रही है। समय-समय पर इस प्रकार के अनुदेश भी बार-बार दिए जाते रहे हैं कि टर्मिनल छोड़ने के पहले ही बसों में सभी यात्रियों को टिकट दे दिये जाने चाहिए। इन अनुदेशों का कडाई से पालन करने के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धकों को भी तुरत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, जिसमें किसी भी टर्मिनल पर बिना किसी पूर्व सूचना के जांच किया जाना शामिल है।

उत्तर क्षेत्र में मेल एक्सप्रेस रेल गाड़ियों की गति को तेज करना

3484. **प्रो. नारायण चंद पराशर** : क्या : रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ी की गति को बढ़ाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या ऐसी कुछ रेलगाड़ियों की गति बढ़ाये जाने के बारे में किया गया कोई अनुरोध पत्र रेलवे प्रशासन के पास अभी तक लम्बित है, और

(घ) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त रेलगाड़ियों की गति को किस तारीख तक बढ़ाये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 63 गाड़ियों की रफ्तार बढ़ायी गयी जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	ब. ला.	मी. ला.	छो. ला.	जोड़
मई, 1982 समय सारणी	2	—	1	3
अक्तूबर, 1982 समय सारणी	7	—	—	7

1	2	3	4	5
अप्रैल 83 समय सारणी	12	2	—	14
1.9.83 से	2	—	—	2
नवम्बर, 83 समय सारणी	3	3	1	7
अप्रैल, 84 समय सारणी	—	4	—	4
अक्तूबर, 84 समय सारणी	22	—	1	23
12. 2. 1985 से	3	—	—	3
जोड़	51	9	3	63

(ग) जी हां।

(घ) रफ्तार बढ़ाया जाना सामान्यतः डीजलीकरण से ही संभव होता है। डीजल रेल इंजनों की भारी कमी के कारण इन प्रस्तावों को डीजल रेल इंजन उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

विकल्प के रूप में वर्तमान ठहरावों को समाप्त करके भी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ायी जा सकती है। ऐसा करना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि वर्तमान उपयोगकर्ता इसका विरोध करेंगे।

इस संबंध में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के लिए अधिग्रहीत भूमि पर अवैध कब्जे

3485. **श्री बी. सोमनाद्रीसवरा राव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक सड़क विकास द्वारा कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है, जिसमें महानिदेशक के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि पठमाठा के आर. एस. नं. 128 में ए. सी. ओ. 07 सेंट्स का, जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के लिए अधिग्रहण किया गया था, दुरुपयोग किया जा रहा है और वहां अवैध निर्माण हो रहे है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रयोजन से मूल रूप से अधिग्रहीत भूमि सरकार की सहमति के बिना गैर-सरकारी पार्टियों को दी जा सकती है;

(ग) कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे कितने अवैध कब्जे हैं, जो सरकार के ध्यान में लाए गए हैं, और

(ङ) ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन के राज्य मंत्री (श्री चियाउर्र-हुमान अन्सारी) : (क) जी, हां। बिना तारीख का एक अभिवेदन इस मंत्रालय में 12 अप्रैल, 1985 को प्राप्त हुआ है।

(ख) राज्य के मुख्य इन्जीनियर ने अनधिकृत रूप से कब्जा की गई भूमि को खाली कराने के लिए राजस्व प्राधिकरणों को लिखा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनेक स्थलों पर अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा किया हुआ है। इस प्रकार के अनधिकृत रूप से कब्जा किये गये सारे भूभाग को खाली करवाने के बारे में राज्य के मुख्य इन्जीनियर राजस्व विभाग के साथ लिखा पढ़ी कर रहे हैं।

भुवनेश्वर और इच्छापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 का रखरखाव

3486. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर (उड़ीसा) से इच्छापुर (आंध्र प्रदेश) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 का समुचित रखरखाव नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के इस भाग को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है, और

(घ) उस राष्ट्रीय राजमार्ग के समुचित रखरखाव के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 के इस खंड को यातायात के योग्य बनाये रखा गया है।

(ग) और (घ) सामान्य अनुरक्षण कार्यों के लिए आवंटन के अलावा वर्ष 1985-86 के दौरान सुधार कार्यों पर खर्च की संस्वीकृति के लिए 169-00 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

बेल्लमपल्ली/रामागुंडम कागजनगर से मंगूर तक रेल लाइन

3487. **श्री सी. अंगा रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कोयला क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए बेल्लमपल्ली अथवा रामागुंडम अथवा कागजनगर, अथवा माचेनल से मंगूर तक बरास्ता परकल मुलुग भोपालपल्ली, इठुनाग्राम रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास है,

(ख) यदि हां, तो परियोजना का कार्यान्वयन किस चरण में है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अन्तरित रद्द की गई रेलगाड़ियों की संख्या

3488. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा स्टेशन के पूर्व रेलवे को अन्तरित कर दिए जाने के बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की अनेक रेल गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं, और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) मौजूदा रेलगाड़ियों का क्या ब्यौरा है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आंख की खराबियों वाले व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण

विवरण

(1) भागलपुर/बड़हरवा और कटिहार के बीच 77/78 पेसेंजर।

(2) हवड़ा और कटिहार के बीच 347/348 पैसेंजर।

(3) हवड़ा और न्यू बोंगाईगांव के बीच 59/60 कामरम एक्सप्रेस।

(4) हवड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 57/58 कंचनजंगा एक्सप्रेस।

(5) सियालदह और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 43/44 दार्जिलिंग मेल।

(6) नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच 155/156 तिनसुकिया मेल।

(7) हवड़ा और न्यू बोंगाईगांव के बीच 165/166 जनता एक्सप्रेस।

(8) सियालदह और मालदा टाऊन के बीच 53/54 गौड़ एक्सप्रेस।

(9) गुवाहाटी और तिस्वनन्तपुरम के बीच 901/902 एक्सप्रेस।

(10) मालदा टाउन और कटिहार के बीच 69/70 फास्ट पैसेंजर।

(11) मालदा टाउन और कटिहार के बीच 47/48 पैसेंजर।

(12) सिहाबाद और मालदा टाउन के बीच 73/74 पैसेंजर।

(13) सिहाबाद और मालदा टाउन के बीच 75 अप मिलीजुली/72 डाउन पैसेंजर।

3489. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में आंख की खराबियों से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आंख की बीमारियों की रोकथाम के लिए क्रियान्वित की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 1972 में देश के शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के 7 केन्द्रों में किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश में अन्धे लोगों की अनुमानित संख्या 90 लाख है। ताजा नमूना सर्वेक्षण अभी चल रहे हैं।

(ख) देश में आखों की बीमारियों की रोकथाम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कैम्पों का आयोजन करके नेत्र परिचर्या की व्यापक सेवायें प्रदान की जाती हैं। इस

कार्यक्रम का उद्देश्य परिसरीय, मध्यवर्ती और केन्द्रीय स्तर पर सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के एक अभिन्न अंग के रूप में नेत्र स्वास्थ्य परिचर्या की स्थायी सुविधा प्रदान करना भी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र शिविरों का आयोजन करके इन्द्राआकुलर आपरेशन करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विटामिन "ए" खुराक देकर बच्चों में विटामिन "ए" की कमी से होने वाले अन्धेपन को रोकथाम करने के लिए एक योजना सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में भी चलाई जा रही है।

तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत

3490. **श्री एन. डेनिस** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अत्यन्त कम है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) तमिलनाडु में देश के अन्य राज्यों की तुलना में इस समय प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) तमिलनाडु में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 1983-84 के दौरान तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति खपत 173.71 यूनिट थी जबकि इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत 155.94 यूनिट था। 1983-84 में विभिन्न राज्यों को प्रति व्यक्ति खपत अनुबन्ध में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत
(यूटीलिटीज तथा गैर यूटीलिटिज)

(यूनिटों में)

	क्षेत्र/राज्य का नाम	1983-84 (क)
	I. उत्तरी क्षेत्र	
1.	हरियाणा	249.84
2.	हिमाचल प्रदेश	90.74
3.	जम्मू और कश्मीर	107.08
4.	पंजाब	363.33
5.	राजस्थान	128.44
6.	उत्तर प्रदेश	101.73
7.	चंडीगढ़	416.57
8.	दिल्ली	465-38
	जोड़ : उत्तरी क्षेत्र	151.71

	II. पश्चिमी क्षेत्र	
1.	गुजरात	277.51
2.	मध्य प्रदेश	140.20
3.	महाराष्ट्र	273.83
4.	गोवा दमन और दीव	279.64
5.	दादर और नगर हवेली	91.54
	जोड़ : पश्चिमी क्षेत्र	228.22
	III. पूर्वी क्षेत्र	
1.	बिहार	91.92
2.	उड़ीसा	137.02
3.	पश्चिमी बंगाल	125.56
4.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	66.35
5.	सिक्किम	54.67
	जोड़ : पूर्वी क्षेत्र	111.69

(यूनिटों में)

	क्षेत्र/राज्य का नाम	1983-84 (क)
	4. दक्षिणी क्षेत्र	
1.	आंध्र प्रदेश	144.99
2.	कर्नाटक	169.82
3.	केरल	114.61
4.	तमिलनाडु	173.71
5.	पांडिचेरी	220.86
6.	लक्षद्वीप	60.25
	जोड़ : दक्षिणी क्षेत्र	154.58
	5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
1.	असम	41.30
2.	मणिपुर	13.03
3.	मेघालय	70.21
4.	नागालैंड	49.98
5.	त्रिपुरा	21.46

1	2	3
6.	अरुणाचल प्रदेश	27.57
7.	मिजोरम	26.70
	जोड़ : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	139.37
	जोड़ : अखिल भारत	155.94

(क) अनन्तिम तथा 1.10.82 की जनसंख्या पर आधारित

एकलखी-बलूरघाट रेल परियोजना

3491. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकलखी-बलूरघाट परियोजना, जिसका दो वर्ष पहले उद्घाटन किया था, की प्रगति संतोषजनक है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) इकलाखी बालूरघाट नई लाइन के निर्माण की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार हो रही है। इसका पूरा होना आगामी वर्षों के दौरान धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जोराम हिन्दी प्रचार समिति मिजोरम के लिए वार्षिक अनुदान

3492. **श्री लालडहोमा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोराम हिन्दी प्रचार समिति को प्रति वर्ष विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की जायेगी;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 के लिए अनुदान जारी कर दिए गए हैं;

(ग) क्या अनुदानों को समय पर स्वीकृति दी जाती हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुदानों को समय पर स्वीकृत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को वर्षानुवर्ष संस्वीकृत राशियां संगठन के कार्य निष्पादन और कार्यक्रमों पर निर्भर करती हैं। जोराम हिन्दी प्रचार समिति तथा इस समिति के अन्तर्गत चल रहे राष्ट्र भाषा विद्यालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी को बढ़ावा देने और उसका विकास करने के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों के लिए सहायता की योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं।—

	1981-82	198 -83	1983-84
जोराम हिन्दी प्रचार समिति	18,900	18,900	39,900
राष्ट्रभाषा विद्यालय	—	—	1,32,900 44,300 रु. प्रति वर्ष की दर से तीन वर्षों के लिए

(ख) जी, नहीं समिति ने उन्हें संस्वीकृत पहले के लेखों का निपटान नहीं किया है। लेखों का निपटान अभिर्णीत पड़े होने के कारण उक्त संगठनों को वर्ष 1984-85 के लिए कोई अनुदान मुक्त नहीं किया जा सका।

(ग) से (ङ) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आवेदनों को प्रस्तुत करने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार के अनुरोध राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित संगठन द्वारा या तो मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने चाहिए अथवा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा मंत्रालय) के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को जून के अन्त तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस प्रकार से क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और तब उन पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए सम्बन्धित राज्य स्तरीय समिति के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों सहित इन अनुरोधों को संगठन द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परियोजनाओं के लिये अनुदान की मात्रा का अनुमोदन करने हेतु मंत्रालय की सहायता अनुदान समिति द्वारा विचार करने के लिए प्रादेशिक अधिकारियों द्वारा मंत्रालय को भेजा जाता है।

वर्ष 1984-85 के दौरान कोसम हिन्दी प्रचार समिति को दिए गए अनुदानों के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश सहित इसका अनुरोध वर्ष 1984-85 के दौरान अनुदान सम्बन्धी अनुरोधों पर सहायता अनुदान समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद ही प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, लेखों का निपटान न किए जाने के कारण अनुदान पर विचार नहीं किया जा सका।

मध्य प्रदेश में पोलिटेक्निक कालेज

[हिंदी]

3493. **श्री एम. एल. भिक्कराम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पौलिटेक्निक कालेजों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए इस राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे कालेज खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो सर्वाधिक पिछड़े मांडला जिले में, जहां कि अधिकतर आदिवासी रहते हैं, अभी तक पोलिटेक्निक कालेज न खोलने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में मांडला में एक पोलिटेक्निक कालेज खोलने को प्राथमिकता दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री कुम्भ चंद्र पंत) : (क) इस समय मध्य प्रदेश में 23 पोलिटेक्निक हैं।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 1981 में हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि :

(i) ये यथार्थ जन शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं,

(ii) खोली जाने वाली संस्थायें उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में हों और

(iii) ये या तो उच्च नियोजन क्षमता वाले क्षेत्रों में स्थित हों अथवा आर्थिक रूप से

पिछड़े हुए क्षेत्रों में और/अथवा ये समाज के कमजोर वर्गों के लिए अभिहित हों। अतः यह देखा जा सकता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में एक पोलिटेक्निक खोलने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को विधिवत रूप से प्रोत्साहित तथा अनुमोदित किया जाता है।

क्रिया-विधि के अनुसारण में, नए पोलिटेक्निक खोलने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर, परिषद की संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा नियुक्त उपयुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाता है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों के साथ फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विचार किया जाता है और अनुमोदन के लिये मंत्रालय विचार करता है। राज्य सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों की गुणावगुणों के आधार पर जाँच की जाती है और राज्य के प्रत्येक जिले में खोले जाने वाले पोलिटेक्निकों की संख्या नियत नहीं है।

मांडला जिले में पोलिटेक्निक खोलने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

क्लोरोमाईसिन और एन्टी-बायोटिक दवाओं का प्रयोग

[अनुवाद]

3494. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्लोरोमाइसिन तथा कुछ ऐसी एन्टीबायोटिक्स और दवाएं, जिनके प्रयोग पर विभिन्न विकासशील देशों में प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है, भारत में धड़ल्ले से प्रयोग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी ऐसी दवाएं और एन्टी-बायोटिक्स हैं जिन्हें विभिन्न और पेचीदे उप-प्रभावों के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये खतरा समझा गया है और विकाशशील देशों में जिनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है, पर भारत में जिनका प्रयोग जारी है, और यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय को किसी देश द्वारा क्लोरेम्फेनिकोल (जो क्लोरोमाइसिटीन का जेनरिक नाम है) पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

जहां तक अन्य एन्टीबायटिक दवाइयों का सम्बन्ध है, यह सूचना मिली है कि नियुक्त राज्य अमरीका जैसे कुछेक देशों ने पीने वाली तरल दवाओं के रूप में बनाई गई टेट्रोसाइक्लीन समूह की दवाइयों, जिनसे बच्चों के दान्तों का रंग स्थाई रूप से खतरा हो जाता है, पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। जहां तक इन दवाइयों का सम्बन्ध है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने भी देश में टेट्रासाइक्लीन, आक्सी टेट्रासाइक्लीन और डेमीक्लोसाइक्लीन के पीये जाने वाले तरल योगों को बनाने और उनकी बिक्री करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिन 26 औषधियों को कुछेक देशों द्वारा बाजार से हटा लिए जाने के बारे में बताया है उनमें से 12 औषधियों को भारत में बेचने की अनुमति दी ही नहीं गई थी। 8 औषधियों को बाजार से हटा लिया गया है और बाकी 6 औषधियां, नामतः (1)

नाइट्रोफ्यूरन कम्पाऊंडस (2) फेनफार्मिन, (3) हाइड्रोक्सीक्विनोलिन डेरी वेटिक्स (4) हाई-डोज लाइनेस्ट्रेनोल दवाइयां, (5) पिपराजीन और फेनाइलबुटाजोन/आक्सी फेनबुटाजोन को देश में चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह से बेचने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि इन दवाइयों के लेबल अथवा अन्दर रखी गई पर्ची पर चेतावनी और प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख किया गया हो।

उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में मलेरिया से मृत्यु

3495. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में वर्ष 1983 और 1984 के दौरान मलेरिया से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे वर्ष 1985 में इस प्रकार की मौतों की संख्या में कमी हो सके अथवा इस रोग पर नियंत्रण किया जा सके ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मलेरिया से हुई बताई गई मौतों की संख्या इस प्रकार है:—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मौतों की संख्या	
	1983	1984
दिल्ली	52	40
उत्तर प्रदेश	16	शून्य

(ख) देश भर में उत्तर प्रदेश और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र सहित निम्नलिखित विशेष उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) बुखार के रोगियों का पता लगाने, रक्त लेप एकत्र करने तथा सम्भावित इलाज करने के लिए सर्वेलेंस कार्मिकों द्वारा प्रत्येक गांव का दो सप्ताह में एक बार दौरा किया जाता है।

(ii प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की प्रयोगशालाएं बुखार वाले रोगियों के रक्त लेप की तुरंत जांच करती है और मलेरिया बुखार के रोगियों का मेडिकल उपचार करती हैं।

(iii) जिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष एक हजार आदमी के पीछे दो या अधिक मलेरिया रोगी पाये जाते हैं, उन सभी में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव किया जाता है।

(iv) गांवों में औषधि वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डिपो कार्य कर रहे है ताकि रोगियों को बिना समय खोये दवाइयां सुलभ की जा सकें।

(v) लोगों में जागृति लाने की दृष्टि से इस विषय पर स्वास्थ्य शिक्षा को तेज कर दिया गया है।

(vi) दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों में भी मलेरिया रोधी उपाय किए जा रहे हैं जिनमें नगरीय क्षेत्रों में कीटनाशी दवाओं के उपयोग से लार्वा नाशी उपाय करना, ग्रामीण क्षेत्रों तथा निर्माण कार्य स्थलों पर मजदूरों की झुग्गियों, झुग्गी-झोंपड़ियों में बी. एच. सी. युक्त अवशिष्ट कीटनाशी

दवाओं के छिड़काव के तीन चक्र, समय-समय पर धुआं छोड़ना (फोटिंगग आपरेशन) तथा लार्वा नाशी मच्छियों द्वारा जैविक निर्माण करना शामिल हैं।

वर्ष 1983-84 में संस्कृत पंडितों को दी गई वित्तीय सहायता

3496. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 में दरिद्रता की स्थिति को पहुंचे संस्कृत पंडितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता केरल के ऐसे संस्कृत पंडितो को दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) मंत्रालय ने प्रभावग्रस्त परिस्थियों में रह रहे संस्कृत के 83 पडितों को वर्ष 1983-84 के लिए वित्तीय सहायता का भुगतान करने का अनुरोध करते हुए शिक्षा सचिव, केरल सरकार को दिसम्बर, 1983 तथा फरवरी, 1984 में सस्वीकृति पत्र जारी किए थे। केरल सरकार ने सम्बन्धित पडितों की उनके अपने-अपने जिला समाहर्ताओं द्वारा पंडितों की वार्षिक आय की जांच करने के पश्चात् राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए राज्य के जन शिक्षा निदेशक को फरवरी 1984 तथा सितम्बर, 1 84 में आदेश जारी किए थे। मंत्रालय को केरल सरकार से अभी तक इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि क्या भुगतान कर दिया गया है।

कम वजन के बच्चों को जन्म और साथ ही प्रजनन पूर्व तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर घटाने हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सुझाव

3497. **श्री के. प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कम वजन के बच्चों के जन्म तथा प्रजनन पूर्व तथा नव-जात शिशुओं की मृत्यु दर घटाने हेतु कई उपायों का सरकार को सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा सुझाए गए उपायों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने कुछेक अध्ययन शुरू किए हैं जिनका उद्देश्य कम वजन के बच्चों के जन्म और प्रजनन पूर्व तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को घटाना है। ये अध्ययन अभी पूरे किए जाने है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में पिछली संकेत बत्तियां

3498. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की अधिकतर बसों में पिछली संकेत बत्तियां नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में पिछली संकेत बत्तियां लगाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं। दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में पिछली संकेत बत्ती प्रामाणिक स्तर की हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में बिजली की खपत

3499. श्री के. कुन्जम्बु : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले पांच वर्षों में केरल में बिजली की खपत में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अलवा नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में इस समय कुल 710 मेगावाट क्षमता की इदमलयार, कक्कड़, इदुक्की-2, कल्लड़ और लोअर पेरियार जल विद्युत स्कीमें निर्माणाधीन हैं और इन्हें सातवीं योजना अवधि के विभिन्न वर्षों में चालू करने का कार्यक्रम है। कुल 250.5 मेगावाट की चार और जल विद्युत स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी हैं। केरल को दक्षिण क्षेत्र में कुछ केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के हिस्से का आबंटन किया गया है।

सरकारी प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच

3500. श्री आर. एम. भोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले लाये गये जिनमे सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच किए गए नमूने निर्धारित मानदण्ड के नहीं पाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए औषध निरीक्षकों द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन तथा खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन लिए गए कुछ नमूने मानक स्तर के नहीं पाए जाते हैं।

(ख) सरकारी औषध और खाद्य प्रयोगशालाओं में जांचे गए नमूनों में से औषधियों के लगभग 15 प्रतिशत तथा खाद्य वस्तुओं के लगभग 13 प्रतिशत नमूने मानक स्तर के नहीं पाए जाते हैं।

क्षय रोगी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में

3501. श्री अनंत प्रसाद सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, विशेष रूप से ग्रामीण आबादी में क्षय रोगियों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या शहरी आबादी की तुलना में ग्रामीण आबादी में इनकी संख्या अधिक हैं;

(ग) क्षय रोग से प्रति वर्ष औसतन कितनी मौतें होती हैं तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्षय रोगियों की संख्या क्या-क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोग के उन्मूलन तथा क्षय रोग के उपचार के लिए दवाएं उपलब्ध करने हेतु सक्रिय उपाय कर रही है;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :) जी हां। देश में क्षयरोग व्यापतता दर का पता लगाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा वर्ष 1955-58 के दौरान एक राष्ट्रीय नमूना क्षयरोग सर्वेक्षण किया गया था। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्षयरोग व्यापतता की दर का अध्ययन करने के लिए बाद के वर्षों में दिल्ली, मान्नापाली (आंध्र प्रदेश), कर्नाटक, चिंगलपेट (तमिलनाडु), कश्मीर की घाटी आदि में समिति सर्वेक्षण भी किये गये हैं।

(ख) इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि क्षयरोग की व्यापतता की दर ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या में लगभग एक जैसा ही है। चूंकि लगभग 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है इसलिए शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण लोगों में टी. बी. के रोगियों की संख्या अधिक है।

(ग) राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार क्षयरोग के कारण 1968 में मृत्यु दर अनुमानतः 80 प्रति एक लाख जनसंख्या थी। इस संस्थान द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययनों से पता चला है कि मृत्यु दर घट कर लगभग 53 प्रति लाख जनसंख्या हो गयी है। अतः अनुमान है कि प्रति वर्ष लगभग 3.50 लाख व्यक्ति क्षय रोग से मरते हैं।

व्यापतता सम्बन्धी सर्वेक्षणों से पता चला है कि लगभग 1.5 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें एक्सरे से यह सिद्ध हो गया हैं कि उन्हें फेफड़ों की टी.बी. है और उनमें से 1/4 अथवा 0.4 प्रतिशत रोगियों का थूक पाजिटिव है अथवा वे संक्रामक हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1.00 करोड़ व्यक्ति फेफड़ों के रेडियालोजिकल एक्टिव टी. बी. से पीड़ित हैं जिनमें से लगभग 20.5 लाख रोगिवों का थूक पाजेटिव है अथवा वे संक्रामक हैं। चूंकि 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और शेष 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और व्यापतता दर लगभग एक जैसी ही है इसलिए अनुमान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टी.बी. के लगभग 80 लाख रोगी होंगे और शेष 20 लाख रोगी शहरी क्षेत्रों में होंगे।

(घ) जी हां। इसको पहले ही 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। सातवीं योजना अवधि के दौरान टी. बी. के रोगियों का पता लगाने और उपचार कार्य को तेज करने का विचार है।

केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

3502. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषकर उड़ीसा राज्य स्थिति केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग में 1 मार्च, 1982 और 1 मार्च 1984 को कुल कितने कर्मचारी थे;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के हित में आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है और इस कार्य के लिए रोस्टर रखा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो अगर उनमें कुछ कमी आई है तो उसके क्या कारण है और इन समुदायों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ङ) इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितने पद व्यपगत हो गये थे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रिहन्द विद्युत परियोजना

3503. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में रिहन्द में 1000 करोड़ रुपये की लागत पर 1000 मेगावाट परियोजना जिसका उत्पादन वर्ष 1985 में प्रारम्भ होना था, की स्थापना के लिये ब्रिटेन की मैसर्स नार्थन इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज के साथ 1975 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन. टी. पी. सी.) द्वारा इस मामले पर काफी समय से विचार किया जा रहा है तथा तकनीकी विशिष्टयों इत्यादि पर विवाद है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार को कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 1033 करोड़ रुपये की लागत से 2×500 मेगावाट की यूनिटें प्रतिष्ठापित करने हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और नार्दन इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज के बीच 1982 में एक समझौता हुआ था। पहली यूनिट जून, 1987 में चालू करने का कार्यक्रम था।

(ख) कार्यस्थल पर सिविल तथा संरचनात्मक इस्पात कार्य चल रहे हैं। नार्दन इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज ने उपस्कर तथा सामग्री आदि की सप्लाई विलम्ब से की है तथा पहली यूनिट को चालू करने में लगभग 6 महीने का विलम्ब हो जाने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेवेली कामगारों के लिये प्रोत्साहन देने की योजना

3504. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित लक्ष्यों से अधिक बिजली उत्पादन करने के लिए नेवेली कामगारों को पुरस्कृत करने के लिए एक प्रोत्साहन देने की योजना मंजूर की गई थी;

(ख) क्या ताप संयत्र काममारों ने वर्ष 1982-83 और 1983-84 के निर्धारित लक्ष्यों से अधिक लक्ष्य प्राप्त किये थे और यदि हां, तो कितने प्रतिशत;

(ग) क्या उनको 11.5 लाख रु. की प्रोत्साहन राशि तथा नवेली उद्योग समूह के सभी कामगारों को 2 करोड़ रु. देय है; और

(घ) इस धनराशि को कब तक वितरित किया जायेगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में नेवेली ताप विद्युत केन्द्र का विद्युत उत्पादन लक्ष्य से क्रमश: 30.1% तथा 18.5% अधिक रहा था।

(ग) 1983-84 में नेवेली ताप विद्युत केन्द्र को 11.5 लाख रुपये का प्रोत्साहन भुगतान देय था, जो विद्युत केन्द्र के कर्मचारियों में वितरित करने के लिए दिया गया था। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को 1983-84 में 2.80 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया गया था जिसका उपयोग ताप विद्युत केन्द्र के नवीकरण/सुधार के लिए किया जाना है, तथा यह कर्मचारियों में वितरित करने के लिए नहीं है।

(घ) 11.4.1985 को नेवेली ताप विद्युत केन्द्र के कर्मचारियों में 11.5 लाख रु. की राशि वितरित कर दी गई है।

छठी योजना के दौरान उड़ीसा में तथा अन्य राज्यों में मिनी स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता

3505. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक जनजाति खंड में उप केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर मिनी स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है; और

(ख) उड़ीसा में छठी योजना के दौरान इस संबंध में क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य विभागों में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोअर दामोदर ड्रेनेज स्कीम के संबंध में बाढ़ नियंत्रण आयोग की सिफारिशें

3506. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोअर दामोदर ड्रेनेज स्कीम संबंध में बाढ़ नियंत्रण आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है जो कि हावड़ा और हुगली को बार-बार आने वाली बाढ़ से बचा सकती हैं और अधिक फसलें पैदा करने में सहायता कर सकती है; और

(ख) क्या योजना आयोग ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दे दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) लोअर दामोदर ड्रेनेज स्कीम के सम्बन्ध में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ख) जी, नहीं।

दिल्ली आयुर्वेदिक और यूनानी परीक्षा बोर्ड के विरुद्ध कार्यवाही और प्रवेशिका शुल्क की वसूली

3507. श्री के. राममूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद और 40 विश्वविद्यालयों के बीच विद्यमान समन्वय का क्या ब्यौरा है, जो भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद द्वारा क्या निर्धारित परीक्षाएं आयोजित करते हैं; और

(ख) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् द्वारा दिल्ली आयुर्वेदिक और यूनानी परीक्षा बोर्ड के विभाग ने क्या कार्यवाही की है जिसने निर्धारित सुविधाओं के अभाव में भारतीय चिकित्सा पद्धति के दो कालेजों को मान्यता प्रदान की है और जो छात्र प्रवेश हेतु प्रावेशिक शुल्क लेते है।

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद और विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय विश्वविद्यालय क्षेत्रों से केन्द्रीय परिषद् के चुने हुए सदस्यों के जरिए स्थापित किया जाता है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की धारा 3 (1) (झ) में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

"प्रत्येक विश्वविद्यालय में से आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का एक-एक सदस्य उस विश्वविद्यालय की सम्बन्धित चिकित्सा पद्धति के संकाय अथवा विभाग (उसका कोई भी नाम हो) के सदस्यों द्वारा उनमें से चुना जाए।"

(ख) दिल्ली प्रशासन में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के परीक्षा निकाय ने 1978 में तीन कालेजों को मान्यता दी जिनमें से एक कालेज की मान्यता 1982 में पहले ही समाप्त की जा चुकी है। अहिंसा आयुर्वेदिक कालेज नामक एक अन्य कालेज के मामले में परीक्षा निकाय ने कालेज में पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण 1978 से ही छात्रों को दाखिला देने की अनुमति नहीं दी है। केवल एम. डी. आयुर्वेदिक कालेज को ही परीक्षा निकाय की मान्यता मिली हुई है।

वर्ष 1978 से दाखिल किए छात्रों को दी जा रही अर्हताओं को मान्यता देने के मामले पर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विचार कर रही है।

इन कालेजों द्वारा केपिटेशन फीस लेने का कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

दिल्ली रेलवे कैश आफिस के कैश-गार्ड द्वारा भारी धनराशि सहित एक व्यक्ति को पकड़ना

[हिन्दी]

3508. श्री हरीश रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 16 मार्च, 1985 को दिल्ली रेलवे कैश आफिस के कैश-गार्ड ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था जिसके पास 16400 रुपये मूल्य के एक और दो रुपये के छोटे नोट थे,

(ख) यदि हां, तो क्या उस नोटों वाले थैले को सील कर दिया गया है,

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(घ) क्या पहले भी कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) संयुक्त विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। जांच पूरी हो जाने पर श्राफ, जो पैसा ले जा रहा था, तथा दोषी पाये गये अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

(घ) वर्तमान मामले से पहले ऐसा कोई मामला पकड़ा नहीं गया था।

बम्बई पत्तन में लौभार की भीड़भाड़ को दूसरी ओर ले जाने के लिए उठाए गये कदम

[अनुवाद]

3509. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन में लौभार की भीड़भाड़ को दूसरी ओर ले जाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गये हैं,

(ख) क्या न्हावा शोवा पत्तन अनुपूरक पत्तन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और

(ग) इस खचाखच भरे हुए पत्तन में लोगों की भीड़ हटाने के उद्देश्य से इसके विकल्प के रूप में, स्वतंत्र हिन्टरलैंड युक्त एक अनुपूरक (सैटेलाइ) पत्तन का विकास करने की मूल अवधारणा की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पिछले एक वर्ष में बम्बई पत्तन में यातायात का कोई जमाव नहीं हुआ है। तथापि, बम्बई पत्तन में यातायात की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 506 करोड़ रुपये की लागत से न्हावा शेवा में एक नये पत्तन के निर्माण की संस्वीकृति सितम्बर, 1983 में दी गई है।

न्हावा सेवा में पत्तन सुविधाओं के विकास तक, बम्बई पत्तन न्यास ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) केवल शेड प्रबंध के लिये मोबाइल क्रेनों की खरीद की गई है।

(2) पत्तन के गोदामों में अनक्लीयर्ड कारणों को रखाने के लिए पत्तन क्षमता में सुधार करने के लिए गोदामों को किराये पर लिया गया है।

(3) वल्क कारगो को केवल गोदियों में ही डिस्चार्ज की अनुमति दी गयी है यदि इसी प्रकार के कारगों की सीधी डिलीवरी का प्रबन्ध किया जाता है।

(4) गाड़ियों को गोदी में प्रवेश/वहां से निकलने के लिए ड्यूटी परमिट सिस्टम चालू किया गया है।

(5) नीलामी बिक्री और अन्य माध्यमों के द्वारा अनकलीयर्ड कारगों को तेजी से निपटान के लिए कड़ा से कड़ा प्रवास किया जा रहा है।

(6) कंटेनर हैंडलिंग परिचालन में एक रूपता लाने के लिए—

(i) क्वे साइड और यार्ड गैंट्री साइड की तरह आधुनिक कंटेनर हैंडलिंग उपकरण लगाये गये हैं।

(ii) सामान्य उपभोक्ता आधार पर कंटेनर क्रियाकलापों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अन्तरिम कंटेनर प्रबन्ध योजना लागू की गयी है।

(iii) कंटेनर क्रियाकलापों को सुचारू करने के लिए मैंगनीज धातु डिपु, टिम्बर पौंड और कैरे बेसीन को कंटेनर फ्रेट स्टेशन के रूप में विकास किया जा रहा है।

(ख) न्हावा शेवा पत्तन का एक पूर्णरूपेण स्वतंत्र पत्तन के रूप में विकास किया जा रहा है।

(ग) न्हावा शेवा के लिए शामिल परिचालन की प्रकृति और मात्रा पर विचार करते हुए यह निर्णय किया गया था कि वहां की निर्माणाधीन सुविधाओं की देख-रेख के लिए एक अलग से प्रबन्ध व्यवस्था अपनायी जाय।

छठी योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर किये जाने वाले कार्यों का कार्यान्वयन

3510. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर छठी योजनावधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उन राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : छठी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास लक्ष्य और संभावित उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

मुख्य मदें	लक्ष्य	संभावित उपलब्धियां
मिसिंग लिंक का निर्माण	196 कि. मी.	87 प्रतिशत
सिंगल वे कैरेजवे को इसमें मजबूती लाकर अथवा बिना मजबूत किए दोहरी लेन में चौड़ा करना	4224 कि. मी.	100 प्रतिशत
मौजूदा कमजोर दोहरी लेन खण्डों को मजबूत करना	2238 कि. मी.	100 प्रतिशत
सड़क को 4 या 6 लेनों में चौड़ा करना	130 कि. मी.	81 प्रतिशत
भीड़भाड़ वाले शहरों के आसपास बाईपास का निर्माण	52 नं.	81 प्रतिशत
मुख्य पुलों का निर्माण	103 नं.	83 प्रतिशत

मध्य प्रदेश के इन्जीनियरिंग कालेजों में इलेक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटर विज्ञान का नया पाठ्यक्रम

3511. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ इन्जीनियरिंग कालेजों में आगामी सत्र से इलैक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटर विज्ञान के नये पाठ्यक्रम शुरू करने के अनुरोध की संस्तुति की है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कुष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रानिकी और अथवा संगणक विज्ञान में नये पाठ्यक्रम को लागू करने के प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से रीवा और उज्जैन के राजकीय कालेजों, जी. एस. प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, इन्दौर और मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के लिये प्राप्त हो गये हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा मंत्रालय द्वारा इनके संबंध में विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

अवध एक्सप्रेस में कोटा से कलकत्ता के लिए दो डिब्बे जोड़ने हेतु अभ्यावेदन

[हिंदी]

3512. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोटा और कानपुर के बीच चलने वाली अवध एक्सप्रेस में कोटा से कलकत्ता के लिए दो डिब्बे जोड़ने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) कोटा और हावड़ा के बीच एकमू कोच चलाने की मांग की जांच की गयी है लेकिन ऐसा करना न तो वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण पाया गया और न ही परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक।

राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा

[अनुवाद]

3513. **श्री बुद्धि चंद्र जैन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास सार्वजनिक भूमि पर होटल अथवा रेस्टोरेंट के रूप में कई वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बनाये गये हैं, और

(ख) यदि हां तो राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध कब्जे को रोकने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों को, जो राष्ट्रीय राजमार्गों की कार्यकारी एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा न होने देना सुनिश्चित करने के लिए और अवैध कब्जे को हटाने के लिए सार्वजनिक स्थल (अनाधिकृत दखलकार की बेदखली) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत उपचारी उपाय करने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी प्रणाली के कार्य की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा फरवरी, 1982 में गठित की गई समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अवैध कब्जे की समस्या तथा रिबन विकास का अध्ययन करने और इस संबंध में केन्द्रीय कानून के निर्धारण के रूप से एक कार्यबल की स्थापना की गई है।

सरकार ने ट्रक-उद्योग से संबद्ध सभी गतिविधियां पूर्वनिश्चित स्थानों पर करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ कुछ चुने हुए स्थानों पर प्रायोगिक आधार पर ट्रक पार्किंग काम्प्लेक्स बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। यदि यह कार्रवाई सफल पायी जाती है तो ऐसे काम्प्लेक्स और अधिक संख्या में बनाए जाएंगे।

हिमसागर, एक्सप्रेस में "पैन्ट्रीकार" की व्यवस्था करना

3514. **श्री अम्मन बामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंबी दूरी तक चलने वाली हिमसागर एक्सप्रेस में पैन्ट्रीकार/रेस्टोरेंट कार की व्यवस्था नहीं की गई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या उस रेलगाड़ी में पैन्ट्रीकार अथवा रेस्टोरेंट कार की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) हिमसागर एक्सप्रेस में पेन्ट्रीकार अथवा रेस्तरां कार की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) जी नहीं।

कुट्टीपुरम में रेल ऊपरिपुल

3515. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुट्टीपुरम (केरल) में रेल ऊपरिपुल के संरेखन कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है, और

(ग) दक्षिण रेलवे द्वारा इस कार्य को क्या प्राथमिकता दी गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) से (ग) कूट्टीपुरम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी पुल का निर्माण-कार्य 1985-86 के रेल बजट में शामिल किया जा चुका है। रेलों और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्य के लिए विस्तृत नक्शों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नक्शों और अनुमानों को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

विद्यालयों में शिक्षण दिवसों की संख्या

3516. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में और देश में अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनु-

संधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित 240 दिन के स्थान पर केवल 120+140 शिक्षण दिवस हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने "स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या भार-एक द्रुत मूल्यांकन" नामक अध्ययन किया था। यह सिफारिश की गई है कि शिक्षा निदेशालयों को 220 कार्य दिवस सुनिश्चित करने चाहिए, जिनमें से कम से कम 190 शिक्षण दिवस होने चाहिए।

विशेषज्ञ समिति की बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी सिफारिशें

3517. **श्री एम. बी. रत्नम** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ नियंत्रण कार्यों के रख रखाव हेतु मानदंड सुझाने के लिए वर्ष 1982 में गठित विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ख) 1983-84 के दौरान आंध्र प्रदेश में कौन-कौन से काम शुरू किए गये और केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) आंध्र प्रदेश के लिये वर्ष 1984-89 के लिए कोई धनराशि न देने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) विभिन्न प्रकार के बाढ़ सुरक्षा तथा जल-निकास कार्यों के रख-रखाव के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशों सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) बाढ़ नियंत्रण कार्यों का रख-रखाव तथा मरम्मत कार्यों की देखभाल तथा उन्हें क्रियान्वित करने का प्रावधान पूर्णतया सम्बन्धित राज्यों द्वारा किया जाता है। केन्द्र इसके लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराता है।

विवरण

विभिन्न प्रकार के बाढ़ सुरक्षा तथा जल-निकास कार्यों के रखाव के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें।

1982-83 के लिए निम्न मानदण्डों की सिफारिश की गई थी :—

तटबंध :—

निर्माण के बाद प्रथम तीन वर्षों में 12000 रुपये से 17000 रुपये प्रति किलोमीटर तथा तदनन्तर वर्षों में 9000 रुपये से 12000 रुपये प्रति किलोमीटर, 3 मीटर (10 फीट) तक की

ऊंचाई तक के तटबंधों के लिए निम्न दरें अपनाई जानी थीं। वक्तरबंधों तटबंधों के लिऐ निम्न दरें अपनाई नगभग 1500 मिमी. या उससे अधिक के भारी मानसूनी वर्षापात् वाले क्षेत्रों में स्थित तटबंधों के मामले में उपर्युक्त दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की गई है।

नदी के साथ 10000 क्यूमिक्स या उससे अधिक के बाद निस्सरण वाले तटबंधों के मामले में 30—40 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है।

जल-निकास चैनल

5 क्यूमिक्स तक निस्सरण	2000 रु. प्रति किलोमीटर
5 से 15 क्यूमिक्स तक निस्सरण	2500 रु. प्रति किलोमीटर
15 क्यूमिक्स से अधिक निस्सरण	5000 रु. प्रति किलोमीटर

उपर्युक्त दरें गैर-ज्वारीय चेनलों पर लागू होंगी। ज्वारीय चैनलों के मामले में उपर्युक्त दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि कर दी जाएगी।

नदी नियंत्रण तथा समुद्री दीवारों सहित तट सुरक्षा कार्य :

पहले तीन वर्षों में अद्यतन पूंजी लागत का 5 प्रतिशत तथा बाद के वर्षों में 3 प्रतिशत।

अस्थायी तथा साधारण कार्यों जैसे बेड बार्स, टिम्बर डैम्पनर्स, परकुपाइन्स, सलबल्लाह स्क्रीन्स/स्पर्स के मामले में 10 प्रतिशत की दर की सिफारिश की गई है।

2. तटबंधों तथा जल-निकास चैनलों के मामले में 1982-83 के लिए सिफारिश की गई दरों में अनुवर्ती वर्षों में 10 प्रति वर्ष या वास्तविक वार्षिक वृद्धि की बढ़ोत्तरी की जाएगी।

3. अनुशंसा की गई दरों में सभी नियमित स्थापना संबंधी प्रभार शामिल नहीं हैं।

कुर्नूल जिला (आंध्र प्रदेश) में घोने में रेलवे पुल का निर्माण

3518. **श्री के. रामचंद्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कुर्नुल जिले में घोने में रेलवे उपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) क्या सरकार इस उपरिपुल का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ करने का विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) रेलें जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय की ओर से निक्षेप शर्तों पर ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण कर रही हैं। इस कार्य के लिए ठेका दिया जा चुका है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी मध्य प्रदेश की बिजली परियोजनाएं

[हिन्दी]

2519. **श्री महेन्द्र सिंह** :

श्री बालकवि बैरागी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कौन-कौन सी ताप विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय

सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं और इस बारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, इनकी अनुमानित लागत क्या है तथा केन्द्रीय सरकार को ये परियोजनाएं कब प्राप्त हुई और प्रत्येक मामले में मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण थे, और

(ख) यदि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना में देरी होती है तो मध्य प्रदेश को अधिक बिजली सप्लाई करने की तात्कालिक योजना क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे सुरक्षा बल की संख्या, उसका बजट तथा रेल संपत्ति की चोरी के कारण नुकसान

[अनुवाद]

3520 **श्री जी. जी. स्वेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा बल की संख्या, उसका बजट और उसका संगठनात्मक ढांचा क्या है,

(ख) वर्ष 1984 के दौरान रेल सम्पत्ति के चोरी के कारण कितना नुकसान हुआ, और

(ग) वर्ष 1984 के दौरान रेलवे द्वारा ढोये गये सामान की चोरी से संबंधित कितने मूल्य के दावे बकाया हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1984 के दौरान रेल सम्पत्ति की चोरी के कारण 5.45 करोड़ रुपये को हानि हुई है।

(ग) रेलों द्वारा ढोये गये माल की चोरी के कारण बकाया पड़े मामलों की संख्या के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

रेलवे सुरक्षा बल का प्रमुख एक महानिदेशक होता है तथा प्रत्येक रेलवे पर एक-एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता है एक उप महानिरीक्षक है, जो रेलवे सुरक्षा विशेष बल का इन्चार्ज है। अथवा सुरक्षा अधिकारी हो····

मुख्य सुरक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक उपमुख्य सुरक्षा अधिकारी होता है। मंडल का इन्चार्ज एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी होता है। कुछ अधिक महत्वपूर्ण मंडलों पर इसकी सहायता के लिए एक अथवा अधिक सहायक सुरक्षा अधिकारी होते हैं। मंडल चौकियों तथा उप-चौकियों में बंटे होते हैं जो क्रमशः एक निरीक्षक और उप निरीक्षक के अधीन होती हैं। इनके अधीन उपयुक्त संख्या में अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। जोन में चाकि, अभियोग और आसूचना सम्बन्धी कार्यों के लिए कर्मचारियों का एक छोटा सा केन्द्र भी होता है।

सुरक्षा विभाग के लिए 1985-86 के बजट में 104.96 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

31. 3. 1984 को रेलवे सुरक्षा विशेष बल सहित इस बल के कर्मचारियों की कुल संख्या 67,512 थी।

रेल सेवा आयोग, बम्बई के विरुद्ध जांच

3521. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रेल सेवाओं के लिए प्रत्याशियों के चयन के संबंध में रेल सेवा आयोग बम्बई के विरुद्ध की गई जांच का कार्य पूरा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उक्त आयोग के चेयरमैन को इस बीच हटा दिया गया है,

(घ) क्या चुने गये प्रत्याशियों को समुचित रूप से रेल सेवा में रखा गया है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। अभी तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां। 25.6.1983 से आयोग के अध्यक्ष की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की चल रही जांच पड़ताल के कारण पेनल को अन्तिम रूप देने का काम रोक दिया गया है। बहरहाल, पहले बनाये गये अन्तिम पेनलों, जिनमें 664 नाम शामिल थे, के आधार पर कुछ नियुक्तियों के प्रस्ताव किये गये थे। जब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पड़ताल चल रही है तब तक इस अन्तिम पेनल में से कोई नियुक्ति प्रस्ताव नहीं किये जा रहे हैं।

कटक रेलवे स्टेशन पर सड़क उपरिपुल

3522. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक रेलवे स्टेशन फाटक तथा पहुंच मार्ग पर सड़क उपरिपुल निर्माण पर कुल कितनी लागत आई,

(ख) इसमें रेलवे का कितना शेयर था,

(ग) क्या रेलवे ने अब तक अपने शेयर की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है, और

(घ) क्या राज्य सरकार ने अपनी मूल अनुमानित लागत में कोई वृद्धि की थी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) कटक रेलवे स्टेशन पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की कुल अनुमानित लागत 2,64,31,740 रुपये है।

(ख) इस कार्य के लिए रेलों के हिस्से की लागत 1, 30,68, 085 रुपये है।

(घ) राज्य सरकार उनके द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्य अंश के लिए अनुमान में संशोधन कर रही है।

पश्चिम रेलवे में रेल यात्री परामर्श समितियों का गठन

[हिन्दी]

3523. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में रेल यात्री परामर्श समितियों को गठित न करने के क्या कारण

हैं तथा उन व्यक्तियों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्हें इन समितियों में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गयी है,

(ख) पश्चिम रेलवे में किन-किन मंडलों में परामर्श समितियां गठित की गयी हैं तथा शेष मंडलों में इन समितियों को कब तक गठित कर दिया जायेगा, और

(ग) इन समितियों से किन-किन विषयों पर सलाह मांगी गयी है तथा समितियों के निर्णय का पालन करने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) पश्चिम रेलवे पर सभी आठों मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का गठन पहले ही किया जा चुका है और वे कार्य कर रही हैं। उनका कार्यकाल 31.12.1985 तक है। इस रेलवे पर क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है।

(ग) इन समितियों से जिन मामलों में सलाह ली जाती है उनमें मुख्यतः रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, नये स्टेशन खोलने से संबंधित प्रस्ताव, समय सारणियों से संबंधित व्यवस्था तथा रेलों द्वारा प्रदान की गयी अन्य सेवाओं और सुविधाओं में सुधार जैसे विषय शामिल हैं।

इन समितियों की बैठकों में स्वीकार किये गये प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जाते हैं जो उनकी व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तों पर की गयी कार्रवाई से सदस्यों को भी अवगत कराया जाता है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा भर्ती

[अनुवाद]

श्री ललित माकन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कोई भर्ती नहीं हुई है, जबकि तब से अधिकारियों की संख्या दुगुनी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके परिणामस्वरूप विद्युत की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ठेका पद्धति को समाप्त करने का है, जो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में बिल्कुल शुरू से प्रचलित है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का कुछ विद्युत कार्य ठेकेदारों से कराने की प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गर्भ निरोधकों का उत्पादन

3525. **श्री शांता राम पोत पूछे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गर्भ निरोधकों का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) हमारे लोगों में परिवार नियोजन के लिए सबसे लोकप्रिय तरीका क्या है;

(ग) क्या परिवार नियोजन उपकरण प्राप्त करने के लिए अन्य देशों से कोई सहायता प्राप्त हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान देश में कुल 6020 लाख नग निरोध तथा खाई जाने वाली गोलियों के 24.36 लाख चक्र का उत्पादन हुआ बताया गया है। किसी खास तरीके का उपयोग विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है जिनमें आयु, बच्चों की संख्या, दम्पती की व्यक्तिगत रुचि आदि शामिल है। वर्ष 1984-85 के दौरान. अर्थात् 31 फरवरी, 1985 तक परिवार नियोजन के उपभोक्ताओं की संख्या इस प्रकार है—29.10 लाख नसबंदी आपरेशन, 17.20 लाख आई. यू. डी. निवेशन, 69.50 लाख प्रचलित गर्भ निरोधकों तथा 5. 0 समीकृत खाई जाने वाली गोलियों के उपयोग-कर्त्ता.

(ग) और (घ) कापर टी की हमारी सारी जरूरतें यू. एन. एफ. पी. ए. के माध्यम से तथा कभी कभी सामग्री सहायता के रूप में यू. एस. एड. के माध्यम से आयात की जाती है। इसी प्रकार खाई जाने वाली गोलियों के लिए कच्चा माल यू. एन. एफ. पी. ए. के माध्यम से आयात किया जाता है।

चित्तौड़गढ के लिए ताप बिजलीघर

[हिन्दी]

3526. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बिजली की कमी को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार वहां ताप-बिजलीघर की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्य शुरू हो जायेगा तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) चित्तौड़गढ़ में केन्द्रीय क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जमशेदपुर और खड़गपुर होकर मुजफ्फरपुर और मद्रास के बीच एक गाड़ी चलाना

[अनुवाद]

3527. **श्री ललितेश्वर शाही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय मुजफ्फरपुर, बरौनी और जमशेदपुर के बीच प्रतिदिन एक सीधी गाड़ी चलाने की आवश्यकता पर विचार कर रहा है; और

(ख) क्या जमशेदपुर-खड़गपुर होकर मुजफ्फरपुर से मद्रास के बीच एक गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) 91/92 मुजफ्फरपुर टाटानगर एक्सप्रेस पहले से ही प्रतिदिन चलाई जा रही है।

(ख) जी नहीं

ईरान सरकार द्वारा भारतीय डाक्टरों हेतु अनुरोध

3528. **श्री चित्त महाता** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान और ईराक के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों के प्रभाव से पीड़ित अपने सैनिकों और नागरिकों की चिकित्सा हेतु ईरान सरकार ने भारतीय डाक्टरों की सेवाओं के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है और इस पर इराक सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) रसायनिक हथियारों के प्रभाव से पीड़ित अपने सैनिकों और नागरिकों की चिकित्सा हेतु डाक्टरों की प्रतिनियुक्ति के लिए ईरान सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गढ़ी हरसारू और पटौदी रोड के बीच दुहरी लाइन

3529. **श्री लाला राम केन** : क्या रेल मंत्री गढ़ी हरसारू और पटौदी रोड के बीच दुहरी लाइन के बारे में 15 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3051 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त रेल लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) वर्तमान प्रगति 7.51 प्रतिशत है । मार्च 1985 तक किया गया खर्च 83 लाख रुपए है ।

(ख) इस कार्य का पूरा होना आगामी वर्षों में धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

डीजल इंजनों का निर्यात

3530. **डा. चिन्ता मोहन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल इंजनों का अन्य देशों में निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गये उक्त निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक डीजल इन्जिन में आयातित हिस्से—पुर्जों का मूल्य क्या है और उनका कुल निर्यात मूल्य क्या है; और

(घ) क्या इनका निर्यात, देश में इनकी सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के बाद किया जा रहा है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वियतनाम को मीटर लाइन के 15 डीजल रेल इंजनों का निर्यात किया गया है ।

(ग) वियतनाम को निर्यात किए गए प्रति डीजल रेल इंजन में आयातित पुर्जों का मूल्य 7.5 लाख रुपए है। प्रत्येक रेल इंजन का कुल निर्यात मूल्य 80 लाख रुपए है।

(घ) जी हां

बुकिंग क्लर्कों की आगे पदोन्नति के अवसरों का अभाव

[हिन्दी]

3531. **श्री विलास मुतेमवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तरी रेलवे डिवीजन दिल्ली में बुकिंग क्लर्कों को अपने पद पर लगभग 20 वर्ष कार्य करने के बाद भी आगे पदोन्नति के अवसरों का अभाव होने के बारे में, दिनांक 9 मार्च, 1985 के "जनसत्ता" में "प्रोमोशन नहीं मिला-क्लर्कों का दुखड़ा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या प्रत्येक डिवीजन में पदोन्नति सम्बन्धी नियम अलग-अलग हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री किसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि जिन बुकिंग क्लर्कों की सेवा 20 साल की हो गई है, को पदोन्नति नहीं दी गई है। दिसम्बर, 1983 में अन्य संवर्गों के साथ-साथ वाणिज्य संवर्ग की पुनसंरचना करने के फलस्वरूप दिल्ली मण्डल के सभी बुकिंग क्लर्क जिनकी 260-430 रुपये के वेतनमान में नियुक्ति की तिथि 2.1.1976 या उससे पहले है, को उपयुक्त पाए जाने पर 330-560 रुपये के वेतनमान वरिष्ठ बुकिंग क्लर्कों के रूप में पदोन्नति कर दिया गया है। इसी प्रकार वरिष्ठ बुकिंग क्लर्कों को, जो 330-560 रुपये के वेतनमान में 28.9.1967 या उससे पहले नियुक्त किए गए थे, को उपयुक्त पाए जाने पर 425-640 रुपये के वेतनमान में पदोन्नति कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपर प्रवरा सिंचाई परियोजना

[अनुवाद]

3532. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र जिले में स्थित अपर प्रवरा सिंचाई परियोजना स्वीकृत हो गई है, परन्तु अभी तक इस परियोजना का काम आरम्भ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और कितनी केन्द्रीय सहायता मिली है; और

(ग) उक्त कार्य के आरम्भ होने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री वी. शंकरानंद) : (क) से (ग) अपर प्रवरा सिंचाई

परियोजना को योजना आयोग ने 1977 में स्वीकृति प्रदान की थी। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण वास्तविक बांध पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। तथापि, कुछ विस्तारों में राज्य की रोजगार गारन्टी स्कीम के माध्यम से नहर-कार्य प्रगति पर है। अपेक्षित भूमि प्राप्त हो जाते ही बांध पर कार्य आरम्भ हो जाएगा।

(घ) इस परियोजना पर मार्च, 1985 तक लगभग 4 करोड़ रुपये व्यय हो जाने का अनुमान है। राज्य सरकार ने राज्य सरकार की सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 1985-90 की अवधि के लिए योजनागत निधियों से 1 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है। वर्ष 1985-86 के लिए 20 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को योजनागत सहायता अनाक अनुदानों/ऋणों के रूप में दी जाती है तथा वह क्रियाकलाप के किसी सेक्टर या किसी परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती।

बड़ी सदरी से नीमच तक रेल लाइन

[हिन्दी]

3533. **श्री बालकवि बैरागी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने बड़ी सदरी को रेल लाइन द्वारा नीमच से जोड़ने के अपने निर्माण के अनुसार इस रेल लाइन का सर्वेक्षण करा लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या सरकार का विचार अभी भी इस मार्ग को रेल लाइन द्वारा जोड़ने का है; और

(ग) उक्त दोनों स्थानों के बीच कितने किलोमीटर दूरी है और इस समय उस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और कौन सी लाइन बिछाई जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) बड़ी सदरी-नीमच रेल सम्पर्क के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, न हो इसके लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है।

(ग) सुझाई गई लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

मानसिक अस्वस्थता का वैज्ञानिक अध्ययन

[अनुवाद]

3534. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक अस्वस्थता के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इन्टर-नेशनल एसोसिएशन फौर द सांइटिफिक स्टर्डीज आफ मेंटल डेफिसेंसी) का सातवां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई चर्चा और उसके निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत में मंदबुद्धि व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां। यह सम्मेलन 24 से 28 मार्च, 1985 तक नई दिल्ली में हुआ था। इस कांग्रेस का विषय मानसिक

मन्दता में ज्ञान की प्रगति था। इसमें जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उनमें मानसिक समस्याओं के विभिन्न पहलू जैसे निदान, प्रबन्ध, विशेष शिक्षा और पुनःस्थापन भी शामिल थे, विचार विमर्श हुआ। कांग्रेस का विचार था कि इस विषय पर शुरू में ही निदान और प्रारम्भ में ही इलाज की आवश्यकता है।

(ग) इस बात के कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं लेकिन इस क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि मानसिक मन्दता की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

गुजरात के लिए नसबन्दी आपरेशन के लक्ष्य/उपलब्धि और 1985 के लिए निर्धारित लक्ष्य

3535. **श्री आर. पी. गायकवाड** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के लिए वर्ष 1985 हेतु नसबन्दी आपरेशन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) वर्ष 1985 के पहले तीन महीनों में कितने नसबन्दी आपरेशन किये जा चुके हैं;

(ग) क्या वर्ष 1984 और 1985 के पहले तीन महीनों के दौरान किए गए नसबन्दी आपरेशनों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि गुजरात राज्य 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता और उक्त काम में वह पिछड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) गुजरात के लिए वर्ष 1984-85 हेतु तीन लाख नसबन्दी आपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस वर्ष के दौरान लगभग 2.56 लाख नसबन्दी आपरेशन किए गए। इनमें से लगभग 1.14 लाख आपरेशन जनवरी-मार्च, 1985 के दौरान किए गए। लक्ष्यों की उपलब्धि अनेक कारणों पर निर्भर करती है इस कार्यक्रम कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। ये उपाय केवल गर्भनिरोधकों की मांग को बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक परिवार नियोजन की सेवाएं और सामग्री पहुंचाने के लिए भी किए गए हैं।

आन्ध्र प्रदेश की वंशधारा परियोजना

3536. **श्री अप्पाया डोरा हनुमन्तु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले की वंशधारा परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि आवन्टित की गई है और वास्तव में कितनी धनराशि अभी तक जारी की है और इसके मूल तथा वर्तमान लागत अनुमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजना से कुल कितना क्षेत्र सिंचित होगा और इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या इस परियोजना में कुल क्षमता का पूरा उपयोग होगा और उक्त नदी से कितने पानी की सप्लाई उपलब्ध रहेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) केन्द्र राज्यों को ऋण/अनुदान उपलब्ध कराता है तथा यह विकास के किसी सेक्टर अथवा परियोजना विशेष से जुड़े नहीं होते हैं।

आंध्र प्रदेश ने वंसधारा परियोजना को दो चरणों में शुरू किया है। परियोजना का चरण एक 8.77 करोड़ रुपये की लागत से 1972 में अनुमोदित किया गया था तथा इसकी संशोधित लागत अब 51.15 करोड़ रुपये बताई गई है। मार्च, 1985 के अन्त तक, चरण-एक परियोजना पर 31.18 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की प्रत्याशा है। आंध्र प्रदेश ने 154.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वंसधारा परियोजना के चरण-दो की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मई, 1983 में भेजी थी। मार्च 1985 के अन्त तक चरण-दो परियोजना पर 2.65 करोड़ रुपये व्यय होने की प्रत्याशा है।

(ख) वंसधारा चरण-एक परियोजना से 20.4 हजार हैक्टेयर नई सिंचाई क्षमता होगी तथा 39.85 हजार हैक्टेयर विद्यमान क्षेत्रों के लिए स्थिरी करण की व्यवस्था करेगा। वंसधारा चरण-दो परियोजना में 43.41 हजार हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन की परिकल्पना है। परियोजना के चरण-एक तथा दो के आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार के साथ आस्त्रावन के पहलुओं का हल निकालने के पश्चात् आठवीं योजना में पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) वंसधारा नदी जल का 50 प्रतिशत हिस्सा उड़ीसा के साथ हुए करार के अनुसार आंध्र प्रदेश को आबंटित किया जा चुका है तथा वंसधारा परियोजना के चरण-एक तथा दो द्वारा उसके पूरा उपयोग करने का प्रस्ताव है।

इटावा के लिए गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

[हिन्दी]

3537. **श्री निर्मल खत्री** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र की लागत कितनी होगी और उक्त संयंत्र के पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) उपरोक्त संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली की उत्पादन लागत क्या होगी और क्या इस प्रकार उत्पादित बिजली की लागत ताप विद्युत संयंत्रों और जल विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की लागत से कम होगी अथवा अधिक; और

(घ) सरकार का विचार देश में किन-किन स्थानों पर इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) सरकार ने हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के सरेखण के साथ-साथ सवास, सवाई माधोपुर और ओरिया में संयुक्त साइकिल प्रौद्योगिकी के साथ कैप्टीव क्षेत्र में कुल 1500 मेगावाट क्षमता के गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय किया है। परियोजनाओं और

विद्युत उत्पादन आदि की लागतों के बारे में जानकारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने पर ही पता लगेगी।

बंगलौर-मैसूर रेल लाइन की बड़ी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

3538. **श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-मैसूर रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी; और

(ख) उक्त रेल लाइन के परिवर्तित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री बंशी लाल) : (क) बेंगलूरु-मैसूर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम 1979-80 में अनुमोदित किया गया था।

(ख) वर्तमान प्रगति 20 प्रतिशत है।

मेनिनजाइटिस के लक्षण और उसे रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां

3539. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैनिनजाइटिस रोग के क्या लक्षण हैं; और

(ख) सामान्य व्यक्ति द्वारा इस संबंध में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री यीगेन्द्र मकवाना) : (क) इस रोग के नैदानिक लक्षण हैं एक दम तेज बुखार, अत्यधिक सिरदर्द मितली और प्राय: उल्टी आना, गरदन में अकड़न, रोशनी से डरना और मांस पेशियों पर प्राय: गुलाबी अथवा लाल रंग के दाने निकल आना। कभी-कभी स्फूर्जक (फ्लमीनेटिंग) मामलों में रोग के प्रारंभ में ही अचानक अवसन्नता होने और सदम लगने के लक्षण दिखाई देते हैं।

(ख) रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाए किए जा सकते हैं :—

(i) रिहायशी मकानों, सार्वजनिक परिवहनों, कार्य स्थलों आदि में अधिक भीड़-भाड़ न होने देना।

(ii) जिन व्यक्तियों को अधिक भीड़-भाड़ के कारण इस रोग के लग जाने का विशेष रूप से खतरा होता है उनके रहने और सोने के मकानों में उचित हवा और रोशनी की व्यवस्था करना।

(iii) रोगियों को अलग रखना और रोगी के नाक अथवा गले से निकलने वाले पदार्थों के संपर्क में न आना।

(iv) रक्षायनिक दवाइयों से समय पर बचाव और उपचार के उपाय करना।

(v) मेनिनजाइटिस होने की आशंका वाले रोगी के बारे में तत्काल स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए और चिकित्सा सलाह ली जानी चाहिए।

केरल मेंरेल लाइनों का सर्वेक्षण

3540. **प्रो. जे. कुरियन :**

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल :

श्री टी. बशीर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में सर्वेक्षणाधीन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोचीन-मदुरै औरतरूची-पट्टानाथिट्टा पुनालूर रेल लाइनों के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) केरल राज्य में निम्नलिखित के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं :—

(1) कोचिन से बोदिलायक्कनूर तक एक नई बड़ी लाइन तथा बोदिलायक्कनूर से मदुरै तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन करके इसका विस्तार।

(2) कोल्लम के रास्ते चेंगन्नूर से त्रिवेन्द्रम तक दौहरी लाइन के विकल्प के रूप में कोट्टारकरा के रास्ते त्रिवेन्द्रम से चेंगन्नूर कायामकूलम तक नई लाइन।

(ख) कोचिन-मदुरै और तिरूवल्ला (तिरूची नहीं)-पट्टानातिट्टा-पुनालूर रेल लाइनों के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) कोचिन-मदुरै खण्ड के लिए एक सर्वेक्षण प्रगति पर है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कम लागत के स्कूल-भवनों की सिफारिश किया जाना

3541. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा दिल्ली में हाल में आयोजित विचार गोष्ठी में कम लागत के स्कूल-भवनों की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) रा. शै. अनु. प्र. परिषद् द्वारा 23 मार्च, 1985 को आयोजित "स्कूल संरचना से संबंधित शैक्षिक आवश्यकताएं और प्रवृत्तियां" संबंधी एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की बैठक में, राष्ट्रीय दल द्वारा विचार किए जाने वाले प्रस्तावों में कम कीमत के स्कूल भवनों का निर्माण का भी एक प्रस्ताव था। तथापि, कोई भी ठोस सिफारिश सामने नहीं आई।

उच्च वोल्टता ट्रांसमीशन के विकास विकसित करने की योजना

3542. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक दक्षता के साथ बिजली का वितरण करने के लिए 400 किलोवाट तथा अन्य उच्च वोल्टता की पारेषण प्रणालियों का विकास करने की योजनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी विदेशी सहायता का उपयोग किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे पारेषण हानियों में कितनी बचत होने की संभावना है तथा परियोजनाओं की लागत लाभ विश्लेषण क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) जी, हां। 400 के. वी. पारेषण प्रणालियां पहले से ही निर्माणाधीन हैं तथा देश में पहली बार उच्च वोल्टता डाइरेक्टर करंट प्रद्योगिकी लागु की जा रही है। विन्ध्याचल और सिंगरौली के बीच उच्च वोल्टता डाइरेक्ट करंट बैक-टु-बैक लिंक स्वीडन की सहायता से चालू की जा रही है। उच्च वोल्टता पर विद्युत के पारेषण में कम हानियां होती हैं जो पारेषण की दूरी तथा अन्य डिजाइन पैरामीटरों पर भी निर्भर करती हैं।

नेपाल में कमला नदी पर बने बांध का प्रभाव

[हिन्दी]

3543. **श्री अब्दुल हन्नान्न अंसारी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल ने कमला नदी पर, जो नेपाल से होकर बिहार में मधुबनी जिले तक बहती है, बिरचिया में बांध का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्षाकाल के दौरान इस बांध के सभी फाटक खोल दिए जाते हैं और उसके बाद बन्द कर दिये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उस नदी में पानी बिल्कुल नही बहता और इससे सिंचाई परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) (क) से (ग) नेपाल की महामहिम सरकार ने बिहार में जयानगर बराज के प्रतिप्रवाह में अपने क्षेत्र में कमला नदी पर एक बराज का निर्माण किया है जिसके परिणामस्वरूप बिहार में जयानगर बराज से वर्तमान सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता अत्यधिक कम हो गई है। इस बराज से भारत में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके बारे में नेपाल की महामहिम सरकार को अवगत करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नेपाल की महामहिम सरकार को दोनों देशों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने लिए प्रतिप्रवाह जल-भंडारण बाँध की संभावनाओं पर विचार करने के लिए भी सुझाव दिया गया है।

सियालदह मण्डल की उपनगरीय रेल लाइन को दमदम से परिक्रमा रेल लाईन से जोड़ना

[अनुवाद]

3544. **श्री आशुतोष लाहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम रेलवे की सियालदाह मंडल की उपनगरीय रेल लाइन को सीधे दमदम से परिक्रमा रेल लाइन से जोड़ने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) जी हां।

(ख) दमदम स्टेशन पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल की उपनगरीय रेलवे और प्रस्तावित कलकत्ता सर्कुलर रेलवे का एक साझा स्टेशन है, इसलिए वह दोनों प्रणालियों को मिला देगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटा नागपुर के लिए ताप बिजली संयंत्र

3545. **श्री रामरतन राम :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में जहां अन्य स्थानों, जहां ऐसे संयंत्र लगाये गये हैं, की अपेक्षा कोयला, पानी और श्रमिक सस्ते दाम पर बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, ताप बिजली संयंत्र लागाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली में वृद्धि से संबंधित योजना के अन्तर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र में एक ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने का है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) (क) इस समय पतरातु (यूनिट नं. 10, 110 मेगावाट), तथा तेनुघाट (2×210 मेगावाट) तापरियोजनाएं छोटा नगपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा दामोदर घाटी निगम की बोकारो "बी" (3×210 मेगावाट) परियोजना भी स्थापित की जा रही है।

(ख) कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (चरण-I, 4×210 मेगावाट) को बिहार में केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इससे छोटा नागपुर क्षेत्र को भी बिजली प्राप्त होगी।

कलिंग एक्सप्रेस में टू-टायर वातानुकूलित यात्री डिब्बे जोड़ना

3546. **कुमारी पुष्पा देवी :**

श्री सोमनाथ रथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरत निजामुद्दीन-पुरी को जाने वाली कलिंग एक्सप्रेस रेलगाड़ी में वातानुकूलित टू-टायर यात्री डिब्बे नहीं लगाये जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उड़ीसा जाने वाली उक्त रेल गाड़ी में कुछ वातानुकूलित टू-टायर यात्री डिब्बे जोड़ने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो इनकी व्यवस्था कब कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) से (ग) 143/144 हजरत निजामुद्दीन -पुरी कलिंग एक्सप्रेस गाड़ियों में एक वातानुकूल 2 टीयर शयनयान पहले से ही चलाया जाता है।

अर्हता प्राप्त डाक्टरों का विदेशों को प्रवर्धन

3547. **डा. जी. विजयराम राव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्हता प्राप्त डाक्टर नौकरियों की कमी के कारण विदेशों को

प्रवर्जन कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके गत तीन वर्षों के राज्यवार और वर्ष-वार क्या आंकड़े हैं; और

(ख) क्या सरकार का अत्यन्त प्रशिक्षित डाक्टरों को प्रोत्साहन देकर विशेष रूप से अनुकूल कार्य स्थितियां प्रदान करके उपेक्षित लोगों खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने के उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चिकित्सा कार्मिकों का माइग्रेशन एक जटिल समस्या है जिसके विभिन्न कारण हैं। चूंकि भारतीय डाक्टर विदेश में रोजगार के लिये विभिन्न स्रोतों से जाते हैं जिनमें राज्यों अथवा निजी क्षेत्र में काम कर रहे डाक्टर भी शामिल हैं, इसलिए विदेश में काम कर रहे ऐसे भारतीय डाक्टरों की संख्या भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) अर्हता प्राप्त डाक्टरों को इस बात के लिए प्रोत्साहन देने के अनेक उपाय किए गये हैं कि वे देश में ही रह कर अपने लिए साधन जुटायें। उनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

चिकित्सा स्नातकों की उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उनके विदेश जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है वशर्ते कि ऐसी प्रशिक्षण सुविधाए देश में उपलब्ध हों। जिन श्रेणिओं के डाक्टरों की कमी है उन्हें विदेश में नौकरी के लिए नहीं भेजा जाता है। विशिष्ट अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को संघ/राज्य लोक सेवा आयोगों की सिफारिशों पर अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा डाक्टरों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले डाक्टरों की सेवा-स्थितियों में आवश्यक सुधार किए गये हैं। ग्रामीण इलाकों में डाक्टरों को काम करने के लिए अधिक संख्या में आकर्षित करने हेतु चिकित्सा शिक्षा के लोगों की जरुरतों को अनुकूल बनाने की एक योजना चलाई गई है जिसमें स्वास्थ्य परिचर्या के रोग निवारक, स्वास्थ्य संवर्धक, उपचारी और पुनः स्थापनात्मक पहलुओं पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा ऐसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं आयोजित करने के प्रबन्ध किए गए हैं जो विदेशी अर्हताओं जैसे एफ. आर. सी. एस., एम. आर.सी.पी. आदि के समान हैं।

सरकारी कर्मचारियों को परिवार नियोजन का आपरेशन कराने पर लाभ

3548. **श्री बी. के. गढ़वी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारिओं को वेतन वृद्धि आदि जैसे वित्तीय लाभ दिए जाते हैं;

(ख) यह लाभ कितने बच्चों तक दिया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि एक बच्चा वाले सरकारी कर्मचारी को परिवार नियोजन आपरेशन कराने पर यह लाभ नहीं दिया जाता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं। और

(घ) क्या सरकार का विचार एक बच्चे वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा परिवार नियोजन का आपरेशन कराने पर वित्तीय लाभ देने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (घ) : केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी दो या तीन बच्चों के बाद नसबन्दी आपरेशन करा लेते हैं वे एक विशेष वेतन-

वृद्धि, जिसे आगामी वेतन-वृद्धि में समावेश नहीं किया जाता; गृह निर्माण पेशगी पर 1/2 प्रतिशत ब्याज की छूट तथा विशेष आकस्मिक अवकाश पाने के पात्र हैं बशर्ते वे संबंधित सरकारी आदेशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। केवल एक बच्चे के बाद नसबन्दी आपरेशन करवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को ये प्रोत्साहन नहीं दिये जाते। वैसे जो व्यक्ति दो से कम बच्चों के बाद नसबन्दी आपरेशन करवा लेते हैं उन्हें ये प्रोत्साहन दिये जाने के विषय पर विचार किया जा रहा है।

वामनपुरम सिंचाई परियोजना

3549. **श्री टी. बशीर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में वामनपुरम सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) परियोजना शुरू किए जाने से अब तक वर्षवार खर्च हुई धनराशि का क्या ब्यौरा है; और

(ग) कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और परियोजना कब पूरी हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) परियोजना की अनुमानित लागत 37.12 करोड़ रूपए है।

(ख) यह परियोजना क्रियान्वयन के लिए 1979 में हाथ में ली गई थी। व्यय के ब्यौरे निम्नवत् हैं :—

अवधि	राशि
31.3.1980 तक	11.54 लाख रुपये
1980-83	31.12 लाख रुपये
1983-84	19.00 लाख रुपये
1984-85 (प्रत्याशित)	10.00 लाख रुपये
	71.66 लाख रुपये

(ग) परियोजना क्रियान्वयन की प्रारम्भिक अवस्था में है तथा इसके सातवीं योजना (1985-90) के अन्त तक अधिकांशत: पूरा हो जाने की संभावना है।

असम मेल को बरौनी और गोहाटी के बीच बड़ी लाइन पर चलाया जाना

3550. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम मेल को नई दिल्ली से बरौनी तक बड़ी लाइन पर चलाया जाता है और वहां से गोहाटी तक इसे मीटर-गेज लाइन पर चलाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी को नई दिल्ली से बरौनी होकर गोहाटी तक बड़ी लाइन पर न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) सवारी डिब्बों, डीजल रेल इन्जनों जैसे संसाधनों और गुवाहटी में अनुरक्षण सुविधाओं की कमी के कारण फिलहाल इस गाड़ी को गुवाहटी तक बढ़ाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

मद्रास और बम्बई के लिए मेट्रो रेलें

3551. **श्री ई. एस. एम. पकीर मोहम्मद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास बम्बई और मद्रास में भी मैट्रो रेल प्रणाली लागू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कलकत्ता की मैट्रो रेल प्रणाली में सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) मेट्रो रेलवे प्रणालियों में अत्यधिक लागत आती है इसलिए धरातली अथवा उत्थापित निर्माण सभव न होने पर ही इस प्रणाली के बारे में विचार किया जाता है।

(ग) जी हां।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी एसोसिएशनों को मान्यता

3552. **श्री जायनल आबेदिन** : शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की चार एसोसिएशनें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी चारों एसोसिएशनों को 6 जनवरी, 1982 को वास्तविक मान्यता प्रदान की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आयुक्त और उपायुक्त ने 30 अगस्त, 1984 को संवाददाताओं को यह बताया था कि इन चारों एसोसिएशनों में से कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के विभिन्न दलों द्वारा इस समय छः संघ बनाए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) 30 अगस्त, 1984 को हुए प्रैस-सम्मेलन में पूछे गये प्रश्न के जवाब में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त ने यह बताया कि बार-बार सलाह देने के बावजूद, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघों ने यथा अपेक्षित नियमों के अन्तर्गत विधितः मान्यता के लिए पूरे दस्तावेजों के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किए

आरा-सासाराम रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

3553. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्षों पहले आरा-सासाराम रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी सर्वेक्षण कार्य भी पूरा किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय को कार्यान्विन करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) भूतपूर्व आरा-सासाराम छोटी लाइन 1978 में बन्द कर दी गई थी। आरा से सासाराम तक (98 किलोमीटर) एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस पर 26 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान लगाया गया था और इसे वित्तक्षम नहीं पाया गया था। संसाधनों की भारी कमी के कारण यह परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा घटिया औषधियों का उत्पादन

[अनुवाद]

3554. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों द्वारा घटिया औषधियों के उत्पादन के कुछ मामले सामने आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत औषधियों के निर्माण तथा बिक्री पर नियंत्रण मुख्यतया राज्य औषध प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है।

सूचना राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है।

बिजली की उत्पादन लागत

3555. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ताप विद्युत के प्रति मेगावाट उत्पादन की निवेश लागत में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या सरकार के सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की प्रति यूनिट संभावित लागत का कोई अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो बिजली की उत्पादन लागत में वृद्धि का सामान्य अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू): (क) और (ख) 1979-80 के दौरान

अांशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से चालू की गई ताप विद्युत परियोजनाओं की औसत लागत अनुमानतः 38 लाख रुपये प्रति मेगावाट थी, जबकि इसकी तुलना में 1983-84 में यह 61 लाख रुपये प्रति मेगावाट है।

(ग) सातवीं योजना के अंत तक जिन परियोजनाओं से लाभ प्राप्त होने की संभावना है उनके संबंध में वर्तमान कीमतों के संदर्भ में कोयले पर आधारित ताप विद्युत की उत्पादन लागत 40 से 62 पैसे प्रति यूनिट के बीच रहने की संभावना है।

(घ) विद्युत की लागत अनेक कारणों में से एक है जिससे सामान्य अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। केवल विद्युत की लागत में वृद्धि के कारण पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना व्यवहार्य नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विभाग, मद्रास में "घ", "ग", "ख" तथा "क" वर्ग के रिक्त पदों को भरना

3556. **श्री एम. महालिंगम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विभाग, मद्रास में "घ" "ग", "ख" तथा "क" वर्ग के लिए कितने पद सीधी भर्ती द्वारा भेजे जा रहे हैं;

(ख) उत्तर विभाग में "घ", "ग", "ख" तथा "क" वर्ग में विभागीय उम्मींदवारों की पदोन्नति करके कितने पद भरे जा रहे हैं;

(ग) वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में पदोन्नति करने के लिए भर्ती नियमों में क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(घ) मद्रास स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विभाग को स्थापना के समय से ही कितने विभागीय उम्मीदवारों को "घ" वर्ग से "ग" वर्ग में पदोन्नत किया गया है और "घ" वर्ग के कितने विभागीय कर्मचारियों को "ग" वर्ग के संवर्ग में पदोन्नत नहीं किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) में उल्लिखित संख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1984-85 के दौरान सामान/प्रेषित खेपों के क्षतिग्रस्त होने/गुम होने के लिए दिया गया मुआवजा

3557. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने 1984-85 के दौरान रेलवे द्वारा बुक किए गए सामान/प्रेषित खेपों के क्षतिग्रस्त होने/गुम होने के दावों के लिए कोई भुगतान किया है;

यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक जोन में इस प्रयोजन हेतु मुआवजे की कितनी धनराशि का दावा किया गया; और

(ग) रेल प्रशासन द्वारा इस बारे में कुल कितना मुआवजा दिया गया और कुल कितने रुपये मूल्य के प्रेषित माल के दावों का भुगतान किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्येक जोन में दावा की गयी क्षतिपूर्ति की राशि और भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परेषणों, जिनके संबंध में दावों का भुगतान किया गया है, के मूल्य संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

रेलवे	हानि/क्षति के कारण 1984-85 में दावा की गयी राशि (लाख रुपयों में)	हानि/क्षति के कारण 1984-85 में भुगतान की गई राशि (लाख रुपयों में)
मध्य (फरवरी 1985 तक)	4,381.00	193.95
पूर्व (दिसम्बर "84 तक)	(आंकड़े नहीं रखे गये)	383.42
उत्तर (दिसम्बर "84 तक)	6.487.09	409.15
पूर्वोत्तर (फरवरी "85 तक)	(आंकड़े नहीं रखे गये)	44.40
पूर्वोत्तर सीमा (दिसम्बर "84 तक)	6,247.47	73.94
दक्षिण (दिसम्बर "84 तक)	4.397.88	204.03
दक्षिण मध्य (दिसम्बर "84 तक)	269.68	37.69
दक्षिण पूर्व (दिसम्बर "84 तक)	(आंकड़े नहीं रखे गये)	266.72
पश्चिम (दिसम्बर "84 तक)	4,607.00	667.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गोआ, दमन और दीव, पाण्डिचेरी और अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी किए गए नए विश्वविद्यालय

3558. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार ने संघ शासित क्षेत्रों तथा गोआ, दमन और द्वीव, पाण्डिचेरी और अरुणाचल प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय किस किस्म के होंगे और उनको खोलने और

मंजूरी के सम्बन्ध में हुई अद्यतन प्रगति का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त विश्वविद्यालयों को किस तारीख में काम शुरू करने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रत्येक विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा और किस तारीख तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गोआ और अरुणाचल प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संस्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों का पहले से ही अनुमोदन कर दिया गया है। संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत पांडिचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में एक विश्वविद्यालय खोला जाना है जिसके लिए संसद में अभी विधान पेश किया जाना है। गोवा और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों के लिए विधानों को इन संघ शासित क्षेत्रों के विधान मंडलों द्वारा पारित कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1 अप्रैल, 1985 से लागू कर दिया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, गोवा विश्वविद्यालय अधिनियम भी लागू हो गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्यमवर्गीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करना

3559. **श्री एन. डेनिस** :

श्री सी. भूपति : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि महानगरों में विशेष रूप से दिल्ली के कुछ गैर-सरकारी नर्सिंग होमों में अत्यधिक शुल्क लिया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार मध्यवर्ग के लोगों को कम कीमत पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने और इस प्रयोजन के लिए प्राइवेट तौर पर प्रेक्टिस करने वाले डाक्टरों को हिस्सेदारी के आधार पर भुगतान की शर्तों पर तैनात करने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) प्राइवेट परिचर्या गृहों को सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत करना जरूरी है बशर्ते वे नियमों के अन्तर्गत निर्धारित नीतिक एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की अपेक्षाओं को पूरा करते हों। ऐसे प्राइवेट परिचर्या गृहों के खर्च के विनियमन की कोई व्यवस्था नहीं है।

सरकार उन सभी आम लोगों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कर रही है जो इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत इन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए इनकी सतत् समीक्षा की जाती है।

प्रौढ़ शिक्षा और निरक्षरता विरोधी अभियान

3560. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि अल्प संख्यक वर्गों की महिलाओं, हरिजनों और जनजातियों में चलाए जा रहे प्रौढ़ शिक्षा और निरक्षरता विरोधी अभियान ने अभी कोई गति नहीं पकड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दिसम्बर 1984 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 52.23% महिलाएं शामिल की गयी थी। अनु. जा. तथा अनु. ज. जा. समुदायों को सितम्बर, 1984 तक क्रमशः 29.4 प्रतिशत तथा 15.8 प्रतिशत किया गया जिसमें से 48.1 प्रतिशत तथा 37.4 प्रतिशत क्रमशः अनु. जा. तथा अनु. ज. जा. की महिलाएं शामिल थी।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है :—

(i) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं,अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों जैसे लक्ष्यबद्ध वर्गों को शामिल करने के लिए विशेष बल दिया जाए;

(ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कम से कम 50 प्रतिशत नौसीखिए महिलाएं हों;

(iii) विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिये साक्षरता केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक सगठनों को प्रोत्साहित करना; सहायता अनुदान नियमों में ढील दी गई है ताकि उन्हें कम से कम पांच केन्द्र चलाने की अनुमति दी जाए।

(iv) ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों, जिनकी साक्षरता दर सामान्य रूप से राष्ट्रीय औसत से तथा विशेष रूप से महिला प्रौढ़ साक्षरता दर कम है, में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए प्राथमिकता दी जाती है, और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना, और

(v) एक प्रेरणा योजना आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत प्रौढ़ साक्षरता में महिलाओं के उत्कृष्ट निष्पादन के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय स्तर के पुरस्कार, जिला स्तरीय पुरस्कार तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाते है।

पन बिजली संयंत्रों के लिये स्वीडन द्वारा सहायता

3561. श्री एन. डेनिस : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पन बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वीडन सरकार ने प्रौद्योगिकी संबंधी परामर्श तथा आदानों की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो यदि इस संबंध में यदि कोई समझौता किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना के अन्वेषण के लिए विशेष प्रकार के उपस्करों का आयात करने तथा परामर्शी सेवाओं के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि. तथा स्वीडन की मैसर्स स्वेड पावर के बीच अप्रैल, 1984 में दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस कार्य के लिए स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा 7.65 मिलियन स्वीडिश क्रोनर को सहायता दी जाएगी।

कर्नाटक में बिजली की कमी

3562. श्री बी. बी. देसाई :

श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने 15 सितम्बर, 1984 से अधिक वालटेज वाली बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई में 60 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्णय किया;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कटौती 15 सितम्बर के बाद भी जारी रही;

(ग) यदि हां, तो क्या बिजली की उक्त कटौती से उद्योग और उपभोक्ता दोनों को भारी नुकसान हुआ है; और

(घ) भारत सरकार का विचार काफी समय से राज्य में चली आ रही बिजली की उक्त कमी को दूर करने में मदद करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) कर्नाटक में विद्युत की कमी पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश द्वारा जब इनकी प्रणाली की स्थिति इस प्रकार के विद्युत अंतरण के अनुकूल होती है तो कर्नाटक राज्य को काफी मात्रा में सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त 1985-86 के दौरान कर्नाटक प्रणाली में 310 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर 1077 मेगावाट की नई परियोजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं जिनसे आगामी कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर रूप से लाभ प्राप्त होगा।

नेत्र ज्योति रक्षक औषधियों और उपकरणों का आयात तथा उनके स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि

3563. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्धापन के नियंत्रण के बारे में गठित कृत्यदल ने नेत्र ज्योति रक्षक औषधियों और उपकरणों का उदारता से आयात करने और देशों में प्राथमिकता के आधार पर उनका निर्माण करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इनके आयात को कितना उदार बनाने का सुझाव दिया गया है; और

(ग) देश में नेत्र रोग के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) दृष्टि-हीनता नियंत्रण संबंधी कार्यदल ने सिफारिश की है कि जो दवाइयां भारत में नहीं बनाई जा सकती और आखों की रोशनी बचाने के लिए जरूरी समझी जाती है, उनके आयात पर कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। हाल ही में जब यह महसूस किया कि ग्लूकोमा के नैदानिक उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली "पिलोकार्पाइन आई ड्राप्स" नाक नामक औषधि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक को सुझाव दिया कि "पिलोकार्पाइन आई ड्राप्स" दवाई को आयात नीति के परिशिष्ट-6, सूची-3 (तैयार योगों जीवन रक्षक औषधियां और कैंसररोधी औषधियों की सूची) में शामिल किया जाये उपकरणों का आयात करने के संबंध में संगठनों/संस्थानों से प्राप्त अनुरोधों पर उनके गुनावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और जिस उपकरण को आंखों की रोशनी बचाने के लिए जरूरी समझा जाता है उसके लिए सीमा शुल्क से छूट देने की सिफारिश की जाती है।

(ग) नेत्र रोगों की रोकथाम के लिए सरकार ने 1976 से राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

1. दूर-दराज के माध्यम में गश्ती नेत्र शिविरों के माध्यम से नेत्र परिचर्या सेवायें उपलब्ध कराकर तत्काल राहत प्रदान करना।
2. सामुदायिक/प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र/तालुक/जिला और राज्य स्तर पर नेत्र परिचर्या की स्थायी सुविधायें स्थापित करना। आधारभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं।

गश्ती इकाइयां स्थापित करना।	80
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना।	2000
जिला अस्पतालों को सुदृढ करना।	404
चिकित्सा कालेजों के नेत्र विज्ञान। विभागों का दर्जा बढ़ाना।	60
क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करना।	5
जिला गश्ती इकाइयां स्थापित करना।	30
राज्य क्षेत्र इकाइयां स्थापित करना।	18
नेत्र सहायकों के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोलना।	37

मोतिया बिन्दु आपरेशनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1980-81 में 5.5 लाख आपरेशनों की तुलना में 1983-84 में 10.69 लाख आपरेशन किये गये। इसके अलावा, बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टि-हीनता को रोकने के लिए बच्चों को विटामिन "ए" की खुराक पिलाने की योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है।

संसद सदस्यों से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में ज्ञापन

3564. **श्री सी. अंगा रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में कुछ संसद सदस्यों से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गयी मांगों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) प्रत्येक मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में यह मुख्य मांग की गयी थी कि प्रो. पी. एन. श्री वास्तव को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से हटा दिया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय की कमियों का पता लगाने के लिए विजिटोरियल जाँच आरम्भ की जानी चाहिए।

(ग) उन विशिष्ट मुद्दों जिनके लिए लोक लेखा समिति ने और आगे जाँच की सिफारिश की थी, के संबंध में विश्वविद्यालय ने कलकत्ता के न्यायमूर्ति श्री ए. के. बसु की अध्यक्षता में जांच करने के लिए समिति नियुक्त की है। यह जाँच चल रही है। मई, 1983 से अब तक कुल मिला कर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अबाध रूप से कार्य कर रहा है। अतः सरकार विश्वविद्यालय के कार्यकरण की विजिटोरियल जाँच आरम्भ करना आवश्यक नहीं समझती है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा नए पाठ्यक्रम शुरू किया जाना

3565. **श्री सी. अंगा रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा कौन-कौन से नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं; और

(ख) ये पाठ्यक्रम किन-किन स्कूलों और केन्द्रों में शुरू किए जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1985-86 के शैक्षिक सत्र से निम्नलिखित दो कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है :

(1) संगणक तथा प्रणाली विज्ञान स्कूल में संगणक प्रयोज्य कार्यक्रम का एक 3-वर्षीय मास्टर

(2) एक अन्तर-विषयक कार्यक्रम के रूप में पर्यावरण विज्ञान स्कूल के संकाय और जीवन विज्ञान स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से बायोटेकनोलोजी में एक दो वर्षीय एम. एस. सी. कार्यक्रस ।

पश्चिम बंगाल में घटाल तथा तामलुक उप मंडल में जलावरुद्ध तथा बाढ़ों को रोकना

3566. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में घटाल उपमंडल तथा तामलुक उप-मंडल में जलावरुद्ध तथा बाढ़ों को रोकने हेतु तामलुक तथा घटाल वृहत योजनाओं को सातवीं योजना में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्बन्धित क्षेत्र के किसानों के लिए इन योजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल की सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

बंबई के मध्य और पश्चिम रेलवे में दो मंजिले सवारी डिब्बे लगाने का प्रस्ताव

3567. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की संख्या में हुई भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और चूंकि रेल पटरी के दोनों ओर आवासी इमारत होने के कारण रेल पटरी को चौड़ा करने की गुंजाइश नहीं है, प्रत्येक गाड़ी द्वारा यात्रियों की दुगुनी संख्या ले जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए बम्बई नगर के मध्य और पश्चिम रेलवे में दो मंजिले डिब्बे लगाने का कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो बम्बई नगर में रेल यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) बिजली सवारी डिब्बों वाली गाड़ियों में दुमंजिले डिब्बे लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि बम्बई को सेवित करने वाली कुछ गाड़ियों में सीमित संख्या में दुमंजिले सवारी डिब्बे पहले ही चल रहे हैं ।

(ख) सीमित संसाधनों के भीतर रहते हुए, बम्बई क्षेत्र में मध्य और पश्चिम रेलों पर चल रही बिजली गाड़ियों की संख्या में पिछले एक वर्ष के दौरान वृद्धि की गई है । अधिक नई

गाड़ियां चलाना बिजली गाड़ी डिब्बों की अधिक उपलब्धता पर निर्भर करता है जिनकी इस समय बहुत कमी है।

उप नगरीय रेल यात्रा के लिए सीजन टिकट किराया

3568. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को एक सुझाव दिया गया था कि उप नगरीय रेल यात्रा के लिए सीजन टिकटों के किराया शुल्क के एक भाग का भुगतान सीजन टिकट धारक के नियोक्ता को करना चाहिए और केन्द्र को राज्यों से यह सिफ़ारिश करनी चाहिए कि इस प्रक्रिया को अपनाने हेतु अपने अपने राज्यों के विधान मंडलों में समुचित विधान पारित कराये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां। इस तरह की एक सिफारिश रेल दर जांच समिति द्वारा की गई थी जिसको अन्य विभिन्न सम्बद्ध मन्त्रालयों के परामर्श से जांच की गई थी उन्होंने इस सुझाव का इस आधार पर कड़ा विरोध किया था कि इस प्रकार की परिवहन लागत नियोक्ता द्वारा वहन की जाने से उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इन नियोक्ताओं में राज्य और केन्द्र सरकारें तथा सार्वजनिक उपक्रम भी शामिल हैं। अतः यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सका।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यकरण की पुनरीक्षा तथा नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलना

3569. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने सातवीं योजनावधि के दौरान नये प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने की कोई योजना बनाई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विजिटर की हैसियत से एक समीक्षा समिति नियुक्त की थी। समिति का विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

विवरण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

(क) और (ख) (क) विज्ञान इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान केन्द्र के रूप में अपने व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थानों की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करना।

(ख) इस बात की जांच करना कि संस्थान कहां तक अन्य तकनीकी

संस्थानों से विशेषकर अध्ययन के पाठ्यक्रमों अनुसंधान तथा संकाय विकास कार्यक्रमों से पारस्परिक रूप से सम्बन्धित हैं।

(ग) देश के प्रौद्योगिकीय विकास के लिए उच्च ग्रेड इन्जीनियरों के प्रशिक्षण में संस्थानों के समग्र संघटन का मूल्यांकन करना।

(घ) प्रौद्योगिकी के अन्य संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थान में किए जाने वाले तथा प्रायोजित विकासों को ध्यान में रखते हुए उन रूप-रेखाओं की सिफारिश करना जिनके जरिये पाँच संस्थानों का उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान में आगे विकास हो सके, और

(ङ) किसी अन्य पहलुओं को सूचित करना जो सस्थान के समस्त कार्य-करण के अनुकूल हों।

सभी पत्तनों के पेंशनभोगियों पर 1979 के उदार पेंशन नियमों का लागू किया जाना

3570. **श्री एस. एम. भट्टम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने सभी पत्तनों के पेंशन भोगियों पर 1979 के उदार पेंशन नियमों को लागू किये जाने के पक्ष में विनिर्णय दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न पत्तन न्यास प्राधिकारियों को इसके कार्यान्वयन के विषय में कोई प्रशासनिक आदेश जारी किए गए थे; और

(ग) यदि नहीं तों उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1980 की याचिका सं. 5939-41 के दिनांक 17 दिसम्बर, 1982 पर अपने निर्णय में आदेश दिया था कि केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशन भोक्ता जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पेंशन) नियम 1972 के द्वारा प्रकाशित होते हैं, उदार पेंशन फार्मूला के तहत 1.4.1979 से पेन्शन के हकदार हैं। चाहे उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख कुछ भी क्यों न हो।

पत्तन न्यास कानूनी निकाय हैं और उच्चतम न्यायालय का 17 दिसम्बर, 1982 का उक्त निर्णय इन कार्यालयों के पेंशन भोक्ताओं पर स्वत: लागू नहीं होता। सरकार ने इस विषय पर विचार किया है और यह निर्णय किया है कि उक्त निर्णय के सिद्धांत को पत्तन न्यासों के उन पेंशनभोक्ताओं के लिए लागू किया किया जाय जिनकी पेंशन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू वेतन की परिभाषा के आधार पर और सेवा निवृत्ति की तारीख पर बिना विचार किए निश्चित की जाती है। इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

बिहार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्तर का संस्थान खोलना

3571. **श्री सी. पी. ठाकुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक भी स्नातकोत्तर संस्थान नहीं है; और

(ख) क्या सरकार इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर और बायो-प्रौद्योगिकी के लिए भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान के स्तर का कोई संस्थान खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार की सात संस्थायें हैं।

(ख) जी, नहीं।

पोलियो, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिये अनिवार्य प्रतिरक्षीकरण

3572. **श्री सी. पी. ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सभी बच्चों के लिए पोलियो, काली खांसी टिटनेस आदि से बचाव हेतु अनिवार्य प्रतिरक्षीकरण की व्यवस्था करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान रोग प्रतिरक्षण सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि वर्ष 1989-90 तक इन सेवाओं को व्यापक रूप से सभी लोगों तक पहुंचाया सके। टीका लगाने की सेवायें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं परन्तु ये अनिवार्य नहीं है। लोगों को रोग प्रतिरक्षण के लाभों की जानकारी देने के लिए शैक्षिक और प्रेरणात्मक प्रयासों में तेजी लाई जाएगी।

सोन नहर की मरम्मत

3573. **सी. पी. ठाकुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोन नहर 50 वर्ष पुरानी है और इसकी अब तक मरम्मत नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप दरारें पड़ जाने के कारण काफी मात्रा में पानी की बरबादी हो रही है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) क्या पटना सुरक्षा बांध के निर्माण के बाद काफी बड़ा भू-क्षेत्र सोन नहर के पानी से वंचित हो गया है;

(घ) क्या सोन नहर से निकलने वाली छोटी नहर उक्त भूमि के लिये बहुत सहायक होगी तथा इस बारे में केन्द्रीय सरकार के पास भी एक योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) सोन निम्नस्तर नहर प्रणाली 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी हो गई है तथा इसके ठीक से कार्यचालन के लिए इसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

(ख) राज्य के साथ परामर्श करके इस स्कीम को विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ग) से (ङ) बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को जल आप्लावित होने से सुरक्षित रखने के लिए पटना सुरक्षा बंध का निर्माण किया गया था। राज्य सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें यह कहा गया हो कि इस बंध के निर्माण के कारण किसी क्षेत्र को सोन नहर का जल

उपलब्ध न कराया गया हो। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को सोन नहर के जल सप्लाई करने के लिए वितरणी के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के कार्यालय को पटना से स्थानांतरित करना

3574. **श्री सी. पी. ठाकुर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम का मुख्यालय पटना से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इससे राज्य के आर्थिक विकास को भारी धक्का लगेगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के क्षेत्रीय कार्यालय को पटना से दिल्ली स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों को छपाई के कागज का आवंटन

3575. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों को पाठ्य पुस्तकों की छपाई के लिए कागज का कितना कोटा आवंटित किया गया है;

(ख) क्या केरल का कोटा पहले ही मंजूर किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) वर्ष 1985-86 की पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल जून, 1985 के लिए कागज का आवंटन देय हो गया है। इस तिमाही के लिए अन्यों के साथ-साथ स्कूली पाठ्य-पुस्तकों के लिए राज्यों के लिए 17,099 मी. टन रियाययती कागज का आवंटन किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भोपाल में गैस त्रासदी से प्रभावित व्यक्तियों के बारे में चिकित्सीय निष्कर्ष

3576. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित व्यक्तियों के बारे में क्या प्रमुख चिकित्सीय निष्कर्ष निकाले गए हैं; और

(ख) मृत्यु के प्रमुख कारण क्या थे ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार एम. आई. सी. गैस से प्रभावित व्यक्तियों पर की गई क्लीनिकल जांच के मुख्य निष्कर्ष हैं, सांस लेने में कठिनाई, घुटन महसूस करना, श्वसनी और फेफड़ों की हानि तथा आंखों में जलन। कुछ रोगियों में पुल्मोनेरी ओडेमा भी देखा गया।

(ख) मौतों का कारण हानिकारक गैस का सांस के जरिये शरीर में प्रवेश कर जाना था जिसके जहरीले प्रभाव से हिस्टोटाक्सिक एनोक्सिया/हाईपाक्सिया हो गया था।

भोपाल के लोगों पर गैस त्रासदी के कारण होने वाले दीर्घावधि प्रभावों के बारे में लिए गए परीक्षण

3577. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैस त्रासदी से प्रभावित व्यक्तियों पर विलम्बित और दीर्घकालीन प्रभावों का पता लगाने के लिए किए गये परीक्षण के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्दर मकवाना) : मध्य प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार गैस से प्रभावित लगभग 10 प्रतिशत लोग अभी भी सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। अधिकतर आंखों की बीमारियों का इलाज कर लिया गया है। कोई भी व्यक्ति अंधा नहीं हुआ है। कुछ लोगों की आंख की रोशनी में आंशिक खराबी हुई है लेकिन उसका कारण उनकी आंखों की पहले की खराबियां थीं। गर्भपात भ्रूण संबंधी असमानताएं बच्चजातों का कम वजन होने सम्बन्धी मामलों में वृद्धि होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

शिक्षा के कार्यक्रम के लिए उपयोग की गयी धनराशि

3578. **श्रीसुरेश कुरूप** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) अनुसूचित जन-जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों को व्यापक रूप से शामिल करते हुए गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा छात्र वृत्तियों जैसे कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को वर्ष 1984-85 के दौरान मुक्त किए गये अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि, सरकारी लेखे क्योंकि उप-शीर्ष-वार तथा योजनावार ही रखे जाते है अतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर किया गया व्यय अलग से वर्गीकृत नहीं किया जाता।

विवरण

गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और छात्रवृतियों में केन्द्रीय/ केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं

क्रम. सं.	योजना का नाम	मुक्त की गई राशि	टिप्पणियां
1.	9-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा	9.27 करोड़	राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति में से कम-से-कम 25 प्रतिशत और अनुसूचित जन-जाति में से 20 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए गये हैं।
2.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत 6.28 करोड़ और जन-जातीय उप-योजना के अन्तर्गत 3.48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।	

1	2	3	4
3.	स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता	3.47 करोड़	राज्य सरकारी एजेंसियों को अनुसूचित जातियों से कम से कम 30 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों से कम से कम 15 प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए गए हैं।
4.	श्रमिक विद्यापीठ	0.51 करोड़	
5.	उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती	1.45 करोड़	
6.	ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्र वृत्तियां	1.10 करोड़	30.000 छात्रवृत्तियों में से 6,500 छात्र वृत्तियां अनुसूचित जाति के लिए तथा 1,500 छात्र वृत्तियों अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से ऋण

3579. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे का विचार बजट आबंटनों की कमी के कारण वैगनों के सीमित उत्पादन की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त करने का है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : रेलों की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋण जुटाने का फिलहाल कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। रेलों के लिए संसाधनों का आबंटन वार्षिक योजनाओं और वार्षिक बजटों के माध्यम से किया जाता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा रेल विभाग के लिए लिये गये विदेशी ऋण और क्रेडिट स्वत: ही रेलों का अतिरिक्त रुपये का क्रेडिट रूप में प्राप्त नहीं हो जाते क्योंकि सभी आबंटनों का विनियमन योजना आयोग द्वारा समय-समय पर किए गये नियतन द्वारा होता है।

तामलुक रेलवे स्टेशन पर रेलवे अस्पताल की स्थापना

3580. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे में हल्दिया पाम्कुरे सेक्शन के तामलुक रेलवे स्टेशन पर रक्त बैंक युक्त एक 50 बिस्तर वाला रेलवे अस्पताल बनाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अस्पताल की आधार शिला तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा नवम्बर/दिसम्बर, 1984 में रखी गई थी,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना संबंधी वर्तमान स्थिति और आगामी कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तामलुक में मौजूदा

स्वास्थ्य यूनिट का 10 विस्तरों वाले पौलीटेक्निक के रूप में विस्तार करने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे को रेल मंत्रालय के प्रशासनिक अनुमोदन की सूचना भेज दी गयी है;

(ख) पूर्ववर्ती रेल मंत्री द्वारा 14-10-84 को तामलुक स्वास्थ्य यूनिट में आधार शिला रखी गयी थी।

(ग) और (घ) इस कार्य को दक्षिण पूर्व रेलवे के 1986-87 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

पंचपावली रेलवे उपरिपुल

3581. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर (महाराष्ट्र) में पंच-पावली रेलवे उपरिपुल का उद्घाटन लगभग एक वर्ष पहले हुआ था।

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि तत्कालीन रेल मंत्री ने एक वर्ष के अन्दर पुल को पूरा करने का आश्वासन दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उस पुल पर कार्य शुरू हो गया है;

(घ) यदि नहीं तो अभी तक कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इसके पूरा होने के लिए कोई विशेष तारीख निश्चित की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) नागपुर में पंचपावली ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य का उद्घाटन रेल मंत्री द्वारा 8.11.83 को किया गया था।

(ख) से (घ) रेल पथ पर मुख्य पुल का निर्माण रेलों को करना है और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य लोक निर्माण विभाग/नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किया जाना है। रेलवे ने सामान्य प्रबन्ध नक्शों को अन्तिम रूप दे दिया है और मिट्टी संबंधी जांच पड़ताल कर ली है। राज्य लोक निर्माण विभाग/नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने सड़क पहुंच मार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है जिससे इस कार्य के लिए मिश्रित अनुमान को अन्तिम रूप दिए जाने तथा स्वीकृति में विलम्ब हो रहा है। राज्य सरकार/नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अस्थाई सड़क-दिव-परिवर्तन के लिए व्यवधान न किये जाने से रेलों के हिस्से के काम में आगे की प्रगति रुकी हुई है।

(ङ) परियोजना का पूरा होना धन की सुलभता और सड़क पहुंच मार्गों के काम जिसे राज्य लो- नि. वि./नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा निष्पादित किया जाना है और जो रेलों के हिस्से के काम की तुलना में काफी अधिक है, में हुई प्रगति पर निर्भर करेगा।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के रेजीडेन्ट डाक्टरों और इन्टर्नों द्वारा हड़ताल

3582. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिन्गस मेडिकल कालेज के रेजिडेन्ट डाक्टरों और इन्टर्नों ने 22 मार्च, 1985 के दीक्षांत समारोह का बहिष्कार किया था और अचानक 17 घंटे की हड़ताल पर चले गए;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) सरकार की इस बारे में प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) (ग) लेडी हार्डिन्ग मेडिकल कालेज के रेजीडेंट डाक्टरों और इन्टर्नों ने 22 मार्च, 1985 को वार्षिक दिवस समारोह का बहिष्कार किया था और वे अचानक हड़ताल पर चले गए थे क्योंकि उनकी कठिनाइयों पर प्रकाश डालने के लिए उनके प्रतिनिधि को भाषण देने की अनुमति कालेज के प्राधिकारियों द्वारा नहीं दी गई थी। उन्हें सुझाव दिया गया था कि उनकी बातें प्रधानाचार्य की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जा सकती है जिसे उन्होंने नहीं माना।

बाद में उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ अस्पताली विषयों और रेजीडेंटों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। सरकार इस ज्ञापन पर समुचित कार्यवाही करेगी।

मेनिनजाइटिस बीमारी फैलना

3583. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री मैनिनजाइटिस बीमारी फैलने के बारे में 14 मार्च, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 18 मार्च, 1985 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार द्वारा मैनिनजाइटिस रोग की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के बावजूद यह रोग राजधानी तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में निरंतर फैल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ मथुरा, बुलन्दशहर तथा राजधानी के निकटवर्ती अन्य क्षेत्रों में मैनिनजाइटिस से मरने वालों के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि इस बीमारी का निरन्तर फैलना जारी रहेगा; और

(च) इस बीमारी पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने के लिए और क्या प्रयत्न किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। लोगों में अधिक जागरूकता आ जाने के कारण राजधानी के अस्पतालों में भरती होने वाले मैनिनजाइटिस रोगियों की संख्या बढ़ गई है लेकिन रोगियों का प्रारम्भ में और प्रभावकारी ढंग से उपचार किए जाने के कारण मृत्यु दर में कमी होती जा रही बताई गई है। चण्डीगढ़, मथुरा, बुलन्दशहर और उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ अन्य पडोसी जिलों में भी मैनिनजाइटिस के कारण कुछ मौतें होने की रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) जी हां।

(घ) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं;

(i) इस रोग पर विशेषकर प्रभावित बस्तियों और तंग बस्तियों में निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

(ii) अनुमानित क्लीनिकी निदान के आधार पर भी इस रोग का प्रारम्भ में ही निदान और उपचार किया जा रहा है।

(iii) औषधियों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। सभी अस्पतालों

और औषधालयों से पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित एण्टीबायोटिक और सहायक दवाइयां रखी हुई हैं।

(iv) आम जनता में जागरूकता पैदा करने और इन्हें इस रोग का प्रारम्भ में निदान और उपचार करने की जरूरत पर बल देने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार पत्रों की सेवाओं का उपयोग भी किया जा रहा है।

(v) भारतीय आयुर्विज्ञान संघ ने रोगियों का उचित उपचार करने के बारे में अपने सदस्यों को अनुदेश जारी करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी है।

(vi) शरीर के जिन अंगों में यह रोग हो जाता है उनके उचित "टाइपिंग" के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे अनुरोध पर विमान द्वारा "सीरा" भेजा है।

(vii) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस रोग के वाहकों और उनके नियंत्रण के लिए अध्ययन शुरू किए हैं ताकि इस रोग का कारगर नियंत्रण करने के लिए इसकी महामारी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

(viii) यह निर्णय किया गया है कि पता लगाए गए अत्यधिक जोखिम वाले व्यक्तियों को टीका लगाया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से आयात की गई 3.50 लाख खुराकें प्राप्त हो चुकी हैं। 2.50 लाख और खुराक प्राप्त होने वाली हैं।

(ix) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान इस रोग के महामारी सम्बन्धी पहलुओं की जांच कर रहा है।

मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों की व्यवस्था करना

3584. **श्री एस. एम. गुरेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में अनारक्षित डिब्बे नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन गाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कंक्रीट के स्लीपरों की आवश्यकता

3585. **श्री एस. अदई कलराज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे की कंक्रीट स्लीपरों के लिए वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुल कितने स्लीपर खरीदे गये;

(ग) भारत में उन मंजूरशुदा निर्माताओं और कारखानों की संख्या कितनी है जो इस प्रकार के कंक्रीट के स्लीपरों का निर्माण कर रहे हैं और रेलवे को उनकी नियमित सप्लाई कर रहे हैं तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(घ) प्रत्येक उक्त निर्माता/कारखाने द्वारा वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के वर्षों के दौरान रेलवे को सप्लाई किए गए स्लीपरों की वास्तविक संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस समय कंक्रीट स्लीपरों की आवश्यकता लगभग 15 लाख है लेकिन सातवीं योजना के अन्त तक यह बढ़कर 25 लाख हो जायेगी।

(ख) (1) 1982-83 5.92 लाख
(2) 1983-84 10.34 लाख
(3) 1984-85 11.50 लाख
(फरवरी 85 तक)

(ग) 29 यूनिटें हैं जिन्हें कंक्रीट के स्लीपरों के निर्माण के लिए आर्डर दिए गए हैं। इनमें दो विभागीय यूनिटों के अलावा 22 स्थापित यूनिटें और अल्प विकसित यूनिटें हैं। 22 स्थापित यूनिटों में से 2 यूनिटें (कोसीकलां और भरतपुर) रुग्ण हैं और इस समय बन्द हैं। विभिन्न यूनिटों की संस्थापित क्षमता संलग्न अनुबंध में दी गई है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

रेलवे	फर्म	कार्यस्थल	वार्षिक संस्थापित क्षमता	1982-83	1983-84	1984-85 (फरवरी तक)
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	1. इन्डियन ह्यूम पाइप कं. लि.	कराड़ी	50000	79815	81489	89353
	2. प्रोस्ट्रेस इन्डिया प्रा.लि.	बरोरा	50000	25633	51574	60686
	3. कापरकोन स्लीपर वर्क्स	बुटीबोरी	50000	22116	41334	59270
	4. इन्जीनियर्स प्रोस्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि.	बनमोर	50000	16793	38721	39576
	5. स्ट्रेसक्रीट प्रा. लि.	बुदनी	50000	—	—	11310
	6. बी. ई. एम. सी. ओ. स्लीपर्स प्रा. लि.	नन्दगांव*	50000	—	—	2380
पूर्व	7. दया इन्जी. वर्क्स (प्रा.) लि.	गया	50000	31520	54139	64198
	8. दया इन्जी. वर्क्स (स्लीपर्स) प्रा. लि.	गया	50000	23584	54372	67821
	9. प्रोस्ट्रेस उद्योग (इन्डिया) प्रा. लि.	छोटा अम्बोना	50000	808	25596	38370
	10. तांतिया कंक्रीट प्रा.लि.	पन्नागढ़	50000	4044	21652	36690
	11. तानक्रीट इन्डिया प्रा.लि.	रामपुर हाट*	50000	—	—	5338

1	2	3	4	5	6	7
	12. शक्ति आइरन एण्ड स्टील लि.	जगदीशपुर*	50000	—	—	—
उत्तर	13. कंक्रीट स्लीपर प्लांट एन. रेलवे	सूबेदार गंज	240000	119473	158260	44595
	14. कंक्रीट स्लीपर प्लांट एन. रेलवे	खालिसपुर	50000	24580	63725	75432
	15. जय प्रोस्ट्रेड प्रोडक्ट्स	कोसीकलां	50000	22734	13821	—
	16. हिंदुस्तान प्री.फैब लि.	जंगपुरा	100000	21874	54742	59755
दक्षिण	17. कंक्रीट प्रोडक्ट्स एण्ड कंस्ट्र. कं.	अम्बात्तूर	50000	47424	69900	58972
	18. कोट्टुकुलम इन्जीनियर्स प्रा. लि.	बीम्मीडी*	50000	—	—	7163
	19. कंक्रीट प्रोडक्ट्स एण्ड कंस्ट्र. कं.	तिरुवलम*	50000	—	—	—
दक्षिण मध्य	20. मैसूर स्ट्रक्चरल्स लि.	हाफीजपेट	50000	54675	64787	45898
	21. दी कंक्रीट प्रोडक्ट्स एण्ड कंस्ट्र. कं.	कोंडापल्ली	50000	23984	39124	46628
	22. प्रोस्ट्रेस इण्डिया प्रा. लि.	तिम्मन-चारल*	50000	—	—	—
	23. कापर कीनस्लीपरवर्क्स	मंत्रालय*	50000	—	—	—
दक्षिण पूर्व	24. उड़ीसा कंक्रीट प्रोडक्ट्स	झारसुगुडा	50000	31776	30432	36313
	25. आई.एस.सी.ओ.ट्रैक स्लीपर प्रा.लि.	कलुम्ना	50000	14832	32035	44651
	26. उड़ीसा कंक्रीट एण्ड अलाहड	इन्डरायपुर	50000	—	7980	9938
	27. विजय प्रोस्ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	पेंदुर्ती	50000	—	—	—
पश्चिम	28 ऊषा प्रोस्ट्रेस्ड स्लीपर उद्योग	भरतपुर	50000	12980	2600	—
	29. एस. सुब्रामण्यम एंड कं.	खरसालिया	50000	12056	39108	53537
	30. मणिभाई ब्रदर्स (स्लीपर्स)	खरसालिया	50000	13407	65313	73379
	31. बर्मन प्रोस्ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स लि.	पनवेल	50000	8043	15870	18931
		जोड़		591951	1034786	115088

*अल्प विकसित यूनिटें।

मणिपुर में थोबाल बहुउद्देशीय परियोजना

3586. **प्रो. कामसन सिजिनलंग :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में थोबाल बहुउद्देशीय परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) अब तक उक्त परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) बिजली, पानी सप्लाई और सिंचाई के सम्बन्ध में इसकी क्षमता कितनी है; और

(घ) क्या उपरोक्त परियोजना केन्द्र प्रायोजित है अथवा राज्य प्रायोजित ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द): (क) परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 80.00 करोड़ रुपये बताई गई है।

(ख) बराज के दायें तथा बायें पीलपायों (अबटमेंट्स) के निर्माण तथा बराज के दायें पीलापयों के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह दोनों में सुरक्षा निर्माण कार्य प्रगति पर है। बायीं मुख्य नहर में प्रारंभिक पहुंच में 2 किलोमीटर तक का कार्य प्रगति पर है। विभिन्न पहुचों में दोनों बाएं तथा दायें मुख्य नहरों के साथ हिल स्परों के समतलन का कार्य भी प्रगति पर है।

(ग) परियोजना में 26.5 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन, इम्फाल शहर को 4.5 करोड़ लीटर प्रति दिन जल सप्लाई तथा 7.5 मेगावाट क्षमता के जल-विद्युत यूनिट के प्रतिष्ठापन की परिकल्पना की गई है।

(घ) परियोजना का प्रस्ताव तथा वित्त पोषण मणिपुर राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

लहेरिया सराय से कुशेश्वर स्थान तक रेल लाइन

[हिन्दी]

3587. **श्री राम भगत पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बिहार में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कोई नई रेल लाइन का निर्माण नहीं किया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकारी नीति यह है कि क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों का निर्माण किया जाये,

(घ) क्या इस क्षेत्र के लोग लहेरिया सराय से कुशेश्वरा स्थान तक बरास्ता जोगीबारा, मधुबन, बहेरी तथा सिंघिया एक रेल लाइन के निर्माण की मांग कर रहे हैं,

(ङ) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस क्षेत्र के लोगों की रेल गाड़ी पकड़ने के लिए 40 से 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है, सरकार उक्त रेल लाइन के निर्माण के लिए तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ करेगी और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार की नीति उन नयी रेल लाइनों के निर्माण को है जो परियोजना परक हों और जो अप्राप्त कड़ी के रूप में सेवित करेंगी तथा जो सामरिक दृष्टिकोण से अपेक्षित हों या जो नये विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए विकासात्मक लाइन हों।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) : संसाधनों की बेहद तंगी और पहले से की गयी भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए इस रेल लाइन के निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1984-85 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को हुआ घाटा और प्राइवेट आपरेटरों को किराए के रूप में दी गई धनराशि

[अनुवाद]

3588. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 1984-85 के दौरान भी घाटा हुआ है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को कुल कितना घाटा हुआ,

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान प्राइवेट आपरेटरों को किराये के रूप में कितनी धनराशि दी गई,

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्राइवेट आपरेटर अवांछित तत्वों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखाते हैं और अपनी बसें स्टापों पर रोके बिना ही चलाते जाते हैं, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपाय करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां,।

(ख) संशोधित बजट अनुमान, 1984-85 के अनुसार निगम ने 61.08 करोड़ रुपए की कार्य-हानि सूचित की है। तथापि वास्तविक आंकड़ों को संकलित करने में कुछ और समय लगेगा।

(ग) 17.00 करोड़ रुपये (अनन्तिम) फरवरी, 1985 तक

(घ) और (ङ) पहले इस प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। यह स्थायी आदेश हैं कि जो प्रायवेट गाड़ियां दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलती हैं उनमें उनके मालिक बिना टिकट किसी व्यक्ति को यात्रा नहीं करने देंगे। उन्हें सभी बस स्टापों पर बस रोकने के आदेश भी दिये गये हैं। इन आदेशों के किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर, करार की शर्तों के अनुसार बस मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जिसमें उन पर जुर्माना लगाना, ड्राइवरों की सेवाओं को समाप्त करना, करार को रद्द करना/स्थापित करना आदि दण्ड शामिल हैं।

घटिया कोयले के कारण विद्युत उत्पादन की हानि

3589. **श्री राम भगत पासवान :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताप विद्युत घरों को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई किये जाने के कारण विद्युत उत्पादस कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए गये हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू): (क) तथा (ख) विद्युत उत्पादन पर कोयले की घटिया गुणवत्ता से कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त आकार का कोयला सुनिश्चित करने तथा विजातीय सामग्री निकालने के लिये कोयला हैंडलिंग संयंत्र लगाए जा रहे हैं । कोयला खानों में बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय भी किए जा रहे हैं ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यालय के समय के पश्चात् धर्मार्थ आधार पर होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने पर प्रतिबन्ध

3590. **श्री राम भगत पासवान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कार्यालय के समय के पश्चात् धर्मार्थ आधार पर होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने के लिए इस आधार पर अनुमति नहीं दी जा रही है कि वह अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं न कि दिल्ली में पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार जरूरत मंद तथा गरीब लोगों को होम्योपैथी का इलाज उपलब्ध कराने के व्यापक हित के लिए तथा जो लोग सेवा करना चाहते हैं उन्हें उसकी स्वतंत्रता देने के लिए इस प्रतिबन्ध को हटाने का है;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) होम्योपैथी की प्रैक्टिस पर केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 के उपबन्ध लागू होते हैं । कोई भी व्यक्ति, जो होम्योपैथी का व्यवसाय उस राज्य से बाहर करना चाहता है, जिसमें कि उसका नाम दर्ज है, ऐसा कर सकता है बशर्ते कि उसका नाम केन्द्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के भाग-2 में दर्ज हो और उसने उस राज्य की पूर्वानुमति ले रखी हो, जिसमें वह व्यवसाय करना चाहता है ।

इन सांविधिक उपबन्धों के अधीन तथा इस शर्त पर कि उनके इस व्यवसाय से सरकारी कार्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, दिल्ली में बसे केन्द्रीय सरकार के पात्र कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद होम्योपैथी का व्यवसाय धर्मार्थ आधार पर करने की अनुमति दी जा सकती है ।

आंध्र प्रदेश की सिंचाई और विद्युत योजनायें

3591. **श्री एस. एम. भट्टम :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में केन्द्र स्तर की विचाराधीन तथा निर्माणाधीन वृहत मध्यम और बहुउद्देशीय (क) सिंचाई तथा (ख) विद्युत परियोजनाओं के नाम तथा संख्या कितनी है ;

(ख) छठी योजना अवधि में इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ग) इन परियोजनाओं पर मूलत: क्या खर्च आने का अनुमान था और अब उन पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के निर्माण कार्य की क्या स्थिति है और अब तक उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) परीक्षणाधीन बहु-प्रयोजनी, बृहद तथा मध्यम सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के नाम क्रमश: संलग्न विवरण एक तथा दो में दिये गये हैं।

(ख) छठी योजना में बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय 791.29 करोड़ रुपए है तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लगभग 287 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) क्रियान्वित की जा रही बहुप्रयोजनी बृहद तथा मध्यम सिंचाई और और विद्युत परियोजनाओं के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण तीन तथा चार में दी गई है।

विवरण—एक

क्रम. सं.	परियोजना का नाम
एक :	**बृहद परियोजनाएं**
क.	**नई परियोजनाएं**
1.	तेलुगु गंग परियोजना (बहुद्देश्यीय)
2.	सरीसैलम बांया तट नहर
3.	(क) पोलावरम (बांध एवं बांयी नहर) (बहुद्देश्यीय)
	(ख) पोलावरम (दायीं मुख्य नहर)
4.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण
5.	गोदावरी डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण
6.	यलेरू (बहुद्देश्यीय)
7.	जुराला
8.	वामसधारा चरण—दो
9.	सिंगुर (बहुद्देश्यीय)
ख.	**संशोधित अनुमान**
1.	श्रीरामसागर परियोजना चरण—एक
2.	सर आर्थर कोटन बराज परियोजना (गोदावरी बराज परियोजना)
3.	नागार्जुन सागर परियोजना
4.	तुंगभद्रा परियोजना उच्च स्तरीय नहर चरण—दो
दो	**मध्यम परियोजनाएं**
क.	**नई परियोजनाएं**
1.	पड़ावागु

1	2
2.	पीलमहुलावागु परियोजना
3.	कोलासनाला परियोजना
4.	बुगावांका
ख.	संशोधित अनुमान
1.	तलिपेरु परियोजना
2.	मड्डीगेड्डा परियोजना

विवरण—दो

क्रम सं.	परियोजना का नाम
एक	**बहुद्देश्यीय परियोजनाएं**
1.	पोलावरम्
दो	**वृहद/मध्यम जल-विद्युत परियोजनाएं**
2.	नागार्जुन सागर दायां तट नहर विस्तार
3.	श्रीसैलम एल. बी. पी. एच. (व्यवहार्यता रिपोर्ट)
4.	जालापुट
5.	प्रियदर्शिनी जुराला
तीन.	**मिनी/लघु जल-विद्युत स्कीमें**
6.	काकतीया नहर (मनियार इनफाल) (लघु)।
7.	काकतीया नहर पर, वितरणी 83 पर विभिन्न अवस्थानों पर छः मिनी जल-विद्युत स्कीमें।

विवरण—तीन

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत मूल लागत	अद्यतन लागत	छठी योजना के अन्त तक संभावित व्यय
1.	2	3.	4.	5.
क.	**छठी योजना पूर्व स्कीमें :**			
एक.	**वृहद स्कीमें**			
1.	नागार्जुनसागर	91.12	849.63	555.07
2.	श्रीरामसागर चरण-एक	40.10	1007.00	396.62
3.	गोदावरी बराज	26.59	86.01	70.77
4.	वामसधारा चरण-एक एवं चरण-दो	83.31	205.50	34.83
5.	तुंगभद्रा परियोजना उच्च स्तरीय नहर चरण दो	11.95	111.70	48.66
6.	सोमासिला चरण-एक एवं चरण-दो	17.20	147.00	62.83

1.	2	3	4	5
7.	निजामसागर का सुधार	—	15.98	15.32
8.	सिंगुर परियोजना	42.34	57.34	26.32
9.	समालकोट ग्रीष्म भण्डारण जलाशय	1.36	1.36	1.43
दो.	मध्यम स्कीमें			
1.	वोटीगड्डा	0.77	2.82	2.64
2.	थानडावा जलाश्य	1.99	13.34	8.15
3.	कानुपुर नहर	0.70	18.00	6.91
4.	कंडोपालम नहर	0.97	5.21	5.20
5.	पुलिवंडाला नहर	2.98	18.43	7.49
6.	गाजुलाडिना	0.96	9.00	8.39
7.	गुंटुर नहर	0.95	3.12	2.72
8.	स्वर्णा	0.29	5.50	3.33
9.	उकचाटीवागु	0.43	2.56	2.02
10.	रायवाडा	8.38	14.00	10.08
11.	कोनम	1.48	3.30	3.05
12.	वेंगलारया सागराम	8.00	17.50	7.36
13.	मलूरूवागु	1.52	2.90	2.71
14.	वोटीवागू	5.40	20.00	5.06
15.	मुकामामीडी	0.48	1.45	1.53
16.	बोम्गुलवागु	1.36	3.42	3.08
17.	पिडेरू चरण-एक	1.50	8.50	6.40
18.	वेंगालारया लिफ्ट सिंचाई स्कीम	2.00	4.00	3.82
19.	कृष्णापुरम	2.50	4.37	2.68
20	भंभावथी	15.51	20.26	8.36
21.	पिडानाकलम	1.05	1.81	1.60
22.	मधुवालसा	7.15	22.00	6.20
23.	चायेरू	6.78	19.00	6.65
24.	यराकालवा	10.40	23.50	8.59
25.	पिडावागू	3.75	6.50	5.78
26.	तलिपेरू	9.06	27.00	12.77
27.	गुंडालवागु	1.16	6.50	2.98
28.	सतनाला	3.21	10.50	7.08
29.	जलारू	2.19	4.29	3.06
30.	मडीगेडा	1.55	3.26	2.54

1.	2.	3	4	5
ख.	**छठी योजना की नई स्कीमें**			
एक.	**बृहद स्कीमें**			
1.	तिलेरू जलाशय	55.00	158.53	46.18
2.	पोलावरम	—	884.17	0.10
3.	श्रीसैलम दायां तट नहर		371.00	11.69
4.	जुराला		115.00	15.60
5.	मद्रास जल सप्लाई) (तेलुगु गंगा)		637.00	68.42
दो.	**मध्यम स्कीमें**			
1.	आंध्र जलाशय	—	7 83	0.25
2.	पिडारू जलाशय	—	2.24	0.05
3.	बुम्मावंका जलाशय	—	4.86	0.10
4.	मडेलारू जलाशय	—	7.60	0.10
5.	अनिकटप्रकास मंझा	—	3.00	0.02
6.	पलीयमवागु के पार जलाशय	—	10.65	0.05
7.	कोउसनाला	—	6.99	0.05
8.	बहुडा जलाशय	—	11.70	0.02
9.	बुराडकालवा जलाशय	—	46.00	0.02
10.	पिडावागू अडा माव के पास	—	26.32	0.11
11.	पिडावागू दासनपुर के पास	—	8.00	0.10
12.	मुडकांतावागु	—	17.50	0.05
13.	चलमालावागु	—	3.66	0.10
14.	सिलेरू व्ययवर्तन	—	12.00	0.04
15.	बुडामारू लिफ्ट सिंचाई स्कीम	—	7.00	0.05
16.	अपर पेन्नर	—	उपलब्ध नहीं	0.05
17.	थामीलारू जलाशय	8.27	8.27	7.77
18.	वरदराजास्वामीगुडी	6.50	10.50	0.43

विवरण—चार

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	मूल लागत	अद्यतन अनुमानित लागत	छठी योजना के अंत तक संभावित व्यय
1.	2	3	4	5
1.	श्रीसैलम् चरण—दो	39.38	58.00	43.57
2.	नागार्जुनसागर पम्प भंडार स्कीम—दो	55.78	75.28	66.13

1	2	3	4	5
3.	नागार्जुनसागर बायां तट नहर	34.00	46.41	2.45
4.	बालीमेला पर आंध्र प्रदेश विद्युत गृह	17.77	31.15	17.13
5.	पोचमपाद	13.49	25.27	2.0
6.	पेन्ना अहोबिलम	12.47	21.56	1.50
7.	ऊपरी सिलेरू	11.98	49.84	5.97

जांच कर्त्ता स्वयं सेवकों की नियुक्ति

3592. **श्री जावनल अबेदिन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 और 1984 में विभिन्न रेलों में राज्य-वार कितने जांचकर्त्ता स्वयं सेवक नियुक्त किए गए थे;

(ख) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में अनेक जांच कर्त्ताओं को स्वयंसेवकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी सेवाएँ समाप्त करने के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें पुनः नियुक्त करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) टिकट जांच के लिए स्वयं सेवकों को लगाये जाने के संबंध में राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) स्वयं सेवक रेलों के न तो अस्थायी कर्मचारी हैं और न ही स्थायी कर्मचारी हैं अतः इनकी सेवा समाप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। टिकट जांच पार्टियों को सुदृढ़ बनाने और उनकी सहायता करने के लिए जब आवश्यकता होती है तब विभिन्न स्रोतों से लिये गये स्वयं सेवकों को काम पर लगाया जाता है।

विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

3593. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत संयंत्र आधुनिकीकरण और पुनः सुधार संबंधी 500 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना शुरू होने से पहले ही लागत वृद्धि की शिकार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम पर अब लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण उपकरण में हुई अत्यधिक वृद्धि है;

(घ) इसके अन्य मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण की योजना कब शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (च) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मौजूदा क्षमता से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए व्यापक रूप से नवीकरण तथा आधुनिकीकरण करने के लिए देश में 36 ताप विद्युत केन्द्रों का पता लगाया है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्कीम के महत्वपूर्ण भाग की लागत जिसको विद्युत उत्पादन में वृद्धि से सीधा संबंध है, लगभग 500 करोड़ रुपए होगी। स्कीम का क्रियान्वयन हाल ही में शुरू किया गया है तथा इस स्थिति में लागत में वृद्धि के प्रभाव का पूरी तरह से निर्धारण कर सकना व्यवहार्य नहीं है।

पन बिजली उत्पादन के लिए आवंटन

3594. **श्री बी. बी. देसाई :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पन बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए बार-बार आश्वासन देने के बावजूद योजना आयोग ने 1985-86 में आरम्भ होने वाली नई पन बिजली परियोजनाओं के लिए धन देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या योजना आयोग ने विद्युत विभाग को यह बता दिया है कि केवल चालू परियोजनाओं के लिए ही धन उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) क्या विद्युत विभाग ने योजना आयोग से यह आग्रह किया है इसके परिणामस्वरूप निकट भविष्य में कोई बड़ी पन बिजली क्षमता स्थापित नहीं हो सकेगी;

(घ) क्या विभाग ने 1985-86 के दौरान चार बड़ी पन बिजली परियोजनाओं का कार्य आरम्भ करने के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की थी;

(ङ) योजना आयोग इन योजनाओं के लिए धन देने के लिए किस सीमा तक सहमत हुआ है; और

(च) क्या आयोग से पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि देश में विद्युत की कमी को दूर किया जा सके ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में जल विद्युत परियोजनाओं पर अधिक बल देने का विचार है।

1985-86 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत योजना प्रस्तावों पर जिनमें निर्माणाधीन और कुछ नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया जाना है, योजना आयोग में विचार किया गया है। उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत, अनुमोदित और निर्माणाधीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि इनको समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

(च) जी, हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करने के लिए नये डाक्टरों की नियुक्ति की योजना

3595. **श्री एन. बी. रत्नम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संरकारी जनरल अस्पतालों में डाक्टरों को नियुक्त करने से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किसी विशेष अवधि के लिए सेवा करने के हेतु डाक्टरी के नये डिग्री धारकों को नियुक्त करने की एक योजना बना रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बालासमुद्रम में नया रेलवे स्टेशन खोलना

3596. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले के कदिन तालुक में तनवल्लु और मुलाकाला चेरुवू स्टेशन के बीच वाला समुद्रम में एक नया रेलवे स्टेशन खोलने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खोले जाने की संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ऐसी कोई मांग नहीं की गयी है ।

कुड्डापार और रायदुर्ग के बीच रेल लाइन

3597. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुड्डापार और रायदुर्ग के बीच बारास्ता कादिन हिन्दपुर, मडाकासिव और कल्याण दुर्ग, एक रेल लाइन बिछाने संबंधी सर्वेक्षण आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन के सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चुखा परियोजना

3598. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने चुखा परियोजना से बिजली लेने का कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल को अन्य के साथ-साथ चुक्खा जल विद्युत परियोजना से लगभग 29 प्रतिशत विद्युत का आबंटन राज्य सरकार के परामर्श से किया गया है।

भारतीय जहाजरानी निगम का जहाजी बेड़ा और उसके द्वारा किया गया कारोबार

3599. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारतीय जहाजरानी निगम का प्रतिवर्ष कुल जहाजी बेड़ा कितना था और इसके द्वारा प्रति वर्ष कुल कितना करोबार किया गया,

(ख) क्या सातवीं योजना के दौरान माल यातायात का लक्ष्य बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं, और

(ग) क्या और अधिक जहाज खरीदने का कोई प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाऊर रहमान अन्सारी) : (क) विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैं :—

	1982-83	1983-84	1984-85
जहाजों की संख्या	143	142	158
जी. आर. टी. (लाख)	30.06	29.86	33.25
डी. डब्ल्यू. टी. (लाख)	50.01	49.66	55.06
व्यापार (परिचालन आय) (करोड़ रुपये)	574.93	512.98	595.00 (अनुमानित)

(ख) और (ग) जी हां। अधिक जहाजों की खरीद के अलावा, व्यापार की राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट जहाजों की खरीद पर जोर दिया गया है।

उर्दू तथा संस्कृत को बढ़ावा देने के उपाय

3600. **श्री प्रिय रन्जन दास मुंशी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सारे देश में विशेषत: पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी भारत के अन्य भागों में उर्दू तथा संस्कृत के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : शिक्षा मंत्रालय हिन्दी, उर्दू तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं, श्रेण्य भाषाओं और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है।

संस्कृत को प्रोत्साहन

2. संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए चल रही अनेक योजनाओं को जारी रखने और उन्हें सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है। मुख्य योजनाएं सांस्कृतिक परम्परा का संरक्षण, संस्कृत विषय और संस्कृत अध्ययन को प्राविधि का आधुनिकीकरण करने तथा इसके अध्ययन को लोक प्रिय बनाने से सम्बन्धित है।

3. पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के अन्य भाग उपरोक्त योजना में भी शामिल हैं जो संस्कृत को बढ़ावा देने और उसके विकास में सहायता करती हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल में 216 संस्कृत संस्थाओं को सहायता की गई थी। इसी प्रकार से देश के पूर्वी और अन्य भागों में स्थित संस्थाओं को भी सहायता दी गई थी। पश्चिम बंगाल में स्थित संस्कृत संस्थाओं को 3,56,083 रुपये की राशि का सहायत अनुदान मुक्त किया गया था ताकि वे अध्यापकों के वेतन और छात्रों/अध्येताओं की छात्रवृत्तियों की अदायगी पर होने वाले खर्च को वहन कर सके। संस्कृत को लोक प्रिय बनाने के लिए कलकत्ता में "संस्कृत साहित्य परिषद पत्रिका" और "जाह्नवी" भी इस मन्त्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययन कर रहे लगभग 150 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई थीं। पश्चिम बंगाल में दीन परिस्थितियों में रह रहे 200 से अधिक पुराने संस्कृत पंडितों को पिछले वर्ष वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। मन्त्रालय द्वारा कलकत्ता स्थित राजकीय संस्कृत कालेज के प्रांगण में हाल ही में एक अखिल भारतीय संस्कृत वक्तता प्रतियोगिता और अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी प्रकार से बिहार, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय आदि सहित भारत के लगभग सभी पूर्वी राज्य चल रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

4. सातवीं योजना में अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, दुर्लभ संस्कृत पाण्डु-लिपियों के सम्पादन और उनमें प्रकाशन, मौखिक, वैदिक परम्परा का संरक्षण और इस भाषा के अध्यापन और शिक्षण के लिए आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर व्यापक जोर दिया दिया जायेगा। वैदिक परम्परा के संरक्षण के लिए केन्द्र तथा राज्य धर्म दायों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन अक्ष्य निधियों से वैदिक अध्येताओं श्रव्य तथा वी.डी.ओ. टेप मौखिक परम्परा की सहायता करने और अन्तर विषयक अनुसंधान के प्रयास का समर्थन करने की आशा है। तिरूपति तथा दिल्ली स्थित दो केन्द्रीय संस्कृत विद्यालयों को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं का दर्जा देने का प्रस्ताव है।

उर्दू को प्रोत्साहन

5. भारत सरकार ने कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से एक सम-सामयिक विचार के वहन के रूप में विकासशील उर्दू के लिए आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रमों पर सलाह देने के लिए तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड का गठन किया है। वर्ष 1972 में गठित गुजरात समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1975 में प्रस्तुत कर दी थी, सिफारिशों के अनुसरन में उर्दू को बढ़ावा देने के लिए आरम्भ किए गये विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए एक स्थाई समिति नियुक्त की गई है। मन्त्रालय के एक अधिनस्थ कार्यालय के रूप में वर्ष 1978 में गठित तरक्की-ए-उर्दू ब्यूरो को भी मजबूत किया गया है।

6. छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किए गए कार्यक्रमों को बढ़े हुए परिव्यय के साथ जारी रखने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं में छात्रों के लिए शैक्षिक साहित्य तैयार करना, तकनीकी शब्दावली का संकलन अंग्रेजी, उर्दू-अंग्रेजी, उर्दू-उर्दू शब्द कोशों तथा उर्दू विश्व कोशों को तैयार करना और उनका प्रकाशित देश के विभिन्न भागों में कैली ग्राफी केन्द्रों की स्थापना उर्दू अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता पुस्तकों के प्रकाशन तथा उर्दू टाइप राइटिंग और आशुलिपिक केन्द्रों आदि जैसे इस प्रकार के कार्यकलाप शामिल होंगे। लेखकों और प्रकाशन सम्बन्धी क्रिया

कलापों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थाओं में निःशुल्क वितरण के लिए उर्दू पुस्तकों की अन्तिम प्रतियां खरीदी जाती हैं।

7. पश्चिम बंगाल और बिहार सहित ग्यारह राज्यों में उर्दू अकादमियां हैं। तरक्की-ए- उर्दू ब्यूरोइन सभी अकादमियों के लिए आवधिक समन्वय समिति की बैठकें आयोजित करता है। इन बैठकों में प्रकाशन कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है ताकि द्विरावृत्ति से बचा जा सके। इन अकादमियों के माध्यम से उर्दू पुस्तकों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रस्ताव आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य उर्दू अकादमियों के सहयोग से तरक्की-ए-उर्दू ब्यूरो द्वारा उर्दू पुस्तकों की प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। कलकत्ता में एक कैली ग्राफी केन्द्र पहले से ही आयोजित कर दिया गया है तथा इस प्रकार के चार केन्द्र बिहार में गठित किए जा चुके हैं बंगाल में उर्दू व्यापक एक पुस्तक के शीघ्र प्रकाशित होने की सम्भावना है।

8. सातवीं योजना के लिए कुछ नये महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुझाए गये हैं। इनमें अध्यापकों के लिये सेवारत प्रशिक्षण पर अधिक बल, आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग विशेष रूप से रेडियो तथा दूरदर्शन का उर्दू के अध्यापन और शिक्षण के लिए उनका प्रयोग तथा अध्यापकों का प्रशिक्षण शामिल है। तरक्की-ए-उर्दू ब्यूरो द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन और अर्ध-वार्षिक अनुसंधान पत्रिका का प्रकाशन भी आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है उर्दू में क्या मुद्रण को संगणीकरण किया जा सकता है। इसको निश्चित करने के आशय से उर्दू चरित्रों को मानवीकरण करने के लिए प्रयोगात्मक कार्य आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार का विकास उर्दू में अत्यधिक व्यापक प्रकाशन क्रियाकलाप को सुकर बनाएगा। रचनात्मक लेखकों और स्वैच्छिक संगठनों को उर्दू साहित्य को तैयार करने और उनके प्रकाशन का कार्य सौंपा जायेगा। उर्दू टाइप राइटिंग और आशुलिपि में कक्षाएं आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है।

संजय सागर सिंचाई परियोजना

3001. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में संजय सागर (बाह) सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु विश्व बैंक द्वारा तो मंजूर की जा चुकी है, लेकिन केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग द्वारा गत दो वर्षों से इसका मूल्यांकन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के मामले में इतना विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि यह परियोजना उस क्षेत्र में स्थापित की जा रही है, जिसकी वर्तमान सिंचाई प्रतिशतता 5 प्रतिशत से भी कम है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु जो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं उनमें से एक मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संजय सागर (बाह) सिंचाई परियोजना है। तथापि, इस परियोजना के पाइप लाईन में शामिल होने से राज्य ने परियोजना के क्षेत्र का पुनरीक्षण तथा संशोधन किया है। संशोधित परियोजना रिपोर्ट तथा अनुमान इस समय केन्द्रीय जल आयोग तथा पर्यावरण विभाग के परीक्षणाधीन है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस जिले में सिंचाई की प्रतिशतता 5.8 है।

मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं

3602. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में छठी योजनावधि के दौरान विश्व बैंक सहायता योजना के अन्तर्गत कितनी नई सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत किया यया था;

(ख) क्या उनके निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न विभागीय एजेंसियों द्वारा उन सभी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जहां पर स्थल कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) छठी योजनावधि के दौरान निम्न तीन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने आई. डी. ए. अनुदान उपलब्ध कराया है :—

1) मध्य प्रदेश लघु सिंचाई परियोजना।

2) मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना।

3) चम्बल (मध्य प्रदेश) सिंचाई-दो परियोजना।

(ख) तथा (ग) मध्य प्रदेश वृहद सिंचाई परियोजना तथा चम्बल (मध्य प्रदेश) सिंचाई-दो परियोजना को निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.

मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परिमोजना के अंतर्गत, विश्व बैंक ने 16 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इस क्रेडिट में अन्य छः परियोजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। सूची में दी गई परियोजनाओं में से दो संशोधित परियोजना रिपोर्टों की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। मध्यम परियोजनाओं की सूची में दी गई कुल परियोजनाओं में से नौ परियोजनाओं की पर्यावरण विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

(घ) जिन परियोजनाओं में स्थल पर कार्य शुरू हो गया है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम संख्या		परियोजना का नाम
एक		**म. प्र. मध्यम सिंचाई उप-परियोजनाएं**
1.	...	चोरल
2.	...	मटियामोटी
3.	...	कालियासोटे
4.	—	मतियारी
5.	...	कोलर
6.	...	गोमुख

1		2
7.	...	चिरपानी
8.	...	घुनघुट्टा
9.	...	तिल्लार
10,	...	चन्दोरा
11.	...	देजला दिवाड़ा
12.	...	बुन्देला
13.	...	बुधना
14.	...	कनहारगांव
15.	...	दुधी
16.	...	बरनई

दो. म. प्र. बृहद सिंचाई परियोजना

महनादी जलाशय परियोजना

(उपयोजनाएं)

(क) संदूर बांध

(ख) रुद्री हेडवर्क्स

(ग) पेरी बांध

(घ) अन्य पुनरूपण निर्माण-कार्य

हसदेव बांगो स्कीम

बांगो बांध

तीन—चम्बल (म. प्र.) सिंचाई-दो परियोजना

केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों को पेंन्सन सम्बन्धी लाभ

विभिन्न परियोजना घटकों पर निर्माण कार्य क्रियान्वयन के भिन्न-भिन्न चरणों में है।

3603. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल आयोग के उड़ीसा में काम कर रहे तीन डिवीजनों के कार्य-प्रभारी कर्मचारियों को उनके पेंशन संबंधी लाभों से वंचित रखा गया है;

(ख) क्या ऐसे मृतक अस्थायी/कार्य प्रभारी कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन सम्बन्धी लाभ दिए गए हैं, जिनकी मृत्यु उनके सेवाकाल के दौरान ही हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने परिवारों को ये परिवार पेंशन लाभ दिए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

भुवनेश्वर में जल विज्ञान सम्बन्धी वेधशाला का खोला जाना

3604. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भुवनेश्वर (उड़ीसा) में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग के जल विज्ञान सम्बन्धी अन्वेषण और बाढ़ भविष्यवाणी मंडल खोलने के लिये जनता की मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) भुवनेश्वर में एक नया "जल-विज्ञान प्रेक्षण तथा बाढ़ पूर्वानुमान सर्किल" खोलने पर विचार करने हेतु अनुरोध हुए हैं। खर्चे में किफायत की आवश्यकता को देखते हुये निकट भविष्य में भुवनेश्वर में नया सर्किल खोलना सम्भव नहीं होगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से दो यात्री पोतों की खरीद

3605. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से प्राथमिकता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से दो यात्री पोत खरीदने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि टी. एस. एस. नानकोवरी और एम. वी. अण्डमान दोनों ही पोतों का जीवन काल समाप्त हो गया है और वे यात्री सेवा के लिए अनुपूरक हैं;

(घ) यदि हां, तो इन दोनों पोतों के बदलने के बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है; और

(ङ) एम. वी. अण्डमान और टी. एस. एस. नानकोवरी की मरम्मतों पर गत तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) सातवीं योजना अवधि में इन द्वीपों की नौवहन जरूरतों को आंकने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यदल की अन्तरिम रिपोर्ट के मसौदे पर अन्डमान और निकोबार प्रशासन ने अपनी टिप्पणी देते समय इस बारे में कुछ सुझाव दिया था।

(ख) कार्यदल द्वारा तीन नए जहाजों की जरूरत आंकने के आधार पर भारतीय नौ-वहन निगम ने टेंडर आमन्त्रित करने सम्बन्धी कार्यवाही शुरू कर दी है।

(ग) एम. वी. अंडमान 28 वर्ष और टी. एस. एस. ननकौरी 37 वर्ष पुराना है। यद्यपि जहाज की सामान्य आयु पूरी हो गई है, फिर भी वे चल रहे हैं क्योंकि अनुरक्षण और दशा के बारे में सरकार के सर्वेक्षकों ने उनको उपयुक्त प्रमाणित किया है दोनों जहाजों के पास यात्री जहाज के सुरक्षा प्रमाण-पत्र हैं।

(ग) कार्यदल ने जिन तीन नए जहाजों की जरूरत आंकी जैसा कि (ख) में निर्दिष्ट है, उसमें टी. एस. एस. ननकौरी और एम. वी. अंडमान को बदलना भी शामिल है।

(ङ) ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	एम. वी. प्रण्डमान	टी. एस. एस. मनकौरी
	(मरम्मत और सर्वेक्षण) रुपये लाखों में	
1981-82	32.93	73.76
1982-83	50.98	82.84
1983-84	90.08	258.79

कोलायट-फलोदी रेल लाइन का सर्वेक्षण

3606. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मन्त्री कोलायट-फलोदी रेल लाइन के सर्वेक्षण के बारे में 29 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5517 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनसंख्या वृद्धि, राजस्थान नहर के बन जाने, क्षेत्र में नमक तथा अन्य खनीजों की खोज और जैसलमेर के पर्यटन स्थल के रूप में विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार नया सर्वेक्षण करने के बाद इस रेल लाइन का निर्माण करने का निर्णय करने का है जिससे कि दिल्ली और जैसलमेर के बीच सीधा रेल सम्पर्क उपलब्ध किया जा सके ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : जी नहीं। संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोलायट-फलोदी रेल लाइन का नवीन सर्वेक्षण/उसका निर्माण प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रीडर्स और प्रोफेसर्स के पदों के लिए काडर बाह्य पदोन्नति योजना

3607. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कई विश्वविद्यालयों ने सभी विषयों में रीडरों और प्रोफेसरों के पदों के लिये काडर बाह्य पदोन्नति योजना को अपनाया है और कार्यान्वित किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि काडर बाह्य पदोन्नति योजना को भारत भर में सरकारी और गैर-सरकारी कालेजों में कार्यान्वित नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो कालेजों में कार्य कर रहे लेक्चरारों के साथ यह भेद-भाव क्यों किया गया है और इस असंगति को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(घ) भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान अध्ययनों पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ा है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1 जनवरी 1983 से कार्यान्वित होने वाली योग्यता के आधार पर लेक्चरारों को रीडरों और रीडरों को प्राध्यापकों के रूप में पदोन्नत करने की एक योजना तैयार की थी। आयोग ने इस योजना को 31-3 1985 तक कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान करने की पेशकश की थी। यह योजना राज्य विश्वविद्यालयों और उससे सम्बद्ध कालेजों में राज्य सरकारों की सहमति से कार्यान्वित की जानी है क्योंकि उन्हें हो 31-3-1985 के बाद इन पदों पर होने वाला अनुरक्षण व्यय वहन करना होगा। उपलब्ध सूचना के अनुसार अनेक विश्वविद्यालयों ने इस योजना का कार्यान्वयन आरम्भ किया है।

(ख) और (ग) यह योजना देश के सरकारी और गैर सरकारी कालेजों के अध्यापकों पर भी लागू होती है। कालेजों में इस योजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) योजना का कार्यान्वयन अभी तक आरम्भिक स्तर पर है। अतः इस योजना के प्रभाव के सम्बन्ध में किसी प्रकार का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता है :

पिछले पांच वर्षों के दौरान मंजूर की गई सिंचाई परियोजनाओं की संख्या

3608. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1980 से आज की तारीख तक राज्य सरकारों की राज्यवार कितनी सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की गयीं ?

(ख) केन्द्र सरकार के पास (राज्यवार) कितनी है सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के लिये लंबित हैं और उसके क्या कारण; और

(ग) केन्द्र सरकार के पास राजस्थान की कौन-कौन सी परियोजनाए लंबित पड़ी हैं और उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) अप्रैल, 1980 से मार्च, 1985 तक 23 बृहद तथा 85 मध्यम नई सिंचाई स्कीमों के संशोधित अनुमानों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण उपाबन्ध-एक पर है।

(ख) 31 मार्च, 1985 तक की स्थिति के अनुसार 38 बृहद तथा 59 मध्यम नयी सिंचाई स्कीमें तथा 17 बृहद और 24 मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई स्कीमों के संशोधित अनुमान जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं। राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण उपाबन्ध-दो पर है।

इन परियोजनाओं को मंजूरी देने पर विचार करने के लिये लागत अनुमानों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता/औचित्य स्वीकार करने के लिये राज्य सरकारों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

(ग) दो बृहद तथा 8 मध्यम नई सिंचाई स्कीमें तथा एक संशोधित अनुमान जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं। परियोजनाओं के नाम उपाबन्ध-तीन में दिये गये हैं। इन परियोजनाओं को मंजूरी देने पर विचार करने के लिये लागत अनुमानों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता/ औचित्य स्वीकार करने के लिये राज्य सरकारों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

विवरण-एक

1-4-1980 से 31-3-1985 तक योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नई सिंचाई परियोजनाओं तथा संशोधित अनुमानों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	नई स्कीमें		संशोधित अनुमान	
		बृहद	मध्यम	बृहद	मध्यम
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	—	1
2.	असम	1	1	1	—

1 2	3	4	5	6
3. बिहार	3	9	—	1
4. गुजरात	2	11	—	1
5. हरियाणा	2	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	—	1	—	1
7. जम्मू और काश्मीर	—	1	1	1
8. कर्नाटक	—	1	—	—
9. केरल	1	1	5	—
10. मध्य प्रदेश	3	15	—	—
11. महाराष्ट्र	4	29	1	1
12. मणिपुर	1	1	1	2
13. उड़ीसा	—	4	1	2
14. पंजाब	2	—	—	—
15. राजस्थान	—	4	—	1
16. तमिलनाडु	—	4	—	—
17. त्रिपुरा	—	1	—	—
18. उत्तर प्रदेश	3	—	4	—
संघ राज्य क्षेत्र				
गोवा दमन, दीव	—	1	1	—
	23	85	14	11

विवरण-दो

केन्द्र के पास लम्बित पड़ी नई सिंचाई/संशोधत अनुमानों की राज्यवार संख्या (31-3-1985 तक की स्थिति के अनुसार)*

क्रम सं. राज्यों का नाम	नई स्कीमें		संशोधित अनुमान	
	बृहद	मध्यम	बृहद	मध्यम
1. आंध्र प्रदेश	4	1	4	1
2. असम	—	—	1	1
3. बिहार	4	16	4	14
4. गुजरात	1	1	—	—
5. हिमाचल प्रदेश	—	1	—	—
6. जम्मू और काश्मीर	1	4	1	4
7. कर्नाटक	2	—	—	—
8. केरल	1	—	—	—
6. महाराष्ट्र	10	20	2	1

1 2	3	4	5	6
10. मणिपुर	—	—	—	2
11. उड़ीसा	5	4	—	—
12. पंजाब	2	—	—	—
13. राजस्थान	2	8	1	—
14. तमिलनाडु	3	4	2	1
15. उत्तर प्रदेश	1	—	2	—
16. पश्चिम बंगाल	2	—	—	—
जोड़	38	59	17	24

*राज्यवार दर्शायी गई संख्या में कावेरी आदि जैसी नदी बेसिनों में स्कीमों को जहां बेसिन में समग्र रूप में जल का बंटवारा लाभार्थी राज्यों द्वारा विवादास्पद है शामिल नहीं किया गया है। संख्या में वे स्कीमें भी शामिल नहीं हैं जिन पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पहले जांच की जा चुकी है तथा राज्य सरकारों को टिप्पणियां स्पष्टीकरण/अनुपालन हेतु भेजी गई हैं।

विवरण-तीन

राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के नाम/संशोधित अनुमान जो इस समय केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी परीक्षणाधीन हैं।

क. बृहद स्कीमें

1. नर्मदा नहर
2. राजस्थान फिडर गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण

ख. मध्यम स्कीमें

1. बड़ी सिंदरा सिंचाई
2. चौली सिंचाई
3. अलिनिया सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण
4. चाकम सिंचाई
5. पिपलाईट लिफ्ट सिंचाई
6. ओलवारा लिफ्ट सिंचाई स्कीमें
7. हमीर सागर सिंचाई
8. कराली सिंचाई

ग- संशोधित अनुमान

1. इन्दिरा गांधी नहर कैनाल, चरण-दो

सिवन-थानवे-गोरखपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3609. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिवन-थानवे-गोरखपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1972 में सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य इस बीच शुरू हो गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब शुरू होने और पूरे हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा पहले से की गई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए फिलहाल, सिवानथावे-गोरखपुर मोटर लाइश खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छितौनी रेलवे पुल

3610. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दक्षिण चम्पारन जिले में छितनी रेलवे पुल के निर्माण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है जिसकी आधारशिला स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1974 में रखी थी; और

(ख) उक्त रेल पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) छितौनी से बगहा (28.4 कि. मी.) तक गंडक नदी पार पुल सहित रेल लाइन की आधारशिला 22.10.73 को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा रखी गयी थी।

(ख) बगहा-बाल्मिकी नगर (9 कि. मी.) खंड पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। पुल सहित शेष खंड पर काम आरम्भ करना और उसका पूरा होना रेलवे क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता और नदी रक्षण कार्य के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा उनके हिस्से की बढ़ी हुई लागत के भुगतान करने पर निर्भर करेगा।

आसनसोल, मोकामा, मुजफ्फरपुर और गोरखपुर होकर बड़ी रेल लाइन से कोयले की ढुलाई

3611. **श्री ललितेश्वर साही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल, मोकामा, मुजफ्फरपुर और गोरखपुर होकर बड़ी रेल लाइन से कोलले की ढुलाई का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) बरौनी-मुजफ्फरपुर-गोरखपुर के बीच स्थित उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए कोयला आसनसोल-मोकामा-मुजफ्फरपुर के रास्ते बड़ी लाइन पर पहले से ही ढोया जा रहा है।

भागलपुर (बिहार) के समीप रेल एवं सड़क पुल

3612. **श्री ललितेश्वर शाही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर (बिहार) में अथवा इसके समीप रेल एवं सड़क पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

तमिलनाडु में पम्बान पुल

3613. **श्री एन. डेनिस** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तमिलनाडु में पाम्बान पुल के काम को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस पुल का काम कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मूल ठेकेदार ने, जिसे कार्य सौंपा गया था, इस कार्य को अधूरा छोड़ दिया था। बाद में शेष कार्य के लिए टेंडर माँगा गया था और इसे मैसर्स गेमन इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड को फरवरी, 1984 में सौंपा गया था। इस पर कार्य चल रहा है, और फरवरी, 1987 तक इसके पूरा किये जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दिल की बीमारियों के इलाज के लिए नये अस्पताल खोलना

3614. **श्री एन. डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दिल की बीमारियों के इलाज के लिए नये अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हमारे डाक्टर दिल की बिमारियों का इलाज करने में पूरी तरह से सक्षम हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने डाक्टर हैं और दिल के मरीजों का इलाज करने के लिए उक्त डाक्टरों को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी गयी हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) हृदय संबंधी रोगों के इलाज के लिए अलग से नये अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। देश में ऐसे कई अस्पताल हैं जहां हृदय रोग परिचर्या की विकसित सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार ऐसे आधुनिकतम उपकरणों के आयात के लिए सीमा-शुल्क में छूट देकर अस्पतालों को पूरा सहयोग दे रही है जिनकी उन्हें इन सुविधाओं का विकास करने के लिए जरूरत होती है।

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन में आने वाले जलयानों के लिए ठहरने के स्थान की कमी

3615. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन जैसे कुछ बड़े पत्तनों में जलयानों के ठहरने के स्थान की कमी होने के कारण आने वाले जलयान इन पत्तनों पर नहीं ठहरते हैं;

(ख) यदि हां, तो अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1984 के महीनों में हर सप्ताह का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) आने वाले जलयानों के ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्र-रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मलेरिया फैलने की घटनाओं में कमी

3616. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : : क्या स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मलेरिया फैलने की घटनाओं में उत्तरोत्तर कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां मलेरिया फैलने की घटनाओं में कमी आई है;

(ग) देश के विभिन्न भागों से मलेरिया का उन्मूलन करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए क्या कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम राज्यों तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, गोवा व दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उनके यहां मलेरिया की घटनाएं कम होती जा रही हैं।

(ग) और (घ) समूचे देश में मलेरिया का नियंत्रण/उन्मूलन करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाये गये हैं :

I. ज्वर वाले रोगियों का पता लगाने, उनके रक्त लेप लेने और उनका अनुमानित उपचार करने के लिए निगरानी कार्यकर्त्ता हर पखवाडे में प्रत्येक गांव का दौरा करते हैं।

II. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशालाएं ज्वर वाले रोगियों के रक्त आलेपों की तुरन्त जांच करती है और जिन रोगियों में मलेरिया के लक्षण पाये जाते हैं उनका रेडिकल इलाज किया जाता है।

III. जिन देहाती क्षेत्रों में प्रति वर्ष 1000 जनसंख्या के पीछे मलेरिया के दो अथवा अधिक रोगी पाये जाते हैं उन सभी क्षेत्रों में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव किया जाता है।

IV. गांवों में औषध वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डिपो कम कर रहे हैं ताकि ज्वर वाले रोगियों को अविलम्ब दवाई उपलब्ध कराई जा सके।

V. लोगों में जानकारी पैदा करने के लिए इस विषय पर स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करने का काम तेज कर दिया गया है।

VI. पी. फाल्सी परम के संक्रामप को, जिसके कारण प्रमस्तिष्कीय मलेरिया हो जाता है,

रोकने के लिए देश में प्रभावित क्षेत्रों में पो. फाल्सी परम नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

VII. मलाथियन जैसी महंगी कीटनाशी, औषधियों की खरीद करने में राज्यों को कठिनाइयों को महसूस करते हुए भारत सरकार ने राज्यों को मलाथियन की समूची मात्रा देने का निर्णय किया है जिसकी पूर्ण लागत की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार करेगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन संशोधित कार्य योजना एक चालू कार्यक्रम के रूप में जारी रखी जाएगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रजनन व्यवस्था

3617. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) "2000 ई. तक सभी के लिए स्वास्थ्य।" का दीर्घावधि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रजनन व्यवस्था विकसित करने के लिए सरकार ने छठी योजना के दौरान कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों को इस बारे में क्या दिशानिर्देश भेजे गए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मानदण्ड में संशोधन किया गया है। वर्तमान मानदण्ड के अनुसार सामान्यतः प्रत्येक 30,000 ग्रामीण आबादी के लिए तथा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक 20,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। यह भी निर्णय किया गया था कि मौजूदा ग्रामीण औषधालयों को सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों में बदलने के लिए उन्हें अतिरिक्त साज-समान उपलब्ध किया जाना चाहिए। ये सहायक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सारा कार्यभार संभाल सकते हैं। छठी योजना में क्रमशः 600 (संशोधित 756) और 2270 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सहायक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया था। छठी योजना के दौरान क्रमशः लगभग 1876 * और 1958* प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सहायक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आशा है।

तिरूपति के तीर्थस्थान और मद्रास के बीच बरास्ता तिरूत्तानी विद्युत चालित रेल सेवा प्रारम्भ करना

3618. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीर्थ स्थान तिरूपति और मद्रास के बीच बरास्ता तिरूत्तानी नियमित अन्तराल पर एक विद्युत चालित गाड़ी चलाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान यातायात दबाव को कम करने के लिए इस प्रकार की नियमित सेवाएं शीघ्र प्रारम्भ करना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के मद्रास-नेल्लूर भाग का तूफान के कारण क्षतिग्रस्त होना

3619. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के नवम्बर, 1984 के तूफान के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के मद्रास और नेल्लूर भाग (जी.टी. रोड) के बीच कोई क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) टूट-फूट की मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर गुडूर में कोई शुल्क ले रही है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इस प्रकार वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) नवम्बर 1984 में समुद्री तूफान के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सं-5 का मद्रास-नेल्लूर खंड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। आन्ध्र प्रदेश में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग बहुत ही बुरी तरह खराब हो गया था और कई स्थानों पर टूट गया था जिससे 13 नवम्बर से 21 नवम्बर 1984 तक यातायात ठप्प हो गया था इस सड़क के प्रभावित खंडों की तत्काल मरम्मत कर शीघ्र ही यातायात शुरू कर दिया गया था। सड़क की सतह में सुधार और क्षतिग्रस्त खंडों की मरम्मत के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के लिए क्रमशः 75.268 लाख रुपये और 4.947 लाख रुपये की संस्वीकृति दी गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं-5 पर गुडुर और नेल्लूर के बीच मोनुबोलु बाइपास पर वसूल किये गये शुल्क का विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	राशि
1982-83	2,16,105 रुपये
1983-84	1,96,920 रुपये
1984-85	2,50, 062 रुपये

केन्द्रीय विद्यालय, तिरूपति में छात्रों की संख्या

3620. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूपति के केन्द्रीय विद्यालय में इस समय छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या वर्तमान तथा भावी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान सीटों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) तिरूपति स्थित केन्द्रीय विद्यालय(सेन्ट्रल स्कूल) में 24-1-1985 को 556 छात्र दाखिल थे।

(ख) जी, नहीं।

कृषक सहकारिताओं को उठाऊ सिंचाई के लिए कृषक राज सहायता देना

3621. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषक सहकारिताओं को अपने ही संसाधनों से 5000 एकड़ तक भूमि को सिंचाई सुविधा के अन्तर्गत लाने हेतु उठाऊ सिंचाई के लिए पम्प सैट लगाने के उसके प्रयासों के लिए राज सहायता देने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों द्वारा इस क्षेत्र में स्वयं अपने प्रयास करने में सहायतार्थ कौन सी सुविधायें प्रदान की गई हैं; और

(घ) क्या इन सुविधाओं का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय (सिंचाई विभाग) के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) छोटे तथा सीमान्त किसानों को लघु सिंचाई के लिए बराबरी के आधार पर सब्सिडी उपलब्ध कराने की एक स्कीम कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को दिए गए केन्द्रीय अनुदान और ऋण

[हिन्दी]

3622. **श्री बालकवि बैरागी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश को आदिवासी क्षेत्रों में उसकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए छठी योजना में अनुदानों और ऋणों की कितनी धनराशि दी;

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं हेतु अनुदान और ऋण देने की क्या कसौटी है,

(ग) क्या यह धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई धनराशि की तुलना में कम थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश में छठी योजना में जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार, सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय द्वारा कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

क्षय रोग नियंत्रण को 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल करना और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे की मशीनों की व्यवस्था करना

[अनुवाद]

3623. **श्री भूल चन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग नियंत्रण को 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे की मशीनें लगा दी गई हैं और

(ग) हमारे देश में क्षय रोगियों का पता लगाने और उनका उपचार करने में एम. एम. आर. (मास मिनिऐचर रेडियोग्राफी) की स्थिति और भूमिका क्या है तथा गत तीन वर्षों की तत्संबंधी राज्यवार और वर्ष-वार स्थिति क्या है;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एक्सरे मशीनें सप्लाई नहीं की जाती हैं। किन्तु, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्सरे मशीन की सुविधाएं विद्यमान हैं।

(ग) मिनियेचर रेडियोग्राफी उपकरणों वाले एक्सरे यूनिट का उपयोग रोगियों के वक्ष की जांच के लिए एक्सरे लेने में किया जाता है। एक्सरे यूनिट में मिनियेचर रेडियोग्राफी उपकरण जोड़ देने से छोटे आकार की एक्सरे फिल्मों (70 मि. मी. × 70 मि. मी. अथवा 100 मि. मी. × 100 मि. मी.) का उपयोग किया जा सकता है और चूंकि इन छोटे आकार की फिल्मों की कीमत मानक आकार की एक्सरे फिल्म की कीमत का लगभग आठवां या दसवां हिस्सा होती है, इस लिए ये काफी सस्ती पड़ती है, विशेषकर जब वक्ष परीक्षण एक्सरे बहुत अधिक संख्या में लिए जाते हैं। जिन रोगियों के वक्ष परीक्षण एक्सरे में फेफड़ों में असामान्य कालिमा दिखाई पड़ती हैं, उनमें पल्मोनरी टी.बी. होने का पता लगाने के लिए आगे और जांच की जाती है। जिन टी.बी. रोगियों का इलाज हो रहा है, उनका रोग बढ़ रहा है या घट रहा है इसका पता लगाने के लिए अनुवर्ती उपायों के एक अंग के रूप में वक्ष परीक्षा एक्सरे भी किया जाता है।

राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के अन्तर्गत मिनियेचर रेडियोग्राफी उपकरण (ओडेल्का कैमरा) वाले स्टेटिक एक्सरे यूनिट देश के 354 जिला क्षय रोग केन्द्रों में उपलब्ध हैं। जिन जिला क्षय रोग केन्द्रों में ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं उनकी संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाये गये क्षय रोगियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण -II में दिया गया है।

विवरण-एक

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एक्सरे यूनिट तथा मिनियेचर रेडियोग्राफी उप करणों (ओडेल्का कैमरा) से लैस जिला क्षय रोग केन्द्रों की कुल संख्या
1.	2.	3.
1.	आन्ध्र प्रदेश	23
2.	असम	10
3.	बिहार	25
4.	गुजरात	19
5.	हरियाणा	9
6.	हिमाचल प्रदेश	8
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	9
8.	कर्नाटक	19

1	2	3
9.	केरल	10
10.	मध्य प्रदेश	45
11.	महाराष्ट्र	26
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	2
14.	नागालैंड	1
15.	उड़ीसा	13
16.	पंजाब	10
17.	राजस्थान	26
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	15
20.	त्रिपुरा	2
21.	उत्तर प्रदेश	56
22.	पश्चिम बंगाल	16
संघ शासित क्षेत्र		
23.	अरुणाचल प्रदेश	1
24.	गोवा दमन एण्ड दीव	1
25.	मिजोरम	1
26.	पांडिचेरी	1
27.	अण्डमान एण्ड निकोबार आइसलैण्ड	1
28.	चण्डीगढ़	1
29.	दादर एण्ड नागर हवेली	—
30.	दिल्ली	1
31.	लक्कद्वीप	—
	योग	354

विवरण-दो

क्रम संख्या	राज्यो/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1982-83	1983-84	1984-85 (अनन्तिम) (फरवरी, 1985) तक)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	59407	61594	54751
2.	अक्षय	11002	15517	12858
3.	बिहार	84862	91260	110793

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	85437	102019	92488
5.	हरियाणा	18323	19518	17320
6.	हिमाचल प्रदेश	11311	14024	12354
7.	जम्मू और कश्मीर	8550	8214	6728
8.	कर्नाटक	45763	48009	42996
9.	केरल	30395	29572	24427
10.	मध्य प्रदेश	74879	93617	71070
11.	महाराष्ट्र	177159	205792	179170
12.	मणिपुर	1341	1558	1650
13.	मेघालय	912	1279	1194
14.	नागलैंड	174	705	742
15.	उड़ीसा	20581	23590	20662
16.	पंजाब	25126	34596	26538
17.	राजस्थान	34668	38129	41271
18.	सिक्किम	1248	621	एन.आर.
19.	तमिलनाडु	88140	93437	84078
20	त्रिपुरा	1528	1648	1413
21.	उत्तर प्रदेश	178880	199949	188292
22.	पश्चिम बंगाल	78245	74358	49307
23.	अरुणाचल प्रदेश	761	1187	1565
24.	गोवा, दमन और द्वीव	2181	2819	2572
25.	मिजोरम	533	1027	493
26.	पांडिचेरी	4868	4110	4107
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	612	576	277
28.	चंडीगढ	1640	1982	1974
29.	दादर और नगर हवेली	117	301	167
30.	दिल्ली	33821	37595	32998
31.	लक्षद्वीप	79	105	127
		योग—1081493	1208880	1085572

विकलांग व्यक्ति और उनको रोजगार दिया जाना

[हिन्दी]

3624. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें नेत्रहीनों, बहरे तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है,

(ख) क्या सरकार ने इन विकलांग व्यक्तियों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की है,

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है और वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान सरकारी कार्यालयों में कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, और

(घ) सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इनको कितना पूरा किया गया है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम. चन्द्र शेखर) : (क) 1981 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 120 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से विकलांग हैं और यह संख्या 68 करोड़ की कुल जन संख्या का लगभग 1.8 प्रतिशत है। विकलांगतावार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

1. चल शक्ति विकलांगता	—54.3 लाख व्यक्ति
2. दृष्टि विकलांगता	—34.7 लाख व्यक्ति
3, श्रवण विकलांगता	—30·2 लाख व्यक्ति
4. वाणी विकलांगता	—17.5 लाख व्यक्ति

लगभग 10 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति ऐसे हैं जो एक से अधिक प्रकार से विकलांग हैं।

(ख) और (ग) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रमों/-योजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पद केन्द्रीय सेवाओं में समूह "ग" और "घ" पदों में और सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के समान पदों में नेत्रहीनों, बधिरों और अपंग व्यक्तियों प्रत्येक के लिए एक-एक प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में जिन विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है उनकी संख्या के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी समाज और महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा एकत्रित की गई रिपोर्टों से पता चला है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया :—

वर्ष	समूह "ग"	समूह "घ"
1982	49	48
1983	71	45
1984	139	135

2. विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में उनकी सहायता करने के लिए भारत सरकार ने 22 विशेष रोजगार कार्यालयों की और सामान्य रोजगार कार्यालयों में 31 विशेष सेलों की स्थापना की है जो केवल विकलांग व्यक्तियों को लाभ-प्रद रोजगार प्रदान करने में लगे हुए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित विकलांग व्यक्तियों को विशेष रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार पर लगाया गया है :—

वर्ष	रोजगार पर लगाए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या
1982	4055
1983	2448
1984	1963

इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने में भी सामान्य रोजगार कार्यालय सहायता करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों (विशेष रोजगार कार्यालयों सहित) के माध्यम से जिन विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	रोजगार पर लगाए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या
1982	9381
1983	6444
1984	5730

3. विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट योग्यता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और उन्हें नियमित रोजगार पर लगाने के लिए 14 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है।

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा रोजगार पर लगाए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	रोजगार पर लगाए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या
1982	3510
1983	3966
1984	4722

4. संचार मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों को उनके जीवन-निर्वाह के लिए सार्वजनिक टेलीफोन बूथ दिए जाते हैं।

31 दिसम्बर, 1984 तक विकलांग व्यक्तियों को 2348 सार्वजनिक बूथ आवंटित किए जा चुके हैं।

5. विकलांग व्यक्तियों को स्वतः रोजगार स्थापित करने में सहायता करने के लिए बैंकों से सामान्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर्ताओं की संख्या उपलब्ध नहीं है।

6. विकलांग व्यक्तियों के लिए जिनमें युद्ध में अपंग होने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों में सभी प्रकार की 15 प्रतिशत डीलरशिप/एजेंसियां निर्धारित की गई हैं।

इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर्ताओं की संख्या उपलब्ध नहीं है।

7. विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या उपलब्ध नहीं है।

भारत में उपलब्ध चिकित्सक

[अनुवाद]

3625. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार 1956 के भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने का है, ताकि कम से कम पांच वर्ष में एक बार मैडिकल प्रैक्टिशनरों के सार्विधिक पंजीकरण की व्यवस्था हो सके।

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी, हां।

चिकित्सा सुविधाविहीन गांव

3626. **श्री अन्नत प्रसाद सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उन गावों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है जहां चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने के लिए चलते फिरते अस्पताल उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) देश में उन गांवों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया जहां चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वैसे देश के सभी गाँवों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग 80.000× उप केन्द्रों 7360× प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 4010× सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों और 593× दर्जा बढ़ाए गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए तथा ग्राम स्तर पर 5 लाख× प्रशिक्षित दाइयों और 3.5 लाख× स्वास्थ्य गाइडों के अतिरिक्त राज्य/केन्द्र शासित सरकारों के अन्तर्गत कार्य कर रहे बहुत से ग्रामीण औषधालयों के जरिए प्रदान की जा रही हैं।

(ग) और (घ) देश के प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने के लिए मोबाइल अस्पताल उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

×आकड़े अनन्तिम हैं।

जालंधर-पठानकोट रेल मार्ग को दोहरा बनाना

3627. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में जालंधर और पठानकोट रेल मार्ग को दोहरा बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी और उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को अम्ब से परे उचित समायोजन/रद्दोबदल करके बरास्ता-तलवाड़ा रेल लाइन के निर्माण कार्य को तेज करके पठानकोट बरास्ता नांगल और अम्ब को जोड़ने के लिए भी क्या कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिससे कि जालंधर और पठानकोट के बीच वर्तमान मार्ग पर भीड़-भाड़ को कम किया जा सके और धन की कमी को ध्यान में रखते हुए विकास के लिए एक नये क्षेत्र की शुरूआत भी की जा सके तथा वर्तमान मार्ग के विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब निर्णय कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जम्मूतवी और जालंधर सिटी (217 कि. मी.) के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए एक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट और परियोजना अनुमानों की जांच के बाद प्रस्तावित दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा बशर्ते कि संसाधन सुलभ हों।

(ग) और (घ) नंगल डेम से तलवाड़ा तक (84 कि. मी.) तक नयी बड़ी लाइन का निर्माण और तलवाड़ा-मुकेरिया साइडिंग का अधिग्रहण एक अनुमोदित परियोजना है। नंगल डेम और राय मेहतपुर (7 कि. मी.) के बीच की लाइन पूरी हो चुकी है और साइडिंग के रूप में खोल दी गयी है। राय महतपुर से आगे ऊना और अम्ब अंदौरा तक की लाइन की प्रगति आगामी वर्षों में धनराशि की सुलभता और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भूमि तथा निष्पादित किये जा रहे मिट्टी संबंधी कार्य पर निर्भर करेगी।

शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में क्षय रोगियों की संख्या अधिक होना

3629. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरी क्षेत्रों में क्षय रोग से पीड़ित रोगियों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में क्षय रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या कहीं अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रोगियों के लिए कोई उचित उपचार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्षय रोग अस्पताल खोलने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। क्षयरोग की व्याप्तता दर देहाती और शहरी क्षेत्र में लगभग एक जैसी है। चूंकि देश में लगभग 80 प्रतिशत लोग देहाती क्षेत्र में रहते हैं और रोग की दर एक जैसी है इसलिए देहाती क्षेत्रों में रह रहे और क्षयरोग से पीड़ित रोगियों की संख्या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले रोगियों की संख्या की तुलना में अधिक है।

(ख) क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाने से इस पर नया बल दिया गया है। उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मचारियों से पूर्णतया लैस 360 जिला क्षयरोग केन्द्रों और 310 क्षयरोग क्लीकिनों के माध्यम से क्षयरोगियों का पता लगाने और उनका उपचार करने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन देहाती क्षेत्रों के क्षय रोगियों को उपचार की उचित सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए देहाती क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, ग्राम स्वास्थ्य गाइड की सेवाओं का उपयोग भी किया जा रहा है।

(ग) क्षयरोग नियंत्रण कार्य को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ा गया है और देहाती लोगों के हित के लिये रोगियों का पता लगाने और उपचार करने की सुविधायें देहाती क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। देहाती क्षेत्रों में क्षयरोग अस्पताल खोलने की कोई योजना नहीं है क्योंकि प्रभावकारी क्षयरोधी औषधियों का पता लग जाने के कारण अधिकांश क्षयरोगियों का उपचार उनके घर पर ही प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है। जो रोगी गम्भीर रूप से बीमार होते हैं उन्हें उस क्षेत्र में स्थित क्षयरोग अस्पताल में अन्तरग रोगी के रूप में भरती कर लिया जाता है।

कर्नाटक को कलपक्कम और नेवेली से बिजली की सप्लाई

3630. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को इस समय कलपक्कम परमाणु परियोजना और नेवेली ताप बिजली परियोजना से कितनी बिजली दी जाती है; और

(ख) इस तथ्य को देखते हुए कि कर्नाटक को गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है कि कर्नाटक को उक्त परियोजनाओं से तत्काल बिजली का अपना संचित हिस्सा प्राप्त हो सके ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) कर्नाटक को कलपाक्कम परमाणु और नेवेली ताप विद्युत केन्द्रों से इस समय कोई बिजली नहीं दी जाती है क्यों कि इन केन्द्रों की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता में कर्नाटक को हिस्से का आबंटन नहीं किया गया है।

नर्मदा बांध

3631. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नर्मदा बांध के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि जिस क्षेत्र में उक्त बांध का निर्माण किया जा रहा है वहां बसे सैंकड़ों आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें पुनः कहां बसाया गया है तथा उन्हें मुआवजे के रूप में दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) मुख्य बांध तथा बांध के बाएं तट के अन्तिम एकाश्म (मोनोलिथ्स) की नींव का कार्य प्रगति पर है। अभिकरण को निश्चित करने के लिए मुख्य बांध के वास्ते संविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ख) बांध के निर्माण कार्य के लिए भूमि के अधिग्रहण द्वारा कुछ जनजातीय परिवार प्रभावित हुए हैं।

(ग) प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अम्बेवाड़ी, चिन्दयापुर, खडगाडा सुका, यापमी तथा टंटावल जैसे कई स्थानों पर कुओं, स्कूलों तथा आंतरिक सड़कों जैसी नागरिक सुविधाओं सहित पुनर्वास स्थल विकसित किए जा रहे हैं। अधिग्रहित भूमितथा परिसम्पत्ति के मुआवजे का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

रेलवे में भाप से चलने वाले इंजन

3632. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में इस समय भाप से चलने वाले इंजनों की संख्या कितनी है और उन पर कितना वार्षिक व्यय होता है;

(ख) क्या इन इन्जनों की संख्या वर्ष-प्रतिवर्ष कम हो रही है और व्यय बढ़ रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं,

(घ) इन इंजनों को डीजल अथवा बिजली के इन्जनों में कब तक बदला जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) 1-4-84 को भारतीय रेलों पर कार्यरत भाप रेल इन्जनों की संख्या 6212 है वर्ष 1983-84 में इन रेल इन्जनों की मरम्मत, अनुरक्षण और परिचालन पर हुआ वार्षिक खर्च 569.71 करोड़ रुपये था।

(ख) जी हां।

(ग) मुख्यतः प्रमुख असेम्बलियों के बदलाव में वृद्धि होने के कारण जो मंहगी हैं, तथा कीमतों और वेतनों में वृद्धि के कारण भी।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भाप रेल इंजनों को धीरे-धीरे डीजल और बिजली रेल इंजनों से बद.. जा रहा है। सभी 6212 भाप रेल इंजनों की बड़ी संख्या के बदलाव के लिए तिथि का पूर्वानुमान लगाना कठिन है।

भावनगर डिविजन में अत्यधिक पुराने भाप इंजनों का प्रयोग

3633. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के भावनगर डिविजन में बहुत पुराने भाप इंजन चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे इंजनों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या अत्यधिक पुराने इंजनों के कारण रेलों के यात्रा समय और रफ्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन अत्यधिक पुराने इंजनों को प्रयोग से हटाने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) भावनगर मंडल के मीटर लाइन खंड पर कोई गतायु भाप इंजन नहीं चल रहे हैं।

(ख) आठ।

(ग) जी हां।

(घ) वर्तमान नीति के अनुसार नये भाप इंजनों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर डीजल इंजन यातायात के उच्च घनत्व वाले चुनींदा मार्गों पर चलाये जा रहे हैं। इन मार्गों पर कार्यरत भाप रेल इंजनों को यातायात के कम घनत्व वाले अन्य मार्गों पर भेजने के लिए विनिर्मुक्त कर दिया जाता है जहाँ गतायु भाप रेल इंजन कार्य कर सकते हैं भावनगर के छोटी लाइन खंड पर यातायात का कम घनत्व है जहाँ केवल 4 जोड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और इस खंड पर इस समय कार्यरत भाप रेल इंजनों को इस प्रक्रिया के अनुसार अपनी बारी में अन्य खंडों से विनिर्मुक्त भाप इंजनों से बदल दिया जायेगा।

सरकारी अस्पतालों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिवर्ष प्रति शय्या पर किए जाने वाले खर्च के औसत में वृद्धि

3634. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्पतालों में दवाइयों और भोजन पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष प्रति शय्या पर किये जाने वाले खर्च के अखिल भारतीय औसत में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में भोजन और दवाइयों के खर्च में कितनी वृद्धि हुई थी; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में अपेक्षित जानकारी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) (ख) और (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न अस्पतालों के लिए कितना-कितना धन खर्च करती हैं, इसका केन्द्रीय सरकार कोई हिसाब नहीं रख रही है। वैसे अनुमान है कि स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च 1979-80 में 19.19 रुपये से बढ़कर 1981-82 में 27.86 रुपये हो गया है। इसी प्रकार, परिवार नियोजन पर खर्च 1979-80 में 1·84 रुपये से बढ़कर 1981-82 में 2.77 रुपये हो गया है।

केरल में जनसंख्या की तुलना में रेल लाइनों की संख्या

3635. **प्रो. पी. जे. कुरियन :**

श्री आर्ज जोसेफ मुण्डाकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में प्रति एक लाख जनसंख्या के पीछे कितनी किलोमीटर लम्बी रेल लाइनें है; और

(ख) क्या विशेष रूप से केरल के संदर्भ में इतने अधिक असन्तुलन को कम करने के लिए कोई प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) केरल में प्रति एक लाख जनसंख्या के पीछे 3.6 मार्ग किलीमीटर है।

(ख) स्वतंत्रता के बाद से केरल में 281 कि. मी. नयी रेल लाइनें बनायी गई हैं। दो और नयी लाइनें पहले से ही निर्माणाधीन हैं।

डाभोल में तापीय-बिजली संयंत्र

3636. **श्री हुसेन दलवाई :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाभोल में तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है। जिसे छठी पंचवर्षीय योजना में मंजूरी दो गयो थी; और

(ख) ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से छठी पंचवर्षीय योजना में मंजूर हुए उपरोक्त ताप विद्युत केन्द्र की क्रियान्विति में विलम्ब हो रहा है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) (क) और (ख) डाभोल में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को छठी योजना में स्वीकृति नहीं दी गई है। सभी आवश्यक

निवेशों जैसे कोयले की उपलब्धता, ढुलाई और वित्त व्यवस्था आदि सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही निर्णय लिया जा सकता है।

प्रमुख नगरों में दुर्घटना उपचार हेतु विशेष केन्द्र

3637. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रमुख नगरों में दुर्घटना-उपचार के लिए विशेष केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या दुर्घटनाओं से पीड़ित होने वाले लोगों का उपचार करने हेतु मौजूदा प्रमुख अस्पतालों में विशेष कक्ष खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के तत्वाधान में दिल्ली शहर के लिए दुर्घटना और चोट की केन्द्रीय सेवाएं स्थापित करने की एक योजना अनुमोदित की गई हैं जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(क) घायलों को तत्काल सेवा उपलब्ध करना, अधिमानत: दुर्घटना के स्थान पर ही उपचार शुरू किया जाना,

(ख) इस क्षेत्र में आंकड़ों का लगातार मूल्यांकन और अनुसंधान करके मोतों और विस्तृत विकलांगता को रोकना।

(ग) अनुसंधान और जन शिक्षा से प्राप्त अनुभव को मद्दे नजर रखते हुए दुर्घटना रोकने संबंधी उपायों का विकास करने में सहायता करना।

(घ) ऐसी आपातिक स्थितियों से निपटने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करना, और समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का हर सम्भव ढंग से पुनर्वास करना।

अन्य बड़े शहरों में इसी प्रकार की विशिष्ट यूनिटें स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारों के अधिकतर बड़े अस्पतालों में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के इलाज के लिए आपातकालीन और कैजुएल्टी सेवाएं उपलब्ध हैं।

पांचवीं और छठी योजना के दौरान जन्म/मृत्यु दर तथा जनसंख्या की निवल वृद्धि दर

3638. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या को निवल वृद्धि-दर क्या रही है;

(ख) पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के परिवार नियोजन संबंधी लक्ष्यों से यह किस प्रकार तुलनीय है; और

(ग) उन लक्ष्यों को किस आधार पर निर्धारित किया गया था ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति में जन्म और मृत्यु दर के वार्षिक अनुमान कलैंडर वर्ष के आधार पर उपलब्ध

होते हैं। सहज वृद्धि दर वार्षिक जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर के आधार पर निकाली जाती है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार गत दस वर्षों की वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर तथा सहज वृद्धि दर (प्रति हजार जनसंख्या के अनुसार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन के लक्ष्य योजनावधि के अन्त तक अर्थात 1978-79 तक जन्म दर 30 प्रति हजार के हिसाब से प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गये थे। वैसे, सन् 2000 ईसवी तक 60 प्रतिशत के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के लक्ष्य इस ढंग से निर्धारित किए गये थे जिससे योजना के अन्त तक अर्थात 1984-85 तक 36.6 प्रतिशत दम्पत्तियों को गर्भ रोधन के प्रभावकारी तरीकों से सुरक्षित किया जा सके।

विवरण

प्रति हजार जनसंख्या के अनुसार वार्षिक दर

वर्ष	जन्म दर	मृत्यु दर	वार्षिक दर
1974	34.5	14.5	20.0
1975	35.2	15.9	19.3
1976	34.4	15.0	19.4
1977	33.0	14.7	18.3
1978	33.3	14.2	19.1
1979	33.7	13.0	20.7
1980	33.7	12.6	21.1
1981	33.9	12.5	21.4
1982	22.8	11.9	21.9
1983×	33.6	11.9	21.7

×अनन्तिम।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

3639. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कौन सी सिंचाई परियोजनायें चल रही हैं;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं को छठी योजना के दौरान शुरू किया गया था;

(ग) इन परियोजनाओं पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी;

(घ) उनमें से प्रत्येक परियोजना के पूरा होने पर, कुल कितने हैक्टयर भूमि में सिंचाई की जा सकेगी; और

(ङ) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (ङ) इस समय 26 बृहद तथा 82 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इनमे से 4 बृहद तथा 15 मध्यम परियोजनाएं छठी योजनावधि के दौरान आरम्भ की गई थीं। लघु सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं।

इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 5,600 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर इनकी सिंचाई क्षमता लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर होगी।

छठी योजना के अन्त तक 6 बृहद तथा 34 मध्यम परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना थी।

बिलासपुर टिटिलागढ़ पैसेन्जर गाड़ी में रेंगाली स्टेशन पर दिनांक 16 मार्च, 1985 को आग लगना

3640. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 मार्च, 1985 को उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में रेंगाली स्टेशन पर बिलासपुर-टिटिलागढ़ पैसेंजर गाड़ी में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं; और

(ग) आग के कारण कितनी जानें गईं और रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि पहुंची ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी नहीं। 16.3.85 को जब 333 अप झारसुगुड़ा-टिटिलागढ़ पैसेंजर के गार्ड ने रेंगाली स्टेशन के लिए बुक किए गये पैकेजों को उतारने के लिए पार्सल यान को खोला तो उन्होंने उक्त पार्सल यान में तेल के परेषणों से धुआं निकलते देखा। विभागीय समिति के निष्कर्षों के अनुसार धुआं तेल के परेषणों के नजदीक जली हुई सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े के भूल से छूट जाने के कारण उठ रहा था।

(ग) वहां न तो कोई जन-हानि हुई और न ही कोई घायल हुआ। रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का मूल्य लगभग 10,000/ रुपये आंका गया है।

सातवीं योजना के दौरान खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना

3641. **श्री राधा कांत डिगाल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं योजना के दौरान "खुले विश्वविद्यालय" स्थापित करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है और इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत): (क) केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय को स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) केन्द्रीय सरकार का सातवीं योजना में इस प्रकार के मात्र एक विश्वविद्यालय को स्थापित करने का विचार है। वर्ष 1985-86 के बजट में 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया गया है। सातवीं योजना में इस योजना के कुल परिव्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय की ब्यौरे-वार परियोजना रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

एम. बी. कंराली के लापता होने की जांच

3642. **श्री टी. बशीर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एम. वी. कैराली के लापता होने के मामले में जाँच पूरी कर ली है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जहाज एम. वी. "कैराली" के लापता होने के बारे में कोट्टायम के चीफ प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् जाँच की गई थी । इस जांच रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान किया गया है कि एम. वी. "कैराली" जहाज खराब मौसम के कारण गहरे समुद्र में डूबा था । ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि 30 जून, 1979 को मुरगांव से चलते समय उक्त जहाज में किसी प्रकार की खराबी थी । इसका परिचालन सूक्ष्म अधिकारी और कर्मी कर रहे थे और इसमें जानमाल, नौचालन उपकरण और संचार के सभी उपकरणों की व्यवस्था थी । जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार इस जहाज में कच्चा लोहा उचित तरीके से और जहाज के सभी खंडों में उचित रीति से लादा गया था और जहाज पर निर्धारित मात्रा से अधिक माल नहीं लादा गया था ।

मद्रास-एगमोर-तंजोर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3643. **श्री ई. एस. एम. पक्कीर मोहम्मद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मद्रास-एगमोर-तंजोर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस आमान परिवर्तन परियोजना को शुरू करना सम्भव नहीं है ।

बिहार में कोसी नहर

[हिन्दी]

3644. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कोसी नहर परियोजना का कार्य कब तक प्रारम्भ किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि परियोजना के कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है और इसके पूरा होने का निर्धारित समय पहले ही पूरा हो चुका है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (ग) पूर्वी कोसी नहर प्रणाली पर निर्माण कार्य 1959 में तथा पश्चिमी कोसी नहर पर 1971 में शुरू किया गया था ।

पूर्वी कोसी नहर प्रणाली अब तक अधिकतर पूरी हो गई है। पश्चिमी कोसी नहर की निर्माण अनुसूची को संशोधित किया जाना था। राज्य सरकार को समय-समय पर स्कीम को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक निधियां तथा अन्य संसाधन आबंटित करने की सलाह दी जाती है। परियोजना के निर्माण कार्यों की राज्य स्तर पर तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भी मानीटरी की जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की मद्यपान पर रिपोर्ट

[अनुवाद]

3645. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विकासशील देशों में मद्यपान की आदत बढ़ती जा रही है,

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट के अन्तर्गत भारत भी आ जाता है,

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष हैं, और

(घ) इस बारे में सरकार का अपना अनुमान क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम. चन्द्रशेखर) : (क) से (घ) सरकार को अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है

केरल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

3646. श्री टी. बशीर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्तर का उच्च अध्ययन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में अनुसंधान कार्य की सुविधाओं से युक्त कोई तकनीकी संस्थान नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल में एक "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" की स्थापना के लिए कदम उठाने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय संस्थान है, जो शिक्षा, प्रशिक्षण तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए उच्चतम स्तर पर सुविधाएं प्रदान करते हैं, और उनका अखिल भारतीय स्वरूप है। ये संस्थान राज्य-वार आधार पर स्थापित नहीं किये जाते हैं। इस समय केरल में कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में रेल लाइनों को दोहरा करना

3647. श्री टी. बशीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय कौन-कौन सी रेल लाइनों को दोहरा किया जा रहा है;

(ख) छठी योजना के दौरान इनमें से प्रत्येक रेल लाइन के लिए कितना धन आबंटित किया गया था;

(ग) आबंटित किये गये धन में से प्रत्येक लाइन पर कितना धन व्यय किया जा चुका है; और

(घ) प्रत्येक लाइन कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	दोहरीकरण कार्य का नाम	छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित धनराशि	*छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्याशित व्यय	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
1.	ओल्लवकोड-शेरुवण्णूर लाइन का दोहरी करण (44.2 कि. मी.)	958.22	1051.86	माल यातायात के लिए 8.12.83 को और यात्री यातायात के लिए 28.11.84 को खोल दी गयी।
2.	शेरुवण्णूर-अल्वायीः कहीं-कहीं दोहरीकरण चरण-II (44.67 कि. मी.)	1165.71	1311.22	माल यातायत के लिए 8.8.84 को और यात्री यातायात के लिए 22.11.84 को खोल दी गयी।
3.	शेरुवण्णूर-अल्वायी कहीं-कहीं दोहरीकरण चरण-III. (24.3 कि.मी.)	613.09	581.05	6.23 कि. मी. लाइन 21.1.85 को माल यातायात के लिए और 29.3.85 को यात्री यातायात के लिए खोल दी गयी। शेष 2 खण्डों को 1985-86 में यातायात के लिए खोल दिए जाने की आशा है।

*1984-85 के लेखों को अंतिम रूप अभी दिया जाना है।

कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण

3648. **श्री बी. सोमनाद्री सबरा राव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा में कृष्ण ऐनीकट के अन्तर्गत सर आर्थर काटन द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार आयाकट का कुल कितना निर्माण किया गया है;

(ख) विजयवाड़ा में प्रकाशन बांध के अन्तर्गत आयाकट की कुल सीमा कितनी है;

(ग) क्या कृष्णा डेल्टा प्रणाली को आधुनिक बनाने के किसी प्रस्ताव का अध्ययन किया गया था और उस पर खर्च होने वाली धनराशि का अनुमान लगाया गया था;

(घ) उक्त अध्ययन और अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आधुनिकीकरण के लिए धनराशि प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक से अनुरोध किया गया था; और यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार इस कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण कहां से करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) 2.02 लाख हेक्टेयर।

(ख) 4.85 लाख हेक्टेयर

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजना आधुनिकीकरण में नहरों के पुनरूर्पण, नहरों की चुनिंदा लाइनिंग, अतिरिक्त नियामकों तथा क्रास जल निकास कार्यों का निर्माण और जनसंचार सुविधाओं में सुधार जैसी मदों की व्यवस्था है। आधुनिकीकरण स्कीम का उद्देश्य 4.85 लाख हेक्टेयर के विद्यमान आयकट में सिंचाई स्थिर करना तथा 0.18 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता के सृजन की परिकल्पना है। प्रस्ताव पर 220.42 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

(ङ) स्कीम को विश्व बैंक सहायता के लिए शमिल करने का प्रस्ताव है। बैंक द्वारा स्वीकृति देने के लिए स्कीम का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन अभी किया जाना है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

अग्नि शामक सुविधाओं से वंचित सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियां

3649. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली/दिल्ली में अनेक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरियों में अभी तक अग्निशामकों की व्यवस्था नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसी कितनी डिस्पेंसरियां हैं जहां उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है और वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) सरकार का विचार सभी किस्म की सभी डिस्पेंसरियों में कब तक अग्नि शामकों की व्यवस्था करने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां,।

(ख) जिन औषधालयों में वह सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है उनकी संख्या और वे कहां-कहां स्थित हैं, इसकी एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

विवरण

1. चित्र गुप्ता रोड़
2. गोल मार्कीट-II.
3. गाजियाबाद
4. गुड़गांव
5. फरीदाबाद
6. गोल मार्कीट (होम्यो.)
7. नार्थ एवेन्यू (आयु.)
8. गोल मार्कीट (आयु.)
9. सरोजनी नगर (यूनानी)
10. आर. के. पुरम् (आयुर्वेद)
11. आर. के. पुरम् (होम्योपेथी)
12. अशोक बिहार
13. चांदनी चौक
14. दरिया गंज
15. दिल्ली कैंट
16. जी. के. जी.
17. इन्द्रपुरी
18. जनकपुरी I. और II
19. किंगजवे कैम्प
20. लक्ष्मी नगर
21. नारायणा
22. न्यू राजेन्द्र नगर
23. पालम कालोनी
24. राजोरी गार्डन
25. राजोरी रोड औषधालय और अस्पताल
26. शाहदरा
27. शकूर बस्ती
28. सब्जी मंडी
29. त्रो नगर
30. आयुर्वेद औषधालय, देव नगर
31. होम्योपैथिक औषधालय, देव नगर।
32. मजूर बिहार

पुष्प विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का यूनानी औषधालय खोलना

3650. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जुलाई, 1980 से 30 जून, 1983 की अवधि के दौरान, पुष्प विहार, नई दिल्ली के निवासियों की ओर से उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का यूनानी औषधालय खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा/ उनके मंत्रालय में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का यूनानी औषधालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के यूनानी प्रणाली के औषधालय खोलने के क्या कारण हैं जहां पर इस सुविधा की मांग पुष्प विहार के निवासियों की मांग के काफी समय पश्चात की गई थी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय पुष्प बिहार में यूनानी औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

कोलम्बो के बजाए मद्रास पत्तन को पारेषण पत्तन के रूप में इस्तेमाल करना

3651. **श्री आर. अन्नानाम्बी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, कोलम्बो के बजाए मद्रास पत्तन को, जिसे एक सम्पूर्ण कन्टेनर पत्तन के रूप में विकसित किया गया है, एक पारेषण पत्तन के रूप में इस्तेमाल करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) कन्टेनरों के लिए मद्रास पत्तन एक पारेषण पत्तन बन चुका है। भारतीय नौवहन निगम ने मद्रास को आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यू. के. महाद्वीप के लिए टर्मिनल पत्तन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसके जहाज अब बंगलादेश में चटगांव और चालना तथा कलकत्ता और हल्दिया से कोलम्बो के बजाय मद्रास तक कंटेनर ढोते ले जाते हैं।

सबसे निचले स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए योजना

3652. **श्रीमती ऊषा चौधरी** :

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मानसिक रूप से मन्द बुद्धि लोगों की संख्या बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु सरकार

की क्या योजना है और मानसिक रूप से मन्द बुद्धि लोगों के पुनर्वास और सबसे निचले स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) मानसिक रोगियों के लिए 46 मनोरोग अस्पतालों में 21019 पलंगों तथा जनरल और अध्यापन अस्पतालों में 2000 से 3000 पलंगों की सुविधाएं मौजूद हैं। मनः चिकित्सा यूनिटें एवं मनोरोग अस्पताल बाह्यरोगी क्लीनिक भी चलाते हैं जो अधिकतर शहरों में मानसिक रोगों के इलाज के मुख्य स्रोत है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में चलाने के लिए (संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए) एक योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य दूर-दराज क्षेत्रों में सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाएं प्रदान करना है। समाज और महिला कल्याण मंत्रालय मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चला रहा है :—

1. विकलांगता के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना।
2. विकलांग बच्चों को वजीफा देने की योजना।
3. विशेष रोजगार कार्यालय और रोजगार-कार्यालयों में विशेष कक्ष।
4. जिला पुनर्वास केन्द्र योजना।

अरब देशों को पानी की सप्लाई के लिए तेल टंकरों का उपयोग

3653. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी की कमी का सामना कर रहे अरब देशों को भारत से पानी सप्लाई करने के लिए मध्य पूर्व देशों को वापिस जाने वाले तेल टैंकरों का उपयोग करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि जापान द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) हाल के वर्षों में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) जी नहीं।

तापीय और पन बिजली उत्पादन में असंतुलन

3654. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में ऊर्जा के कुल उत्पादनों में तापीय और पन बिजली उत्पादन के बीच किसी असंतुलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस संदर्भ में सिक्किम, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चार बड़ी पन बिजली परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) जबकि दोनों ही प्रकार

के जल विद्युत तथा ताप विद्युत क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है फिर भी जल विद्युत क्षमता के अनुपात में कमी आई है। अभी देश में कुल स्थापित क्षमता का लगभग 34 प्रतिशत जल विद्युत क्षमता है।

जल विद्युत के विकास की गति को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि मुख्य बाधा वित्तीय साधनों की सीमित उपलब्धता है।

देश में पब्लिक स्कूल प्रणाली समाप्त करने का प्रस्ताव

3655. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने पब्लिक स्कूल हैं जो सरकारी मदद से चल रहे हैं; और

(ख) क्या देश में पब्लिक प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

ब्रह्मपुत्र में बाढ़

3656. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1984 के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के कारण अधिक क्षेत्रों में बाढ़ आई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वर्ष 1984 के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी में लगातार बाढ़ के कारण राज्यों के बहुत से लोगों को नुकसान हुआ था,

(ग) क्या सरकार ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के पानी का सिंचाई आदि कार्यों के लिए उपयोग करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किसी विशेषज्ञ समिति का पहले ही गठन किया जा चुका है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा क्या सुझाव दिए गए; और

(च) इन सुझावों के कार्यान्वियन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

12.00 **मध्याह्न**

[अनुवाद]

श्री कुलनदैवेलु (गोबिचेट्टियपालयम) : श्रीमन्, आज के समाचार पत्रों में श्रीलंका में करीब 21 तमिलों को गोली से मारे जाने की खबर है। हम इस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आप ही हैं, जिन्होंने फैसला किया हैं। पिछली दफा आपने ही फैसला किया था।

श्री कुलनवई बेसू : अभी फैसला नहीं हुआ है। आपने चर्चा के लिए वायदा किया था।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे स्थगित कर दिया था। आप ही की अनुमति से इसे इस सप्ताह की कार्यसूची से निकाल कर अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था। बस ठीक है।

श्री कुलनवई बेसू : इस पर चर्चा जल्द कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे समाप्त नहीं किया गया था ऐसा कुछ नहीं है, इस पर चर्चा की जा सकती है। अगले सप्ताह ऐसा किया जायेगा।

श्री वी. सोमनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : मैंने गुजरात में लोगों के मारे जाने के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते। आज गुजरात में कल हैदराबाद में या अन्य भागों में ऐसा हो सकता है।

श्री वी. सोमनाद्रीसवरा राव : कितने लोगों के मारे जाने के बाद चर्चा की अनुमति दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

श्री सुरेश कुरुप (कोहायम) : अभी भी गुजरात में दंगे हो रहे हैं। आप चर्चा को अनुमति नहीं दे रहे हैं। मुझे बड़ा खेद है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी इसके लिए खेद है। लेकिन यह राज्य का विषय है।

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। डीजल में मात्र 5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है जबकि परिवहन संचालकों ने किराये में 100% की वृद्धि कर दी है। मैंने आवश्यक वस्तुओं में हुई भारी वृद्धि के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बी. तुलसी राम (नगरकुरनूल) : अध्यक्ष जी, गुजरात प्रदेश में कल और आज 12 लोग मारे गए हैं और कितने दिनों से ऐसा चल रहा है। वहां पर बहुत से लोग घायल भी हो गये हैं और वहां की स्टेट गवर्नमेंट इस को रोकने में फैल हो गई है और जो मिलिट्री भेजी गई है, वह भी फैल हो गई है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो कुछ मैंने आपको बताया है, उससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। यह राज्य का विषय है। कृपया बैठ जाइये।

प्रो. पी. जे. कुरियन (इडुक्की) : श्रीमन्, नारियल के दाम गिरे हैं और इसकी पैदावार भी काफी कम हुई है। नारियल के दामों में कमी हुई है। मैंने इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी बारी से आयेगा। मैं इस बारे में विचार विमर्श करूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) ; दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई के कई भागों में पीलिया का रोग तेजी से फैल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैंने एक ध्यानाकर्षण की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम एक-एक करके इनको देखेंगे।

12.03 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विश्व भारती, शांति निकेतन और रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे और लेखा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) (एक) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक-एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 722/85]

(2) रीजनल एंजिनियरिंग कालेज, श्रीनगर (काश्मीर) के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन की एक-एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 723/85]

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारणों का विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे की एक-एक प्रति.

(द) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के (कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए. देखिए संख्या एल.टी.724/85]

गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना, कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, नया मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, आदि

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउरहमान अन्सारी) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8क के अन्तर्गत, विशाखापत्तनम अपंजीकृत गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन योजना, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 16 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 675 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी-725/85]

(2) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 726/85]

(3) (एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1983 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नया मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का एक-एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 727/85]

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किये गए अनुपूरक करार (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए : देखिए संख्या एल. टी. 728/85]

(5) (एक) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में, राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 6 अक्तूबर, 1983 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, पंजाब मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 26 अक्तूबर, 1984 को पंजाब राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 88 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 729/85]

दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1985-86 संबंधी बजट प्राक्कलन

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1985-86 सम्बन्धी बजट प्राक्कलनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 730/85]

दिल्ली विक्रय कर अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 8 अप्रैल, 1985 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-4 (21) / 85 फिन (जो) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 731/85]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 348 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 6 अप्रैल, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 30 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 331 (अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 732/85]

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ तथा नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 32 के अंतर्गत जारी किये गये स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान सस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विनियम 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 15 जून, 1984 की अधिसूचना संख्या ई. 3/एन. एफ./6804 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 733/85]

(1) नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) अधिनियम 1982 की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) नियम 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 29 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 20/71/75 एम. एण्ड पी. एच. में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 734/85

12.04 म. प.

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट)

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (चौबीस) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, तीन वर्षों की अवधि के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (चौबीस) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, तीन वर्षों की अवधि के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का शासी निकाय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों, विनियमों, उप-विधियों के नियम 15 तथा नियम (18) (2) के मद (17) तथा (18) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के नियमों, विनियमों, उप-विधियों के नियम 15 तथा नियम 18 (2) के मद (17) तथा (18) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

(तीन) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपने 193 के अन्दर डिस्कशन आखिर में डाल दिया है। इसे तीन बजे कर लेते।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही होता है।

श्री नारायण चौबे : उस वक्त कोई नहीं रहता है।

अध्यक्ष महोदय : यह उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा है, 5-4 इधर के बोल लेंगे, चार-पांच उधर के बोल लेंगे।

[अनुवाद]

वे यहां उपस्थित क्यों नहीं होंगे ? उन्हें उपस्थित होना चाहिए। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे यहां उपस्थित रहें। उन्हें स्थिति के प्रति जागरूकता दिखानी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि सदस्य इसके महत्व को समझेंगे।

श्री नारायण चौबे : आप उन्हें भी बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में सबको बता दूंगा।

श्री नारायण चौबे : उनको भी।

अध्यक्ष महोदय : उनको और आपको भी।

12.08 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में तलचर सुपर ताप बिजली संयंत्र तथा इब घाटी ताप बिजली परियोजना के लिए धन देने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उड़ीसा इस समय बिजली की भारी कमी के दौर से गुजर रहा है। जिस राज्य को 1979-80 तक बिजली की कभी-कभी नहीं रही वहां अब 200

मेंगावाट बिजली की कमी पड़ रही है। इसका कारण राज्य में औद्योगिक तथा कृषि विकास की दर का ऊंचा होना है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि किए बिना वार्षिक उत्पादन में 20 से भी अधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलग राज्य की जल तथा तापीय प्रणाली की कुल क्षमता भी 59 प्रतिशत की पूर्ति पन बिजली परियोजनाएं तथा 41 प्रतिशत की पूर्ति ताप परियोजनाएं करती हैं। पन बिजली परियोजनाओं की प्रमुखता होने के कारण बिजली की सप्लाई में घट बढ़ रहती है। जिस साल वर्षा कम होती है उस साल विद्युत उत्पादन में भी कमी आ जाती है। इस साल स्थिति बहुत विकट हो गई है जिसके कारण भारी तथा विद्युत उद्योगों की सप्लाई की जाने वाली विद्युत में 75 प्रतिशत को रटौती की गई है। घरेलू उपभोग और यहां तक की जलपूर्ति जैसी अनिवार्य सेवाओं को भी नहीं बख्शा गया है।

उड़ीसा को इस प्रकार के विद्युत संकट से बचाने तथा इस गरीब और पिछड़े राज्य को प्रगति तथा सम्पन्नता की ओर अग्रसर करने के लिए सातवीं योजना के अन्त तक 1860 मेंगावाट बिजली की जरूरत का अन्दाजा लगया गया है। इस योजना अवधि के दौरान एक सुपर थरमल पावर स्टेशन को तलचर में तथा दूसरे को इब घाटी में स्थापित करना अपरिहार्य है।

अतः मैं ऊर्जा तथा योजना आयोग मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे सातवीं योजना के अन्त तक उड़ीसा को 1860 मेंगावाट विद्युत की जरूरत के प्रति यथार्थवादी रवैया अपनाएं और तलचर सुपर थरमल संयंत्र तथा इब घाठी थरमल परियोजना के लिए धन राशि उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें सातवीं योजना के दौरान ही चालू किया जा सके।

(दो) दिल्ली क्लाथ मिल को अननुमोदित क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र भेजने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले पारित संकल्प को रद्द करने हेतु निदेश देने की मांग

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली क्लाथ मिल को बंद करने के नोटिस से आठ हजार वस्त्र कामगारों तथा श्रमिक कालोनियों में रहने वाले 50 हजार व्यक्तियों में आतंक फैल गया है। यह समस्या एक फरवरी 1981 को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए उस संकल्प के कारण पैदा हुई जिसके अन्तर्गत उक्त प्राधिकरण ने दिल्ली क्लाथ मिल प्रबंधकों की डी. सी. एम. मिलें स्थानांतरित करने की अनुमति दी है। प्राधिकरण ने मिलें स्थानांतरित करने की तो अनुमति दे दी है लेकिन उसके एवज में डी. सी. एम. को वैकाल्पिक भूमि देने से इन्कार कर दिया है। वैसे दिल्ली प्रशासन ने मिल को बंद करने की अनुमति न देने का निर्णय लिया है लेकिन समस्या का समाधान उक्त संकल्पों को वापिस लेने या रद्द करने से हो हो सकता है। अतः मैं निर्माण और आवास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण को उक्त संकल्प रद्द करने का निर्देश दें। तत्काल उपाय नहीं किए गए तो समस्या डी. सी. एम. तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि बिरला मिलें तथा स्वतंत्र भारत मिलें भी इसके घेरे में आ जाएगी क्योंकि वे भी ऐसे स्थानों पर स्थापित हैं जहां मिलें लगाने की मंजूरी नहीं हैं। इससे मिल में काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। प्रबंधकों की मिलों को चालू रखने में दिलचस्पी नहीं है वे तो इस क्षेत्र में व्यावसायिक इमारतें बनाकर खूब लाभ कमाना चाहते हैं।

(तीन) देवली तहसील (राजस्थान) में पेयजल तथा सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने हेतु बीसलपुर सिंचाई तथा जलपूर्ति योजना को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जनवारी लाल बंरवा (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष वर्षाकाल में औसत से भी

कम वर्षा होने के कारण फसलों पर तो उसका कुप्रभाव पड़ा ही, साथ ही टौंक जिले में अकाल की भयावह छाया फैल गयी है जिससे सर्वत्र एक निराशा का वातावरण तैयार हो गया है। किन्तु इससे भी अधिक संकट पेयजल का होता जा रहा है। भूमिगत जल का मामान्य स्तर नीचे जाने के कारण कुए सूखते जा रहे हैं। विशेषकर यह स्थिति मेरे संसदीय क्षेत्र के उनियारा, देवली, केकड़ी क्षेत्रों में अधिक है क्योंकि इन तहसीलों का भूमिगत जल स्तर बनास नदी के जल स्तर से सम्बन्धित है। अजमेर शहर को पेयजल बनास नदी पर अनेक ट्यूबवेल्स लगाकर दिया जा रहा है। इस कारण से नदी का जल स्तर काफी कम हो गया है। इससे नदी के आस-पास के कुए सूख गये हैं।

क्षेत्र के जल संकट का एकमात्र निवारण बीसलपुर बांध परियोजना है। जिसको प्लानिंग कमीशन से मंजूरी देकर अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध करवा कर शीघ्र क्रियान्वित करावें। इससे जहां एक ओर टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्रों के एक बड़े भाग का जलस्तर ऊंचा होगा वहीं अजमेर तथा ब्यावर शहर की भीषण पेय जल समस्या का स्थायी निदान हो जावेगा।

(चार) उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी में दूरदर्शन ट्रांसमिशन टावर स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती उषा वर्मा (खेरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान जिला लखीमपुर (खेरी) जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, में एक टी. वी. टावर की जरूरत के बारे में आकर्षित करना चाहती हूं। जिले की जनसंख्या एक लाख से अधिक है। टी. वी. टावर के बारे में सरकार ने रिपोर्ट भी मंगाई थी जो अभी संबंधित मंत्रालय में है। लेकिन कोई ठोस और कारगर कार्यवाही इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से नहीं हुई है। टी. वी. के माध्यम से आर्थिक तथा सामाजिक चेतना का जो ध्येय सरकार का है उससे मेरे जिले के लोग वंचित हैं। जिले के बगल में ही हमारा पड़ौसी राज्य नेपाल है। भारत सरकार की नीति निर्धारण, विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की विभिन्न भूमिकाओं का पूरा-पूरा लाभ हमारा पड़ौसी राज्य नेपाल भी उठा सके।

अतः मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस जिले में टी. वी. टावर लगाने के बारे में प्रभावपूर्ण कदम उठाये जायें जिससे सरकार द्वारा घोषित अनेकानेक लाभकारी योजनाओं के ज्ञान का लाभ इस जिले के लोगों को मिल सके।

12.11 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(पांच) प. बंगाल सरकार को सहायता देने की आवश्यकता जिससे कि वह बिष्णुपुर और अन्य निकटवर्ती जिलों में पेयजल की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए शीघ्र उपाय कर सके

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, प. बंगाल के मिदनापुर तथा निकटवर्ती बनकुरा और पुरुलिया जिलों में वर्षा न होने, भूमिगत जल का स्तर नीचा होने तथा तालाबों के सूख जाने के कारण भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र पंसकुरा में बहुत सी जगहों पर ट्यूब वैलों में पानी नहीं आ रहा है। इससे इन्सान तथा पशु दोनों प्रभावित हुए हैं।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार प. बंगाल सरकार की सहायता दे ताकि जल संकट को दूर करने के लिए तत्काल उपाय किए जा सकें।

(छ:) राजस्थान में बिजली की कमी को दूर करने के लिए कोटा स्थित बिजलीघर के दो एककों को उचित रूप से चालू करने तथा सिंगरौली ताप बिजलीघर से बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान प्रान्त भयंकर विद्युत संकट के दौर से गुजर रहा है। अणु बिजलीघर की द्वितीय इकाई सितम्बर, 1984 से लेकर अब तक ठीक नहीं चल रही है। एक माह में 15 से 20 दिन तक बंद रहती है। प्रथम इकाई तीन साल के बाद 1-2-85 से चालू हुई है। अभी तक स्टेबीलाइज नहीं हुई है। सिंगरौली सुपर थर्मल प्लान्ट से मई, 1984 से राजस्थान को अपने हिस्से की बिजली नहीं मिल रही है। जनवरी 1985 तक 574 लाख यूनिट की कम बिजली सुपर थर्मल प्लान्ट से प्राप्त हुई है। सतपुड़ा थर्मल प्लान्ट से भी कभी कम बिजली प्राप्त होती है, कभी बराबर। जब आवश्यकता नहीं होती है तो अधिक।

उक्त बिजली संकट के कारण काश्तकारों को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिलती। औद्योगिक कारखानों में कटौती की जा रही है जिसके कारण किसानों को कृषि उत्पादन में करोड़ों रुपयों और उद्योगपतियों को भी करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। वे अपने कारखाने बन्द कर रहे हैं और रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में जहां पीने के पानी की समस्या बिजली पर निर्भर करती है पीने के पानी का भयंकर संकट पैदा हो गया है।

अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वे अणु बिजलीघर कोटा की दोनों इकाइयों को सुचारू रूप से चलावें। सिंगरोली सुपर थर्मल प्लान्ट जो राजस्थान का हिस्सा है वह दिलावें और केन्द्र सरकार का जो सिंगरौली में हिस्सा रिजर्व में है उसमें से पर्याप्त बिजली राजस्थान के विद्युत संकट को पार करने के लिए दिला कर राजस्थान प्रान्त के औद्योगिक एवं पीने के पानी के संकट को पार कराने में सहायता प्रदान करावें।

(सात) एन. टी. पी. सी. की रामागुंडम् ताप बिजली परियोजना से आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले को 220 किलोवाट पावर लाइन देने की आवश्यकता

]अनुवाद]

श्री सी. गंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : वारंगल जिला पूरी तरह से कुओं की सिंचाई पर निर्भर है और इसके लिए बिजली की सख्त जरूरत है। किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंचाई के कुओं को क्षमता बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि वहां टैंक, नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधाएं अथवा जल का कोई और स्रोत उपलब्ध नहीं है। वारंगल जिले में ही 1984-85 के अन्त तक 30,000 आवेदन कृषि सेवाओं हेतु विचाराधीन हैं। किसानों ने आवेदन भेजे हैं लेकिन उन्हें सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। क्योंकि उपयुक्त वाल्टेज नहीं है।

नए कुओं की मांग तथा मौजूद कुओं को बिजली की नियमित सप्लाई अति महत्व रखती है क्योंकि इस जिले के किसानों का यही जीवन आधार है। पिछले पाँच सालों से इन जिलों में कम वोल्टेज के कारण हर गाँव में मोटरें फुंकी हैं जिससे किसानों को करीब 11 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है।

विगत योजना के अनुसार 1984-85 की स्थितियों को देखते हुए वारंगल जिले के लिए 40 मैगावाट बिजली निर्धारित की गई थी लेकिन बिजली की सप्लाई पर लगे प्रतिबंधों को देखते हुए इस समय 87 मैगावाट बिजली की जरूरत है। इसी तरह सभी उत्तरी तेलंगाना जिलों में अनुमानित लोड काफी कम है तथा उक्त लोड के लिए ट्रांसमिशन लाइनें बहुत कम हैं और वे थोड़ी सी लाइने भी उपलब्ध नहीं हैं।

बिजली की नियमित सप्लाई को बनाए रखने के लिए, पिछले अनेक सालों से उपेक्षित इस जिले में, ट्रांसमिशन लाइनों का जाल बिछाने की जरूरत है।

इस समय वारंगल को रामगुंडम् तथा कोठागुंडम् से बिजली सप्लाई होती है और वहां पर अधिक लोड की आवश्यकता है। अत: लोगों की इस मांग को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए कि वारंगल में 220 किलोवाट एस. एस. के लिए एन. टी. पी. सी. रामगुंडम् से 220 किलोवाट की लाइन वारंगल तक बनाई जानी चाहिए तथा हर तालुक्क के मुख्यालय से जुड़ी 132 किलोवाट की लाइनों का जाल बिछा देना चाहिए।

(आठ) बेघर गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण ऋण की राशि बढ़ाने की आवश्यकता।

श्री पी. वेंगालैया (नैल्लौर) : महोदय इन्सान की मूल जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है। इस देश के अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। गरीबों की दशा सुधारने के लिए हर आने वाली शरकार ने समय-समय पर अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं।

विभिन्न कार्यक्रमों के तहत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मकानों की भी व्यवस्था की गई है। इस समय 'हुडको' बेघर गरीबों को मकान बनाने के लिए 3000 रुपये ऋण के तौर पर देता है। इसके अलावा राज्य सरकार उसे 3000 रुपए देती है ऋण प्राप्त करने के लिए, ऋणकर्त्ता को इस रकम में से 311 रुपये जमा करने पड़ते हैं और इस प्रकार उसके पास केवल 5,689 रुपये ही बचते हैं। मकान की क्या कहिए इतने पैसों में तो झोपड़ी भी नहीं बनाई जा सकती। सीमेंट, स्टील, ईंट मजूदरी आदि की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। 'हुडको' द्वारा 3000 रुपये की रकम बहुत पहले निर्धारित की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने द्वारा दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करे।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह 'हुडको' को 3000 रुपये की इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 6000 रु. करने के आदेश दे ताकि बेघर गरीब को इस योजना से वास्तव में लाभान्वित हो सकें।

(नौ) गरीब हरिजनों को, उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को सुधारने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 5000 रुपए की पहले वाली सीमा को कायम रखने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत निम्न विषय उठाना चाहता हूँ।

मैं आपका ध्यान केन्द्रीय सरकार तथा उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा हरिजनों की लड़कियों की शादी में तथा बीमारी में दी जाने वाली सहायता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। श्रीमद्

सरकार द्वारा लड़कियों को शादी में सहायतार्थ पांच हजार रुपये और बीमारी की अवस्था में भी पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद की जा रही थी लेकिन बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि वह आर्थिक मदद अब केवल एक हजार रुपये ही कर दी गई है। जब कि वर्तमान समय को देखते हुए वह आर्थिक मदद और भी अधिक होनी चाहिए।

अतः सरकार से अनुरोध है कि उन लाखों गरीब हरिजनों की सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रगति के लिए उक्त आर्थिक सहायता को यदि और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है तो जो पूर्व आर्थिक सहायता दी जाती थी, उसे ही वर्तमान समय में अवश्य लागू रहने दिया जाये ताकि बीस सूत्रीय कार्यक्रम का सही रूप से कार्यान्वयन हो सके।

12.21 म. प.

अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1985-86—जारी

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के लिए मद 11 को लेते हैं।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तर दें।

सिंचाई और वित्त मंत्री (श्री बी शंकरानन्द) : सर्वप्रथम मैं दोनों पक्षों के उन सदस्यों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने देश में सिंचाई तथा विद्युत से संबंधित मामलों में रुचि लेकर चर्चा में भाग लिया और हमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मुझे खुशी है कि भारत सरकार की नीति की कहीं आलोचना नहीं की गई सदस्यों ने यही शिकायत की है कि सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ देरी हुई है।

मैं यह भी कहूंगा कि सदस्यों ने, सदन ने मेरे मंत्रालय की मांगों की चर्चा के लिए निर्धारित समय से अधिक समय चर्चा में लगाया। वस्तुत उनके द्वारा पारित कटौती प्रस्तावों को अगर देखा जाए तो वे वास्तव में कटौती प्रस्ताव नहीं हैं क्योंकि उनमें सरकार की नीति, प्रणाली या योजना को कार्यान्वित करने के बारे में आलोचना की गई है। एक तरह से कटौती प्रस्तावों में उन्होंने सरकार से अपने क्षेत्र में नई परियोजनाओं की मांग, नियोजनाधीन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने अथवा राज्यों को कुछ केन्द्र सहायता देने की मांग की है। इस तरह के कटौती प्रस्ताव सदस्यों ने रखे हैं।

हमारे देश की जनसंख्या 70 करोड़ है किसी भी परियोजना की चाहे वह सिंचाई हो अथवा विद्युत परियोजना निर्माणाधीन आबादी लम्बी होती है। अर्थात् किसी भी परियोजना को पूरे होने में चार-पांच साल लगते हैं और कुछ परियोजनाएं तो 10 से भी अधिक साल ले लेती हैं। इस शताब्दी के अन्त तक जन संख्या वहीं की वहीं नहीं रहेगी। संभवत 2000 तक जनसंख्या में वृद्धि रुक जाए। इस बढ़ती आबादी तथा देश में उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन कैसे रखा जाएगा। इसके लिए हमें मानवीय साधनों का विकास करना होगा। तथा मानवीय साधनों के विकास के लिए हमें आर्थिक तथा सामाजिक विकास की सभी सुविधाएं जुटानी होंगी। हमें यह

बात भी मद्देनजर रखनी होगी कि विकास का लक्ष्य हमें सामाजिक न्याय के साथ-साथ आप्त करना है विकास के ये मूल सिद्धांत है और विकास कार्य के दौरान खासकर विद्युत तथा सिंचाई क्षेत्र में, इन्हें नहीं भुलना चाहिए।

महोदय सातवीं योजना के आरम्भ तक जनसंख्या 70 करोड़ से अधिक हो जायेगी तथा जनसंख्या वृद्धि की दर 2 प्रतिशत होगी। हमें सरकार की नीतियों का शुक्र गुजार होना चाहिए जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि की दर गिरकर 2 प्रतिशत रह गई है। लेकिन सातवीं योजना के अंत तक जनसंख्या 80 करोड़ के लगभग तथा इस शताब्दी के अन्त में 95-100 करोड़ हो जायेगी अत: इस जनसंख्या के लिए कितने खाद्यान्नों की जरुरत होगी। मौजूदा आबादी के लिए हमें 151.11 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा करना होगा। आशा है 1984-85 के दौरान इतने खाद्यान्न की पैदावार होगी। सातवीं योजना के अन्त तक हमें 19-20 करोड़ टन खाद्यान की तथा इस शताब्दी के अन्त तक 25-30 करोड़ खाद्यान्न की जरुरत होगी। मैं सदन में इन आंकड़ों का उल्लेख इस लिए कर रहा हूं ताकि वे समझ सके कि समस्या कितनी विकट है। और चीजों को छोड़ भी दिया जाए तो भी खाद्यान्न लक्ष्य को ही प्राप्त करने के लिए विद्युत तथा सिंचाई की आवश्यता है। बहुत अधिक मांग है। सदन के समक्ष सहमति तथा स्वीकृति के लिए रखी गई इस मंत्रालय की मांगें उचित हैं। संभवत: सदन हमें योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली धन राशि से अधिक धन राशि स्वीकृत करना चाहेगा योजना आयोजन से मुझे यही आशा है।

महोदय, पानी के लिए वर्षा की जरुरत होती है। इस देश में कुल कितनी वर्षा होती है? वर्ष में 1000 कि.मी. या 40 इंच वर्षा होती है। सदस्य इस बात से अधिक तरह वाकिफ होंगे कि वर्षा का यह अनुपात देश में सब जगह एक सा नहीं है। देश में बंजर क्षेत्र हैं। देश में ऐसे सूखा अकाल ग्रस्त क्षेत्र भी हैं जहां साल में मुश्किल से 100 कि.मी. या 4 इंच वर्षा ही होती है। हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी है और सबसे कम वर्षा वाले भी। हमारे देश में सबसे लम्बी नदियां है जैसे गंगा, जमना गोदावरी ब्रह्मपुत्र जोकि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में बहती हैं। नदियां ही नहीं लोग भी वर्षा पर पूरी तरह निर्भर हैं। ऐसे भी राज्य हैं जहां एक ही समय पर दो जगहों में से एक में सूखा पड़ता है और एक में बाढ़ आती है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिक पानी की समस्या है तो ऐसे भी क्षेत्र है जहां जल की कमी की समस्या है। ये समस्यायें देश के सामने हैं—समस्याये है-कि बाढ़ का प्रबन्ध कैसे किया जाए, नदियों का उपयोग कैसे किया जाए, नदियों का नियन्त्रण कैसे हो आदि। जहां तक ब्रह्मपुत्र तथा अन्य खतरनाक नदियों का सम्बन्ध है 'नदियों का नियन्त्रण' एक नया तरीका बन गया है। समस्या यह है कि उनका नियन्त्रण कैसे किया जाए तथा देश के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाए। और यहां 'जल प्रबन्ध' का प्रश्न आता है।

यह जल प्रबन्ध का तरीका केवल सिंचाई के लिए ही नहीं है। जल प्रबन्ध केवल सिंचाई की समस्या का हल करने के लिए है। जल प्रबन्ध बाढ़ नियन्त्रण के लिए भी है। जल प्रबन्ध सिंचाई तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए भी है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए, उद्योग के लिए तथा घर के लिए आदि पानी की अन्य विभिन्न आवश्यकताएं हैं।

इन सभी चीजों के लिए जल पर हमें राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है। सिंचाई के जल की समस्याओं तथा आवश्यकताओं के अध्ययन के बारे में पीछे विभिन्न प्रयास किए जा

चुके हैं, चाहे वह भूगत जल है या बाढ़ का जल है या सतह का जल है आदि। पिछले वर्षों में विभिन्न प्रयास किए गये हैं। दुर दृष्टि रखने वाले लोगों ने गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने तथा भव्य (ग्रैंड) नहर बनाने तथा इसी तरह की चीजें करने के बारे में विस्तार से कल्पना की थी तथा सोच-विचार किया था। मानव जाति के हित के लिए, जल का प्रयोग करने के लिए अति प्राचीन काल से अब तक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम प्रयोग कैसे किया जाए। जैसा कि मैंने कहा है कि इस ओर प्रयास किए जाते रहे हैं। डा. के.एल. राव ने गंगा को कावेरी से मिलाने की कल्पना की थी। इस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। गहराई से अध्ययन का मतलब है जल के अधिकतम उपयोग के प्रश्न पर विचार करना जल के कारण आज देश का उत्तरी भाग बाढ़ ग्रस्त है जिससे लोग परेशान हैं जब कि दक्षिण तथा देश के अन्य क्षेत्रों के लोग जल की कमी के कारण दुःखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं गंगा को कावेरी के साथ मिलाने का विचार आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं समझा गया। क्योंकि विन्ध्याचल से आगे समस्त जल को ले जाने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता थी वह आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं था। यह विचार छोड़ दिया गया। अन्य प्रयास भी किए गए। इस पर मैं थोडी देर बाद में आऊंगा। मेरे विचार से सदन मुझ से सहमत होगा कि जल संसाधनों के विकास के बारे में इन विभिन्न पहलुओं को देखते हुए जल पर हमें राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है। हमें ऐसी राष्ट्रीय नीति तैयार करनी होगी जो, मुझे आशा है, उचित समय में कुछ कर दिखाए।

श्री पी. डी. यादव (मुंगेर) : क्या यह इसी सत्र में बनाई जायेगी ? क्या वे इसे इसी सत्र में ला पायेंगे ? यह आपके राज्य के लिए भी उपयोगी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे दे रहे हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : वाद-विवाद के दौरान सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिए हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल को पूर्व की ओर मोड़ा जाए और इन नदियों का जल दक्षिण के राज्यों को दिया जाए। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के सदस्यों तथा अन्य राज्यों के सदस्यों ने भी यह कहा है कि हमें दक्षिण तथा उत्तर की नदियों को मिलाने का प्रयास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु मन्त्री हमें कह रहें है कि 'यह हानिकारक है। यह अब हानिकारक हो सकता है परन्तु भविष्य में लाभकारी हो सकता है।

श्री बी. शंकरानन्द : जब हम ···· के बारे में सोचते हैं···

श्री ई. अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : क्या मैं थोड़ा हस्तक्षेप कर सकता हूं। डा. के.एल. राव ने गंगा को कावेरी के साथ मिलाने को न तो हानिकारक समझा, न ही असम्भव समझा तथा न अव्यवहारिक समझा। पहली बार आपके माध्यम से हम यह सुन सुन रहे हैं कि सरकार के विचार से यह आर्थिक दृष्टि से अनुचित है या अव्यवहारिक है। वास्तव में मेरे विचार से ऐसी बात नहीं है। भविष्य में एक न एक दिन हमें गंगा को कावेरी के साथ जोड़ना पड़ेगा, वरना हम इस समस्या का हल कभी भी कर ही नहीं सकते···

उपाध्यक्ष महोदय : पीने के जल की समस्या तथा अन्य सभी चीजें भी इससे हल हो जायेंगी।

श्री बी. शंकरानंद : माननीय सदस्य मुझे कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं।

श्री ई. अय्यापु रेड्डी : माननीय मन्त्री ने हमें यह बताया है कि उनके विचार से कावेरी

को गंगा के साथ मिलाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। आपके सामने आपका परिप्रेक्ष्य विचार होना चाहिए।

श्री बी. शंकरानंद : मैंने माननीय सदस्य को बताया कि यह डा. के. एल. राव का विचार था।

श्री ई. अय्यापु रेड्डी : इस विचार को सामान्य रूप से मान लिया गया है तथा देश की समस्या हल करने का यह ठीक रास्ता था।

श्री बी. शंकरानन्द : इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य के प्रति अनादर न जाहिर करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि डा. के. एल, राव ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जल तथा सिंचाई की समस्या की जानकारी थी। परन्तु उसके बाद विशेषज्ञों ने इस मासले पर गहराई से विचार किया है तथा इस समस्या के सभी पहलुओं का अध्ययन किया है तथा उन्होंने कहा है कि आर्थिक दृष्टि से यह व्यवहारिक नहीं है।

अब, देश में जल के संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है। अनुमान है कि यह 17.8 करोड़ हैक्टेयर मीटर है जिसमें से केवल 6.7 करोड़ हैक्टेयर मीटर अर्थात् 40 प्रतिशत से भी कम, उचित भण्डारण स्थलों की कमी के कारण, आर्थिक दृष्टि से उपयोग में लाया जा सकता है। उपयोग में लाए जाने वाले भूगत जल संसाधन अनुमानतः 4.2 करोड़ हैक्टेयर मीटर हैं। इस प्रकार से प्रयोग में आने वाले कुल संसाधन लगभग 10.9 करोड़ हैक्टेयर मीटर हैं जिसकी सिंचाई क्षमता लगभग 11.3 करोड़ हैक्टेयर मीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भूमि की आकृति तथा भौगोलिक सीमाओं के कारण जुताई योग्य क्षेत्रों के आधे से कम क्षेत्रों को ही सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

महोदय जैसा कि मैंने कहा है कि देश में वर्षा केवल असमान ही नहीं बल्कि अनिश्चित रूप से भी होती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में यह बहुत ही कम होती है।

सौभाग्यवश हम खाद्य अन्नों का भण्डार करने में सफल हो गए हैं जो कि इस देश के लोगों के निर्वाह के लिए पर्याप्त है तथा इस देश में भूख के कारण या अकाल के कारण एक भी मृत्यु नहीं हुई है- जब कि स्वतन्त्रता से पहले ऐसी घटनाएं होती रहती थीं। महोदय, यही कारण है जिसकी वजह से जल सचय की आवश्यकता है हमें इसका संचय करना होगा। जो जल आकाश से आता है तथा समुद्र में बहकर जाता है, जहां भी कहीं सम्भव है हमें उसे रोकना होगा तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक किन्ही भी परियोजनाओं द्वारा इस जल को संचय इकट्ठा करना होगा तथा इस जल का संचय करने के लिए बहुत बड़ी भण्डारण क्षमता चाहिए। ऐसा अनुमान है कि कुल भण्डारण क्षमता, छोटे टैंकों को मिला कर लगभग 16 मिलियन हैक्टेयर मीटर है। अन्य परियोजनाएं जिनकी प्रभावित क्षमता 70 लाख हैक्टेयर मीटर से अधिक है, निर्माणाधीन हैं जबकि यह प्रगति प्रशंसनीय है परन्तु प्रयोग में लाए जाने वाले जल संसाधनों की सप्लाई आवश्यकता से कम है।

महोदय, मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु फिर भी सदन को यह सूचित करना आवश्यक समझता हूँ कि मध्यम तथा बड़े सिंचाई के साधनों के बारे में क्या स्थिति है, क्या वास्तविक स्थिति है। लगभग 329 मिलियन हैक्टेयर कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 18.5 करोड़ हैक्टेयर को जुताई योग्य क्षेत्र समझा गया है। कुल फसल के योग्य लगभग 17.4 करोड़

हैक्टेयर क्षेत्र है। सभी संसाधनों से सिंचाई क्षमता अनुमानत: 11.35 करोड़ हैक्टेयर है जिसमें से बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं से 5.85 करोड़ हैक्टेयर है तथा बाकी लघु सिंचाई परियोजनाओं से है। सिंचाई के विकास का परिप्रेक्ष्य यह परिकल्पना करता है कि शताब्दी के अन्त तक समस्त सिंचाई की क्षमता का सृजन होना चाहिए। यह तकाजा करता है कि प्रत्येक योजना में बड़े तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को विकास दर 7 मिलियन हैक्टर होनी चाहिए ? इस प्रकार की चीज के लिए वित्तीय आवश्यकता है कि हम बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं पर सन् 1951 से 1980 तक, 30 वर्षों में, लगभग 7446 करोड़ रुपए खर्च कर सकते थे। छठी योजना के दौरान हमने 8391 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी जिसके विरुद्ध लगभग 7612 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। सन् 1951 से योजनाबद्ध विकास शुरू होने से लेकर छटी पंचवर्षीय योजना के चालू होने तक, 205 बड़े तथा 916 मध्यम सिंचाई योजनाओं के निष्पादन कार्य को शुरू किया गया है। इनमें से 29 बड़े तथा 469 मध्यम परियोजनाएं छटी योजना शुरू होने तक समाप्त हो गई हैं। छटी योजना के दौरान कुछ बड़ी तथा छोटी परियोजनाएं चालू की गई हैं। 51 बड़ी तथा 165 मध्यम परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है, जिनको मिलाकर पूर्ण परियोजनाओं की संख्या—80 बड़ी तथा 634 मध्यम, हो जायेगी।

बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं के व्यवस्थित विकास के रास्ते में एक समस्या यह है कि बहुत सारी परियोजनायें एक साथ चालू कर दी जाती हैं जिस से संसाधन बिखर जाते हैं। संसाधनों की कमी के कारण कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुए विलम्ब के बारे में हम बाद-विवाद के दौरान कुछ सदस्यों की रोषपूर्ण मांगों को सुन सकते हैं। वे केन्द्र से सहायता की मांग कर रहे हैं। महोदय, जल का विषय राज्य सूची में होने के कारण राज्यों को अपनी योजना में संसाधनों का उल्लेख करना पड़ता है। यह सच है कि हम किसी भी राज्य को परियोजनावार सहायता नहीं दे रहे हैं, परन्तु फिर भी राज्यों को अनुदान तथा ऋण दिया जाता है। यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे इसे अपनी सिंचाई तथा बिजली की समस्या के प्रबन्ध पर या समस्या के समाधान करने के लिए खर्च करें। इस बारे में मैंने देखा है कि कुछ राज्य उन सभी परियोजनाओं को चालू करने का प्रयास करते हैं जिनका सुझाव विभिन्न विधान सभाओं में दिया जाता है, चाहे वह कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से ही क्यों न हो, वे यह नहीं देखते की परियोजनाएं व्यवहारिक दृष्टि से उचित भी हैं या नहीं। वे ऐसी भी परियोजनाएं शुरू करने का प्रयास करते हैं जो न तो योजना आयोग से स्वीकृत हैं तथा न ही केन्द्रीय जल निगम से स्वीकृत हैं ऐसा देखा गया है कि स्वीकृत परियोजना छोड़ दी जाती है तथा अस्वीकृत परियोजना पर पैसा खर्च कर दिया जाता है। सभी को प्रसन्न करने के अपने प्रयास में वे संसाधनों को दूर-दूर खर्च कर देते हैं जिसके कारण वे निर्धारित समयावधि में एक भी परियोजना को पूरा नहीं कर पाते।

इस समय मैं माननीय सदस्यों की एक अन्य शिकायत कि उनकी परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब किया जाता है, का जवाब देना चाहूँगा। इनमें से बहुत सी परियोजनाएं राज्य सरकार के समक्ष केवल इसलिए विचाराधीन हैं कि वे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या केन्द्रीय जल आयोग या योजना आयोग द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए।

श्री डी. पी. यादव : महोदय, भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा विलम्ब से अपने विचार प्रस्तुत करने के प्रश्न पर भी विचार किया जाए। कई बार भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण भी परियोजना में देरी हुई है।

श्री बी. शंकरानंद : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। परन्तु भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के विलम्ब से बहुत सीमित तथा कम असर पड़ा है। परन्तु मुख्य विलम्ब इसकी वजह से है। राज्य सरकारों द्वारा जब कभी भी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं, उनमें किसी न किसी सूचना की कमी होती है जो परियोजना की स्वीकृति के लिए कई तरह से आवश्यक होती हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं, टिप्पणियां दी जाती हैं तथा सुझावों का पालन करने के लिए परियोजना रिपोर्टों को फिर से राज्यों के पास भेजा जाता है।

ऐसा देखा गया है कि केन्द्रीय प्राधिकरण या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उठाए गये प्रश्नों के जवाब देने से पहले ही परियोजना का क्षेत्र (उद्देश्य) बदल दिया जाता है जिसके कारण नई परियोजना तैयार करने के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया में संशोधन करना पड़ता है तथा फिर से मामले को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। कई बार मैंने देखा है कि परियोजनाओं को मन्जूर कराने के हमारे प्रयास के कारण कई परियोजनाओं को एक बार या दो बार नहीं बल्कि तीन बार संशोधित करना पड़ता है। इसीलिए परियोजना तैयार करने के स्तर पर ही, भूल ढांचा तैयार करने में कई वर्ष का समय लग जाता है जबकि उतने समय में मूल परियोजना पूरी हो जानी चाहिए। परिणाम यह होता है कि लागत बढ़ जाती है जिसके कारण राज्य सरकारें इन मांगों को पूरा नहीं कर सकतीं और फिर अन्ततः माननीय सदस्य अपनी-अपनी विधान सभाओं में यह मांग करते हैं कि उन परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा केन्द्रीय परियोजनाओं के रूप में आरम्भ किया जाना चाहिए।

मुझे एक कहावत याद आ गई। 'काल करे तो सो आज कर, आज करे सो अब।' यदि ये परियोजना उसी रूप में पूरी कर दी जाती जैसा कि उनके बारे में आरम्भ में सोचा था तो मैं समझता हूं कि बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता था तथा इतनी सिरदर्दी न होती।

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में वर्धराजास्वामी परियोजना 10 वर्ष से लम्बित पड़ी। प्रत्येक मुख्य मंत्री शिलान्यास कर देता है परन्तु जंगलात की थोड़ी सी भूमि की स्वीकृति न मिलने के कारण यह लम्बित पड़ी है। यह सूखाग्रस्त क्षेत्र में है। केन्द्र कुछ भी नहीं कर पा रहा है अब आप बता रहे हैं कि राज्य सरकारें उचित रूप में जवाब नहीं दे रहीं। उस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। मेरा आप से अनुरोध है कि आप कृपया इस मामले को देखें।

श्री बी शंकरानन्द : माननीय सदस्य तथा उनके क्षेत्र की समस्याओं से मुझे पूर्ण सहानुभूति है। मैं निश्चित रूप से मामले की जांच करूंगा। यदि इसमें वन प्राधिकारी या विभाग की मन्जूरी की आवश्यकता होगी तो मैं निश्चय ही इस मामले की जांच करूंगा, परन्तु मैं वायदा नहीं कर सकता। यदि वन विभाग ने कोई उचित आपत्ति की तो मैं इसकी मन्जूरी की जिम्मेवारी वन विभाग की ओर से अपने ऊपर नहीं ले सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो वन विभाग की वजह से मन्जूर नहीं हो पाई हैं। इसीलिए मन्त्री महोदय से मेरा आग्रह है कि यदि सिंचाई के बारे में कोई ऐसी बाधा आती है तो उसे शीघ्र दूर किया जाए क्योंकि हम जंगलात में नहीं रह सकते। क्षेत्र के विकास के लिए हमें साधन उपलब्ध करने होंगे।

श्री बी. शंकरानन्द : वास्तव में मुझे आपके साथ बहुत सहानुभूति है क्योंकि आप यहां आकर नहीं बोल सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे केवल आपकी सूचना में ला रहा हूँ।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा। सिंचाई के बारे में कुछ क्षेत्रीय असन्तुलन हैं क्योंकि हमारे देश का एक तिहाई भाग बन्जर या आंशिक रूप से बन्जर या सूखा ग्रस्त है। सूखा ग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने विस्तृत अध्ययन किया है तथा 99 जिलों के लिए एक रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया है। जल संसाधनों का अनुमान लगाने के लिए तथा अधिक जल क्षेत्र से जल को कम जल क्षेत्र में भेजने के लिए केन्द्रीय जल आयोग तथा सिंचाई मन्त्रालय ने एक रूप रेखा तैयार की है।

क्षेत्र की जांच करने के लिए तथा फालतु जल वाले क्षेत्र से कम जल वाले क्षेत्र में जल भेजने के भौतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास ऐजेन्सी का गठन किया गया है वास्तव में यह संगठन क्षेत्र पर आधारित है तथा इसका गठन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए किया गया है।

एक माननीय सदस्य : गंगा कावेरी परियोजना के बारे में क्या हुआ है।

श्री बी. शंकरानन्द : यह परियोजना तथा अध्ययन किए जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया है कि इस देश के 500 जिलों में से 99 जिलो के लिए एक रूप रेखा तैयार कर ली गई है।

देश में सिंचाई विकास कार्यक्रम का अधिकांश भाग सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के हित में है। परियोजनाएं इस प्रकार हैं राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना महाराष्ट्र में नीरा नहर सिस्टम, गुजरात में नर्मदा परियोजना, आन्ध्र प्रदेश में नागार्जून सागर, कुरनूल कूड्डप्पा परियोजना तथा पूचाम्पैड परियोजना, कर्नाटक में घट्टाप्रभा मालप्रभा अपर कृष्णा तथा तुंगभद्रा परियोजना तथा उडीसा में इन्द्रावती परियोजना। आपके माध्यम से क्या माननीय सदस्यों से आग्रह कर सकता हूं कि परियोजना को प्रस्तुत करने से पहले क्या उन्हें केन्द्र द्वारा परियोजना को उचित रूप में पूरा करने के लिए की गई शिकायतों अर्थात् सुझावों पर विचार नहीं करना चाहिए क्या वे अपनी राज्य सरकारों को पहले से नहीं कह सकते कि इनका निष्पादन उचित रूप में होना चाहिए ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : इन्दिरा कैनाल जो दो योजनाओं में पूरी हो जानी चाहिए थी, वह छः योजनाओं में भी पूरी नहीं हुई है। उसके लिए आप पैसे नहीं देते हैं। भारत सरकार उसको ले ले।राजस्थान सरकार के पास जो पैसा है, वह इसमें लगा देती है और सारे डेवलपमेंट्स के काम रूके हुए हैं इस कैनाल की वजह से और वे पूरे नहीं हो रहे हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : पैसा हो तो दें।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : मध्य प्रदेश की भी योजगाएं हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं। उनको भी पूरा करना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोई व्यवधान करें। पहले उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

श्री बी. शंकरानन्द : जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरे पास बहुत कम समय होने के कारण मैं प्रत्येक माननीय सदस्य के सुझाव, या अनुरोध या मांग अथवा शिकायत पर विचार करने की

कोशिश नहीं करूंगा। सामान्यतः मैं इस संदर्भ में सिंचाई के बारे में सदन में उठाए गए मुद्दों पर बात करने की कोशिश करूंगा।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इस तरह नहीं पूछा जाता।

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी : जहां तक अनन्तपुर जिले का संबंध है यह वह क्षेत्र है जहां वर्षा बहुत कम होती है। क्या मन्त्री महोदय इस क्षेत्र में कुछ करने के लिए विचार करेंगे क्योंकि यह क्षेत्र निरन्तर अकाल के कारण हानि उठा रहा है ?

श्री बी. शंकरानन्द : 57.4 लाख हेक्टर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के लिए छठी योजना में 8,391 करोड़ रुपए का परिव्यय है। परन्तु 43.5 लाख हेक्टर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए 3162 करोड़ रुपए खर्च होने की आशा है। जब सातवीं योजना बनाई गई तो यह पाया गया कि छठी योजना अवधि में चालू की गई परियोजनाओं की लागत में लगभग 26.400 करोड़ रुपए लगाए गए मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्यकारी दल ने 22.450 करोड़ रुपए की सिफारिश की है और यदि यह पूरी राशि हमें उपलब्ध की जाए तो हमें काम करने की पूरी आशा है जिसको हम आशा करते हैं। इस तरह लागत में ऊंची बढ़ोत्तरी को देखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद ने अनुमोदित सातवीं योजना के एप्रोच पेपर में मुख्य रूप से यह विचार किया कि पिछली योजनाओं से लाभ लिया जाए। 5 से 6 हेक्टर के ब्लाक में सरकारी चैनलों को बढ़ाने के द्वारा चल रही योजनाओं पर अधिक से अधिक राशि का प्रावधान करने और पुरानी सिंचाई योजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि का प्रावधान करने पर बल दिया गया है यह निर्णय किया गया है कि यदि जनजातीय, पिछड़े और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कोई मझोली योजनाएं है तो उन्हें लिया जाए। जन जातीय लोगों के लिए एक योजना है जिसे जन जातीय उपयोजना कहते हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष अंग-भूत योजना स्पेशल कम्पोनैन्ट प्लान है। प्रधान मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि जनजातीय उप योजना और विशेष अंगभूत योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सम्पूर्ण लाभ के लिए सिंचाई और अदभुत सहित आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों और सामाजिक क्षेत्र में योजनाएं और परियोजनायें तैयार करें। क्या मैं आपके द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों से अनुरोध कर सकता हूं कि वे इस समस्या पर ध्यान दें ताकि इस देश की प्रचुर जनसंख्या के इस तरह की योजनाओं का अधिक लाभ मिल सके जो गरीबी की रेखा के नीचे है। अतः जब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना को बना रहे हैं और सातवीं योजना के पहले वर्ष में प्रावधान बना रहे हैं तो इस पहलू पर विचार होना चाहिए ताकि हम इन लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर ला सके।

इसके बाद अब मैं पानी के प्रबंध के मूल प्रश्न पर आता हूँ। पानी के वैज्ञानिक प्रबंध का विचार या मूल दार्शनिक प्रणाली यह है कि पानी का उपयोग बहुत अधिक गुणकारी है। एक लीटर पानी के उत्पादन को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि गहन कटाई और सिंचाई दोनों बढ़ाई जाएं। वैज्ञानिक प्रबंध से पता चलता है कि जो भी कोई खेत में हैं चाहे वह बांध के नजदीक है या चैनल के बहुत दूर अन्त में है उसे जब भी पानी की आवश्यकता हो उसे पानी प्राप्त करना चाहिए। अन्तिम समय में पानी की उचित सप्लाई उचित आवागमन और उचित मात्रा को प्राप्त करना सिंचाई का मूल दार्शनिक सिद्धान्त है। यदि ऐसा नहीं किया गया

तो यह माना जायेगा कि किसान को केवल कम मात्रा पानी की आवश्यकता है और वह अधिक प्राप्त करता है तो पानी व्यर्थ जाएगा और यदि वह अधिक पानी चाहता है लेकिन उसे वह नहीं मिल पाता तो वहां सूखा हो जाएगा। अतः यह पानी के प्रबंध की समस्या है। हालांकि सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। इस क्षेत्र में नए प्रयास करने होंगे। विशेष तौर पर गुजरात में लोगों के पानी का प्रबंध उनके हाथ में दिया गया है। घनी प्रबंध सहकारिता समिति गठित की गई है और वह सरकार के प्रति किसी शिकायत के बिना अपनी समस्या खुद निपटा रहे हैं। गुजरात सरकार को धन्यवाद क्योंकि वे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना को सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं। अतः यह हम सबके लिए अप्रत्याशित घटना है। क्योंकि चाहे यह परिवार नियोजन हो या पानी का प्रबंध कार्यक्रम हो लोगों को इसे अपनी समस्या के रूप में लेना चाहिए और अपने कामों की तरह इसको देखना चाहिए।

श्री पी.कुलन्दैवेलू (गोसिचेट्टिपालयम): ये दोनों बातें एक साथ नहीं मिलाई जा सकती।

श्री बी. शंकरानन्द : परिवार नियोजन को आज की जिन्दगी की सभी गतिविधियों के साथ जोड़ी जा सकती है।

1.00 म. प.

भारत में केवल 27 प्रतिशत ऐसे कुल सिंचित क्षेत्र है जहां सिंचाई उपलब्ध है और उस भूमि को केवल 27 प्रतिशत में दो फसलों के लिए सिंचाई उपलब्ध है। जिसका मतलब यह हुआ कि 127 प्रतिशत सिंचाई में गहनता है। एक फसल के लिए 100 प्रतिशत और 2 फसलों के लिए 27 प्रतिशत का मतलब 127 प्रतिशत सिंचाई की गहनता है। और महोदय, कुल सिंचित क्षेत्र की केवल 23 प्रतिशत एक वर्ष में दो फसलें पैदा करती है जो हमें 123 प्रतिशत की फसल की गहनता देती है। यह किस प्रकार सिंचाई और फसल में गहनता का मूल्यांकन किया जाता है पंजाब में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है और दूसरे स्थान पर हरियाणा आता है जबकि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्य देश की औसत से नीचे है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : राजस्थान राज्य सबसे पीछे है।

श्री बी. शंकरानन्द : अपने राज्य की तुलना उसके साथ मत कीजिए।

अब महोदय, यह हमें अब कमाण्ड एरिया विकास के प्रश्न पर लाता है, क्योंकि स्टाफ लगातार सहायता की मांग कर रहे हैं इसलिए कमाण्ड एरिया विकास योजना के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई है। कमाण्ड एरिया विकास हमें दूसरी समस्या पर भी लाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक नदी का कमान एरिया एक विशेष राज्य में पड़ता हो। यह दो राज्यों या 3 राज्यों में भी पड़ सकता है। यदि कमान एरिया का विकास करना है तो पूरे क्षेत्र को विकसित करना होगा। लेकिन उस स्थिति में अन्तर्राज्यीय बंटवारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कमाण्ड एरिया के ठीक ऊपर से नदी की पूरी धारा तक जब यह एक राज्य से अधिक राज्यों में से बहती है, यदि यह हाइडल है तो पानी या विद्युत की हिस्सेदारी की समस्याएं होती हैं। इस बारे में बहुत सी समस्याएं लेकिन सौभाग्यवश पानी से संबंधित बहुत सी अन्तर्राज्यीय समस्याओं का हमने समाधान किया है। इस बारे में एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था। मैं उस सदस्य का नाम नहीं जानता हूं जिन्होंने यह कहा था कि ऐसी नदियों को जिनका कमाण्ड एरिया एक राज्य से अधिक राज्यों में फैला हुआ है या जो एक से अधिक राज्यों के ऊपर बहती हैं, राष्ट्रीय नदियां घोषित किया जाना चाहिए और पानी साधन विकास की सीधी जिम्मेवारी

केन्द्र की होनी चाहिए। यह सुझाव राष्ट्रीय राजमार्ग के आधार पर दिया गया है। वे सड़कें जो बहुत से राज्यों में से होकर निकलती हैं, केन्द्र उनका रखरखाव करता है अतः यह सुझाव दिया गया था कि इस तरह की नदियों के पानी के साधन को भी केन्द्र द्वारा क्यों न विकसित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : देश की सभी नदियां ऐसी ही हैं।

श्री वी. शंकरानन्द : इसके बाद, इनका एक अन्य विस्तार है। यदि सदन सहमत है तो मैं बहुत खुश किस्मत व्यक्ति हूंगा यदि केन्द्रीय सरकार उन नदियों के पानी का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। लेकिन कृपया अपने राज्यों से पूछें कि क्या वे अपने अधिकारों को छोड़ना चाहते हैं या वे उन्हें अपने राज्यों के साथ रखना चाहते हैं।

श्री पी. कुलनदैवेलू (गोविचेट्टियालयम) : हम पानी का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं।

श्री वी. शंकरानन्द : यदि आप मेरा समर्थन करें तो मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूं। न केवल आर्थिक विकास या पानी साधनों के विकास या विद्युत विकास के लिए लेकिन इस देश की एकता और अखंडता के लिये भी यदि आप केन्द्र को अधिक शक्ति देना चाहते हैं तो मैं बहुत खुश किस्मत व्यक्ति हूंगा। मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं और इस बारे में आपका समर्थन चाहता हूं।

श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : निश्चय ही। यदि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि इन परियोजनाओं को तुरंत हाथ में लिया जायेगा तो हम इस प्रस्ताव के लिये एक मत से तैयार हैं। आखिरकार यह लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है जो अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री वी. शंकरानन्द : कृपया अपने मुख्य मन्त्री से परामर्श करें।

श्री वी. सोमनाद्रीसवरा राव : हम यहां हैं।

श्री वी. शंकरानन्द : कृपया अपने मुख्य मन्त्री से परामर्श करें और उसके बाद मेरे पास आईये।

श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव : अवश्य महोदय।

श्री वी. शंकरानन्द : और उसके बाद आप कहेंगे कि हमारे मुख्य मन्त्री जी तैयार नहीं हैं।

श्री सी. माधव रेड्डी : वह पहले से ही यहां हैं। वह आपसे परामर्श करने वाले हैं। आप उनसे पूछिये।

श्री वी. शंकरानन्द : उनके राज्यों में से बहती हुई नदियों के संसाधनों का लाभ प्राप्त करने के लिये मैं माननीय सदस्यों की उत्सुकता को अच्छी प्रकार समझ सकता हूं। शायद इसके नतीजों की जानकारी आप को नहीं है।

श्री पी. कुलनदैवेलू : पानी के राष्ट्रीयकरण से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं।

श्री वी. शंकरानन्द : यह तमिलनाडू का प्रश्न नहीं है। यह पूरे देश का प्रश्न है।

श्री पी. कुलनदैवेलू : इसलिए मैं दबाव डाल रहा हूं। मैं तमिलनाडू के समर्थन में उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं।

श्री बी. शंकरानन्द : प्रत्येक राज्य बहुत खुश होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर हम अलग से बाद-विवाद कर सकते हैं। मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें क्योंकि इसका कोई अन्त नहीं होगा।

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरूण नेहरू) : क्या आप उसमें विद्युत को भी शामिल कर रहे हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसके बाद हम देख सकते हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : पानी सिंचाई, पीने और विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग किया जाता है। पानी, पानी है। कृपया अपने राज्यों से परामर्श कर लें।

इसके बाद कुछ माननीय सदस्यों ने इन्जीनियरों के लिये अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया है। हालांकि इस पर गंभीरता से विचार किया गया था। मुझे बताया गया है कि आकाशवाणी पर भी इसका जिक्र किया गया है। लेकिन जब जनता सरकार आई तो उन्होंने इसे रद्द किया और इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य इसे नहीं चाहते हैं और हम भी अखिल भारतीय सेवा नहीं चाहते हैं।

श्री बी. सोमराजेश्वर राव : अब आप इसको पलट क्यों नहीं देते ?

श्री बी. शंकरानन्द : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये तथ्य हैं और यह इतिहास है। अब आप यहां हैं और इस बारे में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में 1966 में स्वीकृत किया गया था। सदन के अन्दर और बाहर दोनों जगह उसी आधार पर यह मांग की गई कि डाक्टर और इन्जीनियरों को भी अखिल भारतीय सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए। निजी तौर पर मैं इस विचार धारा का हूं कि इस देश में अखिल भारतीय सेवाएं इस देश की एकता और अखण्डता के लिये अन्तर्राज्जीय संचाई व्यवस्था के साथ देश को एक पूरे राष्ट्र के रूप में बनाने में सहायक सिद्ध होगी। निजी तौर से मैं महसूस करता हूं कि ऐसे कार्यकलापों को प्रोत्साहन और सहायता मिलनी चाहिये। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा के स्तर पर इन्जीनियरों को सेवा करने का लाभ भी प्राप्त होगा। यह वह प्रश्न है जिसे अनुकूल कार्रवाई के लिए विचार किया गया था और मैं निजी रूप से महसूस करता हूं कि इस पर और आगे विचार किए जाने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य रिसाव समस्या के बारे में बोले हैं। मैंने इस समस्या का जवाब पहले ही दे दिया है।

पानी का एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना भी एक समस्या है जो कई बार बाढ़ नियंत्रण की समस्या के साथ जुड़ जाती हैं। प्रत्येक राज्य को बाढ़ नियंत्रण की इस पुरानी समस्या का सामना करना पड़ता है। कर्नाटक में भी जहां सामान्यत: बाढ़ नहीं आती है कभी कभी किसी वर्ष जहां.....

श्री के. वी. शंकर गौडा (मांड्या): क्या यह आपका कर्नाटक है या हमारा कर्नाटक है ?

श्री बी. शंकरानन्द : हमारा कर्नाटक। 'हमारा' था मतलब इस सदन का कर्नाटक से है, मेरा या आपका नहीं।

श्री के. वी. शंकर गौडा : क्योंकि आपने 'आपका कर्नाटक' शब्द का उपयोग किया है।

श्री बी. शंकरानन्द : जी नहीं। मैंने उसका उपयोग नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सुना नहीं।

श्री बी. शंकरानन्द : आपने ठीक तरह से नहीं सुना। मैं हमेशा कहता रहूंगा, 'हमारा कर्नाटक' हमारा महाराष्ट्र, हमारा कश्मीर, हमारा तमिलनाडु आदि

श्री एच. जी. रामुलू (कोप्पल) : श्री आय्यर आप भी इस सदन के एक सदस्य हैं।

श्री के. वी. शंकर गौडा : सम्भवतः मैंने गलत सुना हो।

श्री बी. शंकरानन्द : जी हां। उनके पास है।

महोदय, बाढ़ नियंत्रण पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते थे। वह समय आ गया है जब शायद क्योंकि मैं समझता हूं कि राज्य अपने संसाधनों से बाढ़ नियंत्रण की रोकथाम नहीं कर सके हैं या वे बाढ़ नियंत्रण के लिये आवश्यक आबंटन नहीं कर सके हैं इसलिये इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। उसके लिये समय आ गया है। हालांकि मैं इस पर अभी वायदा नहीं कर सकता फिर भी, यदि हम सही शब्दों में पानी क साधनों का विकास करना चाहते हैं तो बाढ़ नियंत्रण को राष्ट्रीय समस्या के रूप में माना जाना चाहिये और लोगों के दुःखों को दूर करने के लिये इस दिशा में कोशिश करनी चाहिये तथा यह देखना चाहिये कि गाद जमने, भूमि कटाव, नदियों पर तत्बन्ध बनाने जैसी विभिन्न समस्याओं को देखते हुये, जो लोगों के लिये दुःख लाती है तथा ये नदियां विभिन्न राज्यों में से बहती हैं जो पानी का उपयोग नहीं कर सकती है या बाढ़ नियंत्रण या इसके बाद पानी के जमाव की समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी।

मैं किसानों के संगठन के बारे में उत्तर दे चुका हूं।

वनों को साफ करने और पर्यावरण के बारे में सच्चाई यह है कि वन विभाग से स्वीकृति न मिलने के कारण कुछ परियोजनाएं विचाराधीन हैं और मैं सभा को यह बता सकता हूं कि प्रधान मंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि वनों के दृष्टिकोण से कोई विलम्ब न हो विशेष रूप से अनुदेश जारी किये हैं।

श्री अरुण नेहरू : वास्तव में अत्यधिक सुधार हुआ है।

श्री बी. सोमनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : हाल में एक केन्द्रीय दल ने तेलुगू गंगा परियोजना का दौरा किया था। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय तेलुगू गंगा परियोजना को शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर देंगे।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं तेलुगू गंगा परियोजना के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता क्यों कि आंध्र प्रदेश अब अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर रहा है।

श्री बी. सोमनाद्रीश्वर राव : क्यों ?

श्री बी. शंकरानन्द : आप अपने मुख्य मन्त्री से पूछिये, मुझसे मत पूछिये।

श्री ई. अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : हे भगवान, आप हम पर दृष्टिकोण बदलने का आरोप लगा रहे हैं। कल प्रधान मन्त्री ने एक लिखित उत्तर दिया है जो आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उससे पता चलता है कि विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि तेलुगू गंगा परियोजना को जितनी जल्दी हो सके स्वीकृति प्रदान की जाये। उन्होंने एक बात और जोड़ दी है जिसे

राज्य सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है। वह यह है कि हमें भी इतना ही सिंचित वन क्षेत्र अवश्य देना चाहिये और हम यह करने के लिये तैयार हैं। यह आज ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। अतः हम आप से इस परियोजना को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करते हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : काश माननीय सदस्य ने प्रारम्भ में प्रस्तुत तेलुगू गंगा परियोजना का और आन्ध्र प्रदेश द्वारा अब तैयार की गई तेलुगू गंगा परियोजना का अध्ययन किया होता।

श्री ई. अय्यापु रेड्डी : यह उड़ीसा की परियोजना न हीं है और नहीं तमिलनाडु की परियोजना है। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : कृपया इसे पढ़कर आइये। यह विचाराधीन है और मैं वचन नहीं दे सकता कि इसे स्वीकृति मिल जायेगी। पहले तकनीकी और अन्य दृष्टि से इसे स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। मैं नहीं चाहता कि और अनुपूरक प्रश्न पूछे जायें। मंत्री महोदय को भाषण जारी रखने दीजिये।

श्री बी. शंकरानन्द : विद्युत के बारे में कुछ शब्द कहने के बाद मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। कृपया बैठ जाइये।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं अब नहीं मानने वाला। मुझे अपने मित्र श्री डी. पी. यादव का अवश्य धन्यवाद करना चाहिये कि उन्होंने जल नीति की मांग की है।

श्री अमर राय प्रधान : कृपया निस्ता और संयुक्त नदी आयोग के बारे में कुछ कहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि व्यवधान डाला जाये। कृपया बैठ जाइये।

श्री बी. शंकरानन्द : हम पहले कह चुके हैं कि हम उचित समय में राष्ट्रीय जल नीति लाने का प्रयास करेंगे। बाढ़ नियन्त्रण का जहां तक संबंध है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं। उनसे मैं यह समझा हूं कि बाढ़ से प्रभावित राज्यों को कुछ हल सुझाने का प्रयास किया गया है कि वे कुछ कानून बनायें ताकि बाढ़ रोकने अथवा नियन्त्रण में उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। मुझे बताया गया है कि विभिन्न राज्यों को कुछ विधेयक परिचालित किए गये हैं।

जहां तक जल संरक्षण, जल भण्डारण, लिफ्ट सिंचाई, नहर के विकास द्वारा छिड़काव सिंचाई आदि मामलों का संबंध है, ये मामले सरकार के विचाराधीन हैं और हमने अपनी योजना में उनके लिए कुछ प्रावधान किए हैं।

मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। कर्नाटक जल विवाद के संबंध में .....

श्री एस. एम. गुरड्डी (बीजापुर) : अपर कृष्णा परियोजना के संबंध में क्या विचार है ?

श्री बी. शंकरानन्द : अपर कृष्णा परियोजना को योजना में संमिलित कर लिया गया है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव सातवीं पंचवर्षीय योजना में भेजा है और धन की मांग की है। हम कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री अमर राय प्रधान : कृपया तीस्ता और संयुक्त नदी आयोग तथा गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में कुछ बताइये।

श्री बी. शंकरानन्द : संयुक्त आयोग की मंत्री स्तर पर बैठक हो रही है। हम इससे सहमत हो गए हैं। अब अधिकारी स्तर पर बैठक चल रही है और वार्ता हो रही है।

श्री अमर राय प्रधान : यह कब तक चलती रहेगी ? कलकत्ता बन्दरगाह और कलकत्ता शहर को बचाने के लिए पानी की कमी के दिनों में फरक्का बांध के लिए पानी बहुत आवश्यक है। आप कह रहे हैं बैठक हो रही है और अगली बैठक भी होगी। यह कब तक चलती रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक आपके अनुपूरक प्रश्न चलते रहेंगे।

श्री बी. शंकरानन्द : जब तक जरूरी होगा। माननीय सदस्य जानते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं एकपक्षीय निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए वार्ता जारी है। (**व्यवधान**)

अपर कृष्णा परियोजना भी है।

हिप्परागी परियोजना छठी पंचवर्षीय योजना में संमिलित की गई थी। परन्तु दुर्भाग्यवश कर्नाटक राज्य सरकार ने हिप्परागी परियोजना को सातवीं योजना में संमिलित नहीं किया है यद्यपि कुछ करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और छठी योजना में इस बांध को चल रही समझा गया था परन्तु दुर्भाग्यवश इस परियोजना को राज्य सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भेजे गए प्रस्तावों में संमिलित नहीं किया गया है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ चाहते हैं तो उनके कक्ष में जाकर उनसे बात कर सकते हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं बार-बार यह कह सकता हूँ कि मैं उनके द्वारा कटौती प्रस्तावों में और सभा में दिए गए भाषणों में किए गए अनुरोध पर निश्चय ही ध्यान दूंगा। मैं इस पर पूर्ण सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगा।

श्री एस. एम. गुरद्डी : केवल जबानी सहानुभूति से कुछ नहीं होगा। धन भी जरूरी है।

श्री बी. शंकरानन्द : क्या मैं यह कह सकता हूं कि सहानुभूति केवल मुंह से ही व्यक्त की जा सकती है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं और कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि कोई कुछ पूछेगा तो मैं अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित मत कीजिए। (**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई व्यक्तिगत अनुरोध करना चाहते हैं तो मंत्री महोदय के साथ उनके कक्ष में मामले पर चर्चा कीजिए। परन्तु इस तरह नहीं मैं इस प्रकार कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बी. शंकरानन्द : जहां तक विद्युत का संबंध है, मेरे माननीय मित्र श्री अरुण नेहरू पहले ही इस सम्बन्ध में बता चुके हैं। उन्होंने विद्युत, विकास, उत्पादन, परेषण, वितरण और

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्य ऐसे ही पहलुओं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना दी है। उन्होंने जब कल हस्तक्षेप किया था तब सभा को यह सारी सूचना दी थी।

मैं अब केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 1984-85 के दौरान विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 154 बिलियन यूनिट निर्धारित किया गया था। इसमें से 98.5 बिलियन यूनिट ताप केन्द्रों द्वारा, 3.5 बिलियन यूनिट आणविक संयत्रों द्वारा 52 बिलियन यूनिट जल विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पादित किया जाना था फरवरी, 1985 के अन्त तक ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा 89.13 बिलियन यूनिट, आणविक संयन्त्रों द्वारा 3.63 बिलियन यूनिट और जल विद्युत केन्द्रों द्वारा 49.77 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित की गई थी। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादित विद्युत से 12.5 प्रतिशत अधिक है। ताप विद्युत आणविक विद्युत और जलविद्युत में क्रमश: 14.8 प्रतिशत 13.7 प्रतिशत और 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1984-85 के दौरान स्थापित क्षमता का पचास प्रतिशत ताप विद्युत उत्पादित करने का लक्ष्य रखा था। अप्रैल, 1984 और फरवरी, 1985 के दौरान ताप विद्युत संयन्त्रों द्वारा 49.2 प्रतिशत विद्युत पैदा की गई जबकि 1983-84 के दौरान इसी अवधि में 47.2 प्रतिशत उत्पादन किया गया। ताप विद्युत संयन्त्रों का उत्पादन इस वर्ष के अन्त तक स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत हो जाने की आशा थी। मुझे पता चला है कि मार्च के महीने में यह 55.5 प्रतिशत हो गया है।

माननीय सदस्यों को पता है कि केन्द्रीय सरकार विद्युत विकास में अधिकाधिक भाग लेती रही है केन्द्रीय सरकार के संगठन के स्वामित्व में और उनके द्वारा चलाए जा रहे विद्युत सयन्त्रों की स्थापित क्षमता मार्च, 1980 में 3388 मेगावाट से बढ़कर मार्च, 8985 में 6758 मेगावाट से हो गई जो कि उपयोग की जा रही स्थापित क्षमता से 16 प्रतिशत अधिक है।

केन्द्रीय विद्युत कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बात यह है कि ताप विद्युत परियोजनाएं 48 महीनों को अवधि में और कभी-कभी तो संयन्त्र और उपकरणों का आदेश देने की तारीख से 48 महीनों से भी कम की अवधि में पूरी की गई। केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत सयन्त्र लगभग 100 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिदिन पैदा करते हैं जो कि देश के दैनिक उत्पादन का लगभग 22 प्रतिशत है।

सातवीं योजना में विद्युत कार्यक्रम का आकार जितने संसाधन हम जुटा पाएंगे उस पर निर्भर करेगा। कार्यक्रम को अन्य बातों के साथ-साथ, सीमित स्रोतों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना भी आवश्यक होगा। यह आवश्यक हो गया है कि हम विद्युत कार्यक्रम को एक नए दृष्टिकोण से देखें।

सभा में छोटे और माइक्रो जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के बारे में सुझाव दिए गए हैं। यह सच है कि जलविद्युत हेतु एक बहुत बड़े क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। दुर्भाग्यवश हमारे पास इसके लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अत्यधिक धन की जरूरत है। आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने पर हम देश में और अधिक जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित कर सकेंगे। परन्तु स्थापना में बहुत समय लगता है। परन्तु उद्योग और कृषि क्षेत्र द्वारा और अधिक विद्युत संयन्त्र स्थापित करने की और स्थापना में लगने वाले समय को कम करने की मांग की जा रही है। इस कारण हम ताप परियोजनाएं और गैस पर आधारित परियोजनाएं स्थापित कर रहे हैं। सौभाग्यवश गैस

उपलब्ध है और हम किसी सीमा तक गैस पर आधारित सयन्त्र लगा रहे हैं। हम एच. बी. जे. पाइप लाइन में गैस पर आधारित तीन सयन्त्र लगाने का निर्णय पहले ही ले चुके हैं गैस पर आधारित सयन्त्रों को स्थापित करने में बहुत कम समय लगता है। मुझे बताया गया है कि हम तीन सालों में कर सकेंगे। अल्प कालिक प्रस्तावों ने मांग की पूर्ति हेतु हमें गैस पर आधारित संयन्त्र स्थापित करने के लिए बाध्य किया है हमें इन सभी का उपयोग करना होगा।

सभा में कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य राज्यों के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों में गैस पर आधारित संयन्त्र लगाने की मांग की है। मैं जानता हूं कि कर्नाटक मुख्यत: जलविद्युत राज्य है परन्तु सौभाग्यवश कोयले पर आधारित रायचूर ताप विद्युत केन्द्र और धारवाड़ जिले में कीगई के लिए स्वीकृत आणविक विद्युत परियोजना और कुछ हद तक रामगुण्डम और नेवेली से प्राप्त होने वाली बिजली से कर्नाटक की विद्युत स्थिति अच्छी हो जाएगी जो कि लम्बे समय से बिजली से वंचित है।

श्री वी. एस. कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : रामगुण्डम से कर्नाटक को बिजली कब सप्लाई की जाएगी ?

श्री वी. शंकरानन्द : प्रयास जारी हैं। विद्युत वाहनों से लायी नहीं जा सकती। हमें परेषण लाइन या के. वी लाइन बिछानी होंगी और हमें आशा है कि वर्ष के अन्त तक हम कर्नाटक को रामगुन्डम से बिजली दे सकेंगे। मैं आन्ध्र प्रदेश द्वारा खड़ी की गई समस्या से भी अवगत हूं। आन्ध्र प्रदेश रामगुण्डम से 91 पैसे के हिसाब से विद्युत लेता है और कर्नाटक को 63 या 64 पैसे के हिसाब से बेचता है। रामगुण्डम से कर्नाटक तक परेषण लाइन नहीं हैं परन्तु हम आशा करते हैं कि वर्ष के अन्त तक हम लाइनें बिछा लेंगे और कर्नाटक को विद्युत दे सकेंगे। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोई चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं ? माननीय मंत्री समझ गए हैं। वह उत्तर देंगे। मैं इतनी लम्बी चर्चा नहीं चाहता। यदि कोई विशेष मुद्दा है तो आप उठा सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर पूरा नहीं किया है। कृपया बैठ जाइए।

कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्री जी नहीं मानने वाले। वह बोलना जारी रखेंगे। वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री वी. शंकरानन्द : क्या मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि सभा की परम्परा यह रही है कि मंत्री को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ? (**व्यवधान**) यह सभा की परम्परा नहीं है।

क्या मैं माननीय सदस्यों के लाभ के लिए यह बात पुन: दोहरा दूं कि मंत्री महोदय को किसी बात का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ? आप केवल.....

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहन्डी) : हम केवल अनुरोध कर रहे हैं।

श्री वी. शंकरानन्द : मैं आपको सुन चुका हूं। (**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं उड़ीसा की समस्या से अवगत हूं। परन्तु क्या मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि जहां तक क्षमता उपयोग का प्रश्न है उनका राज्य सबसे पीछे है। इसका क्षमता उपयोग केवल 33 प्रतिशत है जबकि अखिल भारतीय औषत 50 प्रविशत से अधिक है। उड़ीसा केवल 33 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है। 20 प्रतिशत से अधिक अन्तर है। वहां सयन्त्र कुशलता से काम नहीं कर रहे हैं अन्यथा उन्हें ऐसी समस्या का सामना न करना पड़ता। कृपया अपने सयन्त्रों से कुशलता से काम करने के लिए दिए। (**व्यवधान**) मैं आपको रामगुण्डम के बारे में भी बता चुका हूँ। संभवत: आप समझे नहीं (**व्यवधान**)

इस देश के कुछ भागों में कोयला क्षेत्र हैं, अन्य कुछ भागों में क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में गैस हैं। विद्युत सयन्त्र बनाने के लिए आवश्यक इन सभी तत्वों को हमें इकट्ठा करना होगा चाहे वे जलविद्युत, सयन्त्र हों या ताप विद्युत हों या आणविक हों या कोयले पर आधारित हों। इन चीजों का नियोजन इस प्रकार करना होगा जिससे विद्युत उत्पादन का वितरण बराबर हो। दुर्भाग्यवश विद्युत उत्पादन क्षमता के समान और न्यायोचित वितरण के इस पहलू की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था।

मेरे मंत्रालय अब इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि राज्यों की परेशानियां कम-से-कम बिजली उत्पादन के मामले में किस प्रकार कम की जायें। उत्पादित बिजली उसी विशेष राज्य की सीमा में नहीं रहेगी क्योंकि हम लोग एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने क्षेत्रीय ग्रिड स्थापित किये थे किन्तु क्षेत्रीय ग्रिडों की अपनी समस्यायें हैं। हमारे पास अधिक लम्बी पारेषण लाइनें नहीं हैं। हमारे समक्ष पारेषण की समस्या बनी हुई है यद्यपि हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि रामागुंडम से बिजली को कर्नाटक नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि हमारे पास पारेसण लाइन तैयार की जा रही हैं और आशा है कि इस साल में अंत तक तैयार हो जायेंगी।

जब राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का विचार किया गया है तब किसी विशेष राज्य में उत्पादित बिजली उसी राज्य तक ही सीमित नहीं रहेगी चाहे वह हाइडल हो अथवा किसी अन्य प्रकार की। इस सरकार का अन्ततोगत्वा यही उद्देश्य हैं जिससे कि माननीय सदस्यों को भविष्य में ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं राज्यों को सचेत करना चाहता हूं कि बिजली के उत्पादन की सुविधा प्राप्त हो जाने के बाद, यदि वे कुशलतापूर्वक उसका प्रबंध नहीं कर सके तो उनकी आवश्यकता के अनुरूप बिजली के प्रदाय में और अधिक उलझनें पैदा हो जायेंगी। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध हैं कि वे इस बात का स्थान रखें कि उनके अपने-अपने राज्यों के विद्युत संयन्त्र कुशलतापूर्वक कार्य करें और अपेक्षित लक्ष्य को पूरा करें। मैं जानता हूं कि कुछ कठिनाईयां हैं। जैसा कि मेरे साथियों ने कहा है कुछ राज्य विद्युत बोर्ड अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यह समझौता हुआ है कि राज्य विद्युत बोर्डों के पास विधियों का अभाव नहीं रहेगा।। हम लोग विद्युत वित्त निगम बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं जो राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता देगा। जहां हमारे पास लगभग

500 करोड़ रुपये हैं, वहां इस योजना का लाभ उठाते हुए राज्य विद्युत बोर्डों तथा अन्य संयन्त्रों का कार्य निष्पादन सुधारने के लिये हम राज्य विद्युत बोर्डों तथा अन्य संयन्त्रों के नवीकरण करने तथा उनका आधुनीकिकरण करने में सहायता करने की कुछ योजनायें हमारे पास हैं। प्राधिकारियों ने ऐसे 36 विद्युत स्टेशनों का पता लगाया है और वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कुछ और भी योजनाऐं हैं ; विद्युत स्टेशन जिनका लाभ उठा सकते हैं और केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता करने की इच्छुक है।

जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का विषय है माननीय सदस्यों को यह पता होना चाहिये कि देश भर में कुल 5.76 लाख गांव हैं जिनमें से 28.2.85 तक 3.64 लाख गांवों में अर्थात् 63.21 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका हैं। और उसी तारीख तक 56 लाख से अधिक पम्प सैट और नलकूप लगाये जा चुके हैं। देश के विशेष कर उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में जिन गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है, उनमें से अधिकांश गांवों में एल. टी. एवसटेन्शन नहीं हैं यद्यपि वहां विद्युतिकरण किया गया समझा जाता है। यद्यपि यह नहीं पता है कि विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने गांव हैं किन्तु अनुमानतः 87000 गांव ऐसे हैं जिनमें कृषि के प्रयोजन के लिये विद्युतीकरण किया जा चुका है और प्रभावी विद्युतीकरण के लिये उनमें एल. टी. लाइनें नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पोषित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक सुदृढ़ परियोजना है जो एल. टी. और एल. टी. लाइनों के विस्तार का, वितरण ट्रान्सफार्मरों को संस्थापित करने का तथा स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत आने वाले सभी गांवों में कृषि, औद्योमिक और घरेलू कनेक्शनों की व्यवस्था करता है।

कुछ राज्यों ने यह परेशानी अभिव्यक्त की है कि कुछ गांवों के आस-पास जो पुरवे हैं उन्हें गांव नहीं माना जाता है और उन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सुलभ लाभ और सुविधा दिये जाने के उपयुक्त नहीं समझा जाता है। यह मांग की जाती है कि इन पुरवों को भी गांवों के समान समझा जाय क्योंकि यदि इन पुरवों को गांवों के समान नहीं समझा जाता है तो संभवतः राज्य सरकारों को अपेक्षित सहायता नहीं मिल पाती है जो इन पुरवों को गांवों के समान समझे जाने पर मिल सकती है। मेरे विचार से यह मांग उचित हैं और इस पर हमें सहानुभूति-पूर्वक विचार करना चाहिये।

मैंने यह भी कहा था कि विशेषकर हरिजन और जन जाति की बस्तियों के हित में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्य सरकारों को ऐसी योजनायें बनानी चाहिये जिससे कि इन लोगों को सीधा लाभ मिल सके।

चूंकि मैं अनेक हाईडल विद्युत स्टेशनों और विद्युत उत्पादन से संबंधित अन्य बातों के बारे में कह चुका हूं, मेरे विचार से किसी भी सदस्य को किसी ऐसी समस्या के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं हैं जैसे कि उन्होंने सिंचाई के सम्बन्ध में पूछी थीं। मेरे विचार से सभी माननीय सदस्य मेरी बात को सुनने की कृपा करेंगे जो मुद्दे उन्होंने इन दो विभागों के बारे में उठाये हैं। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं कि कटौती प्रस्ताव के माध्यम से और इस सभा के माध्यम से उन्होंने जो अनुरोध किये हैं उन पर मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। अब मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन कटौती प्रस्ताव पर जोर न दिया

जाय और सिचाई और विद्युत मंत्रालय की मागों अथवा अनुदानों का निर्विरोध समर्थन किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव को मतदान के लिये एक साथ रखूंगा बशर्ते कि कोई सदस्य यह न चाहे कि उसका प्रस्ताव पृथक रूप से रखा जाय।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को मतदान के लिये रखता हूं प्रश्न यह है कि :

"कि सिचाई और विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63 और 64 के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग शीर्षों के संबन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबन्धी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां भारत की संचित विधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोकसभा के द्वारा स्वीकृत सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से संबन्धित अनुदानों की मांगें, 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारास्वीकृत लेखानुदानों की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय					
63.	सिंचाई विभाग	29,77,31,000	4,41,34,000	1,31,18,53,000	13,81,71,000
64.	विद्युत विभाग	38,49,31,000	2,80,76,11,000	1,92,46,60,000	14,58,02,56000

(दो) उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 57 से 59 पर विचार-विमर्श और मतदान करेगी, जिसके लिये 6 घंटे आवंटित किये गये हैं।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों से संबन्धित कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो जिन कटौती प्रस्तावों को वे रखना चाहते हैं उनका क्रमांक अंकित करते हुए अपनी पर्ची 15 मिनट के अन्दर सभा पटल पर रख दें।

प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रमांक दर्शाने वाली सूची सभा पटल पर शीघ्र रख दी जायेगी। किसी सदस्य को यदि इस सूची में कोई त्रुटि नजर आये तो वह उसकी सूचना पटल अधिकारी को अविलम्ब दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 से 59 के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें, 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय					
57.	उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय	1,85,91,000	16,000	9,29,60,000	84,000
58.	उद्योग	17,92,08,000	51,14,00,000	89,60,39,000	2,55,70,00,000
59.	लघु उद्योग	34,10,25,000	25,50,67,000	1,70,71,25,000	1,27,78,35,000

श्री वी. सोभनाद्री सबरा (विजयवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब तक पालन की गई औद्योगिक नीति के बारे में विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं समझता। स्वतंत्रता से पूर्व ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र के उत्कर्ष कर दिया, यह निर्णय लिया था कि इस देश की स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, हमारे उसी देश की प्रगति और लक्ष्य प्राप्ति योजना बनाकर चलने से ही हो सकती है।

1.44 म. प.

(श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)

तदनुसार, यद्यपि प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प हमारे संविधान में उद्घोषित निदेशक सिद्धांतों के आधार पर 1948 में स्वीकृत किया गया था किन्तु बाद में इसमें परिवर्तन कर दिया गया और नई औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में हुई थी। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि दुर्भाग्यवश हमारे अनेक उद्देश्य केवल कागज पर ही रह गये। हमारे अनेक उद्देश्य जो हमारे समक्ष रखे गये असफल रहे।

सर्वप्रथम मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य निष्पादन के बारे में बताऊंगा जिनकी संख्या केवल पांच थी और 1951 में उनमें 29 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। अब 214 उपक्रम हैं और 31.3.84 तक उनमें कुल 35,411 करोड़ रुपये का निवेश था। दस शीर्षस्थ उद्यमों में 19,252 करोड़ रुपये का निवेश था। यह राशि कुल निवेश राशि की लगभग 54 प्रतिशत है। यह राशि निरन्तर बढ़ रही है। 1974-75 में निवेश राशि 6654 करोड़ रुपये थी और इन उद्यमों में 14,32,00 कर्मचारी कार्यरत थे और प्रति व्यक्ति वार्षिक परिलब्धियां औसतन 7402 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होती थी। 1980-81 तक उद्यम की संख्या बढ़कर 168 हो गई थी और निवेश की राशि भी बढ़े कर 18,207 करोड़ रुपये हो गई थी और कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 18.19 लाख हो गई थी एवं प्रति व्यक्ति औसतन वार्षिक परिलब्धियां 14239 रुपये प्राप्त होती थी। केवल 3 और वर्ष में निवेश राशि बढ़कर 29,896 करोड़ रुपये हो गई है। कर्मचारियों की संख्या 20.69 लाख थी और औसतन वार्षिक परिलब्धियां प्रति व्यक्ति 27,675 रुपये थे। वास्तव में सरकारी क्षेत्र में उद्यमों को लाभ अर्जित करना चाहिये और उन्हें हमारी भविष्य की योजनाओं का वित्त पोषण करना चाहिये। उन्हें राष्ट्रीय राजस्व और अपनी योजनाओं को आर्थिक सहायता देनी चाहिये जिससे कुछ और उद्योग स्थापित किये जा सकें और कुछ भाग्यहीन बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। किन्तु मुझे खेद है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम इस विचार से बहुत पीछे चल रहे हैं।

दुर्भाग्यवश क्षमता-उपयोगिता बहुत कम है और अनेक क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है। मैं ऐसे यूनिटों के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी उपयोगिता-क्षमता 75 प्रतिशत से अधिक रिकार्ड की गई है। सर्वेक्षण करने पर पता चला था कि ऐसे उद्यम की संख्या 88 है अर्थात् 51.2 प्रतिशत 149 उद्यम ऐसे थे जिनकी उपयोगिता क्षमता 50 और 75 प्रतिशत के बीच थी। वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे थे। 35 अर्थात् 20.35 प्रतिशत यूनिट ऐसे थे जो 50 प्रतिशत से कम क्षमता पर चल रहे थे। 1981-82 की तुलना में उनकी क्षमता में गिरावट आई है। सरकारी क्षेत्र में निवेश की गई राशि और पूर्ण क्षमता का उपयोग न किये जाने के बारे में विचार करने पर पता चलेगा कि देश को कितनी अधिक हुई हानि हैं। यदि ये संयन्त्र अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करते तो कितने हजार करोड़ रुपयों का उत्पादन हो जाता। लेकिन सम्बन्धित व्यक्ति

इन बातों का अहसास नहीं कर रहे हैं।

1974-75 में निवेश राशि प्रति व्यक्ति लगभग 46,666 रुपये आती है, किन्तु इतनी अधिक राशि निवेश करने के साथ यह राशि बढ़कर 1,44,000 रुपये हो गई है। और इस अवधि के मध्य यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 23,242 करोड़ रुपये की राशि का निवेश हो चुका है और जिससे 6.37 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है तो पता चलेगा कि इस समय प्रत्येक कर्मचारी के ऊपर 3,64,000 रुपये की राशि का निवेश किया गया है इसका मतलब यह है कि प्रत्येक उद्यम में एक कर्मचारी के रोजगार देने के लिये सरकार को निवेश के रूप में 3,64,800 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इस देश पर 24,000 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी ऋण है और इस वर्ष हमें 2800 करोड़ रुपये से अधिक राशि ऋण और मूलधन के रूप में अन्य देशों को देनी है। यह स्थिति बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी औसत आय प्रति व्यक्ति 21,000 रुपये प्रति वर्ष जबकि हमारे देश में प्रति व्यक्ति औसत आय लगभग 1400 रुपये वार्षिक है। क्या वे ऐसा महसूस नहीं करते होंगे कि उन्हें कितनी अधिक सुविधा प्राप्त है और दूसरी ओर करोड़ों अभागे व्यक्ति हैं, करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं ; और करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है जो अपने खाने को भी नहीं कमा पाते हैं और अपना जीवनयापन नहीं कर पाते हैं ? उनके कधों पर उत्तरदायित्व है और देश और समाज के उत्थान के लिये उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिये। जहां तक लाभ का प्रश्न है ; 1983-84 में मुश्किल से 230 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। वर्ष 1982-83 के अंत में लाभ की शुद्ध राशि 613 करोड़ रुपये थी। किन्तु यह लाभ केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कारण हो पाया है। कुल 3451 करोड़ रुपये की आय में 1600 करोड़ रुपया पूर्व-कर लाभ का था। यह लाभ भी इसलिये हुआ था कि गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होने के कारण खाना पकाने की गैस का मूल्य भी बढ़ा दिया गया था। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इतना अधिक जो लाभ हुआ, उसका कारण यह था।

अब मैं उन सरकारी उद्यमों के बारे में बताऊंगा, जो हर वर्ष लगातार घाटे में जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली परिवहन निगम को लिया जा सकता है। उसका कुल घाटा 81 करोड़ रुपये का है। कुल घाटे की राशि 81 करोड़ रुपये है वर्ष 1983-84 के सिर्फ एक वर्ष की अवधि में इस विशाल संख्या को 101 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है इसके पास हजारों की संख्या में ऐसी बसें हैं जो सड़कों पर नहीं आ रही हैं। ये बसें उनकी वर्कशाप और गैराजों में खड़ी हैं। इसने अपने बेड़े में करीब 500 नई बसें जोड़ी हैं। प्रत्येक दिन की खेपों का कार्यक्रम इस प्रकार है। इसके अनुसार कुल 54, 523, खेप (ट्रिप) निर्धारित किए गए हैं जबकि वास्तव में सिर्फ 47, 312 ट्रिप ही लगाये जाते हैं। मैं इस बात को सदन के सामने सिर्फ यह बताने के लिए ला रहा हूं कि जन साधारण के पैसे की किस प्रकार बर्बादी हो रही है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक विशेष शहर में परिवहन संख्या को 101 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जबकि सम्पूर्ण राज्य में 30,000 से ज्यादा बसें चल रही हैं और एक वर्ष का घाटा 19 करोड़ रुपये से ज्यादा का नहीं है। परन्तु आपने यहां पर देखा कि इस निगम को 101 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। क्या संस्था को चलाने का यह कोई तरीका है और वह भी राजधानी में ? अखिरकार हमारे पास इतनी अधिक विकसित प्रोद्योगिकी है। प्रबन्धन प्रतिभा है और कार्य करने के नवीनतम उपाय भी हमारे पास उपलब्ध हैं। परन्तु हम डी. टी. सी. के घाटे को कम करने में सक्षम नहीं हैं। मैं इस

तर्क को नहीं समझ सकता। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वे ऐसा न समझें कि दिल्ली में रहने वाले लोग प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं और शेष भारत के लोग द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। यह अकल्पनीय है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में साजसामान के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज की औद्योगिक गतिविधियों में सभी निवेशों का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक है। सामग्री उत्पादन लागत एक बहुत बड़ा घटक है। इस सामग्री पर जो पूंजी लगा होती है उसमें कमी करने से न केवल उच्चतर प्रतिफल दर प्राप्त होती है अपितु उद्योगों की नकद पूंजी में भी सुधार होता है। 1983-84 के अंत में 11,200 करोड़ रुपये की कुल सूची में काफी कुछ किया जाना है। अतः इस संबन्ध में काफी सुधार करना पड़ेगा। इनसे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं अगर सरकार इस संबन्ध में ठोस उपाय करे अब मैं लघु स्तर के उद्योग के बारे में बताता हूं कुल उत्पादन में इसका सहयोग लगभग 49 प्रतिशत है। लघु स्तर के उद्योग 30,415 करोड़ रुपये की राशि का सामान तैयार कर रहे हैं। और इनसे 84 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है निर्यात में भी इनका योगदान काफी अच्छा है निर्यात राशि लगभग 2350 करोड़ रुपये है। लघु स्तर के उद्योग हमारे देश और इसकी अर्थ- व्यवस्था के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जबकि भारत सरकार इनसे सौतेला व्यवहार कर रही है। यह लघु स्तर के क्षेत्रों को आवश्यक धन राशि मुहैय्या कराने में असमर्थ है। यद्यपि बैंक ऋण के लिये इसे प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है। परन्तु वह कितनी राशि है जिसे आप लघु स्तर की ईकाईयों को दे रहे हैं। तथा बड़े एवं मध्यम उद्यागों को आप कितनी राशि दे रहे हैं? मैं एक आसान सा उदाहरण दूंगा, कि किस प्रकार से बैंकिंग प्रणाली कार्य करती है। पूरे देश में मकान बनाने के लिए सिर्फ 120 करोड़ रुपये का धन दिया जा रहा है जबकि दिल्ली में मात्र एक होटल के निर्माण के लिये 30 से 40 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा रहा है। अतः इन सभी बड़े होटलों के लिये कुल कितनी राशि है।' होटल उद्योग पर करोड़ो रुपये खर्च किये जाते हैं जबकि सम्पूर्ण राष्ट्र में, निर्धन और आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों के लिये मकान निर्माण के लिये सिर्फ 150 करोड़ रुपये ही दिये गये हैं। मैं अनुरोध करता हूं, बल्कि मैं मांग करता हूं कि सरकार को अपनी प्राथमिकताओं को पलट देना चाहिये। लघु स्तर के उद्यागों की उपेक्षा हो रही है और इस प्रक्रिया में हस्तशिल्पों का विनाश हो रहा है तथा देश में बेरोजगारी की समस्या प्रबल होती जा रही है तथा बहुत से कारीगरों का पतन हो गया है।

संदर्भ सर्वेक्षण के आधार पर सन् 1955 में घरेलू उद्योगों में लगे हुए लोगों की संख्या 1 करोड़ थी 1971 में महान संख्या घट कर 63.5 लाख रह गई। इस बुरी हालत की कल्पना कीजिये। इस समय रोजगार कार्यालयों में 235 लाख लोग पंजीकृत हैं। हाल ही में, माननीय मंत्री जी ने निर्धन की परिभाषा देते हुये हमें बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 65 रुपया प्रतिमाह तथा शहरी क्षत्रों में 75 रुपया प्रति माह कमाने वालों को गरीबी की रेखा के नीचे समझा जाएगा। उन्होंने बताया कि 1979-80 में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 53.6 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचें थे। विश्व में भारत की आर्थिक स्थिति 163-64 में 85वें स्थान पर थी परन्तु 1977 में हम 106वें स्थान पर पहुंच गये। प्रत्येक चीज की भांति देश में आर्थिक विषमता में भी वृद्धि हुई है।

प्रथम योजना के दौरान लघु स्तर के उद्यागों को 48 करोड़ रुपये की धन राशि दी गई थी यानि कि 2.1 प्रतिशत। उद्योग और खनिजों के लिए, आवंटन 2.8 प्रतिशत किया गया था। परन्तु बाद की योजनाओं की क्या स्थिति है? दूसरी योजना में उद्योग के लिये 20 प्रतिशत तथा ग्रामीण एवं

लघु उद्योगों के लिए सिर्फ 2 प्रतिशत आवंटन किया गया था। इसी तरह, उद्योग के लिए आवंटन धीरे-धीरे बढ़ता गया और पांचवी योजना में यह आवंटन सिर्फ 1.4 प्रतिशत था। इस तरह से लघु स्तर क्षेत्रों के प्रति अन्याय किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि अर्थ-व्यवस्था प्रणाली के संचालन से सम्पत्ति और उत्पादन साधनों का संकेन्द्रण न हो जो लक्ष्य सामने रखे गए थे उनके विपरीत इस समय क्या हालात हैं ? एक अकेले परिवार के पास 2800 करोड़ रुपये की परिसम्पति है और एक और अन्य परिवार के पास 2600 करोड़ रुपये की परिसम्पति है यह चौंका देने वाली आर्थिक विषमता है जो कि हमारे देश में प्रचलित है। दुर्भाग्यवश, इसका कारण है कि सरकार गांधी जी द्वारा बताये गये रास्ते पर नहीं चल रही है।

2.00 म.प.

अगर आप को याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था और वर्तमान नीति में प्राथमिकताओं को बदल दिया है, तो मेरे विचार से स्थिति में और भी गिरावट होती जा रही है। वास्तव में, जवाहर लाल जी को अपनी मृत्यु से पहले हमारी योजनाओं में जो गलतियां थीं उनका ज्ञान हो गया था इन योजनाओं में भारी उद्योग को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी और ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को कम महत्व। मेरे विचार में सरकार को लघु एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों में ज्यादा प्रथमिकता देनी चाहिए क्योंकि यही एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं।

औद्योगिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के संबन्ध में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर पुन: नये सिरे से विचार करें। माननीय मंत्री जी ने हाल ही में बताया कि वे इस पर बहुत जल्द ही पुन: विचार करेंगे। इसका आधार 'उद्योग रहित खण्ड' होना चाहिये। खण्डों को आधार बनाया जाना चाहिये।

विशाखापत्तनम जिले में कृष्णा देवीपेटा में एल्यूमिना संयंग को भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण तथा खनिज खनन निगम ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में कुल बाक्साइड अयस्क का 30 प्रतिशत उपलब्ध है तथा सोवियत रूस के दल को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय हित में इस संयंत्र को कृष्णा देवीपेटा में लगाया जाये। मंगलागिरि टायर्स परियोजना को अभी सरकार से मंजूरी नहीं दी गई है। लाइसेंस देने वाली समिति ने 22.5. 1984 को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी परन्तु केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक-कार्य संबंधी समिति ने पिछले एक वर्ष से इसे मंजूरी नहीं दी है मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और समिति की तरफ से इसे मंजूरी दिलवायें।

आंध्र प्रदेश में हीरा उद्योग लगाए जाने की गुंजाईश है। कृष्णा जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र नंदी गांव में यह लगाया जा सकता है हीरा उद्योग और जवाहरात हीरे उद्योग के विकास के लिए यहां पर काफी अवसर हैं।

मेडक में हल्के वाहनों को बनाने वाली इकाईयों के बारे में, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वायदा किया था। हमें प्रसन्नता है कि नींव रखी गयी थी। अब यह सुनने में आया है। अत: हमें भय है। कि इंजन बनाने की इकाई अब वहां स्थापित नहीं हो रही है। मैं सरकार से अपने वायदे से न मुकरने और इंजिन निर्माण इकाईयों को आयुध फैक्ट्री उत्पादन में शामिल करने का अनुरोध करूंगा।

जहां तक औद्योगिक मानव-दिवसों के नुक्सान का संबंध है मैं इस बात पर जोर दूंगा कि लोगों को उनके स्कूल के दिनों से छात्र-जीवन से ही उनके भावी उत्तरदायित्व का बोध करा दिया जाना चाहिए। जब कई देश इतनी तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं तो क्या वजह है कि भारत उनके जीवन स्तर तक पहुंचने में असमर्थ रहा है ? हर देशवासी को कठोर परिश्रम करना चाहिए और यह भावना उनमें बचपन से ही विकसित की जानी चाहिये। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह औद्योगिक कर्मचारियों में तथा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य कामगारों में ऐसी भावना भरने का हर सम्भव प्रयास करें।

कटौती प्रस्ताव

श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० कर दिया जाए।"

[बन्द पड़ी रुग्ण मिलों को फिर से चालू करने के लिए कदम उठाने में असफलता (2)]

"कि ग्रामोद्योग और लघु उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० कर दिया जाए।"

[रोजगार के अधिक अवसर जुटाने के लिए भारी उद्योगों की तुलना में ग्राम तथा लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने में असफलता (4)]

श्री के० रामचंद्र रेड्डी : (हिन्दूपुरा) मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में रामलेसीमा में, उद्योग आरम्भ करने के लिये धन का आवंटन करने की आवश्यकता (3)]

कि ग्रामोद्योग और लघु उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : **मैं प्रस्ताव करता हूं** :

[तूफानगंज पश्चिम बंगाल के ग्रामीण कारीगरों को पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों के माध्यम से सहायता देने की आवश्यकता। (5)]

[कूच बिहार, उत्तर बंगाल में केन्द्रय जूता तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता। (6)]

[जबलपुर में केन्द्रीय जूता तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता। (7)]

[उत्तर बंगाल में बलूरघाट में इंस्टीट्यूट फार नेशनल एंटरेप्रेनियरशिप एण्ड समाल बिजनेस की शाखा स्थापित करने की आवश्यकता। (8)]

[उत्तर बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में लघु कारबार संस्थान की शाखाएं स्थापित करने की आवश्यकता। (9)]

[उत्तर बंगाल में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग एककों की स्थापना करने में शिक्षित बेरोजगारों को उदारीकृत ऋण देने की आवश्यकता ।(10)]

[उत्तर बंगाल में हासीमारा लघु उद्योग प्रशिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता । (11)]

सभापति महोदय : कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष हैं । श्री बनवारी लाल पुरोहित ।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, औद्योगिकीकरण की नीति पर जो सरकार ने गत 4 वर्षों में काम किया है, उसके लिए हम केन्द्रीय सरकार का अभिनन्दन करते हैं ।

निश्चय ही देश की प्रगति के लिए इकानमिक को ठीक रखना बहुत जरूरी है । हमारे यहां नेशनल ग्रोथ टोटल ग्रोथ 60 प्रतिशत होना चाहिए और वह 6 परसेन्ट टोटल ग्रोथ को अचीव करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कम से कम 11 परसेन्ट ग्रोथ करनी होगी । आप पहले का इतिहास देखें तो पहले तीन चार परसेन्ट की ग्रोथ रही लेकिन 1983 में जब आपने लिबरल लाईसेंसिंग पालिसी अख्तियार की तो उसके बाद कन्ट्री में इण्डस्ट्रियल एक्टीविटीज बढ़ी और ग्रोथ रेट 8 साढ़े 8 परसेन्ट तक पहुंची । परन्तु इतना ही काफी नहीं है, और भी अधिक प्रगति करनी होगी । चाहे स्माल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हों या बड़ी इंडस्ट्रीज हों आपने लाइसेंसिंग में लिब्रल पालिसी अख्तियार की है लेकिन मैं कहूंगा कि जब आपने 1980 और 1983 के बीच में इण्डस्ट्रियल पालिसी में लिब्रालाईजेशन की पालिसी अख्तियार की तो आपने देखा कि देश में काफी इण्डस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ीं, काफी उद्योगपति आगे आए । मैं तो आपसे यहां तक कहूंगा कि आपकी लाइसेंसिंग की जो पालिसी है वह यदि समाप्त ही कर दी जाए तो एक इण्डस्ट्रियल बूस्ट होगा । आपको कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने की ही जरूरत नहीं है । आपको इस बात का डर हो सकता है कि अगर ज्यादा इण्ड्स्ट्रीज लग गई तो आपस में ज्यादा कम्पटीशन हो जाने से घाटे में चली जायेंगी लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कन्ट्रोल तो आपके पास ही है और रिजर्व बैंक भी आपकी ही है । यदि आप कर्जा नहीं देंगे तो एन्टरप्रिन्यार्स इण्डस्ट्रीज डाल ही नहीं सकेंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि सेक्रेटेरियल लेवल पर तो डी-लाइसेंसिंग ही हो जानी चाहिए, आपको केवल फाइनेंशियल कन्ट्रोल रखने की आवश्यकता है। जो भी उद्योगपति हिम्मत से आगे बढ़ना चाहें वह आगे बढ़ें, इसका अवसर उनको मिलना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आपका प्लानिंग डिपार्टमेंन्ट है वह सोता रहता है । जब किसी चीज की एक्यूट शार्टेज देश में हो जाती है, चारों ओर हाहाकार मच जाता है तब उसके लिए प्लानिंग की जाती है । सीमेंट के मामले में यही हालत हुई । मालूम ही नहीं हुआ कि देश में सीमेन्ट की इतनी एक्यूट शार्टेज हो गई । स्टील में भी यही हालत है । आपको डिमांड एण्ड सप्लाई की बेसिस पर चलना चाहिए ।

पब्लिक अण्डरटेकिंज के ऊपर आपका बहुत जोर है लेकिन उसका भी एक्सपीरिएन्स क्या है ? अभी अभी जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, मैं भी उनसे सहमत हूं कि कितनी ही पब्लिक अण्डर-टेकिंग घाटे में चली गई हैं और उनको घाटे से निकालने के लिए चूंकि आपकी मोनोपाली है, आप तुरन्त 50 रुपए टन भाव बढ़ा देते हैं और इस तरह से उनका घाटा पूरा करते हैं लेकिन उससे जनता का गला काटा गया या नहीं यह भी देखना चाहिए मैं समझता हूं घाटा पूरा करने का यह कोई

तरीका नहीं है। आपको उनमें एफीशिएन्सी लाने का प्रयास करना चाहिए। आपको पता ही है कि बिहार में कोयले की कितनी चोरियां होती हैं और माफिया गिरोह कार्यरत हैं लेकिन उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया। इसलिए मैं समझता हूं इस बात के ऊपर गम्भीरता से विचार होना चाहिए।

जो स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं उनको भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपने इस काम को स्टेट्स के जिम्मे डाल दिया है।

इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स खड़ी कर देती हैं, उन्होंने वहां पर रोड्स दे दीं, शेड्स बना दिए, बिजली और पानी दे दिया और उसके बाद अपना काम खत्म समझ लेते हैं। लेकिन केवल इतने से ही काम नहीं चल सकता है। सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज भी होती है, उसको भी डेवलप करना बहुत आवश्यक होता है। बड़े उद्योगपति तो हाउसिंग कालोनीज भी बना लेते हैं लेकिन जो छोटे मैन्युफैक्चर्स हैं वे अपने मजदूरों के लिए हाउसिंग की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं।

हाउसिंग का ही सवाल नहीं है, वहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की सुविधा भी होनी चाहिए। वहां जो मजदूर बीमार हो जाते हैं, उनके लिए डिस्पैंसरी की भी सुविधा होनी चाहिए। मार्केटिंग की सुविधा भी होनी चाहिए। इन बातों पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। मेहरबानी करके आप ध्यान दीजिए वहां पर स्माल स्केल इन्डस्ट्री इसीलिए नहीं पनप पा रही हैं, क्योंकि वहां पर सोशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर इन चीजों को उपलब्ध कराने की ओर ध्यान देना चाहिए।

दूसरी सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, अभी जिसके बारे में फीगर्स भी दी गई हैं। एक आदमी को एम्पलायमेंट देने के लिए आप काफी खर्चा करते हैं, लाखों और हजारों का सवाल नहीं है। कई सैक्टर ऐसे हैं, यदि आप ध्यान दें तो काफी लोगों को एम्पलायमेंट मिल सकता है और देश की बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो सकती है। मैं सरकार का ध्यान अपने प्रदेश के बुनकरों की ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि हैण्डलूम पर काम करते हैं। हमारे विदर्भ क्षेत्र में लाखों बुनकर हैं। यदि एक परिवार एक हैण्डलूम लेकर बैठता है, तो वह सुबह से शाम तक रोजी-रोटी का भी इन्तजाम नहीं कर पाता है। सरकार टैक्नॉलौजी के क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है, उस परिस्थिति में अपने जो टैक्सटाइल पर रिस्ट्रिक्शन्स लगा रखी है, उनको हटा देना चाहिए। हैण्डलूम के स्थान पर पावरलूम लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आप पावरलूम लगा देंगे तो वह एक परिवार 25-30 रु०, की रोजी कमा सकता है। मान लीजिए यदि उस परिवार में छः सदस्य हैं, तो काफी आमदनी हो सकती है। अन्दाज लगाइए, यहां पर एक आदमी को रोजी-रोटी देने के लिए आपको दो हजार रुपया खर्च करना पड़ता है और एक आदमी को रोजगार उपलब्ध होता है। टैक्सटाइल के कायदे-कानून को आपको सरल बनाने चाहिए ताकि दूसरे लोग इसका फायदा न उठा पायें। आपको पावरलूम लगाने का प्रावधान तुरन्त करना चाहिए। सब्सिडी देने के लिए बैंकों को आदेश दिए जाने चाहिएं, इससे लाखों लोगों को फायदा हो सकेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे इन बातों पर गम्भीरता से विचार करें।

इसके साथ-साथ में औद्योगिकरण की नीति के बारे में कहना चाहता हूं। मीडियन स्केल इन्डस्ट्री, जहां पर कि डी.जी.टी.डी. ने रिस्ट्रिक्शन्स लगा रखी है, दो-दो, तीन-तीन साल से केसेज क्लीयर नहीं हुए हैं, उनको एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाकर महीने, डेढ़ के अन्दर क्लीयर करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात आपने महाराष्ट्र को नो-डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री एरिया घोषित किया है।

वहां पर क्या एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां नया प्रोजैक्ट लगाया जा सके। वहां पर एक पैट्रो-कैमिकल काम्प्लैक्स के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दरख्वास्त की, थी विदर्भ क्षेत्र के लिए, उस पर आपको विचार करना चाहिए। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, आप उस पर गम्भीरता से विचार करें।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(अनुवाद)

प्रो० के० वी० थामस (एर्णाकुलम) : मैं उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता है।

औद्योगिकीकरण के उद्देश्य की तरफ बढ़ने के लिए भारत ने विशाल कदम उठाये हैं। 1947 में जब भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की तो हमें पेपर पिन से लेकर छापने की मशीनें तक आयात करनी पड़ती थीं। लेकिन अब हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि हम विश्व के 10 मुख्य औद्योगिक देशों में से एक हैं। वैज्ञानिकों और तकनीकियों में हमारा नाम अमरीका और रूस के पश्चात है। इस विकास का श्रेय पं० जवाहर लाल नेहरू की दूरदर्शिता को जाता है जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। उनके निर्णय से हम जानते हैं कि इस्पात देश की विकास दर मापने का एक बैरोमीटर है। पंडित जी के इस निर्णय से हमारे देश के विकास में एक और अध्याय जुड़ गया था। इस सम्बन्ध में हमें अपनी प्रिय नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को भी याद करना होगा जिन्होंने भारत की औद्योगिक नीति को एक नई दिशा दी। यह उन्होंने ही सोचा था कि विश्व के विकसित राष्ट्रों से तकनीक प्राप्त की जाये तथा उसकी साझेदारी की जाए। यहां मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि अपने प्रधान मन्त्री, राजीव जी, पण्डित जी तथा इंदिरा जी का अनुसरण कर रहे हैं! उनकी यह घोषणा कि सरकारी उद्यमों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव किए जा रहे हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र को वर्तमान युग निर्यात बजट में रियायतें दी गई हैं, स्पष्टतः यह दर्शाती है कि हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है।

तीन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में से हमें लघु उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी! इस क्षेत्र में दस लाख एकक हैं और 44 लाख मजदूर, पांच हजार प्रकार की विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और इस क्षेत्र का निर्यात में 25 प्रतिशत हिस्सा है। यह क्षेत्र छोटे एककों, लघु उद्योगों तथा सहायक एककों में पुनः विभाजित है। हम छोटे एककों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ऐसे एककों में अधिकतम पूंजी निवेश सिर्फ 2 लाख रुपए तक है। अपने शिक्षित युवाओं को स्वयं रोजगार स्कीमों' की शक्ल में सरकार का रोजगार देने का वर्तमान निर्णय भी इस छोटे क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यह क्षेत्र आम जनता की जरूरत की चीजें बनाता है जैसे, चमड़े की वस्तुएं, प्लास्टिक तथा रबर का सामान, सिले हुए वस्त्र, साबुन, कपड़े धोने के पाउडर इत्यादि। कुछ सप्ताह पूर्व मुझे केरल के एक औद्योगिक एकक में जाने का अवसर मिला था जहां पर हरिजन समाज द्वारा टेलीवीजन के केस बनाये जा रहे थे। उन टेलीवीजन के केसों की क्वालिटी विदेशों से आयात किए जाने वाले केसों से बहुत अच्छी है।

लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता, मजदूरों को प्रशिक्षण, सामान्य सेवा सुविधाएं, ड्यूटी रिलीफ तथा कम ब्याज दर पर कर्ज देकर उनकी समुचित सहायता करनी चाहिए। उत्पादन की तकनीक को भी निरन्तर बदलते रहना चाहिए।

इस क्षेत्र के कुछ वर्गों, जैसे महिलाओं, ग्रामीणकारीगरों, तकनीशियनों, हरिजनों तथा गिरिजनों, विद्यार्थियों, शिक्षित बेरोजगारों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों, को प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

स्व रोजगार योजना के सम्बन्ध में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस वर्ष इसके लिए 14 लाख प्रार्थी थे परन्तु हम केवल 4.2 लाख प्रार्थियों को ही सहायता प्रदान कर सके अधिक युवा लोगों को इस स्कीम के अन्तर्गत प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस स्कीम के अन्तर्गत विद्युत शक्ति तथा अन्य बुनियादी ढांचे की सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करने में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। उनके पास 26 ग्रामोद्योगों की खादी सहित एक सूची है। इस सूची में और उद्योगों को लाना चाहिए ताकि खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग से अधिक ग्रामोद्योगों को सहायता मिल सके।

अपने राज्य केरल, पर वापस आते हुए मैं सदन का ध्यान दो मुख्य परम्परागत कुटीर उद्योगों की तरफ आकर्षित करूंगा जो केरल राज्य में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। एक नारियल जटा उद्योग है तथा दूसरा काजू उद्योग है। केरल के पश्चिम तट का नारियल जटा उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण परम्परागत कुटीर उद्योग है जिसमें पहले लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। परन्तु धीरे-धीरे इस उद्योग में अब ह्रास हो रहा है। इसके कारण हैं : यूरोप की मण्डी में आर्थिक मन्दी, सिन्थेटिक और अन्य प्राकृतिक उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा लागत मूल्यों में वृद्धि है। इस उद्योग को बचाना होगा अन्यथा केरल के पश्चिम तट के लाखों लोग भुखमरी की स्थिति में पहुंच जायेंगे। तुरन्त उपाय जो किये जाने चाहिएं इस प्रकार हैं : इस उद्योग में मशीनीकरण करना और ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना कि इससे उद्योग में काम करने वाले लोगों का ज्यादा नुकसान न हो तथा दूसरे देश में इसकी खपत बढ़ानी होगी।

नारियल की चटाइयों की किस्म जो वहां पर बनाई जाती है, को देखते हुए उन्हें हम अपने घरों को सजाने में प्रयोग कर सकते हैं।

काजू उद्योग पर आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि किसी समय केरल को इस उद्योग में एकाधिकार प्राप्त था। वस्तुतः यह उद्योग अब केरल में समाप्त हो चुका है। इस उद्योग में लगे लाखों लोग विशेष रूप से अल्लपी में, भुखमरी की हालत में पहुंच गए हैं। काजू का न मिलना तथा दूसरे इस उद्योग को केरल राज्य से बाहर ले जाना इसके कारण हैं। इसलिए यदि इस उद्योग को बचाना है तो अधिक संख्या में काजू के वृक्ष राज्य में लगाए जाएं और दूसरे समूचे देश में समान वेतन नीति अपनाई जाए।

बड़े उद्योग के बारे में मैं दो बातें बताना चाहूंगा। एक है कुप्रबन्ध। यह स्थिति स्पष्ट रूप से कोचीन शिपयार्ड में देखी जा सकती है। इस शिपयार्ड को 100 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया था और अब इसमें 30 करोड़ रुपए का घाटा चल रहा है। इसके क्या कारण हैं ? यहां पूर्ण कुप्रबन्ध व्याप्त है। जलपोतों में से एक, "दी मराठा मिशन" जो हाल ही में छोड़ा गया था कम्पनी के कुप्रबन्ध की वजह से 25 लाख का घाटा कर चुका है। जब हम अपने औद्योगिकरण के बारे में विचार कर रहे हैं तो हमें इन मुद्दों पर विचार करना होगी।

(हिन्दी)

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : मान्यवर, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके बाद मैं इस विषय पर बोलते हुए मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा।

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि इस देश के औद्योगिक विकास में कांग्रेस सरकार की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर स्वर्गीया प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियां और आज हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की उदारतापूर्ण नीतियों को शामिल करके देखा जाए तो ये सब इस बात का संकेत दे रही हैं यह देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। इसी सन्दर्भ में, अभी पिछले दिनों हमारी सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कुछ नई रियायतें दी गई हैं और कुछ नई नीतियां सामने रखी गयी हैं—चाहे वह कुछ उद्योगों को लाएसेंस से मुक्त रखने की हो, चाहे लघु उद्योगों की सीमा बढ़ाने की हो, चाहे प्रोजेक्ट इम्पोर्ट ड्यूटी को 65 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया हो। ये ऐसे काम रहे हैं जिनके द्वारा देश के औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए एक मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं सदन के माध्यम से सरकार को इस बात के लिए, बधाई देना चाहूंगा कि पिछड़े हुए जिलों के विकास को हमारी सरकार ने सर्वोच्च लक्ष्य माना है। उनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए दो करोड़ रुपये की पूंजी पिछड़े क्षेत्रों के जिलों को भेजने का एक निर्णय लिया है। उस पर हम आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं अपनी बात को उन्हीं पिछड़े क्षेत्रों के विकास तक ही सीमित रखना चाहूंगा क्योंकि मैं भी भारतवर्ष के सबसे पिछड़े क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश से यहां पर आया हूं। जो प्रदेश हर तरीके से तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों की वजह से वह बहुत पीछे है। आज एक शरीर हम तभी स्वस्थ कह सकते हैं जबकि शरीर के सभी अंग स्वस्थ हों। लेकिप हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान का कोई हिस्सा तो आगे बढ़ा हुआ है—तमाम पब्लिक सेक्टर के कारखाने वहां जा रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं जा रहे हैं। हमारा उत्तरप्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जिसकी आबादी हिन्दुस्तान की 1/6 है लेकिन अफसोस है कि पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को केवल 5 प्रतिशत दिए गए हैं। इस तरह एक सौतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश के साथ होता रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग इतने परिश्रमी हैं कि वे अपने परिश्रम को सार्थक बनाने के लिए पंजाब जाते हैं और वहां फसल काटने के लिए जाते हैं और इस तरह से अपनी जीविका कमाते हैं। वहां जाने और वहां से लौटने में वे ट्रेन की दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं और लौट कर अपने परिवार के बीच भी नहीं पहुंच पाते।

आज प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? यह मैं सदन के माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा। पूर्वी उत्तरप्रदेश जहां से मैं आता हूं वहां के लिए मैं कुछ फरियाद करना चाहता हूं। मेरे फैजाबाद मंडल को इस बात का फख्र है कि इस देश के प्रधान मन्त्री जी फैजाबाद मंडल के हैं, इस देश के उद्योग राज्य मंत्री फैजाबाद मंडल के हैं। उन दोनों जिलों के बीच में हमारा फैजाबाद जिला स्थित है। वह डिवीजनल हैडक्वार्टर है लेकिन उद्योग के लिए तरस रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पिछड़े जनपद को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को इस दिशा में अवश्य कुछ-न-कुछ सोच विचार करना चाहिए।

मुझे अभी पता चला कि पिछड़े जिलों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की जो सबसिडी योजना थी, उसकी मियाद खत्म होने वाली थी, उसको शायद एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। मेरी

यह राय है कि इसको सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक के लिए बढ़ा दिया जाए तभी ये पिछड़े जिले वास्तविक और औद्योगिक रूप से आगे बढ़ सकेंगे। मुझे आज ही इस बात की जानकारी हुई कि मेरा फैजाबाद जनपद जो कि सेन्ट्रल सबसिडी योजना के तहत आता है, उसको एक टाडा तहसील को पता नहीं क्यों। उस योजना से अलग कर दिया गया है। उस पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। तो पूरे जिले को सामने रखकर उस योजना को लागू करना होगा। किसी तहसील के अन्दर अगर कोई एक उद्योग लग गया और उस उद्योग के आधार पर अपनी उस योजना को उस तहसील से खत्म करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं होगा। इस बारे में आपको पुनः विचार करना होगा। एक दूसरे मुद्दे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं एक नौजवान हूं और हमारे देश का नौजवान जिस तरीके से बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित और त्रस्त है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे याद आ रहा है अपनी स्वर्गीय नेता श्रीमती गांधी जी का वह भाषण जो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया था। उसमें उन्होंने स्वतः रोजगार योजना बेरोजगारी को दूर करने के लिए हरारे सामने रखी थी। आज वह योजना बैंकों की लालफीताशाही और अपने लक्ष्य के कम होने के कारण भ्रष्टाचार का शिकार बनी हुई है। उस योजना को किस तरीके से बैंकों की लालफीताशाही से और भ्रष्टाचार से बचाया जा सकता है, उस पर सरकार को गौर करना होगा। इस सन्दर्भ में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि योजना को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए उसके लक्ष्य को हमें बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं कि बैंकों का जो को-आर्डिनेशन उद्योग विभाग के साथ नहीं है, उस पर हमें सख्ती से कोई रास्ता ढूंढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने उठाई हैं उन पर हमारा सदन और हमारे उद्योग मन्त्री निश्चित रूप से विचार करके हमारे और आपके सामने कोई रास्ता निकालेंगे।

[अनुवाद]

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं उद्योग की बुनियादी कठिनाइयों के संबंध में बोलूंगा। उद्योग के विकास में दीर्घ कालिन ह्रास ही उद्योगों की मूल समस्या है। इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण आस्तियों तथा सम्पतियों के स्वामित्व में असमानता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 42 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि 5 प्रतिशत लोगों के हाथों में एकत्र हो गयी है।

दूसरे, हमारी बजट नीतियों के कारण लोगों की आय में बढ़ती विषमता ने एक गलत मोड़ ले लिया है। सार्वजनिक खर्च के लिए गरीब लोगों पर भारी करों का बोझ बढ़ाया गया है जबकि अमीरों को और अधिक करों में छूट दी गई है। इसका परिणाम यह है कि अपार जनसंख्या की औद्योगिक वस्तुओं की मांग सीमित तथा स्थिर हो गई है। दूसरे, पूंजीनिवेश का ही विकास रुक गया है।

मैं यहां एक उदाहरण देता हूं। 1983-84 में 13.6 प्रतिशत कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद गत वर्ष की तुलना में अप्रेल से नवम्बर 1984 के दौरान उत्पादन क्षमता केवल 5 प्रतिशत बढ़ी है। दूसरे शब्दों में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है परन्तु इससे निर्धन वर्ग की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है।

बहुत अच्छी दो फसलों के बाद भी सूती कपड़ा उद्योग में मंदी चल रही है। हम इस समस्या का किस प्रकार सामना करेंगे? आम व्यक्ति की क्रम शक्ति कम होने के कारण हमारी आन्तरिक मन्दी का प्रसार नहीं हुआ है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हमें आस्तियों के स्वामित्व को तोड़ने की शुरूआत करनी होगी तथा हमें आम व्यक्ति की क्रय शक्ति को भी बढ़ाना

होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अभी भी एकाधिकार घरानों तथा पूंजीपतियों को और अधिक रियायतें देते जा रहे हैं। 12 अप्रैल को वित्त मंत्री ने अमीर लोगों तथा उच्च वर्ग के लोगों की शान-शौकत की वस्तुओं, उदाहरण के तौर पर ओटोमोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी आयात नीति को नरम बनाने की घोषणा की थी।

सरकार की 1956 में तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित औद्योगिक नीति में हम अब स्पष्ट परिवर्तन देखते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। वास्तव में यह परिवर्तन 1980 में शुरू हुआ था। 1980 में सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। उस समय सभी अवैध विस्तारों को वैध घोषित कर दिया गया था तथा एकाधिकारवादी घरानों को अधिक सुविधाएं दी गयी थीं। अतः परिवर्तन पहले ही 1980 में शुरू हो गया था।

वित्तमंत्री के बजट भाषण में यह कहा गया है कि एम. आर. टी. पी. कंपनियों की छूट सीमा को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन कंपनियों की क्या मांग थी ? मांग छूट सीमा को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने की थी। परन्तु पूंजीपतियों पर हमारी सरकार इतनी मेहरबान है कि छूट सीमा को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है ? इसका मतलब है कि यह नीति निश्चत तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय मण्डी में आने का निमंत्रण देगी।

सरकार ने तकनीक पर भी अपनी नीति की घोषणा की है। ओटोमोबाइल उद्योग की स्थापना 1950 में की गई थी। जब कोई तकनीक पुरानी पड़ जाती तो हम विदेशी मार्किट ढूंढ़ते हैं।

हमने आदर्श तकनीक का आयात किया है। शुरू में हम लगभग सभी वस्तुएं बाहर से लाते हैं। अगर नहीं तो, हम पुर्जे मंगाकर उन्हें यहां जोड़ लेते हैं। इस नीति से निश्चित तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा विदेशी एकाधिकारवादी कम्पनियों के लिए 8 स्वदेशी मार्किट खुल जायेगी।

हमारा उद्देश्य भारत में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देना है। परन्तु यह नीति भारत के औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने में सहायक नहीं होगी। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि वह वाणिज्यिक ऋण ग्राह्यता को 1500 करोड़ रुपये के भीतर बनाये रखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि औद्योगिक लाइसेंसों के संबंध में जो नीति आप आपनाने जा रहे हैं। उससे देश का आयात बढ़ जायेगा और हमें निश्चित तौर पर धन मांगने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और उससे ऋण सेवा खर्च बढ़ जायेगा। भविष्य में यह नीति देश को नये साम्राज्यवाद के फंदे में धकेल देगी। सरकारी क्षेत्र के लिए बजट प्रस्ताव कम किये जा रहे हैं। वास्तविक धनराशि कम हो रही है।

वित्त मंत्री महोदय ने 3400 करोड़ रुपये का घाटा लोगों पर लाद दिया है और उसके ऊपर रेल भाड़े में, पेट्रोल उत्पादों के मूल्यों में, अप्रत्यक्ष करों में तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमतों में 2500 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी है। इस भारी बोझ के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग अगर घटेगी नहीं तो रुक अवश्य ही जायेगी।

गरीबों को उठाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के कार्यक्रमों में कमी किये जाने की वजह से स्वदेशी मार्किट पर और अधिक प्रतिबंध लग जायेगा। इसके विपरीत, सरकार की

वर्तमान नीति क्या है ? अब छोटे विशिष्ट वर्ग के लोगों की उपभोगता वस्तुओं पर औद्योगिक विकास का आधार बनाने की विचार है। उन लोगों की शान-शौकत की चीजों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा इससे गरीबों को कुछ राहत मिलेगी। परन्तु इसमें रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसे उद्योगों में बहुत ही उच्च विकसित तकनीक की आवश्यकता होगी और निश्चित ही इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित होंगें।

साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे विश्व बैंक तथा आई. एम. एफ. के अनुरोध पर सरकार इस समर नीति को अपना रही है। हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेते रहे हैं। 1980 से औद्योगिक नीति में परिवर्तन आया है। यह नीति निश्चय ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास, आत्मनिर्भरता तथा समानता एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घातक होगी।

मैं आपको पश्चिम बंगाल की वर्तमान औद्योगिक स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में 36 औद्योगिक इकाइयां बीमार और बन्द पड़ी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार उनको फिर से चालू करने तथा जीवन्त करने का प्रयास कर रही है। जिसके लिए उसे केन्द्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के बीमार और बन्द पड़ी औद्योगिक इकाईयों को फिर से चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आगे आकर कुछ न कुछ करना चाहिए उदाहरण स्वरूप दि नेशनल टेनरीज, हिन्दुस्तान पिलकिंगस्टन ग्लास वर्क्स, मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफेक्चरिंग लिमिटेड। मैं आपको एक बात बताऊंगा। आइ. आर. सी. आई. ने इन कम्पनियों की आर्थिक क्षमता का अध्ययन किया है और वे ऋण देने के लिए तैयार भी हो गये हैं। केन्द्रीय सरकार को आगे आकर इस मामले में कुछ न कुछ करना चाहिये।

मेरे पास समय नहीं है। भाड़ा समानीकरण के बारे में भी मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने पाण्डेय समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। परन्तु स्वीकार करने के बाद उसे लागू नहीं किया जा रहा है। यदि भाड़ा समानीकरण प्रस्ताव को लागू नहीं करते हैं तो न केवल पश्चिम-बंगाल बल्कि उड़ीसा और बिहार को भी हानि होगी। मैं इस मामले पर गौर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं त्रिपुरा का हूं। केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिकीकरण के लिये कुछ नहीं कर रही है। हम जब उनसे त्रिपुरा में या पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी अन्य भाग में कुछ उद्योग लगाने की मांग करते हैं तो केन्द्रीय सरकार का यह बहाना होता है कि वहां पर आधार-भूत सुविधाओं का विकास नहीं किया गया है और हम जब उनसे आधारभूत ढांचे के निर्माण की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं हैं धन नहीं है। हम इस असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या किया जाए। मैं पूर्वोत्तर परिषद की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं :

> "120 किलोवाट घण्टे की राष्ट्रीय औसत की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 25 किलोवाट घंटे बिजली की खपत होती है। इस क्षेत्र में 15 कि०मी० की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले सौ वर्ग कि०मी० ने 4.1 कि०मी० पक्की सड़कें हैं। 44 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले इस क्षेत्र के केवल 22 प्रतिशत क्षेत्रों का भूगर्भीय एवं खनिज सर्वेक्षण हुआ है।
>
> अतः, आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ करना चाहिये।

त्रिपुरा में एक कागज का कारखाना लगाने का प्रस्ताव था। त्रिपुरा वन-सम्पदा में

समृद्ध है। वास्तव में, राज्य सरकार सभी पहलुओं पर विचार करने को तैयार है। 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले कागज के कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव था परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। तत्पश्चात राज्य सरकार ने 30 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले कारखाने का प्रस्ताव भेजा था वे उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है।

मेरा एक मात्र निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार को आगे आना चाहिये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए।

* **श्री आर. जीवारतिनम** (आर्कोनम): सभापति महोदय, उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में, मैं कुछेक शब्द कहना चाहता हूं।

आपने जन-भाषणों और सम्मेलनों और संगष्ठियों को सम्बोधित करते समय हमारे गतिशील प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी महोदय देश भर में उद्योगों के सन्तुलित विकास की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। वह औद्योगिक असन्तुलन को दूर करने के लिए नीतियों की स्पष्ट घोषणा करते रहे हैं। पश्चिम-बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश में इस्पात के बड़े-बड़े कारखाने हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और असम में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। भीमकाय जल-विद्युत परियोजनाएं उत्तरी राज्यों में हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रम उत्तरी राज्यों में हैं। इस सम्बन्ध में तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है। तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार का कोई बड़ा औद्योगिक उपक्रम नहीं है। तमिलनाडु तो आवर्ती सूखे और औद्योगिक प्रगितरोध से ग्रस्त है। सारे भारतवर्ष में तमिलनाडु में ही शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है। यह तमिलनाडु के औद्योगिक पिछड़ेपन का सूचक है।

मैं यह मांग करता हूं कि भारतीय सीमेन्ट आयोग और भारतीय कागज आयोग को तमिलनाडु में अपनी इकाईयां स्थापित करने के निदेश दिए जाने चाहिये। तमिलनाडु में भाषाई समाचार-पत्रों, आंग्ल दैनिकों, भाषाई साप्ताहिकों, पाक्षिकों मासिकों और अंग्रेजी पत्रिकाओं की भी संख्या सर्वाधिक है। इनकी खपत के लिए सारा अखबारी कागज उत्तरी राज्यों से आता है। भारतीय कागज निगम को तमिलनाडु में अखबारी कागज की इकाई खोलनी चाहिये।

इसी प्रकार गन्दी बस्तियों को हटाने के कार्य में भी तमिलनाडु सरकार सबसे आगे है। इस क्षेत्र में किए जा रहे अग्रणी कार्य के लिए तमिलनाडु के गन्दी बस्ती मिटाओ बोर्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से नाम कमाया है। परन्तु सीमेन्ट की आवश्यकता के कारण काम ठप्प है। अतः भारतीय सीमेन्ट आयोग से वहां पर एक सीमेन्ट की इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए। इन दोनों इकाईयों के लिए उत्तरी आरकोट के बनावरम—वालाजहा क्षेत्र में भूमि की विशाल पट्टियां उपलब्ध हैं। ऐसा समझा जाता है कि भूमि की उपयुक्तता के कारण रक्षा मन्त्रालय यहां पर एक इकाई स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इस पृष्टभूमि में भारतीय कागज निगम यहां पर एक संयन्त्र लगा सकता है क्योंकि उत्तरी आरकोट में चार बड़े आकार के चीनी मिल चल रहे हैं, दूसरे शब्दों में, कागज के कारखाने के लिए कच्चा माल खोई भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इससे उत्तरी आरकोट जिले में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में सहायता मिलेगी। मैं मन्त्री महोदय को यह बता देना चाहता हूं कि तमिलनाडु का उत्तरी आरकोट जिला हमारी भारतीय

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सेना की भरती में सबसे अधिक सहयोग दे रहा है। हमें तमिलनाडु की जनता द्वारा देश को प्रदान की जा रही सेवाओं को भी ध्यान में रखना होगा और केन्द्रीय सरकार को उत्तरी आरकोट जिले में सरकारी क्षेत्र में कागज की इकाई और सीमेन्ट की इकाई स्थापित करनी चाहिये।

रानी पेट्टई में 'भेल' की इकाई है, जिसमें 2000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। गत वर्ष 80 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ था और 7 करोड़ रुपये का लाभ व्यूता गया था। कुछ अभियान्त्रिकी कामगारों और अन्य श्रमिकों को एन. एम. आर. के आधार पर लिया जाता है और वे तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। इस बहाने का सहारा लेकर कि केन्द्र ने भर्ती पर रोक के निदेश दिए हैं, 'भेल' प्रबन्धकों ने तदर्थ कामगारों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। मुझे पता चला है कि 1.4.1985 से कामगारों को वापिस काम पर बुलाया जा रहा है। मुझे डर है कि एन.एम.आर. श्रमिकों के हितों को ताक पर रखा जा रहा है। राज्य से बाहर के लोगों को काम पर लिया जा रहा है और यहां तक कि सफाई कर्मचारी भी राज्य से बाहर से लिए जा रहे हैं। इससे रानी पट्टेई में उत्तेजना का वातावरण पनप सकता है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसकी जांच करा दें और 'भेल' की इस गलत नीति पर रोक लगाएं। इसी प्रकार 'भेल' के प्रबन्धक राज्य के बाहर से निजी क्षेत्र के एककों से सहायक उपस्कर खरीद रहे हैं। इसी प्रकार कारखाने के अन्दर बनाई गई दुकानें भी बाहर के लोगों को किराये पर दी गई हैं। सहायक उपस्कर और दुकानों के लिए भी निविदाएं आमन्त्रित नहीं की जा रही हैं। स्वाभाविक है कि जिन्होंने 'भेल' के लिए भूमि दी है, उनके आश्रितों को रोजगार और जीविका के रूप में उनका देय नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहता हूं कि उद्योग मंत्री महोदय इसकी जांच कराएं और स्थानीय लोगों को न्याय दिलाने के लिए उचित कार्यवाही करें।

आजकल 'भेल' अपनी स्थापित क्षमता के केवल 35% का उपयोग कर रहा है। यदि स्थापित क्षमता का 100% उपयोग किया जाए तो 4000 और लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, दूसरे शब्दों में यदि 'भेल' स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है तो उससे 6000 श्रमिकों को जीविका उपलब्ध होगी। आजकल स्थापित क्षमता के 35% के उपयोग के लिए 200 कामगार ही काम कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि 'भेल' को अपनी स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग के निदेश दिए जाएं जिससे उन लोगों के साथ न्याय किया जा सके जिन्होंने फैक्टरी के लिए भूमि दी है। इकाई के बिना किसी प्रकार के विस्तार कार्यक्रम के और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। मैंने 'भेल' के अध्यक्ष को इन सब बातों के बारे में एक पत्र लिखा है मैं 'भेल' द्वारा यह सब किए जाने हेतु मन्त्री महोदय के प्रभाव की मांग करता हूं।

इसी प्रकार सहायक कार्यशाला का निर्माण फैक्ट्री के अन्दर ही किया जाए और वे स्थानीय लोगों को आवंटित की जाएं। इसी प्रकार मेरा सुझाव है कि रानी पट्टई में एक चमड़े के समान की फैक्ट्री सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाए। उत्तरी आरकोट जिला चमड़े का निर्यात करता है और विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है। विदेशों में चमड़े के समान की मांग बढ़ती जा रही है। अतः मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा रानीपेट्टई में एक आधुनिक चमड़े के वस्त्रों की फैक्ट्री स्थापित की जानी चाहिये। हम चमड़े के वस्त्रों का निर्यात करके और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेंगे।

मैं मांग करता हूं कि रानी पेट्टई में एक स्कूटर निर्माण इकाई भी स्थापित की जानी चाहिये क्योंकि सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं। हमारे प्रधान मन्त्री

महोदय, श्री राजीव गांधी ने देश के औद्योगिक विकास में विदेशी पूंजी की और अधिक भागीदारी का स्वागत किया है। जब कभी भारत में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु विदेशी पूंजी उपलब्ध हो तो ऐसे विदेशी सहयोग वाली इकाईयां तमिलनाडु में स्थापित की जानी चाहिये जिससे कि देश में औद्योगिक सन्तुलन स्थापित किया जा सके।

निष्कर्ष में, मेरा सुझाव है कि 'भेल' को स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग के निदेश दिए जाने चाहियें और यह कि एक आधुनिक चर्म-वस्त्र इकाई केन्द्र द्वारा रानी पेट्टई में स्थापित की जाए और भारतीय कागज निगम द्वारा एक अखबारी कागज इकाई भी स्थापित की जानी चाहिये, भारतीय सीमेन्ट निगम को वहां पर एक भारतीय सीमेन्ट इकाई स्थापित करनी चाहिये तथा रानी पेट्टई में स्कूटरों का कारखाना भी लगाया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री आर० प्रभु (नीलगिरि) :सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय द्वारा' इस सम्मानित सदन के समक्ष रखी गई उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

महोदय, छठी योजना की अवधि में औद्योगिक उत्पादन ने 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाई है। यह हमारी नियोजित वृद्धि दर के लक्ष्य से कुछ ही कम है। अब हम सातवीं योजना के द्वार पर खड़े हैं और सरकार ने औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को बढ़ाने हेतु औद्योगिक नीति में कुछ महत्वपूर्ण दूरगामी नीति परिवर्तन किए हैं। इसमें औद्योगिक लाइसेन्स नीति को उदार और सरल बनाने जैसे कुछ वित्तीय और नीति उपायों, इलेक्ट्रानिक्स उद्योग जैसे अच्छे भावी परिणामों वाले उद्योगों की पहचान तथा सीमा शुल्क और आयात शुल्क में कमी करके छूट प्रदान करना आदि सम्मिलित है। उन्होंने पूंजीगत सामान के आयात और विदेशी सहयोग से सम्बद्ध प्रक्रियाओं को भी सरल बना दिया है। उन्होंने एम. आर. टी. पी. कम्पनियों के निवेश को 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया है। उन्होंने व्यक्तिगत कराधान को घटाकर निवेश के लिए और अच्छा वातावरण बना दिया है। उन्होंने ऐसे नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिए हैं जिनसे सरकारी क्षेत्र की इकाईयों का विकास और पोषण निश्चित होगा और वे हमारे औद्योगीकरण में गहन भूमिका निभायेंगे। प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों के प्रावधान में और आधारभूत ढांचे की सुविधाओं में भी पर्याप्त विकास सम्भावनाएं हैं।

3.00 म. प.

इस वर्ष के प्रारम्भ में हमारे प्रधानमन्त्री महोदय ने मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को काफी महत्व दिया है और इससे उच्च प्रौद्योगिकीय श्रम-शक्ति आधार उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी जिसकी कि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर को बढ़ाने में आवश्यकता होती है।

सरकारी क्षेत्र की भूमिका के बारे में बोले बिना उद्योगों पर कोई भी वाद-विवाद पूर्ण नहीं होगा। सरकारी क्षेत्र की भूमिका की अभी इस सदन में आलोचना की गई है और मेरे बोलने के बाद सम्भवत: कुछ प्रसंशा भी की जायेगी, मैं दोनों ही पहलुओं पर थोड़ा-थोड़ा बोलूंगा।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र अपने आकार, लगी हुई पूंजी और रोजगार पैदा करने के कारण अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करने जा रहा है।

हमारे सरकारी क्षेत्र के लगभग 217 उपक्रमों में, ऋण और शेयर पूंजी के रूप में करीब

35,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। ये गत वर्ष के आंकड़े हैं। सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत सीमेन्ट, इस्पात, अल्म्यूनियम, खनिजों, धातुओं, पेट्रोलियम, बिजली उत्पादन, रसायन, उर्वरक और परिवहन आदि जैसे प्रमुख उद्योग और आधारभूत सुविधाएं आती हैं।

हमारे प्रधानमन्त्री महोदय ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया है जिसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। उनका कहना है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वयं को कार्न फ्लैक्स और टोमाटो कैन्चअप जैसी उपभोक्ता मदों में संलग्न न करके, मुख्य उद्योगों और आधारभूत ढांचे की सुविधाओं तथा पूंजी गहन उद्योगों में लगना चाहिए। यदि सरकारी क्षेत्र की इकाईयां हानि उठाती हैं तो यह हमारी अर्थव्यवस्था का स्पष्ट ह्रास होगा। मैं अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहूंगा।

हमारी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की वर्ष 1983-84 की बिक्री लगभग 4700 करोड़ रुपये रही है। मूल्य ह्रास, ब्याज और सामूहिक कराधान का भुगतान करने के बाद कुल लाभ लगभग 245 करोड़ रुपये का था। 16,564 करोड़ रुपये की लगी हुई शेयर पूंजी के मुकाबले घोषित कुल लाभांश केवल 132 करोड़ रुपये था, जो कि पूंजी पर एक प्रतिशत से भी कम लाभ है।

परन्तु, इसके सार्थक पहलू के रूप में हमें अपने सरकारी क्षेत्र के सामाजिक पहलू को भी देखना होगा जिसमें बैंकिंग और बीमें के अतिरिक्त बीस लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। वास्तव में उन्होंने प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, 20,000 रुपये वितरित किए हैं। मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य है। लाभांश के अलावा उन्होंने निगमित कर के रूप में, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयात शुल्क आदि के रूप में 6566 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में दिये हैं। परन्तु अधिकांश सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां हानि में चलती हैं।

महोदय, मैंने 201 सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के बारे में आकड़े एकत्र किये हैं, 91 कम्पनियों को कर-पूर्व हानि हुई है। इसका एक कारण यह है कि इसमें कोई भी बाधा नहीं आई। बहुत से सरकारी प्रतिष्ठानों में वैसा वित्तीय अनुशासन नहीं है जैसाकि निजी क्षेत्र में विद्यमान है।

मैं वित्र मंत्री से निवेदन करूंगा कि सरकारी उपक्रमों के कार्य का विशेषत: उन एककों का जो घाटे में चल रहे हैं, प्रथक् रूप से अध्ययन किया जाए। यह कठिन नहीं है। क्योंकि कुल 217 कम्पनियां हैं।

एक विभाग है "सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ब्यूरो यह मात्र सांख्यिकीय तथा गुप्तचरी का कक्ष बनकर रह गया है। इसके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसे अधिक शक्तियां दें ताकि नए घाटे में चलने वाली कम्पनियों को दिशा दिखा सके तथा उनका उत्पादन और क्षमता बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपायों को क्रियान्वित करा सके।

सम्भवत: एक कारण और है, हमारी अधिकांश परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं होती। यह कोई अपवाद नहीं है। अपितु नियम ही बन गया है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए ताकि उनकी लागत में वृद्धि न हो।

मैं एक विशेष सरकारी उपक्रम की चर्चा करना चाहता हूं जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु में नीलागिर में है। यह है हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लि.। इस समय वे "सिने पोजेटिव

ब्लैक एण्ड व्हाइट" सिने साऊंड नेगेटिव, "ब्लैक एण्ड ह्वाइट क्रोमाइड पेपर" मेडीकल एक्सरे फिल्मों का उत्पादन करते हैं। प्रारम्भिक स्तर पर कम्पनी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परन्तु 1976 के बाद से उसमें लाभ होने लगा है। 2 वर्षों में उन्होंने अपनी सभी हानियों को पूरा किया तथा पिछले दो वर्ष से लाभांस भी देना शुरू कर दिया है। वास्तव में नयी सरकार के आने के बाद इन्होंने लाभांश का पहला 50000 रुपया का चैक दिया। जब उनका उत्पादन 100 करोड़ रुपए से अधिक का है। परन्तु दुर्भाग्य से उनकी शिल्पविधि 1960 की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं फोटो तकनीक ने पिछले दो दशकों में पर्याप्त उन्नति की है तथा बाजार में आज जो कुछ उपलब्ध है। वह पूर्णतः नई किस्म का है। ऊटी में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म का एक एक्स-रे फिल्म युनिट लगाने का प्रस्ताव है। वास्तव में अमरीका की डूपोट' कम्पनी ने अपनी शिल्प विधि का स्थानान्तरण करना स्वीकार कर लिया है तथा मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि उस कम्पनी ने पूरे विश्व में अपनी शिल्पविधि किसी भी अन्य देश को स्थानान्तिरित नहीं की है। वे एक्स-रे फिल्मों के प्रमुख निर्माता हैं तथा उनकी शिल्पविधि श्रेष्ठ है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं। एक्स-रे जीवन रक्षक साधन हैं तथा हाल ही में विकसित कार्डीयोलोजी में नियूरो-लोजी' और 'कैट-स्केनिंग" तकनीक तथा स्कैनिंग के कारण तकनीक में एक्स-रे फिल्मों की आवश्यकता बढ़ी है। मैं समझता हूं कि अगले 2 वर्षों में मांग और पूर्ति में अन्तर के कारण हमें 25 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा ही हानि होगी। वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में स्कैनिंग शिल्प विधि तथा चिकित्सीय उपकरणों का उल्लेख किया है। उन्हीं कैट स्कैनिंग उपकरणों तथा "स्कैनिंग' सम्बन्धी अन्य चिकित्स उपकरणों पर सीमा-शुल्क हटाये जाने की घोषणा की है।

महोदय, एक वर्ष से अधिक समय हो गया है जब हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस का डिपोन्ट के साथ के करार हुआ था। परन्तु वास्तविक रूप में अभी तक कुछ नहीं हुआ। अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सातवीं योजना में इस परियोजना के लिए 160 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र देकर परियोजना को पूरा किया जाए।

महोदय, रंगीन फिल्म परियोजना के बारे में भी बहुत-सा विवाद है जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र नीलगिरि में शुरू की जानी है। इस बारे में मेरा केवल एक निवेदन है। परियोजना की लागत 150 करोड़ रुपए है तथा इस परियोजना के लिए बेल्जियम की अगफा गेवर्ट' के साथ सहयोग है। यदि इस परियोजना को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तो उसकी लागत 50% बढ़ जाएगी। इस परियोजना की लागत 150 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ रुपए हो जाएगी। अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि रंगीन फिल्म परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अन्य बातों के साथ-साथ इस पहलू पर भी विचार करें।

महोदय, मैं सरकार के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि "बिना उद्योग वाले जिलों" के लिए रियायतें 1985 तक जारी रहेगी। यह इस लिए है कि पूरे तमिलनाडु में कताई मिलें स्थापित की गई हैं जिनकी वर्तमान लागत 25 लाख रु. से अधिक है। अतः मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि "उद्योग विहीन जिला" मानने की कसौटी को बदलकर 25 लाख रु० से 1 करोड़ रुपए की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो सरकार को कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले को "उद्योग विहीन जिला घोषित किया जाए। ऐसा सम्बद्ध राज्य सरकार के साथ परामर्श द्वारा किया जा सकता है। सम्भवतः कम से कम

उद्योगों वाले अथवा शून्य उद्योग वाले जिले को उद्योग विहीन जिला घोषित किया जा सकता है। धन्यवाद।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए मैं गर्व अनुभव कर रहा हूं। औद्योगिक विभाग के वर्ष 1984-85 के प्रतिवेदन से समग्र औद्योगिक विकास का पता चलता है। 1984-85 के प्रथम आठ महीने की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में 6.6 % की दर से वृद्धि हुउ जबकि 1983 की उसी अवधि के दौरान वृदि की दर 4.4 प्रतिशत थी। 1984-85 के पूरे वर्ष के लिए दौरान वृद्धि की दर 7% होने की उम्मीद है। बेशक स्वतन्त्रता के समय हमारा देश बड़ा था पर उसका औद्योगिक आधार अत्यन्त छोटा था, स्वर्गीय पंडित जी का धन्यवाद है कि आज हम विश्व के प्रथम दस औद्योगिक देशों में से हैं।

महोदय, स्वतन्त्रता के पश्चात हमारे देश की औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए हमें इस देश द्वारा इन वर्षों के दौरान अपनायी गई औद्योगिक नीतियों का अवलोक करना होगा। 1945, 1949 तथा 1951 में दिए गए औद्योगिक व्यक्तव्यों पर ध्यान दें। परन्तु औद्योगिक नीति सम्बन्धी जो वक्तव्य 1956 में दिया गया, उसमें विकास पर आधारित मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया गया। जिससे कि पिछले तीन दशकों के दौरान देश की औद्योगिक प्रगति सम्भव हुई है। 1956 के औद्योगिक संकल्प का मूल विचार अर्थात समता तथा सामाजिक न्याय के साथ विकास आज भी बना हुआ है। इसकी आलोचना झूठी और राजनीति से प्रेरित है 1956 के संकल्प में निहित है कि संविधान में निर्धारित सिद्धांतों, समाजवाद के उद्देश्यों तथा पिछले अनुभव के आधार पर हमारी औद्योगिक नीति तैयार की जानी चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का निदेश है। आधुनिक न्याय-शास्त्र के अन्वेषक सलमोंड का कथन है। "न्याय तो घेराबन्दी किए गए किसी नगर में रोटी की तरह है।" इस लिए उसका सामान बटवारा होना चाहिए। यह सिद्धांत 3-4 दशक पहले हमारे देश पर लागू होता था चूंकि जो विरोधाभास स्वतन्त्रता के आगमन के समय विद्यमान था, वह प्रचुरता के बीच निर्धनता थी। परन्तु देश अब औद्योगिक प्रगति के पथ पर काफी आगे बढ़ चुका है। संविधान द्वारा निर्धारित की गई न्याय की संकल्पना भी बदल चुकी है; न्याय को अर्थ पूर्ण होने के लिए घेराबन्दी किए गए किसी नगर में रोटी की तरह नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत इसे चिरस्थाई धारा के रूप में होना चाहिए ताकि सभी को भरपूर प्राप्त हो। मूलभूत सिद्धांत को बदले बिना आज औद्योगिक नीति की नयी संकल्पना यह सुनिश्चित करना है कि "प्रचुरता के बीच समृद्धि हो" न कि प्रचुरता के बीच निर्धनता।

फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे उद्योग की कुछ कमजोरियां हैं। क्षेत्रीय असंतुलन, हमारे विशप्त प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के पूरे उपयोग के लिए सुविधाओं का अभाव, कम उत्पादिकता तथा शिल्प विधि का स्थिर बना रहना हमारी औद्योगिक प्रगति की मुख्य कमजोरियां हैं।

1956 के संकल्प में इस बात पर ठीक ही बल दिया गया है कि औद्योगिकीकरण हमारे पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था को लाभ पहुंचाएगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में सभी स्तरों के विकास से क्षेत्रीय असमानता क्रमशः दूर होगी। और विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास के सभी स्तरों पर

असमानताएं धीरे-धीरे कम होंगी परन्तु यह दुर्भाग्य है कि इस आग्रह के बावजूद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र आज भी पिछड़े हैं तथा इस असन्तुलन को दूर करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। केरल राज्य की बुरी तरह उपेक्षा की गई है। य द्यपि वहांसस्ती ऊर्जा, पर्याप्त जल संसाधन, काफी खनिज पदार्थ विद्यमान है तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए खनिजों एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि के विकास के लिए संरचना उपलब्ध है, इस राज्य में शिक्षित लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है फिर भी यहां जो समस्याएं हैं और जितना लोगों को कष्ट है, मैं उसका वर्णन करने में असमर्थ हूं। प्रदेश में कई परम्परागत उद्योग हैं परन्तु वे या तो रूग्ण हैं अथवा समाप्त हो रहे हैं। मैंने औद्योगिक विकास विभाग का वर्ष 1984-85 की रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है। हथ-करघा उद्योग के बारे में, जिसमें कई लाख व्यक्ति कार्यरत हैं। एक शब्द भी नहीं कहा गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र त्रिवेन्द्रम में 20000 कार्मिक इसमें लगे हुए हैं। हाल ही में एक विधान पारित हुआ है जिसके अनुसार कुछ मदों का उत्पादन मात्र हथ-करघा के माध्यम से होगा।' मेरा निवेदन है कि आवश्यक अधीनस्थ विधान बनाने का कार्य भी अविलम्ब किया जाए तथा निम्नलिखित के लिए कार्यवाही की जाए :

(1) उचित तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर धागे की सप्लाई,

(2) राजसहायता की अविलम्ब अदायगी की जाए।

(3) पूरे हथ-करघा उत्पादन की सोसाइटियों अथवा भव्य एजेन्सियों के माध्यम से बिक्री ताकि कार्मिकों को तुरन्त अदायगी हो सके।

इस सन्दर्भ में मेरा तर्क यह है कि त्रिवेन्द्रम जिले में विशेषत: वेल्लेरोडा तथा चेम्बूर क्षेत्रों में सीमेंट निर्माण के लिए सभी संरचनागत सुविधाएं तथा कच्चा माल आसानी से मिलता है, सरकार शीघ्र सर्वेक्षण करा कर वहां पर एक सीमेंट फैक्टरी की स्थापना करें।

उद्योगों में विशेषत: सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में रूग्णता औद्योगिक विकास में दूसरी बड़ी चुनौती है। उद्योगों में रूग्णता के कई कारण हो सकते हैं। जिसमें सरकार की भूलें भी सम्मिलित हैं। तो भी अधिकांश मामलों कुप्रबन्ध मुख्य कारण है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं तथा वित्त मन्त्री महोदय ने बजट पेश करते समय बताया था "कि अकुशल प्रबन्धकों को खोटे सिक्कों की तरह हटाना होगा। यह अत्यन्त नरम सजा है। मेरा सुझाव है कि कुप्रबन्ध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए और उन मामलों में, जिनमें धन का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किया गया है, इस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमों चलाये जायें ताकि भविष्य में ऐसे अपराध न हों।

1956 के संकल्प में इस बात पर ठीक ही बल दिया गया है कि उद्योगिक प्रगति के लिए औद्योगिक शान्ति बनाये रखने की आवश्यकता है। इस संकल्प में कहा गया है कि एक समाजवादी लोकतन्त्र में देश के विकास में श्रमिक सहभागी होता है और इस लिये उसे इसमें उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। कितना महान विचार है ? किन्तु आज देश में स्थिति क्या है ? कुछ दिन पहले इस्पात, खान और कोयला मन्त्री महोदय ने बहस का उत्तर देते हुए एक सरकारी उपक्रम के बारे में क्षुब्ध करने वाली बात कही थी कि उसमें 365 दिनों के एक 450 हड़तालें हुई। कितनी शर्म एवं अपमान की बात है। जब तक राष्ट्र में स्व-अनुशासन की भावना नहीं आती वह जीवित कैसे रह सकता है ? आज समूचे राष्ट्र के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। में यह अनुरोध

करता हूं कि सरकार को साहस के साथ इस चुनौती को स्वीकार कर देश से इस बुराई को समाप्त करने के लिए आवश्यक विधान बनाना चाहिये। मुझे इस सम्बन्ध में दो ठोस सुझाव देने हैं।

(1) सरकार को विधान बनाकर नये स्थापित उद्योगों के पहले पांच वर्षों में सभी प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। कार्मिकों की भर्ती के समय कार्मिक और प्रबन्धकों के बीच इस बारे में समझौते की शर्तें मानने को वे बाध्य होंगे। (2) सरकार को साहस कर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि एक उद्योग में एक ही कार्मिक संघ होगा। यद्यपि निहित स्वार्थ इस बात का विरोध करेंगे किन्तु मुझे विश्वास है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए समूचा देश नरक हो कर सरकार का समर्थन करेगा। यदि हमारे कुछ श्रमिक नेताओं को जापान जैसे विकसित देशों में श्रमिक नेतृत्व पर प्रबोधन पाठयक्रम में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाये तो इस दिशा में बड़ी सहायता मिलेगी।

हमारे देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास उपलब्ध जन शक्ति का उपयोग हम कैसे करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की मांगों पर बहस का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री महोदय ने इस देश में अत्यधिक बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिन्ता व्यक्ति की थी। हम उस माता की चिन्ता अथवा वेदना को भली-भांति समझ सकते हैं जो अपनी निगरानी में 36 करोड़ बच्चे के पालन पोषण के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। किन्तु उद्योग का क्षेत्र इससे नितान्त भिन्न है। हमें अपनी समृद्धि जनशक्ति पर गर्व है और जैसा कि वित्त मन्त्री महोदय ने सुझाव दिया है हमें इस संसाधान का अच्छे ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाएं एवं नीतियां बनानी चाहिए और इस सन्दर्भ में शिक्षा पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से व्यावहारिक प्रयोग पर पुन: जो देना होगा। चीन की एक कहावत है। मुझे विश्वास है उस ओर बैठे मेरे मित्र इसे सुनकर प्रसन्न होंगे। जिसमें कहा गया है।

> "यदि आप एक वर्ष के लिए योजना बनाना चाहते हैं तो अन्न उगाओ। यदि आप तीस वर्ष के लिए योजना बनाना चाहते हैं तो पेड़ लगाईए। किन्तु यदि आप 100 वर्ष के लिच योजना बनाना चाहते हैं तो इन्सान पैदा करें।"

हो सकता है हम सौ वर्ष की योजना न बना सकें किन्तु हम निश्चय ही अगली सदी के लिए आयोजना कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिये ताकि इस महान देश की 76 करोड़ जनता के लिए संविधान में परिकल्पित न्याय—वैपुल्य में दरिद्रय नहीं, बल्कि वैपुल्य में समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सच्चे हृदय से एक खुशहाल भविष्य की कामना करते हुए मैं उद्योग तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय की मांगों को पूरे मन से समर्थन करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : इन मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती हूं। अनेक कारणों से पश्चिम बंगाल की औद्योगिक स्थिति शेष देश की औद्योगिक स्थिति से भिन्न है। भारत के 20 प्रतिशत रूग्ण एकक पश्चिम बंगाल में हैं। मेरी राय में उद्योगों की रूग्णता का कारण यह है कि पिछले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल के कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं नहीं हुई है। बिजली की कमी औद्योगिक क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पहले न किया जाना, भारतीय साम्यवादी (मार्कसवादी) दल की दोषपूर्ण कार्मिक संघ गतिविधियां तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि को और कार्यों में लगाना, उसका दुरुपयोग करना और उसके व्यर्थ व्यय औद्योगिक क्षेत्र में अवनति के प्रमुख कारक हैं किन्तु समस्या की जड़ कृषि उत्पादन में वृद्धि

का न होना है। अधिकांश पंचायतों ने कृषि तथा लघु उद्योगों के विकास के प्रति उपेक्षा का रवैया अपनाया हुआ है क्योंकि उनका प्रमुख उद्देश्य दल के लिये धन एकत्रित करना तथा गरीबी को बढ़ावा देना है ताकि अराजकता का वातावरण पैदा होता रहे। औद्योगिक रूग्णता का सामना तो गांव, जिले तथा राज्य स्तर पर करना होगा इसके लिये कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि हो औद्योगिक विकास सुनिश्चित करती हैं।

3.29 **म. प.**

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुई)

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक स्थिति बड़ी शोचनीय है तथा वहां औद्योगिक एकक अस्त-व्यस्त स्थिति में हैं। आने वाले समय में आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती है और यदि वहां उद्योगों में पुनः जान डालने के लिये कुछ न किया गया तो पश्चिम बंगाल का गौरव समाप्त हो जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में कुछ ठोस सुझाव देना चाहती हूं जो इह प्रकार हैं :—

(1) जो उद्योग अभी बन्द हुए हैं किन्तु बन्द होने वाले हैं उन्हें बचाने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायें।

(2) बन्द पड़े उद्योगों को पुनः चालू करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिएं। यदि आवश्यक हो तो सरकार उनका प्रबन्ध, अधिग्रहण कर ले और अथवा उनका राष्ट्रीयकरण कर दे।

(3) ऐसे छोटे एवं बड़े नये उद्योगों की तुरन्त स्थापना की जाए जिससे न्यूनतम समय में उत्पादन आरम्भ किया जा सकता हो तथा जो अत्यधिक उत्पादन करने मे सूक्ष्म हों;

(4) चूंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष है अतः स्व-नियोजन योजनाएं आरम्भ की जायें

केन्द्र सरकार की रूग्ण उद्योगों सम्बन्धी नीति में ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिये कि उससे उनको समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सके। पश्चिम बंगाल की सरकार को वहां नये उद्योगों की स्थापना करने तथा पुराने उद्योगों के विस्तार अथवा आधुनीकरण के बारे में कोई रूचि नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार तो केवल अपनी प्रत्येक भूल के लिये केन्द्र पर दोष लगाने की कला में सिद्धहस्त है। यदि वे शासन का संचालन सही ढंग से नहीं कर सकते तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिये और अपनी असफलताओं के लिये अपने अतिरिक्त किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में गरीब जनता की आशा केवल केन्द्र सरकार है अतः उनका इसमें ही विश्वास है। पश्चिम बंगाल सरकार की अक्षमता के कारण, वहां की जनता को सहायता के लिये तथा अपनी विभिन्न प्रकार की आर्थिक बुराइयां दूर करने के लिये केन्द्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है।

मैं रूग्ण एककों के सम्बन्ध में एक विशेष सुझाव देना चाहती हूं। यदि कोई रूग्ण एकक बन्द हो जाता है तो उस एकक के सभी कर्मचारियों को कहीं ओर रोजगार दे दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में केन्द्र सरकार के अधिकांश उपक्रमों को धनाभाव का अथवा कुप्रबन्ध का सामना करना पड़ रहा है।

आई. आर. सी. आई. एक निष्प्रभावी एवं व्यर्थ संस्थान सिद्ध हो गया है क्योंकि आप किसी भी सिद्धान्त के आधार पर इसके कार्यकरण का मूल्यांकन करें तो आप पायेंगे कि इसमें कार्य-

कुशलता नहीं है मैं इस संस्थान के कार्यकरण की शीघ्र जांच की मांग करती हूं क्योंकि यह एक बड़ा ही गम्भीर मामला है।

कुछ दिन पहले श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि केन्द्र सरकार की नीति यह है कि पश्चिम बंगाल में उद्योग समाप्त हो जाए। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का बड़ा सम्मान करती हूं। किन्तु यह एक राजनीतिक झूठ है; इसे क्षेत्र में कार्य कर सिद्ध किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल बिजली की कटौती के कारण अत्यधिक समस्याओं का सामना कर रहा है और वहां और भी अनेक अभावों की समस्या बनी हुई है और चूंकि पश्चिम बंगाल की मार्कसवादी सरकार प्रत्येक क्षेत्र में बुरी तरह असफल हो गई है। अत: केन्द्र सरकार को एक साथ भूमिका निभानी पड़ेगी और इसे वहां की औद्योगिक रूग्णता तथा बेरोजगारी की समस्या को पूरी निष्ठा, कुशलता तथा तीव्रता के साथ निपटाना होगा। यदि इस सम्बन्ध में विलम्ब किया गया तो पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था तहस-नहस हो जायेगी।

लघु उद्योगों के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल पिछड़ गया है। 'लघु सुन्दर' होता है क्या सिद्धान्त भारतीय भावना है। मार्क्सवाद की तुलना में यह गांधीवाद का सार है। लघु तथा घरेलू उद्योगों के विकास के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के पास वर्ष वार और निश्चित योजनाएं नहीं है। लघु उद्योगों की सहायता से पश्चिम बंगाल राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति बेहतर हो जायेगी वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं उनकी आस्था और विश्वास बढ़ सकता है तथा वे और गतिशील हो सकती हैं क्योंकि लघु उद्योगों का समाज के निचले वर्ग से सम्बन्ध होता है अत: इससे आय के समान वितरण की गारंटी होती है। चूंकि मार्क्सवाद लघु उद्योगों का समर्थन नहीं करता इसलिये पश्चिम बंगाल में इनकी उपेक्षा की गई है।

पटसन उद्योग को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किन्तु यह समस्याएं वास्तविक न हो कर कृत्रिम हैं। पटसन मिलों के मालिक एक ओर तो पटसन उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं और दूसरी ओर पटसन कार्मिकों को वास्तविक मजूरी नहीं दे रहे हैं। अत: कच्चे पटसन की खरीद और वितरण का राष्ट्रीयकरण ही इस उद्योग की समस्या का एकमात्र हल है। वास्तव में, पटसन तथा पटसन उत्पादों की मांग बहुत है कच्चे पटसन की कमी भी नहीं और इसलिये यह पटसन मिल मालिकों द्वारा पैदा की गई समस्या है। अत: राज्य तथा केन्द्र स्तर पर कदम उठाये जाने चाहिएं। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक पटसन मिल बन्द होते जा रहे हैं। अत: सरकार को इन्हें पुन: चालू करने के लिये तुरन्त कदम उठाने चाहिये।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं। एम. ए. एम. सी. जेस्सोप, बर्न, ब्रेथ वेट, ब्रिज एंड रूफ, वीइको लॉरी, स्काट और सैंक्सबाई, भारत प्रोसेस बंगाल पोटरीज आदि कतिपय कम्पनियों को हानि अकार्य कुशलता से नहीं बल्कि कच्चे माल की आपूर्ति न होने के कारण हो रही है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इस ओर ध्यान दें।

मैं कुछ अन्य मुद्दे भी उठाना चाहती हूं। पश्चिम बंगाल में स्टील एंड अलाइड कम्पनी पिछले पांच वर्षों से बन्द पड़ी है। 5000-कर्मचारियों वाली इस कम्पनी के बन्द होने का कारण केवल सी. आई. टी. यू. है इसे पुन: चालू करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिएं। इस कम्पनी के अनेक कार्मिक तो मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं अथवा शेष मरणासन्न अवस्था में हैं। चूंकि यह बड़ा गम्भीर मामला है अत: मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस पर विचार करें। श्री

लोकनाथ काटन मिल लगभग पिछले आठ महीनों से बन्द पड़ी है। कृष्णा ग्लास कम्पनी का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और उसका राष्ट्रीयकरण करते समय वे पश्चिम बंगाल सरकार के हितों का यथासम्भव ध्यान रखा जाये। मंत्री महोदय से मेरा यह सच्चा अनुरोध है।

पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था को बचाने के लिये वहां वर्तमान उद्योगों को मजबूत किया जाये तथा नये उद्योगों की स्थापना की जाए। यदि इसके योजनाबद्ध विकास में विलम्ब किया गया तो राज्य की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। कृपया इस राज्य के लिए कुछ करिये वरन आप जानते हैं कि राज्य सरकार और उसके मुख्य मंत्री केन्द्र सरकार को दोष देंगे कि वह राज्य के लिये कुछ नहीं कर रही है। केवल मार्क्सवादी सरकार ही सब कर रही है।

एक बार गोखले जी ने कहा था कि बंगाल जो बात आज सोचता है शेष भारत उसे उसके अगले दिन सोचता है किन्तु अब स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल उस बात को तीसरे दिन सोचता है। मार्क्सवादी सरकार ने केवल ** यही कार्य किया है। कि उसने अपने बेटे को—एक मार्क्सवादी पिता के बेटे को पूंजीवादी बेटा बना दिया है। चाहे कार्मिक बेरोजगारी का शिकार होते रहें किन्तु···बेटा तो पूंजीवादी बनेगा। पश्चिम बंगाल में वर्तमान स्थिति यही है। वहां कार्मिक मृत्यु का शिकार हो रहे हैं कृपया वहां के लिये कुछ करिये वरन: वहां कार्मिकों को बहुत मुसीबतें उठानी पड़ेंगी।

सभापति महोदया—माननीय सदस्या ने कतिपय नामों का उल्लेख किया है। इन्हें कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

* **श्री आर. अन्नाम्बी** (पोल्लाची) : सभापति महोदया, उद्योग तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदान की मांगों पर बहस में अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक दल की ओर से भाग लेने और कुछ शब्द कहने के अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

1978 में सरकार द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 5.20 करोड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 25.28 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे। यह कहना सही होगा कि 1985 में 60 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। हम कृषि में निवेशों में वृद्धि कर गरीबी दूर नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उद्योग तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने की गति में तेजी लाने से ही गरीबी को कम किया जा सकता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने का भारी दायित्व सौंपा गया था किन्तु इसे अपने प्रयासों में उसे सफलता नहीं मिली है। मैं अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिये एक उदाहरण देना चाहता हूं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में माचिस एकक लगाने का दायित्व लिया था। और इस प्रयोजन के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भी प्रदान की थी। किन्तु अचानक ही आयोग ने इस ग्रामीण उद्योग को अकारण ही बीच में छोड़ दिया। मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में यह दावा किया गया है कि इस आयोग ने 26 ग्रामीण उद्योग निर्मित किये हैं तथा इसके कारण 36 लाख ग्रामीण जनता अपनी आजीविका अर्जित कर रही है। किन्तु इस प्रतिवेदन में उन उद्योगों का उल्लेख नहीं किया गया जिन्हें आयोग ने बीच में ही छोड़ दिया है। जब सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि 36 करोड़ जनता की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत आय 2.10 पैसे है तो मुझे यह समझ नहीं लग रहा है कि यह आयोग कौन-सी शती तक लोगों को गरीबी की रेखा से उपर उठा सकेगा।

मैं सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण घरेलू उद्योगों में आई रूग्णता का एक और उदाहरण देना चाहता हूं। उद्योग मंत्रालय के परामर्श पर कि सरकार को लोगों द्वारा कार्डबोर्ड माचिस की डिबिया बनाने का कार्य आरम्भ करने के लिए उत्पाद शुल्क में छूट देनी चाहिये वित्त मंत्री महोदय ने 1985-86 के अपने केन्द्रीय बजट में माचिस उद्योग के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क के ढांचे में परिवर्तन कर दिया है। किन्तु, दुर्भाग्य से इससे ग्रामीण माचिस उद्योग में रूग्णता पैदा हो जायेगी। मेरे पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में माचिस के अनेक छोटे-छोटे उद्योग हैं। इस परिवर्तन के कारण वे सभी रूग्ण हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उद्योग मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करने के लिये उचित कदम उठायें कि ये छोटे-छोटे उद्योग नष्ट न हों। प्रत्येक ब्लाक में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का एक उप-कार्यालय होना चाहिए जिसका प्रबन्ध स्थानीय करीगरों के हाथों में हो। तभी घरेलू उद्योगों का विकास हो सकता है।

छोटे औद्योगिक एककों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे यहां लघु उद्योग विकास आयुक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भी हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के मद्रास, बम्बई कलकत्ता और दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। लघु क्षेत्र के लिए सैकड़ों उद्योग भी आरक्षित हैं। इस बात के बावजूद कि राष्ट्रीय लघु उद्योग वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि लघु क्षेत्र के करीब 60,000 उद्योग रूग्ण हैं। मजदूर भी बेरोजगार हो गये हैं। इसी प्रकार 460 बड़े औद्योगिक उपक्रम भी रूग्ण बताये गये हैं। एक तरफ तो हम औद्योगिक विकास के लिए राशियों का आबंटन कर रहे हैं दूसरी ओर औद्योगिक रूग्णता बढ़ रही है। मैं मांग करता हूं कि देश में बढ़ रही औद्योगिक रूग्णता को रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय किये जाएं। मैं सुझाव देता हूं कि लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल का बैंक तैयार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कुटीर उद्योगों के उत्पादों के लिए एक अखिल भारतीय विपणन संगठन बनाया जाना चाहिए। कुटीर उद्योगों के कच्चे माल और उनके तैयार माल का भण्डार करने के लिए प्रत्येक ब्लाक में एक गोदाम स्थापित किया जाना चाहिए। अगर शीघ्र ही औद्योगिक रुग्णता को नहीं रोका गया तो देश फिर से विकास के आदि चरण में पहुंच जायेगा। मुझे आशा है कि माननीय उद्योग मंत्री इस बारे में सभी सम्भव उपाय करेंगे।

केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी घाट विकास योजना आरम्भ की है और पंचवर्षीय योजना में इसके लिए धन का प्रावधान भी किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से पश्चिम घाट के विकास के लिए एक परियोजना मंजूरी मांगी है। मैं सुझाव देता हूं कि राज्य सरकार को

यथाशीघ्र इसके लिए मंजूरी दे दी जानी चाहिए। मैंने पहले भी इस बारे में कहा था मैं मांग करता हूं कि पश्चिम घाट विकास योजना के लिए अधिक धन दिया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र, पोल्लाची में उदुमालपेट्टई अपने अच्छे मौसम के लिए गरीबों की ऊटी कहलाता है। उदुम्लपेट्टी के नजदीक त्रिमूर्ति पहाड़िया हैं जहां बांस काफी मात्रा में मिलता है, इसलिए केन्द्र को उदुमालपेट्टई में कागज बनाने का एक बड़े पैमाने का सरकारी उपक्रम खोलना चाहिए। इसी प्रकार मैं सुझाव देता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग, वालपराय में हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस की एक सहायक इकाई स्थापित की जानी चाहिए। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छः विधान सभाई क्षेत्र—पोल्लाची, वालपराय, उदुमालापेट्टई पोन्नलूर, किन्नूकाडूपू और दारापुरम चिरस्थायी पिछड़े क्षेत्र हैं और केन्द्र सरकार को इन्हें मदद, सहायता देनी चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि केन्द्रीय सरकार इनमें से किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करे।

मैं तमिलनाडु की तरफ से केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं कि उसने तमिलनाडु में 10 फैक्टरियां अलाट की हैं। तमिलनाडू में औद्योगिक विकास के और अवसर सुलभ कराये जाने चाहिएं ताकि वहां शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोका जा सके। मुझे खुशी है कि आन्ध्र प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री श्री एन. टी. रामाराव हैं, में एक रक्षा-उत्पादन इकाई स्थापित की जा रही है। श्री रामाराव ने तेलगू-गंगा परियोजना आरम्भ की है जिसके फलस्वरूप मद्रास के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा।

कोयम्बतूर जिले में थोनडामूथूर और मेत्तुयालायम निर्वाचन क्षेत्रों में कारामदई स्थान पर केन्द्र द्वारा एक इन्ट्रीगल कोच फैक्ट्री परियोजना स्थापित करनी थी। मैं नहीं जानता कि इस परियोजना को अब कैसे बन्द कर दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि कारामदई में एक इंट्रीगल कोच फैक्ट्री स्थापित की जाए। कोयम्बतूर की बन्द कपड़ा मिलों को पुनः खोला जाए, ताकि भूखे मर रहे मजदूरों को उनकी जीविका मिल सके। मैं चाहता हूं कि उद्योग मंत्री अपने प्रभाव का इस बारे में प्रयोग करें। पिछले छह माह से धर्मपुरी जिले की एलकजेन्डर थेड कम्पनी बन्द पड़ी हुई है मजदूर भूखों मर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि केन्द्र इसे खोलने का आश्वासन दे ताकि मजदूर वापस अपने काम पर जा सकें। मुझे आशा है कि माननीय उद्योग मंत्री तमिलनाडु में औद्योगिक विकास तेज करने की दिशा में भरसक कोशिश करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, इसलिए कि उन्होंने देश के औद्योगिक विकास के लिए इस वर्ष एक उदार आर्थिक नीति की घोषणा की है। मैं अधिक समय न लेते हुए, कुछ बातें मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, इस विशाल देश के लिए विकास के लिए औद्योगिकरण के लिए केवल पब्लिक सैक्टर यानि सार्वजनिक क्षेत्र ही काफी नहीं था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग के साथ-साथ निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देकर और उसका उपयोग करने से ही देश का

औद्योगिक विकास संभव है। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया और देश के तेजी से विकास हो, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। इसकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई है, उन क्षेत्रों का विकास भी संभव हो सकेगा।

श्रीमन्, मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्त र प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड एक पहाड़ी इलाका है, जहां का विकास अभी तक भी नहीं हो पाया है। कृषि के साथ-साथ इस देश की गरीबी को दूर करने के लिए उद्योगों का विकास होना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जी पांच प्रदेशों को मिला कर एक प्रदेश बना है। यहां की जनसंख्या अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का दबाव खेती पर बहुत ज्यादा है और वहां के लोग भाग-भाग कर बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जा रहे हैं। बहुत से लोग तो अरब देशों में भी जा रहे हैं, रोजी-रोटी और काम की तलाश में, जीविका की तलाश में। इसलिए पिछड़े हुए क्षेत्रों को दृष्टि में रखकर यह बहुत आवश्यक हो गया है कि वहां का औद्योगिरण किया जाए। मगर औद्योगिकरण इस प्रकार किया जाए कि जहां पर बड़ा उद्योग लगाया जाए, उसके साथ-साथ वहां पर सहायक उद्योग भी लगाए जाएं। बड़ा उद्योग लगाने से समस्या का समाधान नहीं होता है, जब तक कि उस के आस-पास के क्षेत्रों में छोटे उद्योग न लगाए जाएं। श्रीमन् हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ जिले उद्योग-हीन जिले घोषित किए गए हैं। हमारे मिर्जापुर में गाजीपुर, जौनपुर और बलिया आदि जिलों में कोई भी उद्योग नहीं लगा हुआ है। इनको उद्योगाविहीन जिला घोषित किया गया और यह भी घोषित किया गया कि इन जिलों में कम से कम एक बड़े उद्योग लगाये जायेंगे। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में यह सम्भव नहीं हो पाया। न जौनपुर में, न बलिया में और न गाजीपुर में कोई बड़ा उद्योग लगाया गया।

महोदय, हम लोगों ने निवेदन किया था कि मिलों को पिछड़ा घोषित करने के साथ-साथ तहसीलों और ब्लाकों को भी पिछड़ा घोषित किया जाए। आपको याद होगा, कुछ वर्ष हुए एक शिवरामन कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी और कहा था कि जो बड़े जिले हैं और पिछड़े जिले की सूची में नहीं आते हैं, लेकिन उनमें कई तहसीलें और ब्लाक पिछड़े हैं, उनको भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जाए ताकि वहां भी सरलता के साथ औद्योगीकरण हो सके। आज स्थिति यह है कि जो उद्यमी हैं, जो उद्योगों को लगाना चाहते हैं, वे उन स्थानों पर उद्योगों को लगाना चाहते हैं जहां छूट मिलती है, जहां सुविधायें मिलती हैं, रियायतें मिलती हैं। इसलिये जो जिले आपकी सूची में पिछड़े हुए हैं उनमें ही उद्यमों को लगाना चाहते हैं। लेकिन जो जिले पिछड़े नहीं हैं। उन में नहीं लगाना चाहते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि शिवरामन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो बड़े जिले हैं, जो आपकी सूची के अनुसार पिछड़े नहीं हैं, लेकिन जिनमें अनेक तहसीलें और ब्लाक पिछड़े हैं उनको भी पिछड़ा घोषित किया जाय ताकि वहां भी उद्योग लगाये जा सकें। मेरा यह अनरोध विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पहाड़, बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये है।

हमारे सार्वजनिक उद्योगों के सम्बन्ध में यह आम शिकायत है कि उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार वहां उत्पादन नहीं होता है जिससे वे घाटे में जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि सार्वजनिक उद्योगों के जो प्रबन्धक होते हैं वे मुख्य रूप से सिविल-सर्वेन्ट्स होते हैं, नागरिक सेवाओं के लोग होते हैं। हम ने पहले भी निवेदन किया था और आज फिर निवेदन कर रहा हूं कि सार्वजनिक उद्योगों को चलाने के लिये एक विशेष प्रकार का कैडर बनाया जाय, जिनको उस तरह

के उद्योगों को चलाने का पूरा अनुभव हो। इस में आइ० ए० एस० या दूसरे लोगों को भी योग्यतानुसार लिया जा सकता है और इस तरह से इन उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाय।

अब मैं अपने मतलब की बात पर आता हूं। मिर्जापुर एक बहुत बड़ा जिला है जो 300 किलो मीटर लम्बा है। इससे थोड़ा ही बड़ा केरल प्रदेश है। इसके दक्षिणी हिस्से में कोयले की खानें हैं, बिजली के कारखाने हैं और जो लोग नये उद्योग लगाना चाहते हैं वे प्रायः वहीं अपने उद्योग लगाना चाहते हैं। इस दृष्टि से उत्तरी मिर्जापुर बिल्कुल पिछड़ गया है, उजड़ रहा है, लोग वहां से माइग्रेट कर के दूसरे प्रान्तों में जा रहे हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उत्तरी मिर्जापुर में कम से कम एक बड़ा उद्योग लगाया जाय।

हमारे यहां बिड़ला को 'कार्बन-ब्लैक' का कारखाना खोलने के लिए लाइसेंस मिला है, शायद ज्वाइन्ट-सैक्टर में है। वे चाहते हैं उस कारखाने को रेनूकूट में जहां उनका एलुमिनम का कारखाना है, वहां लगायें। हमारा आप के माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से तथा उनके माध्यम से उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों से निवेदन है कि बिरला को कहा जाय कि यह 'कार्बन-ब्लैक' का कारखाना मिर्जापुर शहर के पास, जहां जमीन उपलब्ध है, रेलवे लाइन है, पानी और बिजली उपलब्ध है और कोयला भी थोड़ी दूर से आजाएगा, वहां खोलें।

इन शब्दों के साथ में आपके मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, में इण्डस्ट्रीज तथा कम्पनी अफैअर्स की डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं। मैं माननीय इण्डस्ट्री मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है जिसमें आपने अब तक। 6 प्रतिशत पैसा लगाया है। इतना बड़ा रीजनल इम्बैलैंस आपने राजस्थान में क्रिएट कर दिया है। उसकी गरीबी मिटाने का जो कार्यक्रम है और जिस विकास के रास्ते पर हम तेजी से चलना चाहते थे, उसमें अब बहुत बड़ा अन्तर आ गया है। हालांकि वहां पर स्कोप बहुत है, लेकिन आप ने कभी भी सही तरीके से उसके विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम बराबर कहते आये हैं कि राजस्थान पिछड़ा प्रान्त है, उसके सभी जिले ऐसे हैं जो 'नो-इण्डस्ट्री' वाले जिले हैं, जहां हर जिले में इण्डस्ट्री के लिये बहुत बड़ा स्कोप है। वहां पर सैंड-स्टोन मिलता है, जिससे सीमेंट के बड़े कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं। इस के अलावा अन्य प्रकार के कई मिनरल्स बहुत बड़ी तादाद में उपलब्ध हैं। इस के बावजूद भी आज तक सरकार की तरफ से इस बारे में कोई तवज्जह नहीं दी गई है।

आप इस बात को जानते हैं कि अभी भारत सरकार ने एक रेल का विस्तार क्या है, जो कोटा से चित्तौड़ और नीमच तक जाती है। उसकी शुरुआत किसलिए की है? वह इसीलिए शुरू की है कि उसके किनारे-किनारे सीमेंट के बहुत बड़े कारखाने लगाए जा सकते हैं। वहां पर बहुत बड़ी तादाद में सीमेंट बनाने का पत्थर उपलब्ध है और हमारे देश में सीमेंट की बहुत कमी है। सैकड़ों करोड़ रुपये का सीमेंट हम विदेशों से मंगाते हैं मगर जहां पर सीमेंट के कारखाने लगाने की इतनी बड़ी आवश्यकता है, वहां सीमेंट के कारखाने नहीं लगाते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से लिखकर भेजा गया और प्लानिंग कमीशन और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने यह स्वीकृति दे दी कि सीमेंट कारपोरेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा सीमेंट का कारखाना बूंदी में लगाया जाएगा और उस कारखाने की क्षमता 2.5 मिलियन टन होगी। इसी तरह से कहा गया कि

शम्भूपुरा में 5 मिलियन टन का कारखाना स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में कई सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिए बहुत लोगों को लाइसेंस वगैरह दिये गये हैं मगर आज तक उसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। मेरे जिले भीलवाड़ा में बिरला जी को सीमेंट के कारखाने का लाइसेन्स दिया गया, जिसका काम शुरू नहीं हुआ। इसी तरह से सवाई माधोपुर में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया लेकिन वह काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप ने एक उदार नीति लाइसेन्स देने की बना ली है और ये जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, मोनोपोलिस्ट्स हैं, इनको आपने लाइसेन्स दे दिये हैं लेकिन इन पर आप कोई अंकुश नहीं रखते हैं। जब तक आप इन पर अंकुश नहीं रखेंगे तो जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं, वह नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सीमेंट के जो दो बड़े कारखाने बूंदी में और शम्भूपुर में सीमेंट कारपोरेशन की तरफ से लगाने का वायदा भारत सरकार ने किया है, इन दोनों जगहों पर सीमेंट के कारखाने जल्दी लगाए जाएं। करोड़ों रुपये खर्च करके कोटा से चित्तौड़ ब्रोडगेज लाइन आपने शुरू की है और वह अगले साल तक पूरी हो जायेगी। अगर ये इंडस्ट्री आप स्थापित नहीं करते हैं, तो जो सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हैं, उस पर खर्च किया गया बहुत सारा पैसा बेकार चला जाएगा। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और नीमच ये पांच जिले हैं जहां से होकर वह रेल जाएगी और अगर ये दो सीमेंट के कारखाने स्थापित हो जाते हैं तो हिन्दुस्तान की जो सीमेंट की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति आप इनसे कर सकते हैं।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि भरतपुर में बिरला जी ने एक वेगन फैक्टरी बहुत अर्से पहले स्थापित की थी और उसमें पांच हजार लोग काम करते हैं। मेरी बिरला जी से कोई सहानुभूति नहीं है मगर उस फैक्टरी के साथ यह हुआ है कि रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से उसको आर्डर नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से वह फैक्टरी बन्द होने की स्थिति में आ गई है। वेस्ट बंगाल के अन्दर जो फैक्टरी है, उसको आर्डर दे दिये गये हैं। अगर आर्डर न मिलने की वजह से वह फैक्टरी बन्द हो जाती है, तो हजारों लोग बेकार हो जाएंगे। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि रेलवे विभाग की तरफ से इस फैक्टरी को आर्डर दिये जाते रहें ताकि इंडस्ट्री बन्द न हो और 5 हजार आदमी जो वहां काम करते हैं, वे बेकार न हों।

तीसरा मेरा यह निवेदन है कि आज कम्पनी एफेयर्स के मामले में आपने कुछ प्रावधान किये हैं। आपने एक व्यवस्था यह की है कि बड़ी-बड़ी कम्पनी अपने 30 परसेन्ट एसेट्स दूसरी कम्पनी खोलने के लिए दे सकती हैं। इस प्रकार का प्रावधान आपने कम्पनीज एक्ट के अन्दर किया है। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 30 परसेन्ट पैसा अगर दूसरी नई इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पुरानी इंडस्ट्री से निकाल कर दे दिया जाता है, तो इससे पुरानी इंडस्ट्री सिक हो जाएगी। उसके बाद में उस पैसे को ट्रान्सफर करके नयी-नयी इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं। उनको ज्यादा पैसा मिलता है इसलिए नयी-नयी कम्पनियां बनाकर के ज्यादा मुनाफा कमाने की नीयत रहती है। कम्पनी एक्ट में ऐसा कोई कानून बना दीजिए जिससे आपकी बिना परमिशन के अगर इंडस्ट्री सिक होती हो.....(व्यवधान) अब मैं स्व-रोजगार योजना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह बहुत ही बढ़िया योजना निकाली गई है। उसमें आपको बैंकों की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है। आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चार लाख के करीब एप्लीकेशन आई हैं जिसमें से दो लाख आदमियों को बड़ी मुश्किल से पैसा मिल पाया है। इतना बड़ा असहयोग बैंकों की ओर से मिल रहा है। जगह-जगह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। छह हजार की सबसिडी दी

जाती है। उसमें से तीन हजार बैंक के अधिकारी तथा दूसरे लोग खा जाते हैं। या तो आप सब-सिडी बंद कर दीजिए या उनका लोन और बढ़ा दीजिए ताकि लोन तो मिल सके। जो अधिकारी लोग इंटरव्यू लेकर इन बैंकों के पास भेजते हैं, उनको वैसे ही टाल दिया जाता है। अगर कुछ देते हैं तो कर्जा मिल जाता है नहीं तो कोई उम्मीद नहीं रहती है। नेशनलाइज्ड बैंकों के अन्दर इस व्यवस्था को जब तक माकूल नहीं करेंगे तब तक आपके जो गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के प्रोग्राम हैं, वे बेकार हो जाएंगे। ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए जिससे यह व्यवस्था ठीक हो सके।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान की मांगें सदन में प्रस्तुत की हैं, उनका पूर्णतः समर्थन करता हूं। इसके साथ ही माननीय उद्योग मंत्री जी ने सदन में 1985 में जो उद्योग नीति रखी है, उसका देश के आर्थिक जीवन पर और विशेष रूप से देश के उत्पादन और रोजगार के साधनों पर जो अनुकूल प्रभाव पड़ता है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 1948 और 1956 का उद्योग नीति प्रस्ताव और उसके पश्चात 1980 का उद्योग नीति स्टेटमेंट अपने आपमें भारतीय उद्योग नीति की सफलता का द्योतक है इसके साथ ही हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने जो उद्योग नीति में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है वह यह है कि हमारा उत्पादन बढ़े और उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, सोशल-आब्जेक्टिव है, उसकी भी हमें प्राप्ति हो। मुझे याद आता है कि सन् 1954 में इसी सदन में स्वर्गीय प० जवाहर लाल नेहरू ने उद्योग नीति के प्रस्ताव पर बोलते समय यह कहा था कि हमें राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाना है इस-लिए अपनाना है कि उससे हम समाजवादी समाज की रचना करने में अधिक सफल हो सकेंगे। लेकिन राष्ट्रीयकरण इसलिए नहीं कि वह राष्ट्रीयकरण है या उससे समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यह हो कि हम उसमें उत्पादन लाएं और साथ-साथ रोजगार के अधिक से अधिक रिसोर्सेज या एवेन्यूज प्राप्त कर सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य जो हमारी उद्योग नीति का है, वह है उत्पादन और रोजगार। इन दोनों का समन्वय अधिक से अधिक होना आवश्यक है। इसी नीति को हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने सन् 1982 में देश के सामने एक बुलन्द नारे के स्वरूप में रखा और उन्होंने अधिक उत्पादन बढ़ाने का नारा दिया। उसका देश के उद्योग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। आपने पढ़ा होगा कि एनुअल सर्वे इंडस्ट्री की 1981-82 की जो हमारी उद्योग नीति रही है और हमारी जो औद्योगिक प्रगति है, उसकी बहुत बड़ी तारीफ की है। और उसमें यह कहा है कि हमारे यहां है कि हमारे यहां उद्योगों में इन्वैस्टमैंट के तरीके से भी, प्रोडक्शन के तरीके से भी और प्रौफिट के तरीके से भी 20 प्रतिशत से अधिक प्रगति रही। इतना ही नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस समय 1982 में इस प्रोडक्टिविटि के स्लोगन को राष्ट्र के सामने रखा तो यह बात कही थी कि—

(अनुवाद)

"हमें प्रत्येक एकड़ जोती गई जमीन से अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करनी है, प्रत्येक तकली और मशीन से, प्रत्येक तकनीशियन और मजदूर से और खर्च किये गये प्रत्येक रुपये से अधिक लाभ प्राप्त करना है। निर्णय शीघ्र लिए जाने चाहिएं, और वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का अधिक प्रत्यायोजन और कार्यप्रणाली का सरलीकरण होना चाहिए, कार्य करने के वातावरण में सुधार होना चाहिए और क्षमता का ज्यादा उपयोग करने के लिए और उपकरणों का बेहतर रखरखाव होना चाहिए।"

[हिन्दी]

उनके जो ये उत्पादन बढ़ाने के शब्द थे, पण्डित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी जिस तरह की उद्योग नीति को इस देश में चलाना चाहती थीं, उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए, हमारे मौजूदा प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने भी उद्योग नीति के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार प्रकट किये हैं कि हम राष्ट्र को इक्कीसवीं सदी के लिए सक्षम बनाना है, न केवल सक्षम बनाना है बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और उसकी आय बढ़ानी है। इसीलिए उन्होंने इसको एक नेशल चार्टर के रूप में देश के सामने रखा है और यह कह दी है—

[अनुवाद]

"मैं समाजवाद और आयोजना के प्रति अपने समर्थन को दोहराती हूं.....हमारा ध्येय है लगातार आधुनिकीकरण, ज्यादा उत्पादन और सामाजिक न्याय को जल्द निपटाना।

(हिन्दी)

उनके इन शब्दों से हमको एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है। उद्योगों के सम्बन्ध में हमारी जो नीति है, उसके जरिए हम देश में उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारा यह भी उद्देश्य है कि हम देश में एक ऐसे औद्योगिक वातावरण का निर्माण करें जिसमें देश तेजी से आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके।

मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पब्लिक सैक्टर उद्योगों के सम्बन्ध में पहले जो बहुत बड़ी आलोचना की जाती थी, अब वह दूर हो गई है और आज हमारे भारतवर्ष में पब्लिक सैक्टर धीरे-धीरे ख्याति अर्जित करता जा रहा है। उत्पादन की दृष्टि से ही नहीं अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने की दिशा में भी इसने प्रगति की है। इस विभाग से सम्बन्धित जो रिपोर्ट हमें दी गई है, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि वर्ष 1984-85 में पब्लिक सैक्टर की आय लगभग 27 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा हमारे यहां पब्लिक सैक्टर में जितने उद्योग लगे हैं, जैसे बी. एच. ई. एल. है, बी. एच. पी. वी. है, एच. एम. टी. है' लगन जूट मशीनरी लिमिटेड है, मारुति उद्योग है या जितने दूसरे उद्योग हैं, वे सब अपने आप में ख्याति प्राप्त उद्योग हैं और उन उद्योगों ने न केवल उत्पादन बढ़ाया है बल्कि वे मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन उद्योगों से हमारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है और यह नीति निश्चित रूप से देश को आगे ले जाने वाली है।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी पौलिटिकल लीडरशिप ने देश के सामने कोई आह्वान किया है, देश के लोगों ने उस आह्वान को पूरा किया है, उस चैलेंज को स्वीकार किया है। जब देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों का आह्वान किया गया तो किसानों ने उस आह्वान को स्वीकार किया और उसका परिणाम है कि आज हमारा देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है। इसी तरीके से टेलीकम्यूनिकेशन के क्षेत्र में भी हमने काफी प्रगति की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सन् 2000 तक हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन सब को हम प्राप्त कर लेंगे और औद्योगिक क्षेत्र में भी हिन्दुस्तान विश्व के चोटी के देशों में सबसे आगे पहुंच जाएगा।

अभी सरकार ने जिस नई लिबरेलाइज्ड पालिसी की घोषणा की है, औद्योगिक नीति को

सरल बनाया गया है और खास कर नई टैक्नोलोजी को इनडक्ट करने और इम्पोर्ट करने की जो छूट दी गई है, उसके कारण देश का निश्चित रूप से औद्योगिक विकास होगा और हम औद्योगिक दृष्टि से उन्नति करेंगे।

इसके साथ ही मैं उद्योग मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से पालिसी की लिबरेलाइज किया है, 5 करोड़ रुपये तक लागत वाली जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जिनकी प्लांट, मशीनरी और लैंड तीनों की लागत मिलाकर 5 करोड़ से कम है। 4.00 म.प.

उसके लिये आपने लाइसेंस की आवश्यकता नहीं समझी और इसके साथ ही 25 दूसरे उद्योगों को डि-कैनेलाइज करके उनमें भी आपने लिबरेलाइजेशन दिया है, उसमें निश्चित रुप से उद्योगपतियों को और उद्यमियों को अधिक उद्योग लगाने के लिये अवसर मिलेगा और देश में अधिक उत्पादन बढ़ेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, वह अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान, निष्पक्ष और लग्नशील मंत्री हैं, आपने जहां डोमैस्टिक इकनटमिक लिब्रेलाइजेशन दिया है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ जो आपका फारेन इन्वैस्टमैंट है, फारेन ट्रेड हैं, इसको भी अधिक काशमली देखने की आवश्यकता है। उसके विभिन्न पहलू हैं। उनका हमारे यहां की इकनामी पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इस परिप्रेक्ष्य में उसको गहराई से आप देखेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

मैं अन्त में यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने यहां क्वालिटी को मेन्टेन रखते हुए कास्ट रिडक्शन करें। कास्ट रिडक्शन खासतौर से उन वस्तुओं का करें जो कि रुरल सैक्टर में आम आदमी के काम आती हैं जिन्हें जनरल आदमी कंज्यूम करता है। जिस तरह से देहात में आपका डीजल पम्पिंग सैट है, ट्रांस्पोर्टेशन की मशीनरी है और देहात में काम आने वाला जो साधारण कपड़ा है, प्रासेस्ड फूड स्टाफ है, इन सब की कास्ट को रिड्यूस करेंगे तो देश का इकनामी को काफी लाभ मिलेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मध्यम और स्माल सैक्टर में जो कन्जूयमर्स गुडज हैं उनको आप कांस्ट्रेन और रिस्ट्रीक्शन्ज से फ्री करें। काटेज इंडस्ट्री के लिए रा-मैटीरियल और जो दूसरी सुविधाएं आप देहात में देते हैं उससे देहात में अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ेगा और काटेज इंडस्ट्री का एन्वायरमैंट तैयार हो सकेगा। इंडस्ट्रीज को तो सुविधाएं आपने दी हैं, लेकिन काटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री को जो रुरल सैक्टर में हैं, उनको अधिक सुविधाएं दीजिए। मेरा निवेदन है कि इन पर पुनः गौर करके जिस तरह से आपने पैकेज डील दिया है इंडस्ट्रियल पालिसी के बारे में, इंडस्ट्रियल एनाउन्समैंट के बारे में, उसी तरह से रूरल सैक्टर के लिए भी आप एक पैकेज डील देंगे, यह आपसे हमें उम्मीद है।

मेरा निवेदन है कि आप इंडस्ट्रियल पालिसी का एक ऐसा ब्लाक बना दीजिए कि जिस ब्लाक में इंडस्ट्री नहीं है, उसको नार्म मानकर चलें। अभी तक आप डिस्ट्रिक्ट को नार्म मानते हैं लेकिन अब जिस ब्लाक में इंडस्ट्री देंगे, यह आपका नया नार्म होना चाहिये।

ग्राम पंचायत को आप इंडस्ट्रियल एरिया बनायें, ऐसा मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

4.04 म. प.

अहमदाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : सदन को मालूम ही है कि फरवरी, 1985 के मध्य से गुजरात में छात्रों ने चिकित्सा और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया। 18 मार्च को पुराने अहमदाबाद शहर में स्थिति ने साम्प्रदायिक मोड़ ले लिया, जिससे कर्फ्यू लगाने और सेना तैनात करने की जरूरत पड़ी। इस सम्बन्ध में 21 मार्च, 1985 को मैं इस सदन में एक वक्तव्य दे चुका हूं। बाद में स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन, ऐसे समाचार मिले हैं कि "अखिल गुजरात वली महा मंडल" और कुछ अन्य संगठनों द्वारा किए गए "जेल भरो" आह्वान के परिणामस्वरूप 15/16 अप्रैल की रात्रि से अहमदाबाद शहर के कुछ भागों में फिर साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए हैं। प्रतीत होता है कि 15/16 अप्रैल की रात्रि के दौरान शहर के नवावास क्षेत्र से भीड़ ने गायकवाड हवेली थाना क्षेत्र में एक विशेष समुदाय की अधिक आबादी वाली बस्ती की ओर अचानक भारी पथराव शुरू कर दिया। लगता है कि अन्य समुदाय ने इसका प्रतिकार किया। इस प्रक्रिया में बताया जाता है कि जलते हुए कपड़ों और ऐसिड बल्बों का भी प्रयोग किया गया। इसी प्रकार की घटनाएं रात्रि में पुराने शहर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर होती रहीं, जिनमें एक विशेष समुदाय के मकानों तथा दुकानों पर जलते हुए कपड़े तथा ऐसिड बल्ब फैंके गये। पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही की और स्थिति को नियन्त्रण में करने के लिए उसे गोली भी चलानी पड़ी। प्रभावित क्षेत्रों में 15 अप्रैल, 1985 की रात्रि को 12.30 बजे से अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। बाद में इसे पुराने शहर के अन्य भागों में लागू कर दिया गया जहां साम्प्रदायिक घटनायें हुई थीं, इस तरह पुराने शहर के अधिकांश भागों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया।

इन दंगों के दौरान कुल 11 व्यक्ति मारे गए जिनमें 8 व्यक्ति पुलिस की गोली से और 3 छुरेबाजी द्वारा मारे गये। 23 व्यक्ति घायल हुए जिनमें पुलिस की गोलीबारी से 9 व्यक्ति घायल हुए। अब तक विभिन्न अपराधों के लिए 213 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि लगभग 13 इमारतें आगजनी से प्रभावित हुई हैं। राजस्व तथा बिक्री कर विभागों तथा नगर निगम के अधिकारियों का एक दल सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगा रहा है। मारे गये 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक के परिवार को 20 हजार रुपए की तुरन्त राहत दी गयी है। अन्य मारे गए व्यक्तियों तथा घायल हुए व्यक्तियों को और राहत भी निर्धारित मानकों के अनुसार दी जा रही है।

प्रभावित क्षेत्रों तथा पुराने शहर के अन्य भागों में पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध किए गए हैं। स्थिति की समीक्षा 16 अप्रैल को की गयी थी और शहर के प्रभावित क्षेत्रों में व्याप्त तनाव को दृष्टि में रखते हुए 16-17 अप्रैल के दौरान 24 बजे से नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए सेना को बुलाया गया था। राज्य के वर्तमान बलों और अन्य अर्ध सैनिक बलों के अतिरिक्त विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सेना की 4 कम्पनियां तैनात की गई हैं। राज्य सरकार के पास उपलब्ध बलों में वृद्धि के लिये 16 अप्रैल को के. रि. पु. बल की 4 अतिरिक्त कम्पनियां विमान द्वारा भेजी गई।

बाद में प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह प्रतीत होता है कि 16 अप्रैल के मध्याह्न के उपरान्त

कुछ हद तक स्थिति में सुधार हुआ है। आज सुबह तक किसी और बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली यद्यपि छुट पुट तथा मामूली घटनायें होती रहीं जिनके कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुराने शहर के 3/4 भाग में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है। यद्यपि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है परन्तु नियंत्रण में है।

केन्द्रीय गृह सचिव ने भी दिनांक 16 अप्रैल, 1985 को स्थिति का स्वयं जायजा लेने के लिये अहमदाबाद का दौरा किया। हम राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट का सम्पर्क बनाए हुए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनता के सभी वर्ग अहमदाबाद में सामान्य स्थिति बहाल करने में सहयोग देंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के अन्यत्र भाग में शान्ति भंग न हो।

श्री अमर राय प्रधान : महोदया, यह बहुत गम्भीर बात है।

सभापति महोदय : कोई स्पष्टीकरण नहीं। मैं अनुमति नहीं दे रही. कृपया बैठ जाइये। माननीय मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है। इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब श्री शंकरगौडा बोलेंगे।

4.09 म. प.

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1985-86 (जारी)

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय (जारी)

[अनुवाद]

श्री के. वी. शंकरगौडा (मांड्या) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया जिसमें हमारे राजस्व का करोड़ों-करोड़ों रुपया लगा हुआ है। मैं यह कहते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि मैंने उस अभिन्न मित्र के साथ कार्य किया है जो कि आज एक बड़े विभाग का प्रभारी है। मैंने उनके साथ शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। अब दुर्भाग्य से मैं उनका कई कारणों से इस सभा में विरोध कर रहा हूं। फिर भी एक अभिन्न मित्र होने के नाते, मैं नहीं समझता कि वह इसे गलत भावना से लेंगे। इसके विपरीत मैं आशा करता हूं कि इस सभा में मैं जो ठोस सुझाव दूंगा वे सुझाव ही नहीं रह जायेंगे, बल्कि उन पर ठोस कार्यवाही की जायेगी। इन प्रारम्भिक टिप्पणियों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर अपने विचार रखने जा रहा हूं।

महोदया, इस विशेष मांग में दर्शाई गई विभिन्न मदों पर विस्तार से विचार प्रकट करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं केवल एक ही महत्वपूर्ण मद, खादी और ग्रामीण उद्योग पर अपना भाषण केन्द्रित करना चाहता हूं। हमने महाकाव्यों में राक्षसों के बारे में पढ़ा है। ऐसा कहा जाता है कि आदमखोर होते थे। मैं नहीं जानता ऐसे मानव जो आदमखोर थे होते थे या नहीं। यह सही हो सकता है या यह कवि की मात्र कल्पना भी हो सकती है, जिसने इस कविता की रचना की थी। लेकिन बीसवीं शताब्दी में, मैं विश्वास से जानता हूं कि राक्षसों (बुरे व्यक्तियों) को पाला जाता है। वे कोई और नहीं, बल्कि सरकारी उपक्रमों और निजी उद्योगों में बड़े बड़े उद्योग हैं। वे हमारे जन साधारण के प्राणधारों को ही समाप्त करने में लगे हुए हैं।

वे हमारे समाज के करोड़ों जन साधारण लोगों को निगल रहे हैं। यह वास्तव में खेद की बात है कि ज्यादातर ये अभागे लोग ग्रामीण क्षेत्रों या शहरों की गन्दी बस्तियों में रहते हैं। मैं अपने आदरणीय मित्र का ध्यान महात्मा गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया था देश को औद्योगिक नीति समाज की आवश्यकता के अनुकूल होगी न कि किसी व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिये। अगर मेरे प्रिय मित्र इस टिप्पणी की वास्तविक भावना को समझें तो पायेंगे कि उन्होंने जो खर्चीले प्रस्ताव इस सभा में रखे हैं उन्हें उन पर पुनः विचार करना होगा। मेरे विचार से हमारे समाज को जिन्दा रखने के लिए कई बड़े उद्योग बिल्कुल भी आवश्यक नहीं हैं। उनमें से काफी भोग-विलास की वस्तुएं बनाते हैं, जो कि आम आदमी खा नहीं सकता। इसलिए हमारे देश में विलासिता की वस्तुएं पैदा करने के लिए इतनी बड़ी पूंजी खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, जब कि हमारे देश के करोड़ों लोग एक-एक रोटी को तरस रहे हैं। हम सड़कों पर चिथड़ों में लिपटे हुए अपने करोड़ों भाइयों को देखते हैं। हम लोगों को धीरे-धीरे भूख से मरता हुआ देखते हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो, क्या हम इतनी बड़ी पूंजी ऐशो आराम की वस्तुओं के लिए खर्च कर सकने हैं? क्या हमारे लिये प्रसाधन की वस्तुयें आवश्यक हैं? क्या हमारे लिए रंगीन दूरदर्शन आवश्यक है या अन्य महंगी वस्तुयें हमारे लिये आवश्यक हैं? हमारे सामने मूल समस्या क्या है? आज हमारा समाज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है? यह है अत्यधिक गरीबी, गंदगी, दुर्दशा, निरक्षरता, अज्ञान आदि। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, हमारे देश की 54 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। इन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिये भारत सरकार के क्या ठोस प्रस्ताव हैं? कौन-सी एजेंसी हैं? समाज के अन्य वर्गों के लिए आपके पास एजेंसियां हैं। उनकी आवाज इतनी कमजोर है कि कोई भी नहीं सुन सकता। इनकी चिंता नहीं की जाती। समाज का अगर कोई ऐसा अंग है, जिसे कि भुलाया गया है, जिसका शोषण किया गया है, तो वह है ग्रामीण जनसंख्या जो कि कुल जन-संख्या की 80 प्रतिशत है ये लोग जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों के स्लम में रह रहे हैं। इन लोगों के लिये आपने क्या किया है? इन लोगों के लिए क्या प्रस्ताव है? एक खादी और ग्रामीण बोर्ड है। यही एक एजेंसी है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि वह इन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये हैं। लेकिन इसके लिये प्रावधान बिल्कुल नाम मात्र का किया गया है जबकि बड़े उद्योगों के लिये काफी बड़ी मात्रा में राशि का, प्रावधान किया गया है, जोकि अनावश्यक है। 82 करोड़ रुपए की छोटी सी राशि दर्शाई गई है। वस्तुतः इसमें 42 करोड़ रुपये ब्याज की एवज में राजसहायता के रूप में दिखाया गया है। मैं समझता हूं कि यह मात्र किताबी जमा खर्च ही है। इसके अलावा 45 करोड़ 8 लाख 2 हजार अनुदान के रूप में हैं। मैं समझता हूँ यह राशि वेतन पर खर्च हो जायेगी। ऋण के रूप में दी गई मात्र 82 करोड़ रुपये की रकम बच जायेगी। इस अल्प राशि से कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ला सकेंगे? क्या वे इसी प्रकार अत्यन्त गरीबी में ही बसर करते रहे? आज खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जो कार्यक्रम अपना रहा है, वे निर्जीव कार्यक्रम ही हैं।

अगर हम वास्तव में गम्भीर हैं तो यह राशि उनके लिए कुछ नहीं कर पायेगी। अगर आप इन लोगों, गरीब लोगों के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहते हैं तो हमें खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड जैसी एजेंसी के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। मैं यहां एक असंगति

की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व:रोजगार योजना के लिए 65 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। जो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर हैं उनके मुकाबले में इन लोगों की संख्या क्या है ? मैं नहीं समझ पा रहा कि कैसे इन युवकों के साथ भेद-भाव किया जा रहा है ? अगर वह दसवीं तक पढ़ता है, तो वह एक कैडर में जाता है, अगर वह बिल्कुल नहीं पढ़ता तो वह गरीबी की रेखा से नीचे चला जाता है। पहले मामले में वह श्रेष्ठ है, दूसरे में निकृष्ट है। ये लोग एक प्रतिशत भी नहीं हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उनके लिए वे 65 करोड़ रुपये हैं जबकि वे 40 करोड़ हैं। उनके लिए 82 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मैं न केवल मन्त्री महोदय बल्कि प्रधान मंत्री जो कि प्रगतिशील विचारों के हैं और उदार हैं से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि वह इस दिशा में आगे सोचकर इस बोर्ड के लिए काफी राशि का प्रावधान करें उसे सेवा प्रेरित बोर्ड बनायें और उनसे कहे कि गरीब, दलित लोगों के उत्थान के लिये उनकी दशा सुधारने के लिए ग्रामीण लोगों के लिए कार्य करें।

खादी और गांधीजी साथ-साथ रहेंगे; वे एक दूसरे का पर्यायवाची बन गये हैं। गांधी जी को एक वस्तु जो सबसे प्रिय थी वह थी खादी और चर्खा। वे 25 वर्षों तक चर्खे को पुनर्जीवित करने और खादी के प्रचार में लगे रहे। यह मजाक या फैशन के तौर पर नहीं था कि गांधी जी ने खादी और चर्खे की वकालत की थी। वह चाहते थे कि प्रत्येक घर या कुटीर में चर्खा लगाया जाए ताकि लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। आज खादी और चर्खे की क्या हालत है ? चर्खे को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने दिया जायेगा। महोदया हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर चर्खों को समाप्त नहीं होने देंगे और चर्खे द्वारा बनी खादी को भी नहीं। जिस खादी का आज उत्पादन हो रहा है वह बिल्कुल भी लाभ-कारी नहीं है। मैंने इस बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। मैंने कई एक खादी उत्पादन केन्द्रों का दौरा किया है। मैंने पाया है कि एक लड़की सारा दिन कार्य करने के पश्चात भी मात्र 4 रुपये ही कमा पाती है। हमने उससे पूछा कि क्या मात्र 120 रु. प्रति माह से वह अपना गुजारा कर पाती है, जब कि हेम 2000 रुपये प्रति माह कमा कर भी सन्तुष्ट नही हैं। वह मात्र 120 रु. प्रतिमाह से क्या कर सकती है ? क्या यह जीने का समान स्तर है ? हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है और हमें गर्व है। कि हमने अन्तरिक्ष में विजय हासिल की है। लेकिन क्या हम अपने लोगों का जीवन स्तर सुधारने और उनकी गरीबी समाप्त करने के लिए कुछ नहीं कर सकते।

सभापति महोदया : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए आपने ग्यारह मिनट का समय ले लिया है।

श्री के. बी. शंकरानंद : अब हमें इन समस्याओं के प्रति बुद्धिमता से विचार करना चाहिये आधुनिक पीढ़ी खादी को पसन्द नहीं करती है ? उन्हें आकर्षक कपड़े चाहियें। कपड़ों को आकर्षक बनाया जा सकता है और इसे टिकाऊ भी होना चाहिये। गांधी जी कभी भी हठधर्मी नहीं थे। वह लचीले विचारों के थे। उनके समय में जो कुछ उपयुक्त था, उन्होंने वही किया। उन्होंने समय की मांग के अनुसार कभी भी अपने विचारों में परिवर्तन या सुधार करने में हिच किचाहट नहीं दिखाई। अगर हम सूत में कुछ पोलिस्टर, जैसे 50:50 को दर से मिला द तो यह कपड़ा ज्यादा टिकाऊ और आकर्षक भी बन पड़ेगा। अगर वह लड़की जोकि सूत पर कार्य कर रही थी, अगर वह धागे के छ: तकले भी बना ले उसे 10 रुपये रोजाना या 300 रुपये प्रति माह

मिल सकते हैं। यह कुछ यथोचित आमदनी भी है। मैं भी मांग करता हूँ कि करघों में सुधरा लाया जाना चाहिए ताकि प्रति दिन 20 से 25 तकले काते जा सकें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रतिदिन कितना सूत तैयार करते हैं। वे मजदूरी कमाने वाले नहीं हैं। उन्हें अपने तैयार माल पर मजदूरी मिलती है। जिस लड़की से मैं मिला था, अगर वह प्रति दिन 20 से 25 धागे के तकले कात सके तो 12 रुपये प्रति दिन कमा सकती है। एन. एम. सी. चर्खों को अधिक लाभ कमाने वाला बनाना चाहिए। वैज्ञानिकों के लिए यह मुश्किल नहीं है। मुश्किल मिल मालिकों और उद्योगपतियों से है। वे ऐसा नहीं करने देते, क्योंकि इससे उनके लाभ में कमी पहुंचती है। ऐसे स्वार्थी तत्व हमेशा ही कहते हैं जोकि खादी और ग्रामीण उद्योग के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहते हैं। वे इसे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं और खादी पर काम कर रहे लोग इसे लाभकारी नहीं पाते। वे इसे छोड़ देंगे। इसलिए, हमें खादी और ग्रामीण उद्योग को मजबूत बनाना चाहिए और हमें उत्पादन के अन्य आधुनिक तरीकों के बारे में अनुसंधान करना चाहिए ताकि खादी उत्पादन अधिक लाभकारी हो सके। अगर हम इसे समर्पण की भावना से करेंगे तो हम न केवल अगली पंचवर्षीय योजना तक गरीबी को समाप्त कर सकेंगे. बल्कि निरक्षरता को भी समाप्त कर सकेंगे। हम उन लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, आसानी से पढ़ना, लिखना सिखाने के लिए तैयार कर सकते हैं। जब हम उन्हें रोजगार का अवसर देंगे तो वे खुशी से पढ़ना सीखेंगे। हम इन अनपढ़ पुरुष, महिलाओं को पढ़ाने के लिए किसी भद्र पुरूष को नियुक्त कर सकते हैं और उसे मानदेय राशि दे सकते हैं। यह मात्र पढ़ना-लिखना या केवल अपने हस्ताक्षर करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह ज्ञान भी देना चाहिए कि आधुनिक विश्व में कैसे रहना और व्यवहार करना है। मात्र पढ़ लेने या लिख लेने से बात नहीं बनेगी। यह तबाह करना होगा। बिना किसी ज्ञान के लोग उन लोगों से कम खतरनाक होते हैं जोकि जिन्हें थोड़ा सा ज्ञान होता है। जो लोग पूरी तरह निरक्षर होते हैं उनका उत्थान किया जा सकता है। लेकिन जो आधा पढ़े हुए होते हैं उनका कभी-कभी उत्थान नहीं हो पाता। महात्मा गांधी के अनुसार, सिवाय उन लोगों के जो पैदा ही अपराधी होते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका उद्धार न किया जा सके। इन निरक्षर लोगों को बदलना आसान है, लेकिन उन लोगों को जो आधा पढ़े हुए हैं या जिन्हें अल्प ज्ञान है, उन्हें बदलना मुश्किल है। वे घमंडी होंगे और उनमें अनुशासन नहीं होगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय श्री वीरेन्द्र पाटिल जो कि इस विभाग के प्रभारी हैं से निवेदन करूंगा कि इस मामले पर विचार करें और मैंने जो ईमानदारी से सुझाव रखे हैं उनको देखते हुए इन प्रावधानों पर पुनः विचार करें। अपने दिल में अथाह दुःख के साथ मैं इन बातों को आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप जल्द से जल्द गरीबी को दूर नहीं करते तो हम, फ्रांस, रूस या चीन की तरह की क्रांति अपने यहां ला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इससे पहले कि देर हो जाए हमें सद्बुद्धि आ जाए। विश्व में गरीबी सबसे बड़ा पाप है। हम गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं। अगर इस देश में वेश्यावृत्ति है तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं; अगर देश में चोर और लुटेरे हैं तो इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। इसलिए इसके लिए हमें जुर्माना देना होगा। अब हमें अपने उपायों को सही करना होगा। एक दफा मैं सरकार में मुख्य मंत्री था। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं अपराधी हूं क्योंकि मैंने पूरी तरह से गांधी जी के आदेशों पर नहीं चला बल्कि किसी और के पीछे चला। इसलिए हमें अपने कदमों को सही दिशा की ओर मोड़े और गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो कुछ है, उस पर आचरण करें गांधी परिणत समाजवाद

जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें इस पर आचरण भी करना चाहिए।

मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। मुझे इस सभा में नया अनुभव हो रहा है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग लिखित भाषण पढ़ते हैं। मैं नहीं समझता कि कहीं अन्य जगह भी ऐसी परम्परा है। आज तक मैंने किसी भी विधान सभा या संसद में ऐसी बात नहीं देखी है। मैं नहीं जानता कि इसकी अनुमति है या नहीं। वास्तव में इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि मैं ऐसा न करूं। इसलिये मैं चुप हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में भी की इस माननीय सभा में इसके लिए अनुमति दी जायेगी? लिखित भाषण पढ़ने से हमेशा ही खतरा हो सकता है। क्योंकि पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है, वह विचार उसके नहीं भी हो सकते।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। इस माननीय सभा में अपने विचार रखने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिंदी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैडम चेयरमैन, हिन्दुस्तान में हमारी जो औद्योगिक नीति है, वह मूलत: वही है लेकिन नीति में परिवर्तन समय-समय पर होते रहते हैं और उन परिवर्तनों के कुछ परिणाम हमारे सामने आते हैं।

मैं आप की घंटी बजने से डर रहा हूं, इसलिए मैं सब से पहले डी. आई. सीज के बारे में कहना चाहता हूं। वे कैसा काम कर रही हैं। डी. आई. सी. के बारे में जो लेखा रिपोर्ट है, यह है।

[अनुवाद]

यह लो लेखा समिति का 1984-85 का प्रतिवेदन है। इसमें कहा गया है।

"इसको गठित करने का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को एक ही भवन में सारी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराना था। उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।"

समिति के निष्कर्ष क्या हैं? उसने कहा है:

"जिला उद्योग केन्द्रों का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि वे कारीगरों और लघु उद्योग एककों को बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें। इस प्रयोजन के लिए जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रबन्धक (ऋण), जो कि जिले के ऋण दाता बैंक द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी होता है, के माध्यम से संस्थानिक ऋण हेतु आवेदन पत्रों की जांच और संस्तुति की जाती है। समिति यह जानकर हैरान कि 1978-79 से 1981-82 के दौरान 11 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संस्तुत 79,445 मामलों में से बैंकों। वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवल 30,035 मामलों में ऋण प्रदान करने के लिए स्वीकृति दी गई। अन्य राज्य अर्थात् महाराष्ट्र में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संस्तुत 38,883 मामलों में से 12,412 मामले बैंकों द्वारा अस्वीकार कर दिये गये, जबकि अप्रैल, 1982 में आन्ध्र प्रदेश से 10,902 संस्तुत मामलों में से 4139 मामले अनिर्णीत पड़े हुए थे। नागालैंड में भी 185 मामलों में से केवल 33 मामलों में बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किये गए।"

[हिन्दी]

अब इसमें डी. आइ. सी. का फंक्शन क्या है । एक तरफ तो लोगों को कहा जाता है कि कर्जा लेने आओ, बैंक से कर्जा मिल जायेगा । डी. आइ. सी. रिकेमन्ड करती है लेकिन पचास परसेन्ट से भी ज्यादा लोगों को कर्जा नहीं मिलता है । वे कहते हैं कि हम कर्जा देने की हालत में नहीं हैं इसलिए कर्जा नहीं देंगे । इस रिपोर्ट में पूरा विवरण लिखा हुआ है । यह 1984-85 की रिपोर्ट है । इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, वह मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं :

[अनुवाद]

यह खेद की बात है कि

"जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त एककों के कार्यों की निगरानी रखने के लिए कोई सुव्यवस्थित प्रबन्ध नहीं है । समिति के अध्ययन दलों द्वारा दौरे के दौरान समिति को राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके पास लघु उद्योगों और जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सहायता प्राप्त एककों के आंकड़े तो उपलब्ध हैं, लेकिन जो उद्योग वास्तव में चल रहे हैं उनके आकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं हैं ।"

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि यह नहीं मालूम कि कितने काम कर रहे हैं । सिर्फ यह मालूम है कि इतने रजिस्टर्ड हो रहे हैं ।

[अनुवाद]

अधिकारियों द्वारा यह उत्तर दिए जाते हैं । इसमें कहा गया है :

"यह भी माना गया कि इनमें से काफी प्रतिशत उद्योग या तो बन्द हैं या रुग्ण हो गये हैं या रुग्ण होने वाले हैं, इस बात की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता ।

× × ×

"जिला उद्योग केन्द्रों का कार्यक्रम कुछ हद तक औद्योगिक आयोजना का विकेन्द्रीयकरण करना है जोकि और उस जिले की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके और अन्तर अनुशासनिक दृष्टिकोण स्थापित किया जा सके ....."

कुछ भी नहीं किया गया ।

[हिन्दी]

इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मालूम हो जायेगा । आपको पता चल जायेगा कि हमारी हालत डी. आई. सी. में क्या हो रही है । मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री के लोग कैसे और क्या खर्चा करते हैं ।

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (1983-84) के चौरानवे प्रतिवेदन के पैरा 3.13 में कहा गया है कि :

"समिति ने देखा है कि विज्ञापन और प्रचार पर 1980-81 में व्यय 1.49 करोड़ रु. था जो कि 1982-83 में बढ़कर 2.16 करोड़ रुपये हो गया । समिति, वाणिज्यिक पहलू

को ध्यान में रख कर किए जाने वाले प्रचार के खिलाफ नहीं है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रचार पर हुआ व्यय जिस उद्देश्य से किया गया है, वह उस उद्देश्य को पूरा करे। उदाहरण के तौर पर ट्रैक्टरों का अंग्रेजी समाचार पत्रों में बड़ा सा विज्ञापन किसानों के काम नहीं आ सकता, जो कि ट्रैक्टर के मुख्य प्रयोक्ता हैं।"

इस तरह दो-दो और ढाई-ढाई करोड़ रुपया तो सिर्फ एडवर्टाइजमैंटस पर खर्च हो रहा है और वह भी अंग्रेजी भाषा में। जैसे कि हमारे देश के सारे फारमर्स अंग्रेजी में एडवर्टाइजमैंटस पढ़कर ट्रैक्टर खरीदेंगे। ऐसी हालत है और इस पर भी आपके इंडस्ट्रीज के बड़े-बड़े आफिसर घूमने के लिए कहां जाते हैं—विदेशों में। ये भी खूब मजा लूटते हैं। कहते हैं कि ऐसी पोल किसी और महकमे में नहीं है। इनको कोई देखने चैक करने वाला नहीं है।

वैसे तो आप के इन्डस्ट्रीज के लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस चीज को कोई देखने वाला नहीं है कि किस तरह से पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इंडस्ट्रीज की किताब पढ़ते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमारी गर्दन नीचे झुक जाती है। देश में इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर सरकार का 35 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है और जहां इनसे 11 पर सेंट रिटर्न आनी चाहिए, लेकिन आती दो परसेंट भी नहीं है।

आपकी डी आई सीज का यह हाल है कि जो केसेज वे स्किमैंड करके भेजते हैं, उनके लिए कह दिया जाता है कि लोन नहीं है। यह बात इनके कारण क्या है? यह सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को प्रतिवेदन में बात कही गई है :

[अनुवाद]

"समिति को बताया गया कि पहले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के 47 अधिकारी विदेश भेजे गये। इन लोगों पर कम्पनी का कुल खर्च 114,15,423 रुपये हुआ, जिसमें से 6,11,349 रुपये केवल 1982-83 में ही खर्च किये गए। समिति जोर देना चाहती है कि मंत्रालय विदेशी दौरों पर होने वाले खर्च पर सावधानी पूर्वक निगरानी रखे।"

[हिन्दी]

ये लोग लाखों रुपया फॉरेन टूर पर खर्च करते जा रहे हैं और इन आफिसर्स को फॉरेन टूर करने का अवसर इन्होंने दिया। अब ये कहते है कि नई टैक्नोलोजी का इस्तेमाल होना चाहिए।

[अनुवाद]

यह एकाकी उपक्रमों संबंधी समिति का 39 वां प्रतिवेदन है जो भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मूलचंद डागा : ठीक है। आप अपना कर्त्तव्य निभा रही हैं।......**

प्रतिवेदन में कहा गया है :—

"यह खेद का विषय है 20 वर्षों से अधिक समय में भी आई. टी. आई. टेलीफोन

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपकरण में निपुणता हासिल नहीं कर सका है। हालांकि नवीनतम डिजाइन (677) जिसमें जापानी डायल लगा हुआ है वर्तमान डिजाइन से उन्नत है, फिर भी यह रिसीवर (चोगा) और ट्रांसमीटर (संचारी) बड़े दोषों से मुक्त नहीं है।"

[हिन्दी]

तीस साल के बाद नई टैक्नोलोजी की बात की जा रही है, तीस साल हो गए, नई टैक्नोलोजी डेवलप करने के लिए बार-बार कहा गया लेकिन वे कोई नई टैक्नोलोजी विकसित नहीं कर पाये...

[अनुवाद]

"दिसम्बर, 1977 में, टेलीफोन निर्माण के आधार हेतु लिए गये निर्णय को अभी कार्यान्वित किया जाना है।"

अब 1985 है। 1977 में निर्णय लिया गया था।

[हिन्दी]

यह कब इम्पलीमैंट होगी, उसके बारे में तो आप ही बतायेंगे।

मैडम, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सीमेंट की इस वक्त कास्ट क्या है, उसकी प्रोडक्शन कास्ट क्या पड़ती है, प्रोडक्शन कास्ट पर बैग क्या है, मैं समझता हूं वह 27 रुपए से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है। आप सारे माईनिंग के खर्चे, लेबर के खर्चे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे मिला कर देख लीजिए, लेकिन वही सीमेंट बाजार में 66 या 67 रुपये पर बैग के हिसाब से मिल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। आपने एक तरफ कोयले के दाम बढ़ा दिए, स्टील के दाम बढ़ा दिए और दूसरी कई चीजों के दाम बढ़ा दिए, सारे सरकारी उपकरणों के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सीमेंट का वह हाल है जो कि एक कौमन मैन काम में लाता है। क्या आप बतायेंगे कि आपने सीमेंट के दाम क्यों बढ़ा दिए, क्या मंत्री जी उसके कारण बतायेंगे। मैं चाहता हूं कि वे अपने उत्तर में इसे जरूर स्पष्ट करें कि सीमेंट प्रोडक्शन कास्ट कितनी पड़ती है, कितने लेबर चार्जेज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज या दूसरे पड़ते हैं और बाजार में आकर उस बैग की कीमत 67 रुपये कैसे है। ये लोग क्या कर रहे हैं सीमेंट का मैं कभी-कभी सीमेंट के मामले में देखता हूं, इंडस्ट्रीज में 4 हजार करोड़ रुपया खाया गया। इसलिए इंडस्ट्री बीमार पड़ जाती है। देश में कम से कम 28 हजार इंडस्ट्रीज बीमार है मंत्री जी को चाहिए कि उन सबको तंदरुस्त करें। एक-एक बीमारी के 4,4 डाइग्नोसिस होते हैं इसके बाद एक स्टेटमेंट नई पालिसी पाई जाती है, कहते हैं कि इंडस्ट्री को सुधारा है। मेरा कहना है कि सुधारा नहीं बिगाड़ा है।

मेरा कहना है कि आप बड़े-बड़े आफिसर्स और सेक्रेटीज की सरप्राइज चैकिंग कीजिए। डी. आई. सी. सैंटर क्या काम कर रहे हैं ? मंत्री जी ने क्या किया ? कानपुर का इलाका था और दूसरा थोड़ा इलाका था, वहां इंडस्ट्रीज बहुत थीं। उन्होंने उसको तो एक्सक्लूड कर दिया और सारे एरिया को सिक कर दिया। हमने कहा कि यह तरकीब ठीक निकाली।

मैंने कई बार कहा है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हैं, वह उन इलाकों में लगाइये। जो पिछड़े हुए इलाके हैं। वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर के आपको इंडस्ट्री लगानी चाहिए। लेकिन जो बैकवर्ड हैं, वह बैकवर्ड ही रह जाते हैं। उनको "नो इंडस्ट्री" डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और

फिर वहां न सड़क बनती है और न ट्रांस्पोर्ट का कोई तरीका बनता है। आप यही काम कर रहे हैं।

इंडस्ट्रीज बीमार पड़ रही हैं और हम भी बीमार हो रहे हैं। हमें कोई इसकी परवाह नहीं है। सबजेक्ट है इंडस्ट्री के डिस्कशन का।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट का समय दिया गया है। वह इस समयावधि में उद्योग के बारे में आरम्भिक बातें भी नहीं बता सकते। यह समय पर्याप्त नहीं है। या तो आप उनके साथ न्याय कीजिए ताकि वे उद्योगों के बारे में कुछ बात कर सकें या आप उन्हें बोलने की अनुमति ही न दीजिए।

यह आप पर है, ठीक है।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही आपको 10 मिनट से अधिक समय दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : इन्डस्ट्री में तभी प्रोग्रेस होगी जब उनमें मिशन होगा। और काम करने की भावना होगी।

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : सभापति महोदय, उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय की जो मांगें यहां प्रस्तुत की गई हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ।

मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

सारे भारत में काफी उद्योग लगे हुये हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हमारा मध्य प्रदेश है जहां केवल सिलाई का उद्योग है, बैतूल में दूध का उद्योग है। हमारे भोपाल में एक दूध का उद्योग है।

हमारे मध्य प्रदेश के पूरे 45 जिलों में केवल 3 जिलों में 11 उद्योग हैं। कई प्रदेशों में और कई जिलों में काफी उद्योगों के भंडार लग रहे हैं और कई जिले पिछड़े हुए हैं। हमारा क्षेत्र मुरैना है, इसकी लम्बाई 300 किलोमीटर है लेकिन मुरैना में केवल 1 किलोमीटर में उद्योग है और वह भी शहर के लोगों का उद्योग है, उसमें वह अपने यहां के मजदूरों को लाते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पत्थर भी है, लोहे के भंडार भी हैं, आप हमारे क्षेत्र मुरैना में उद्योग लगावें। हमारे यहां मुरैना में तेल शोधक कारखाने की काफी चर्चा चली, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक यह तेल शोधक कारखाना मुरैना में स्थापित नहीं हुआ है।

अगर मान लो बाहर से उद्योगपति मुरैना में उद्योग नहीं लगाना चाहता है तो हमें मुरैना ग्वालियर कहीं पर भी उद्योगपति वहां कारखाना लगा सकता है।

मैं केवल मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि हमारे मुरैना में तेल शोधक कारखाना लगाने की कृपा करें। इनके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपने जो मुझे समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, 1956 में हमने औद्योगिक नीति संकल्प पास किया, उसके बाद 30 साल की यात्रा के बाद जो 1956 की औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प था कि बैकवर्ड एरियाज का विकास किया जायेगा और जो रीजनल इमबैलेन्सिज हैं, उनको दूर किया जायेगा, यदि हम उस पर मनन करते है तो पाते हैं कि इतनी लम्बी दौड़ को तय करने के बाद भी हमारा जो इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट है, वह अपने इस बेसिक कंसेप्ट में सफल नहीं हो पाया। उदाहरण के तौर पर हम यू. पी. को ले सकते हैं। यू. पी. में टोटल इन्डस्ट्री इनवैस्टमेंट का केवल 5 प्रतिशत इनवैस्ट हुआ है और पब्लिक सेक्टर इनवेस्टमेंट का जितना सारे देश में हुआ है उसका केवल 4 प्रतिशत हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 1/6 है और उत्तर प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा कंज्यूमर हैं। वहां कंज्यूमर बेस इण्डस्ट्री के नाम से कोई इन्डस्ट्री नहीं लगायी गई है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यू. पी. के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको वह दूर करें। यह केवल यू. पी. का सवाल नहीं है, कई और भाग हैं जो हमारी उद्योग विभाग की इस नीति के शिकार रहे हैं। उद्योग विभाग को एक प्रमोटर का काम करना चाहिए डेवलपमेंट का काम करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से इन्डस्ट्री विशेष का हित सुरक्षित रखा जाये।

मैं निवेदन करूंगा कि इन्डस्ट्रियल इनफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट के लिए जो एक तिहाई रुपया आप देते हैं, उसमें आपने 2 करोड़ रुपए की सीलिंग रखी है, इससे ज्यादा लाभ वह नहीं उठा पाते हैं। इसी प्रकार जो नो इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हैं उनको सबसे कम इस मद के अन्दर इण्डस्ट्री सबसिडी मिली है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो नो इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अधिक मदद दें, जिससे वह भी आगे बढ़ सकें।

250 डिस्ट्रिक्ट हमने इण्डस्ट्रीयली बैकवर्ड घोषित किए हैं और हमने वायदा किया है कि हम इनमें बेसिक इण्डस्ट्री कायम करेंगे। लेकिन आज भी बावजूद इसके कई प्रकार की इण्डस्ट्रीयल सबसिडी देने के बाद, जिन प्रान्तों में बेसिक इन्डस्ट्री हैं, वह फायदा नहीं कर पाई हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो हमारी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, विशेषकर जो इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के कंट्रोल में हैं, उनको हाथ में लेना चाहिये और बैकवर्ड एरियाज में बड़ी इन्डस्ट्री खोली जानी चाहिये।

मैं 5 साल से मांग कर रहा हूं कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म की यूनिट उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगायी जाये क्योंकि वहां की जो जलवायु है वह इस प्रकार के उद्योग के लिए अच्छी है, मगर किसी न किसी बहाने इस बात को टाला जा रहा है। मैं उद्योग मंत्री से निवेदन करूंगा कि उस इलाके में बड़ी इण्डस्ट्री लग नहीं सकती, जिस चीज के लिए वहां की जलवायु अच्छी है, जिसके लिए जमीन पानी मिल रहा है, उसको नहीं लगायेंगे तो इस क्षेत्र के साथ अन्याय होगा और जो हमारा घोषित लक्ष्य है, उसको भी पूरा नहीं कर पायेंगे।

पिछले 5 वर्षों में और इससे पहले कुल मिलाकर 30 हजार के लगभग उद्योग हमारे सिक हुए जिसमें हमारे फाइनेंस इन्टीट्यूशन का 500 करोड़ रुपया डूबा है। इसमें भी ज्यादातर जो उद्योग प्रापर्टी सेक्टर के हैं वही सिक हुए हैं। इसलिए मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उनको रिवाइव करने के लिये कोई पालिसी बनाई जानी चाहिए और वह

पालिसी ऐसी होनी चाहिए जोकि वास्तव में इफैक्टिव हो सके। आपकी ओर से ऐसा नरसिंगप्रोग्राम चलाया जाना चाहिए और इस नरसिंग प्रोग्राम के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन्स को आप यहां जोड़ते हैं उनको वास्तव में उनके साथ कोआपरेट करना चाहिये। नरसिंग प्रोग्राम तो बनते हैं लेकिन किसी न किसी एजेंसी के नान-कोआपरेशन की वजह से वह सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। डी. आई. सीज के विषय में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आपके डी. आई. सीज जो हैं वह कच्चा माल उपलब्ध कराने का काम करते हैं लेकिन फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन्स की तरफ से उनको समय पर लोन नहीं मिल पाता है और बिजली के कनेक्शन भी नहीं मिल पाते हैं और स्माल एन्टरप्रिन्योर यदि किसी प्रकार से सर्वाइव करके मार्केटिंग स्टेज तक पहुंच भी जाते हैं तो वे कम्पीट नहीं कर पाते हैं और इस तरह से फेल हो जाते हैं। यही कारण है कि जो लघु उद्योग हैं वह तमाम घोषणाओं के और तमाम इन्सेंटिव्ज के वह सफल नहीं हो पाये हैं। और इसका सबसे ज्यादा शिकार वही होते हैं जोकि एन्टरप्रिन्योर्स की फर्स्ट जेनरेशन में आये हैं यानी जो पहली बार उद्योग लगा रहे हैं। आपकी घोषणाओं से प्रेरित होकर वे जाते हैं लेकिन सबसे अधिक वही शिकार होते हैं।

हमारी सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को उद्यम लगाने के लिये 25 हजार रुपये का ऋण देने की बात कही है। लेकिन मेरा निवेदन है कि यह बहुत स्माल एमाउण्ट है इसलिये वित्त मंत्रालय से सलाह करके इस एकाउन्ट को बढ़ाकर कम से कम एक लाख करना चाहिये।

खादी ग्रामोद्योग की बहुत बड़ी भूमिका बैकवर्ड एरियाज में डेवलपमेंट करने और रोजगार दिलाने के संबंध में हो सकती है। 40 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये एकीकृत ग्रामीण विकास प्रोग्राम के तहत आपने जिन ब्लाक्स को लिया है उसमें पिछड़े क्षेत्र के ब्लाक्स को भी शामिल किया जाना चाहिये। कृषि के बाद उद्योग ही देश के आर्थिक विकास के लिये मस्तिष्क का काम करता है। यदि कृषि मेरुदण्ड है तो उद्योग मस्तिष्क का काम करते हैं हम सोशियो एकोनामिक चेंज लाने की बात करते हैं। हमारा उद्योग मंत्रालय नये नये इन्सेंटिव्ज भी दे रहा है लेकिन सवाल यह है कि जो घोषणायें की जाती हैं उनको लागू भी किया जाना चाहिये ताकि वास्तव में उसका लाभ वहां तक पहुंच सके।

टेक्नोलाजी के नियमों में भारी परिवर्तन हो रहा है। हमें बाहर से लेटेस्ट नो-हाऊ लेना भी चाहिये लेकिन यह भी तय होना चाहिये कि उसका लाभ किसको मिले। जो बड़े बड़े उद्यमी हैं वे विदेशों से नो-हाऊ खरीद सकते हैं लेकिन उस टेक्निकल नो-हाऊ का फायदा देश में प्रोडक्शन बढ़ाने में और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर कैसे ऊपर उठ सके उस सन्दर्भ में भी उपयोग होना चाहिये।

19 पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज आपके मातहत हैं। इनमें 8-9 ऐसी हैं जिनमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके लिये मैनेजमेंट को भी बधाई है।

एक तरफ तो ऐसा वातावरण पैदा होता है जिससे कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज की इज्जत घटती है, इसलिए ऐसी कोशिश होनी चाहिये जिससे कि उनकी इज्जत बढ़ सके। कहीं पर अगर इनपुट्स की कमी हो या किसी प्रकार के प्रोत्साहन की कमी हो तो वह देना चाहिए और उनके सामने टाइम-बाउण्ड शेड्यूल रखा जाए ताकि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज लाभ में आ सकें और वह दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकें।

सार्वजनिक उद्योग को एक लम्बा रास्ता तय करना है और लम्बा रास्ता तय करने के लिए उनके पास हाथ-पांव फैलाने को बहुत ज्यादा गुंजाइश है। डवेलपिंग कन्ट्रीज अफ्रीका और एशिया व दुनिया के दूसरे भागों में हमारे इन्जीनियरिंग गुड्स की बहुत ज्यादा खपत हो सकती है। हमारे मन्त्रालय के लोगों के प्रयास से एक्सपोर्ट के प्रतिशत में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। यदि एमाउन्ट की तरफ देखें, तो सिर्फ 200 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम करते हैं। हमारे इस सैट अप को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि एक लांग टर्म एक्सपोर्ट पालिसी होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : जब से भारत ने अपने भाग्य निर्माण का प्रयास किया तब से ही विकास की समस्याओं के प्रति एक युगांतकारी दृष्टिकोण अपनाया गया था। राष्ट्रीय संग्राम का संदेश और आशय बहुत ही स्पष्ट था कि हमारा उद्देश्य केवल राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं था अपितु अपने संस्थानों और समाज में एक मौलिक और आमूल-चूल परिवर्तन करना था। हमारे समक्ष समाज का एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण था। यही दृष्टिकोण हमारे संविधान में हमारे बनाये गये संस्थानों में प्रतिबिम्बित हुआ है तथा हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के संचालनों तथा जवाहर लाल नेहरू जैसी उन महान विभूतियों की नीतियों और घोषणाओं में परिलक्षित हुआ था जिन्होंने 1947 में सत्ता संम्हाली थी। इस सभा में जवाहर लाल नेहरू ने समाज के इस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था और मैं उनके ही शब्दों को उद्धरित करता हूँ :—

"मेरे मस्तिष्क में जो चित्र है वह निश्चित रूप से और नितांत रूप से समाज का एक समाजवादी चित्र है। मैं इस शब्द का प्रयोग रूढ़ि के रूप से कतई नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अन्ततोगत्वा समग्र समाज के हित के लिए उत्पादन के साधनों पर व्यापक रूप से समाज का अधिकार और नियंत्रण हो।

हमने जो संविधान अपनाया है-यदि हम उसके निदेशक सिद्धांतों की ओर दृष्टिपात करें और काफी बाद 1975 में इस सभा में संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन करके उसमें 'समाजवाद' शब्द जोड़ा गया है, उससे यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि उसमें आर्थिक आदर्श के प्रति एक चेतना थी और हम लोगों ने समाज को उसी ढांचे में ढालने का प्रयत्न किया तथा उसके लिए सुस्पष्ट मार्ग था तेजी से औद्योगिकीकरण इसीलिए उद्योग, और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया गया और उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वह 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प में तथा बाद में हमने जो कार्यवाही की उसमें प्रतिबिम्बित होती है।

यह मानने के पीछे एक मूलभूत कल्पना थी कि भारत एक सम्पन्न देश है किन्तु यहां के लोग निर्धन हैं। यदि इस देश को एक जुट रहना है तो अनेक प्रयास किये जाने थे, सीधा प्रहार निर्धनता और चालू प्रणाली में असमानता के व्यवहार पर किया जाना था और क्षेत्रीय असमानता दूर करनी थी। और अपनी प्रादेशिक अखंडता बनाये रखने के मूल कार्य हेतु सुरक्षात्मक क्षमता प्राप्त करनी थी। तथापि प्राचीन सभ्यता और महान सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ-साथ आधुनिक औद्योगिक शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा और इसी पृष्ठभूमि में यह सब सोचा गया था इसलिए जन साधारण के जीवन स्तर को उत्तरोत्तर ऊंचा उठाने के लिए उपभोग स्तर को संतोषजनक बनाने की आवश्यकता थी और यह तभी संभव हो सकता था

जबकि आत्मनिर्भर औद्योगिक प्रणाली और समुचित, आर्थिक और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए एक नीति निर्धारित की जाती। इसलिए हमलोगों को पूंजीगत चल सम्पत्ति को एक आधार बनाना पड़ा था तथा अनुसंधान और विकास के लिए भी एक आधार तैयार करना पड़ा था साथ ही प्रौद्योगिकी के आयात तथा विदेशी निवेश के लिए एक नीति की संरचना करनी थी।

5.00 अ. प.

इसके अलावा समाजवादी समाज की रचना के बारे में निर्णय लिए जाने के पश्चात हमें नियमित रूप से नीतियां निर्धारित करनी पड़ी चाहे उसका संबंध आय के एकत्रीकरण को रोकने के लिए एकाधिकारिता पर नियंत्रण रखने से था अथवा उसका संबंध औद्योगिक संवर्धन और विविधि करण के लिए सरकारी क्षेत्र को उत्पादन के राष्ट्रीय और सामाजिक क्षेत्रों में एक यन्त्र के रूप में स्तेमाल करने से था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस समय सरकारी क्षेत्र को अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान देना अपेक्षित था। उस समय हमारे ये उद्देश्य थे। ये उद्देश्य न तो जवाहर लाल नेहरू जैसे व्यक्ति के सनक की उपज थे और न वामपंथी विचारधारा के सुधार न किये जाने योग्य सिद्धांतवाद के अनुरूप। ये उद्देश्य हमारे समाज की वस्तु स्थिति और विकास स्तर के अनुरूप थे जिसकी आवश्यकता हमने स्वयं अनुभव की थी और जो सुनिश्चित ढंग से जन साधारण की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए अपेक्षित था। हमें लोगों की अपनी भूमिका के प्रति सचेत रहने के लिए तैयार करना था और उसका उद्देश्य केवल आत्माभिव्यक्ति के लोकतान्त्रिक अधिकार को प्राप्त करना भर नहीं था बल्कि आर्थिक पूर्णता प्राप्त करना था।

कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने 1950 और-1960 में स्वतन्त्र पार्टी की विचारधारा के प्रति वचनबद्धता प्रकट की थी, और जिसके बारे में जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि उन्हें इतिहास के गड्ढे में फैंक दिया जाए, सभी लोगों ने इन उद्देश्यों के प्रति सहमति व्यक्त की थी। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि आज इसी स्वतन्त्र पार्टी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जा रहा है चाहे वह बजट में हो अथवा प्रधानमंत्री और उनके साथियों की विभिन्न उद्घोषणाओं में हो; जो हमें 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करने का तथा प्रौद्योगिकी का डिस्नेलैण्ड तथा प्रबंधीय स्वर्ग में ले जाने को आश्वासन देते रहे हैं। ये प्रत्याशाएं आज कितनी पूरी हुई हैं? सरकारी क्षेत्र आज क्या भूमिका निभा रहा है?

पिछले दिन विश्व के शक्तिशाली उद्योगपति दो यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम आफ जेनेवा-जो यहां आये थे, को संबोधित करते हुए मेरे प्रिय मित्र और इस्पात मंत्री श्री बसन्त साठे ने सरकारी उपक्रमों के बारे में अनेक विस्मयजनक उद्घोषणाएं की थीं। यह महत्वपूर्ण बात है कि वह सरकारी उपक्रम के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को ही संबोधित नहीं कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने जानबूझ कर और सोच-विचार कर विश्व के समक्ष यह कहने को चुना था कि हमलोग सरकारी उपक्रम को समाप्त करने को तैयार हैं। एक क्षेत्र जिसका आरम्भ 1951 में 29 करोड़ रुपये की राशि के निवेश से तथा 5 उपक्रमों के साथ आरम्भ किया गया था 1982 में उसी क्षेत्र में 24,761 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका था और उसके 203 उपक्रम हो गये थे। क्या सरकारी क्षेत्र इसके लिए उत्तरदायी है कि उसके ऊपर अनेक उद्देश्य थोप दिये जाएं यथा आय और सम्पत्ति के पुनर्वितरण को बढ़ावा देकर विकास और रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु आर्थिक और औद्योगिक विकास की अपेक्षित अवसंरचना करना, क्षेत्रीय विकास को संतुलित रखना और लघु उद्योगों तथा सहायक उद्योगों के विकास में सहायता देना और आयात विकल्पों का संवर्धन करना तथा निर्यात करना और विदेशी मुद्रा बचाना?

मैं सरकारी उपक्रमों की अनेक त्रुटियों, कुछ यूनिटों की सीमांत कार्यकुशलता और कुद्रेमुख जैसी दुर्घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु जब आप सरकारी उपक्रमों की निंदा करते हैं तो इन उद्देश्यों के प्रति आपका क्या रवैया हो सकता है ? इस सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद क्या इसमें आमूल-मूल परिवर्तन नहीं हुआ है ? इसमें संदेह नहीं हो सकता है कि सरकारी उपक्रमों में सुधार हुआ है किन्तु लाभ और हानि के आधार पर व्यापारिक मनोवृति के अनुरूप सरकारी क्षेत्र की निन्दा करना एक फैशन बन गया है। क्या इस बात से कोई इन्कार कर सकता है कि सरकार क्षेत्र के उपक्रमों के कारण भारत के आर्थिक क्षेत्र में नाटकीय परिवर्त्तन हुआ है ? क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इसके लिये उत्तरदायी हैं कि कोयला और विद्युत उपक्रमों का कार्य निष्पादन उतना अच्छा नहीं हो सका, जितना होना चाहिए था अथवा यदि रेल विभाग का आधुनिकीकरण नहीं किया जा सका ? और क्या वे इसलिये असफल रहे कि वे राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत हैं ? ऐसा इसलिए है कि कुछ विशिष्ठ क्षेत्रों में वे बुरी तरह असफल रहे हैं अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रण में होने के कारण समग्र सरकारी क्षेत्र ही असफल रहा है ? और इसे अधिक मात्रा में सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकतायें पूरी करनी पड़ी हैं। इसलिए, उद्योग मन्त्री से मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका के बारे में उनकी सरकार का क्या रुख है ? सरकारी उपक्रमों के सामाजिक, आर्थिक वित्तीय उद्देश्यों के बारे में मैं सुविचारित श्वेत पत्र जारी करने की मांग करता हूँ जैसा कि कुछ वर्ष पूर्व ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था।

5.05 अ.प.

(श्री अंतुले बशर पीठासीन हुए)

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की तुलना करना हास्यास्पद है। जो गैर-सरकारी क्षेत्र के यूनिट 'माइक्रो स्तर' पर कार्य करते हैं वे प्रारम्भिक रूप से नियमित प्रबंध के उद्देश्य को पूरा करते हैं और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रचुर समर्थन प्राप्त ये यूनिट बाजार में लाभ अर्जित करते हैं और वे सुरक्षित बाजार में कार्य करते हैं। यदि आप भारत में निर्माण उद्योग के उत्पादन ढांचे पर ध्यान दें तो यह बात तो स्पष्ट हो जायगी। ऐसी स्थिति में मांग के ढांचे अथवा औद्योगिक वस्तु के ढांचे में विकृति आने की समस्या वहां सदा ही बनी रहती है जहां अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू खपत 10 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में और 10 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में हो जाती है। आय के वितरण की वर्तमान प्रणाली के बारे में देखें और यदि वितरण प्रणाली में कोई हस्तक्षेप न किया गया तो क्या उसे प्रौद्योगिक निवेश द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है ? परिस्तान बनाने का आश्वासन देने से पूर्व; किसी को भी स्वयं इन सभी थोड़े से प्रश्नों पर विचार करना होगा।

22 मार्च को इन्डियन इन्जीनियरिंग एक्सपोर्टर्स को सम्बोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि कुछ उद्योगों को समाप्त कर देना चाहिये। मैं उनके शब्दों को उद्धृत करता हूं :—

> "हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि सभी उद्योग निश्चित रूप से 22 शताब्दी (उनका तात्पर्य 21 वीं शताब्दी से है) तक चलते रहेंगे; हमें इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिये कि कुछ उद्योग समाप्त हो जाने चाहिये।"

उन्होंने पुनः कहा :—

"कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिन्हें हम केवल श्रम बहुल उद्योगों के कारण चालू नहीं रख सकते हैं।"

क्या उद्योग मंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे कि प्रधान मन्त्री के इस उदगार के पीछे क्या विचार हैं ? इस नीति के कौन-कौन से घटक है ? श्रम बहुल उद्योगों की रूपरेखा क्या है अथवा यह बताया जाय कि इस क्षेत्र में नियुक्त लोगों का क्या होगा ? मैं विशेषकर यह जानने का इच्छुक हूं कि केरल के वस्त्र, हथकरघा, पटसन और नारियल जटा तथा काजू उद्योगों के प्रति उनका क्या रवैया है। मैं चाहता हूं कि नीति स्पष्ट करें। उनके पास जादू की वह कौन सी छड़ी है जिससे वह इन उद्योगों का ढांचा ही बदल देंगे ? आज इस देश में लगभग 5 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं जिनमें से 50 प्रतिशत व्यक्तियों का नाम रोजगार दफ्तरों में दर्ज है और हजारों ऐसे श्रमिक हैं जो हर रोज बाजार में जाकर रोजी कमाते हैं।

लायसेंस देने की शर्तें लगाकर अथवा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अथवा विदेशी सहयोग के क्षेत्र में उद्योग के नियमित करने की नीतियों के ढांचे पर सुनियोजित ढंग से प्रहार किया जा रहा है। संच्चर समिति ने 1978 में इस मामले पर विचार किया था तथा उन्होने एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों की सम्पत्ति को 20 करोड़ रुपये के स्तर से अधिक करने की मांग को अस्वीकृत कर दिया था ? भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक अध्ययन कराये थे और जैसा कि इसी सदन में तथा शैक्षिक क्षेत्रों में सूचित किया गया था कि ये एकाधिकार घराने ऐसे नहीं हैं। ऐसा इसलिये नहीं है कि 1500 एकाधिकार यूनिटें हैं और उनकी संख्या इससे अधिक नहीं हो सकी है। पिछले दिन इस सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार बिरला की जो सम्पत्ति 1980 में 1432 करोड़ रुपये थी वह 1983 में बढ़कर 2840 करोड़ रुपये हो गई थी और टाटा की जो 1539 करोड़ रुपये थी वह 1983 मे बढ़कर 2850 करोड़ रुपये हो गई थी यह उसी अवधि के दौरान हुई। मेरा यह सुझाव नहीं है कि कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। कठिनाई यह थी कि उन्हें नियन्त्रणों के बारे में उचित व्याख्या नहीं की गई और न सुस्पष्ट विनियमों द्वारा उन्हें संचालित किया गया अपितु उन्हें कार्यकारी आदेशों द्वारा संचालित किया गया जिससे स्वेच्छा चारिता को बढ़ावा मिला और जिसके परिणाम स्वरूप पहल करने की क्षमता का गला घोंट दिया गया और अनेक प्रकार के सरकारी नियन्त्रण लगाये गये जो नीति के अनुरूप बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थे। इसलिये यह बात महत्व की है कि माननीय मंत्री इन सभी बातों को स्पष्ट करें।

इसी प्रकार, सरकारी उद्यमों को स्वायतता दिया जाना भी महत्वपूर्ण है और उनके उत्पादन यन्त्रों को सुधारने की भी आवश्यकता है। लेकिन उनका उत्तरदायित्व सुस्पष्ट होना चाहिये। कुछ सरकारी क्षेत्र के कार्यकारियों का यह मिथ्या विचार है कि कुल मिलाकार केवल संसद का उत्तरदायित्व है। डा. कृष्णा मेनन के समय से ही अनेक समितियां इस प्रश्न को उठाती रहीहैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी गठित की गई समितियों की समीक्षा बहुत ही आवश्यक है। यह हो सकता है कि इस सभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन में से कुछ ढंग से नहीं पूछे जाते हैं अथवा कुछ के पूछे जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। किन्तु प्रक्रिया संबंधी मामलों के बारे में संसद को निर्णय लेना होता है और यह निर्णय केवल संसद ही ले सकती है। यदि वे यह सोचते हैं कि स्वायत्तता आवश्यक है किन्तु उसके लिये उनका संसद के प्रति कोई उत्तर दायित्व नहीं हैं; तो वे भारी गलती पर है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं अपने यहां की बैंकिंग प्रणाली की कुछ अन्तरनिष्ठ समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंकिंग प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है और उनमें सुधार की आवश्यकता है तथा इसका उपयोग और सहयोग प्रगति सम्बन्धी जानकारी देने तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में होने वाले विलम्ब तथा उन्हें पूरा करने में सहायता प्रदान करने के प्रयोजन के लिये भी किया जाना चाहिये जैसा कि रूस में जी. ओ. एस. बैंक द्वारा किया जाता है। दुर्भाग्य वश हमारी बैंकिंग प्रणाली ब्रिटेन की बैंकिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। यहां जर्मन या जापान की प्रणाली का भी अनुपालन नहीं किया गया है। किन्तु ये बैंक अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर हमारी आर्थिक नीति का निकट से अध्ययन करते हैं और सरकार को जानकारी देते हैं।

मेरे विचार से सहमत हूं कि सरकार को अपनी नीति संचालित करने का अधिकार है क्योंकि उसे लोगों का भारी बहुमत प्राप्त है। किन्तु इन नीतियों की व्याख्या होनी चाहिये वे सुस्पष्ट होनी चाहिये तथा मुख्यत: व्यापक समाजिक उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहियें। किन्तु उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वह 2 करोड़ व्यक्तियों के हित में देश का निर्माण करने का है जिसमें स्पष्ट रूप से तथा संकेत रूप से समृद्धि का प्रदर्शन हो जिससे कि बहु संख्यक लोग निम्न कोटि का परेशानियों का और गंदगी का जीवन बिताते रहे और उनके लिये निर्धनता के फंदे से छुटकारा पाने की आशा न रहे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि नये दृष्टि कोण के अन्तर्गत स्वतंत्रता पार्टी की विचारधारा को पुनः जीवित करने के प्रयास का भी वही हाल होगा जो स्वतंत्र पार्टी का हुआ था और उसे इतिहास के पन्नों में समाहित कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन के साथ ही साथ मैं कुछ और निवेदन करना चाहता हूं। यह बड़ी खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की सहमति से कुछ प्रदेशों के अन्दर कुछ जिलों को उद्योग शून्य घोषित किया है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों को उद्योग शून्य घोषित किया गया है। उसमें एक उद्योग शून्य जिला कानपुर जनपद भी है, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। कानपुर जनपद जब से अलग किया गया है तब से केन्द्र सरकार ने काफी सुविधायें प्रदान करने की घोषणा की है। इसके बावजूद भी अभी तक उसकी प्रगति नहीं हो सकी है। केवल एक गन्ना उद्योग उस क्षेत्र में दस करोड़ की लागत से लगाने की योजना है। उसका पालन किया गया है। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं अर्थ के अभाव में वह बन्द न हो जाये। उसकी व्यवस्था आप देखते रहें। इसके साथ-साथ कानपुर जनपद में और भी उद्योग लगाने की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि कानपुर नगर उद्योग की दृष्टि से बहुत विकसित हो गया है। कानपुर देहात को उद्योग शून्य जिला घोषित किया गया है। उसको जब तक प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में स्थान नहीं देंगे तब तक वह केवल कागज पर ही उद्योग शून्य रहेगा। उसका लाभ भी नहीं मिल पायेगा। कानपुर नगर तथा अन्य बड़े शहरों में यह नियम बन जाना चाहिए कि जो इण्डस्ट्रीज औद्योगिक रूप से विकसित हो चुकी हैं, चाहे निजी सैक्टर की हो, उनको औद्योगिक लाइसेंस नहीं मिलेंगे। दुःख इस बात का है कि कानपुर नगर में गत वर्ष लोहिया मशीन्स को उद्योग का लाइसेंस दिया गया है जिसमें उस उद्योग के मालिकों ने 95 करोड़ रुपए जनता से वसूल किए। यदि उस उद्योग का लाइसेंस कानपुर के

देहातों को दिया गया होता तो उससे निश्चय ही हजारों लोगों को रोजगार मिलता और हमारा कानपुर देहात जनपद औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ गया होता।

यहां मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन यह करना चाहता हूं क्योंकि उनका कानपुर के साथ मधुर संबंध भी हैं और सौभाग्य से वे यहां बैठे भी हैं, वे कानपुर देहात की ओर ध्यान दें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमें कुछ लाभ मिल सके।

हमारे देश में कोई भी उद्योग तब तक लग नहीं सकता जब तक कि उसके लिए पावर और भूमि की व्यवस्था नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में बिजली की आम तौर से कमी है और भारी संकट है। इसका प्रभाव हमारे उद्योगों पर सीधा पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगों को निरन्तर बिजली मिलने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। इसके साथ-साथ उनको भूमि भी उचित दर पर मिलनी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ माह पूर्व एक आदेश निकाला था जिसमें कहा गया है कि ग्राम समाओं की जो ऊसर जमीन पड़ी हुई है, यदि उनको कोई उद्योगपति लेना चाहे और अपना उद्योग लगाना चाहे तो वह बाजार भाव से दुगने रेट पर उसको दी जायेगी। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि वहां पर न छोटे न बड़े कोई भी उद्योग, अधिक खर्च के कारण, लग नहीं पा रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार को लिखें कि वह इन आदेशों को तुरन्त वापस ले क्योंकि यह आपकी नीति के विरुद्ध जाते हैं।

यहां पर अभी स्वतः रोजगार योजना के विषय में भी चर्चा हुई, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि देश में आज जितने लोग अपना छोटा रोजगार शुरू करना चाहते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, आपके जिला उद्योग केन्द्रों पर जाते हैं, परन्तु उनके साथ जिस भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाता है, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। उसके साथ हमारे बैंकों की यह दशा है कि वे उद्योग केन्द्रों की रिकमैंडेशन को मानकर लोन देना नहीं चाहते। मैं आपके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। आप जिला-वार न जाकर, संसदीय क्षेत्र को आधार मानकर देश में हर जगह कमेटियों का गठन करें, जिन कमेटियों के अध्यक्ष वहां के सांसद को बनाया जाए तथा उस क्षेत्र के सभी एम एल एज को उस कमेटी में मेम्बर बनाकर रखा जाए। इसके अलावा बैंक के अधिकारी और दूसरे अधिकारियों को भी उसमें रखा जा सकता है। वह कमेटी उस क्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करे और अपनी रिकमैंडेशन्स दे और उन्हीं व्यक्तियों को लोन दिया जाए। यदि इसी प्रकार की नीति अपनाई गई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जिस तरह का व्यवहार हमें बैंकों और दूसरी जगह देखने को मिलता है, उस पर अंकुश लग सकेगा और आपको भी सफलता मिलेगी।

अभी मैं वार्षिक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि हमारे यहां 17 उद्योग सार्वजनिक क्षेत में लगे हुए हैं और उनमें से 11 उद्योग घाटे में चल रहे हैं। मैं कानपुर में लगे टैनरी उद्योग के बारे में कुछ जानकारी रखता हूं और जब वह सरकारी नियन्त्रण में लिया गया है, वह निरन्तर घाटे में ही चल रहा है। जब से मैंने उसके वार्षिक प्रतिवेदन को देखा तो उसमें भी साफ लिखा है कि आगामी वर्ष उसमें लगभग 7करोड़ रुपए का घाटा होने वाला है। जब हमारे देश का, हमारी जनता का इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में 35 अरब रुपया लगा हुआ है, और उसके मुकाबले प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों में बहुत कम पैसा लगा हुआ है, फिर क्या कारण हैं कि प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों में घाटा नहीं होता और पब्लिक सेक्टर के उद्योग निरन्तर घाटे में चलते हैं जबकि उनमें

पब्लिक सेक्टर के मुकाबले बहुत कम पूंजी लगी है। अब वक्त आ गया है जब हमारी सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। चूंकि हमने समाजवाद की कसम खाई है, हमने पंडित जवाहर लाल नेहरू की औद्योगिक नीति को अपनाया है, उसके अनुसार पब्लिक सेक्टर में जिस प्रकार का आचरण होना चाहिये वह नहीं होता, लेकिन हमें यह देखकर घोर निराशा होती है और माननीय सदस्य डागा साहब ने उनके जिस विभत्स रूप को यहां प्रस्तुत किया, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आज हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कितने अधिकारी बैठे हुए है जो उनके प्रबन्धक गण हैं, उन्हें संचालन का पूरा ज्ञान नहीं होता है और यही उन उद्योगों के घाटे में जाने का कारण है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अलग से अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय व्यावसायिक सेवा को शुरू किया जाना चाहिये और उसमें इन तमाम अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए जिससे वे प्रशिक्षण प्राप्त करके उन उद्योगों को सुचारु रूप से चला सकें।

इसके अलावा अब मैं कुछ बातें खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे यहां कमीशन की ओर से कुछ कुटीर और लघु उद्योगों के बारे में घोषणा की गई है लेकिन कुछ राज्य सरकार जिसमें उत्तर प्रदेश है वे उसको कुछ कुटीर उद्योगों की मान्यता नहीं देती है और इस तरह उन उद्योगों को किस तरह की छूट नहीं मिल पाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन छोटे और कुटीर उद्योगों को भी सरकार की ओर से समुचित कन्सेशन टैक्सों में मिल सके, इस प्रकार के निर्देश देने की व्यवस्था आप करें।

अन्त में मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जिन सुझावों की ओर अपने भाषण में उनका ध्यान आकर्षित किया है, वे उन सभी बिन्दुओं पर विचार करके कोई उचित निर्णय लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : हमारी औद्योगिक नीति का आधार 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव है और इसे देश की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के अनुरूप बनाया गया था। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र तथा लघु उद्योग इत्यादि के विकास की भूमिका का 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। देश की लगभग आधी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। उनकी क्रय शक्ति नहीं है और केवल औद्योगिक प्रगति से ही रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं जिनसे उनकी क्रय शक्ति बढ़ सकती है और इससे मार्किट में भी सुधार आयेगा एवम् वे उद्योग के विकास को भी बढ़ा सकते हैं। अतः गरीबी से निपटने के लिए औद्योगिक विकास बहुत ही आवश्यक है।

हमारे देश में सबसे अधिक कृषि उपज हुई है और इससे हमें पूंजी निवेश में प्रोत्साहन मिलेगा और इससे औद्योगिक उत्पादन में तेजी आयेगी। बहुत से प्रगतिशील उपाय 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के आधार पर किये गये हैं और इन प्रगतिशील उपायों के परिणामस्वरूप हमारा देश एक तरह से औद्योगिक राष्ट्र बन गया है। आजादी से अब तक उत्पादन पांच गुना बढ़ा है तथा हमारा देश औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में उभर कर दसवें स्थान पर आ गया है।

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है।

सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। छोटे, बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों में सुधार हो रहा है और हर तरफ सुधार हुआ है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में आयात प्रतिस्थापन नीति को थी और अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि व्यवसायिक निर्यात उद्योग हों। विभिन्न सुझाव दिए गए हैं कि औद्योगिक विकास निर्यात प्रधान, रोजगार प्रधान कृषि उत्पादन प्रधान और देहाती क्षेत्रों का विकास करने वाला तथा ग्रामीण विकास को बढ़ाने वाला होना चाहिए एवम् विभिन्न दृष्टिकोणों से उपयुक्त प्रस्ताव रखे गए हैं। इस विराट देश के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन तथा क्रियाकलापों को एवम् नीति और कार्यक्रमों को तैयार करते समय ध्यान में रखना होगा।

अपने औद्योगीक प्रदर्शन तथा उन्नति पर हमें आत्म संतुष्ट नहीं होना चाहिये। हमारा देश प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों की संख्या की दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर है और इसके पास तीसरी सबसे बड़ी कार्यबल की क्षमता है और हम औद्योगिक उत्पादन में केवल दसवें स्थान पर हैं। हमारी मंशा कृषि में लगे लोगों की संख्या को कम करने उन्हें उद्योगों में लाने की है। परन्तु हम उस संख्या को कम करने की स्थिति में नहीं है। हमारे वैज्ञानिक तथा तकनीशियन विदेशों में काम के लिये जा रहे हैं और वे विदेशों में अच्छा काम कर रहे हैं और इन्हें इसके लिये उनसे बहुत श्रेय मिल रहा है।

विश्व के विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में श्रम सस्ता है। हमारे पास कच्चा सामान भी है तथा अन्य संसाधन भी उपलब्ध हैं। केवल एक ही काम है कि हमें इस जनशक्ति तथा संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग करना होगा।

हमारे औद्योगिक विकास में मुख्य रुकावटों में से एक 'उच्च लागत की आर्थिक व्यवस्था' है। अधिकतर वस्तुएं जो हम बनाते हैं वे आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर हैं। हम इस स्थिति में भी नहीं हैं कि विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। औद्योगिक क्षेत्र में ब्याज की दर बहुत अधिक है। क्योंकि जापान, ताईवान जैसे देशों में ब्याज की दर बहुत कम हैं और वहां पर औद्योगिक प्रगति की संभावनाएं हैं।

उच्च लागत की आर्थिक व्यवस्था का एक और कारण यह है कि किसी उद्योग या किसी परियोजना को चालू करने की प्रक्रिया में देरी होती है। इसमें बहुत समय लगता है। इस विलम्ब से लागत बढ़ जाती है। चूंकि परियोजना पर खर्च अधिक आता है, इसीलिए इसके उत्पादों की भी लागत अधिक आता है, परिणाम मांग घट जाती है और इससे अप्रयुक्त क्षमता की स्थिति बन जाती है।

पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में, सरकार की मंशा क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने की है परन्तु अभी तक इस पर वास्तव में कार्यवाही नहीं हो पाई है। यहां तक कि एक ही राज्य में ही क्षेत्रीय असंतुलन हैं। हांलाकि बिल्कुल क्षेत्रीय संतुलन नहीं किया जा सकता परन्तु सरकार को क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए आगे आना चाहिए।

सरकार की नीति उद्योगों को बड़े नगरों तथा शहरों से अन्यत्र ले जाने की है। इसके बावजूद बड़े नगरों तथा शहरों में ही उद्योग सिमटते जा रहे हैं जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में वर्गीकृत करने से कुछ मदद नहीं मिलने वाली है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में मूल ढांचा संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराने की कोशिशें करनी पड़ेंगी। प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि मूल ढांचे संबंधी सुविधाओं के लिए एक तिहाई सहायता केन्द्र

द्वारा दी जाती है परन्तु इसका लाभ पिछड़े राज्यों को सभी श्रेणियों के लोगों तक पहुंचाना होगा।

जिलों को पिछड़े जिले घोषित करने के मापदण्ड के बारे में तालुकों और ब्लाकों को आधार बनाया जाना चाहिए ! ये मापदण्ड बहुत समय पहले 1969 में निर्धारित किए गये थे। अतः मापदण्डों में परिवर्तन करना होगा। बहुत से स्थानों से यह मांग बहुत पहले से की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : माननीय सभापति जी, मैं सरकार की उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उत्तर भारत का कानपुर महानगर सबसे बड़ा औद्योगिक नगर समझा जाता था। किसी जमाने में तो कपड़े के काम या कपड़े के उद्योग के लिए अहमदाबाद के बाद अगर किसी का नाम आता था तो कानपुर का आता था।

इधर जब से स्वराज्य हमारा आया, उसके बाद भारत सकार की नीति में कुछ परिवर्तन हुआ और वह एक अच्छा परिवर्तन था। हमारी नीति यह थी कि ऐसे उद्योगों को सरकारी संरक्षण में लिया जाये जहां पर उत्पादन कम होता हो या श्रमिकों का शोषण किया जाता हो। उस समय कपड़े की लगभग 126 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कानपुर की भी उसमें कई मिलें थी। आज भी मैं देखता हूं कि उन मिलों की हालत बिल्कुल रुग्ण मिलों की सी हो गई है। उसमें से जे. के. रेयन तीन वर्षों से और जे. के. मैन्यूफैक्चर 8 वर्षों से बंद है। उनको चलाने को, खोलने की, बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन जो एन.टी.सी. की मिल है, उनमें लगातार घाटे के अलावा दूसरा काम नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपया प्रत्येक मिल घाटा देती है जिससे राष्ट्र की गरीब जनता द्वारा दिए गये टैक्स की बरबादी होती है। एन. टी. सी. की मिलों का प्रबन्ध जिनको सौंपा जाता है, वे उसके लिए क्षमतावान नहीं होते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए लोगों को हर मामले में विशेषज्ञ मान लिया जाता है इससे बड़ी कोई दूसरी गलती हो नहीं सकती है। आज कपड़ा मिलों को चलाने के लिए भी, चमड़ा मिलों को चलाने के लिए और शुगर मिलों को चलाने के लिए भी प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए आदमियों को ही भेज दिया जाता है जिनको उस विषय की कोई टेकिनकल जानकारी होने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको सौंपे गये कार्य की सामान्य जानकारी तक नहीं होती है। यदि ऐसे लोगों से आप उद्योगों को चलवाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से घाटा ही उठाना पड़ेगा।

मैं कपड़ा मिलों से संबंधित एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि उसकी ओर ध्यान दिया जाये। कपड़े की प्रत्येक मिल में सौ दो सौ गांठें रूई की खरीदी जाती हैं उसमें जितना भयंकर भ्रष्टाचार एन. टी. सी. की मिलों में हो रहा है, वैसा मैंने कहीं नहीं देखा है। मेरा स्वयं का अनुभव है और मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोके बिना आप इन उद्योगों को बचा नहीं सकते हैं। कानपुर में चमड़ा उद्योग का निश्चित रूप से विकास हुआ है परंतु पता नहीं किस पालिसी के तहत, जो उसका एक्सपोर्ट आफिस था सारे देश के लिए, उसको वहां से उठाकर मद्रास भेज दिया गया जबकि आज भी 60-70 फीसदी चमड़े का काम कानपुर में ही होता है और वहीं से अधिक मात्रा में

एक्सपोर्ट भी होता है। उस आफिस को मद्रास भेजने की क्या वजह थी यह तो मंत्रालय ही बता सकता है।

जहां तक शुगर मिलों का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में सारी शुगर मिलें बीमार है। इसी प्रकार से लोहे की मिलें रोलिंग मिल्स, भी बीमार हैं। यदि उनके सम्बन्ध में उद्योग मंत्रालय गहराई के साथ अध्ययन नहीं करेगा तो उन बीमार मिलों को ठीक नहीं किया जा सकेगा। मेरी आपसे पहली प्रार्थना तो यह है कि इन मिलों को आप कम से कम ऐसे लोगों के प्रबन्ध में न सौंपें जिनको कि उसके विषय में कोई जानकारी ही नहीं है।

मेरे नायक दोस्त जगदीश अवस्थी जी ने अभी यहां पर भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कानपुर जिले के दो भागों की चरचा करते हुए शहर और देहात की बात की और कहा कि शहर के भाग का अब विकास नहीं होना चाहिए और कोई नया लाइसेंस शहर को न देकर दूसरे भाग में होना चाहिए। यह उचित नहीं है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। कि कानपुर नगर का औद्योगीकरण हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कानपुर के दो जिले हो जाने के बावजूद भी अवस्थी कानपुर शहर में रहते हैं, उनका यह कहना कि कानपुर शहर के औद्योगिक विकास को रोक दिया जाए—यह उचित नहीं होगा। जो मिले बीमार हैं उनको सुधारा जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए और देहात के लिये जो भी उद्योग या लघु उद्योग देने चाहिए वह देहात में अवश्य दिए जायें।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है कि कानपुर में जो मिलें बन्द हैं उनको परिवर्तित करके जो प्रबन्धक लोग दूसरे काम की ओर जगह ले जाना चाहते हैं तो भारत सरकार को उन्हें बदलने का अधिकार दे देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्वदेशी मिल जो अनिश्चित पोजीशन में है, जिसको आप 6-6 महीने बढ़ाकर चला रहे हैं उसके बजाए आप उसका पूर्ण रूप से अधिग्रहण कीजिए ताकि मजदूरों तथा देश के हित में उसको अच्छी तरह से चलाया जा सके। इसी तरह से टैफको एशिया की सबसे बड़ी चमड़े की फैक्ट्री थी उसकी हालत आज बहुत खराब हो गई है। यदि उसको डेफैन्स मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया जाये तो वहाँ पर उनका काम ठीक हो सकता है। इसी तरह से यदि स्वदेशी मिल को चलाने में एन. टी. सी. को दिक्कत हो रही हो तो वह भी डिफेन्स विभाग को दे दी जाए, वे उसको सुविधा से चला सकेंगे और उसको आगे बढ़ा सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए, कुछ बातों की ओर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें उम्मीद थी, हमारे पाटिल जी जैसे मंत्री जी उद्योगनीति की बात को लायेंगे और शिव रमन कमेटी ने जो सिफारिशें की थी, इस देश को कैटेगराइज करने और पालिसी बनाने की जो रिकमैंडेशन्स की थीं, वे उसको लागू करेंगे, जिससे कि इस देश में समानता और एक रूपता आ सके। लेकिन शायद फर्टिलाइजर और कैमिकल मंत्रालय में ज्यादा बिजी रहने के कारण वह समय नहीं दे पाए, इसलिए उस वक्त जो नीति चल रही थी, उसको ज्यों की त्यों ही आगे बढ़ा दिया।

मैं माननीय मंत्री जी जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने कुछ जिले इण्डस्ट्री के लिए तय किए थे। इसके लिए आपने अध्ययन किया होगा और आपने सारी

जानकारी हासिल की होगी, लेकिन मान्यवर जिलों में जो "ए," "बी" और "सी" कैटेगराइजेशन हुआ है, उसमें पोलिटिकल डिसीजन ज्यादा नजर आता है। राजस्थान के बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर जैसलमेर, सिरोही, चुरु आदि जिलों को "ए" कैटेगरी में रखा गया है, कैटेगरी "बी" में भीलवाड़ा और उदयपुर, जो कि बहुत ज्यादा विकसित जिले हैं, जिलों को रखा गया है और बाकी जिलों को कैटेगरी "सी" में रखा गया है। मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। अजमेर जिला जो कि औद्योगिक दृष्टि से एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। भीलवाड़ा जिले से जिसकी सीमा लगती है और भीलवाड़ा जिले में उद्योगों का कन्सन्ट्रेशन होता जा रहा है। आपने दो करोड़ का पैरामीटर बना दिया है, तो चाहे एक किलो मीटर का फर्क हो, चाहे वहां से चुनकर आने वाले प्रतिनिधियों को या जनप्रतिनिधियों को उसका दबाव देना पड़ता हो, आपने एक नीति बना रखी है। उस नीति को आपने जिले की इकाई मान रखा है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिव रमन कमेटी की मांगों को मानेंगे और इस देश के अन्दर एक रूपता लायेंगे। जिस तरह से आप ने जिलों का कैटेगराइजेशन किया हुआ है, उससे मैं समझता हूं जो हम बहुत अच्छी तरह से आगे जाना चाहते हैं, हम नहीं जा पायेंगे। शिव रमन कमेटी की सिफारिशों को मानते अगर आपने पुरानी नीति को उसको एक साल बढ़ा दिया है, तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट से जो आप रिकमंडेशन मांग रहे हैं, पैरा मीटर को ध्यान में रखकर उन जिलों की ओर भी ध्यान दीजिए। झालवाड़ा, टौंक, अजमेर, सीकर जिलों को "बी" कैटेगरी में होना चाहिए, वहां उनको सी कैटेगरी में रखा हुआ है। इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

बूंदी के अंदर सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया एक बहुत बड़ा सीमेंट का कारखाना लगाने वाली थी, लेकिन पता नहीं आज तक वह वह किन कारणों के कारण नहीं लग पा रहा है। माइनिंग लीज उनको मिली है, इसके बावजूद भी उसमें कोई ज्यादा प्रगति नहीं हो रही है। अब अजमेर जिले के अन्दर इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप जिले को ही इकाई मानेंगे तो जिले की इकाई में कंसन्ट्रेशन खाली एक ही जगह रहेगा। लेकिन अगर आप इसको ब्लाक तक ले जायेंगे, अगर सब डिवीजनल हैडक्वार्टर को मानेंगे, तो अच्छा रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिले को इकाई न मानें। अच्छा तो यह होगा कि जल्दी से जल्दी शिवरमन कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करते हुए इस देश में एक रूपता लायें।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री समत कुमार मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, वर्तमान बजट की सबसे खास बात यह है कि यह पंचवर्षीय योजनाओं में वित्तीय बजट सम्बन्धी नीतियों से विमुख होना है। हमें विरासत में न केवल एक अविकसित आर्थिक व्यवस्था तथा औद्योगिक ढांचा मिला है बल्कि एक असंतुलित व्यवस्था भी प्राप्त हुई थी। अतः हमारे योजना बनाने वालों का काम न केवल आर्थिक व्यवस्था औद्योगिक व कृषि दोनों का विकास करना था बल्कि असतुलन को भी ठीक करना था। अतः उन्होंने आर्थिक व्यवस्था के मूल ढांचे को बनाने का काम शुरू किया। इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र का सूत्रपात हुआ। औद्योगिक घरानों के पास उस समय न तो संसाधन थे न उनमें क्षमता

थी और न ही उनमें बुनियादी ढांचा बनाने की इच्छा थी। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय पूंजीपतियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बनाने से तथा उसके विकास से बहुत ही लाभ पहुंचा है। सारे देश के सबसे गरीब से लेकर सबसे अमीर वर्ग ने विभिन्न प्रकार के कर तथा शुल्क का भुगतान कर सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में अंश दान किया है। किसी को छूट नहीं दी गई। परन्तु प्रारम्भ से ही सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ पहुंचा है अर्थात् भारतीय पूंजीपति वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में लगातार वृद्धि की गई। और अंत में वित्तिय संस्थानों का, जहां पर देश का धन जमा होता है, अर्थात् बैंकों और बीमा निगमों का राष्ट्रीयकरण किया गया और अनिवार्य जमा योजना लागू की गई। इसके साथ-साथ आयात को कम करने की नीति का अनुसरण किया गया इस नीति से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत हुई बल्कि स्वदेशी उद्योगों के विकास में भी मदद मिली। हालांकि नई तकनीक का आयात इस नीति का एक अभिन्न अंग था।

विचाराधीन बजट स्पष्टतः इन नीतियों से विदा ले रहा है। काले धन को बढ़ने से रोकने के नाम पर प्रत्यक्ष करों को कम किया गया है और इसी के साथ ही अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि की गई है। पहला औद्योगिक और व्यापारी वर्ग को छूट देता है जबकि दूसरा शोषण करने वाले वर्ग के लाभ के लिए सारे देश का शोषण करता है।

बजट प्रस्तावों पर एक नजर डालने से ऐसा लगता है कि आर्थिक व्यवस्था आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच गई है। अगर हम हाल में घोषित आयात-निर्यात नीति की जांच करें। तो यह धारणा गलत है।

नई आयात नीति में कम से कम 201 औद्योगित मशीनरी से संबंधित मद ओपन जनरल लाइसेंस के लिए रखे गये हैं। इसी से पता चलता है कि हम आत्मनिर्भरता की आर्थिक व्यवस्था से अभी बहुत दूर हैं। दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र पर भी एक बहुत बड़ा हमला है। कोई भी व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि देश की वर्तमान वित्तीय तथा ऋण व्यवस्था में बेरोकटोक पूंजीगत वस्तुओं के आयात से न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े तथा मध्यम इन्जीनियरी उद्योगों को भारी हानि होगी बल्कि स्वयं निजी क्षेत्र के कुछ उद्यमियों को भी हानि होगी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री समत कुमार मंडल : कुछ मिनट और।

सभापति महोदय : आपने अपना समय पहले ही ले लिया है। कृपया समाप्त करने का प्रयास कीजिए।

श्री समत कुमार मंडल : तीसरे, आर्थिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के लगने की इससे स्वीकृति मिल जायेगी। आखरी बात हाल ही में प्रधान मंत्री द्वारा विदेशी पूंजी को बिनम्र नियंत्रण देने से सिद्ध हो जाती है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री समत कुमार मंडल : नयी आयात-निर्यात नीति विदेशी पूंजी के खुले तौर पर निबंधन से केवल भारतीय एकाधिकारवादियों तथा उनके विदेशी प्रतिस्पर्धियों को ही मजबूती प्रदान करेगी। की गई यह नीतियों का पियथगन है।

सभापति महोदय : मैं अगले सदस्य को अनुमति दे रहा हूं ।

श्री सनत कुमार मंडल : केवल कुछ शब्द रूग्ण और बन्द औद्योगिक एककों के बारे में सरकार का सर्वप्रथम काम है लोगों को खाना मुहैया कराना। इसके लिए प्रत्येक काम करने योग्य व्यक्ति को लाभकारी रोजगार मिलना चाहिए। किसी राष्ट्रीय आर्थिक नीति में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे··· ···

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह रहा हूं। श्री राम प्रकाश। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

श्री सनत कुमार मंडल : भारतीय रिजर्व बैंक की समाचार बुलेटिन के अनुसार·····*

सभापति महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है। जो कुछ आप कहना चाहते थे कह दिया है श्री राम प्रकाश।

[हिन्दी]

श्री राम प्रकाश (अम्बाला) : सभापति महोदय, यहां पर आनरेबिल मेम्बर साहबान के काफी भाषण हुए और बहुत से लोग तो आसमान तक पहुंच गये लेकिन मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हमारे प्रधान मन्त्री जी ने एलान किया कि इस देश से हम गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, तो यह गरीबी किस तरह से खत्म होगी हमें यह सोचना है।

हमारी जिन्दगी और रोजी का दारोमदार एक तो जमीन पर है, एग्रीकल्चर पर है और दूसरे इन्डस्ट्री पर है। जमीन पर इतना बोझ पड़ चुका है कि और बोझ जमीन उठाने के काबिल नहीं है, उस में गुन्जाइश नहीं है। इसलिए हमारे पास केवल इन्डस्ट्री है और इस इन्डस्ट्री से कैसे हम गरीब आदमी को ऊपर उठा सकते हैं, किस तरह उस को रोजगार दे सकते हैं, यह सोचने की बात है। हमारे देश की 50 परसेन्ट आबादी जो है वह गरीबी की लाइन के नीचे है। उसको हमें रोजगार देना है और वह रोजगार किस तरह से हम देंगे, इस के बारे में गवर्नमेंट को और इस मिनिस्ट्री को सोचना है। यहां पर ग्रेजुएटों की बात कही जाती है, उन को कर्ज देने की बात कही जाती है। उस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, तो वह इन्डस्ट्री कैसे चला सकता है। केवल कर्ज से ही वह अपनी इन्डस्ट्री चला सकता है। यहां पर वन-विन्डो-सर्विस की बात कही गई। यह जिले के अन्दर चली हुई है। मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुल्क के अन्दर वन-विन्डो-सर्विस चलती है या वह नहीं चलती है। तो फिर आप गरीब आदमी को रोजगार कैसे दे सकते है। उस के लिए आप को प्रबन्ध करना होगा और इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज आफीसर या दूसरे आदमी जिले के अन्दर बैठे हुए हैं, उन से सख्ती से आप को काम लेना चाहिए। अगर वे गरीबों की मदद नहीं करते हैं, तो उन को आप को डिसमिस कर देना चाहिए, उन को सस्पेंट कर देना चाहिए।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज जो गरीब आदमी कारखानों में काम करते हैं, उन को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है और उन के पास और कोई दूसरा रोजगार नहीं है। आज किसी

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भी गरीब आदमी के साथ इन्साफ नहीं होता है और वह बुरी तरह पिसा हुआ है। यह आप की जिम्मेवारी है कि आप उन्हें काम दिलायें।

महात्मा गांधी का जो प्रोग्राम था, उस को आप देखें। महात्मा गांधी दुनिया के माने हुए महात्मा थे। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग की स्कीम चलाई इसलिए कि इस देश के जो गरीब आदमी हैं, उन को रोजगार मिल सके और वे गुरबत में न रहें। इसलिए उन्होंने यह प्रोग्राम बनाया था और उन के प्रोग्राम में खादी बनाना, कपड़े का काम, चमड़े का काम और बाबड़ ग्रास ये सब काम आते थे लेकिन जितने भी खादी ग्रामोद्योग हैं, उन को दूसरे लोगों ने अपना लिया है। जैसे जूता बनाने का जो काम था, वह बाटा ने ले लिया और उसके साथ साथ जो दूसरी आइटम्स हैं जैसे लकड़ी और लोहे का काम, इन सब चीजों के कारखाने बड़े आदमियों के पास हैं। पहले कपड़ा बुनने का काम जुलाहा करता था लेकिन अब मिलों ने यह काम ले लिया है। इस तरह से गरीब आदमी के पास काम करने के लिए क्या रह गया है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप इन अफसरों और दूसरे आदमियों से सख्ती से काम नहीं लेगें, आप का काम नहीं चल सकता है। अफसर लोग जो हैं, वे मिलों के हाथों बिके हुए हैं, कारखाने वालों के हाथों बिके हुए हैं और गरीब आदमियों के लिए कुछ नहीं करते। आप को उन से सख्ती से काम लेना चाहिए।

मेरा अपना जिला अम्बाला है और अम्बाला के साथ हिमाचल प्रदेश लगता है। हिमाचल प्रदेश को बैकवर्ड स्टेट डिक्लेअर किया गया है। हालांकि मेरा जो इलाका है, मेरी जो कांस्टीच्युएन्सी है वह भी बहुत ही गरीब और बेकवर्ड है, वहां एक जगह है जहां से मारकण्डा नदी बहती है।

वहां पर एक काला आम जगह है जिसके आधा किलोमीटर की दूरी पर 12-13 फैक्ट्रियां हैं। जिनका तेजाबी और जहरीला पानी इस नदी में जा कर गिरता है। इस पानी को अगर पशु पी लें तो मर जाते हैं, अगर कोई आदमी पी ले तो वह भी मर जाता है। इसलिए आप पोल्युशन बोर्ड को हिदायत दीजिए कि वह इस नदी में तेजाबी पानी न जाने दे जिससे वहां के पशुओं और आदमियों की रक्षा हो सके।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। आपके पास जो भी प्वाएंट बचे हों वे मंत्री जी को बता दीजिए। डा. पी. वल्लल पेरूमन।

श्री राम प्रकाश : सभापति जी,

सभापति महोदय : आपका अब रिकार्ड नहीं होगा।

श्री राम प्रकाश : * *

[अनुवाद]

डा. पी. वल्लल पेरूमन (चिदम्बरम) : महोदय, उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय की 1985-86 की अनुदानों की मांगों पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

वास्तव में हम देश के औद्योगिकरण में हम अपनी प्रगति पर गर्व कर सकते हैं क्योंकि कृषि और इससे संबंधित कार्य देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। अत: यह जरूरी है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों तथा शहरो में लघु उद्योगों के विस्तार पर

* * कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

निरन्तर ध्यान दें। हमारे पास खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम हैं जो ग्रामीण और शहरी औद्योगिकरण करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग का कार्य ग्रामीण औद्योगिक योजनायें बनाना तथा उन्हें लागू करना है। वर्तमान में खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग को छोटे माचिस एकक स्थापित करके उनके द्वारा बनायी गई माचिसों की बिक्री से हानि हुई है। मुझे मालूम है कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग पर 6 या 7 करोड़ रुपए की माचिसों के भण्डार का बोझ पड़ गया है। यह खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की विपणन शक्ति के ह्रास के कारण है। इस अवसर पर मैं यह सुझाव देता हूँ कि कुटीर उद्योग के उत्पादों की बिक्री के लिए एक अलग संगठन होना चाहिए।

मेरे विचार में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थिति भी इस संबंध में अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को लघु उद्योगों से 19.17 करोड़ रुपए लेने हैं। संगठन में कोई उचित व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को जिन उद्योगों से धन राशि लेनी है वे उद्योग रुग्ण हो गए हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को दो भागों में विभाजित करना उचित होगा। एक का कार्य छोटी उद्योग इकाईयों की देख रेख करना तथा दूसरे को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

5.55 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मुझे विश्वास है कि माननीय उद्योग मंत्री इस पर विचार करेंगे तथा छोटे उद्योगों को बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

औद्योगिक विकास पर जितना ध्यान देने की आवश्यकता है केन्द्र सरकार को उससे अधिक ध्यान बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता समाप्त करने पर देना चाहिए। हमारी जानकारी के अनुसार 461 बड़े औद्योगिक उपक्रम तथा करीब 60,000 लघु इकाइयां रुग्ण हैं। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि निजी क्षेत्र ने सरकार का पूरा साथ नहीं दिया है। मैं यह कहने के लिए भी बाध्य हूँ कि सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा का जो वायदा किया था वह उससे संभवत: औद्योगिक रुग्णता अधिक हुई है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मात्र रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करने से समूचे उद्योगों की रुग्णता समाप्त नहीं हो जाएगी। सरकार को गलत प्रबंधकों के विरुद्ध दण्डनीय कदम उठाने की पहल करनी चाहिए। प्रबंधकों को स्पष्ट रूप से उसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए तथा उन्हें उद्योग की उपेक्षा करने तथा उसके कुप्रबंध के आरोप में उनकी निजी संपत्ति तथा आस्तियां जब्त कर दी जानी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियां जिन्होंने उद्योगों को वित्तीय सहायता दी है, को भी ऐसे उद्योगों के प्रबंध-बोर्ड में अपने कर्त्तव्य का पालन न करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। महोदय, आप जानते ही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के हितों की रक्षा करने के लिए ही ये प्रबंधक मण्डल के नामजद निदेशक हैं।

5.56 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

1985-86 का केन्द्रीय बजट तथा हाल ही में बनाई गई निर्यात-आयात नीति उद्योगों के

लिए दिव्यान्न सिद्ध होनी चाहिए। हमारे सक्रिय प्रधान मन्त्री तथा हमारे विज्ञान वाणिज्य मंत्री द्वारा व्यक्त विश्वास का उन्हें अनुकरण करना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए उन्हें जो अवसर दिए गए हैं, यदि वे उसका दुरुपयोग करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए।

इसी तरह सरकार ने एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को निष्क्रिय बना दिया है। अब 100 करोड़ रुपए तक की परिसम्पत्ति या एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत केवल 60 औद्योगिक ग्रह आते हैं। इससे पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार वास्तव में औद्योगिक रुग्णता के लिए चिंतित है तथा उन्होंने हमारे उद्योगपतियों की देशभक्ति पर अटल विश्वास प्रदर्शित किया है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे उद्योगपति, राष्ट्र को अपने स्वार्थों से ऊंचा मानते हुए अधिक से अधिक उद्योग लगाएंगे। यदि वे धोखा देते हैं तो वे अपनी ही मूर्खता के शिकार होंगे। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री का पुरानी कहावत में बहुत विश्वास है कि 'विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है।' मैं चाहता हूं कि हमारे उद्योगपति उन्हें विश्वास दिलायें कि वे राष्ट्र के हित में ही काम करेंगे। उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि औद्योगिक रुग्णता किसी भी कीमत पर समाप्त की जाए।

जब हम यह आशा करते हैं कि निजी क्षेत्र के उद्योग सही काम करें, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भी कुशलता से काम करें और उनसे लाभ हो। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अन्य इकाइयों का मार्गदर्शन करना चाहिए। औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के 17 उद्यम हैं, जिनमें से 14 निर्माण इकाइयां हैं तथा 3 परामर्शदात्री अथवा संवर्धन इकाइयां हैं। दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की तीन इकाइयों को 1983-84 में 30 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। 1984-85 में भी इसमें उन्हें हानि होने की हो संभावना है। मैंने अभी हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का उदाहरण यह बताने के लिए दिया है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ ठीक से काम नहीं कर रही हैं।

मैं चाहता हूँ कि मन्त्रालय को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को लाभप्रद बनाने के लिए अत्याधिक प्रयास करने चाहिए। अनुपयुक्त कार्यों के लिए जिम्मेदार दोषी प्रबंधकों को बाह्य दबावों पर ध्यान न देते हुए दण्ड दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : मैं उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

महोदय, मुझे आशा है कि जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है··· जो नीति अब बनाई गई है उससे नेहरू जी की दूरदर्शिता और इन्दिरा जी के उद्देश्य का और अधिक प्रकाश में आयेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

6.00 अ. प.

अमरीकी कांग्रेस को मानवाधिकार समिति द्वारा पंजाब में तथाकथित मानव अधिकारों के विषय में अमरीकी कांग्रेस को अनेक्सी में दी गई जानकारी से भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे। श्री सैफुद्दीन चौधरी···

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अतीत की भांति हम आज भी अपने देश के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के मामले पर हम सब एक हैं। पूरा सदन तथा हमारे देश के लोग अमरीकी काँग्रेस की मानव अधिकार समिति के तत्वावधान में तथाकथित मानव अधिकारों के विषय में हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की घोर निन्दा करते हैं।

मैं अमेरिका में भारतीय राजदूतावास में अपने इन साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस समिति के सामने पेश होने से इन्कार कर दिया तथा इस घटना की निन्दा करते हुए एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा। जैसा कि उन्होंने कहा कि अमरीकी कांग्रेस अनेक्सी में कथित एजेंसियों द्वारा कही कई बातें मानव अधिकारों तथा भारत में सिखों की स्थिति के बारे में थीं। वास्तव में यह समिति एक ऐसा मंच बन गई है जहां से गंगा सिंह ढिल्लो और जगतजीत सिंह चौहान जैसे उग्रवादी खालिस्तानी नेता भारत विरोधी भावनाओं को भड़काते हैं। अमरीकी कांग्रेस समिति द्वारा मानव अधिकारों पर पूरी सुनवाई कियाजाना प्रस्तावना के रूप में है।

इस विषय पर समिति में की गई चर्चा पर संपूर्ण देश क्षुब्ध है क्योंकि यह भारत का अपना आंतरिक मामला है जिसे किसी विनाशकारी उद्देश्य से निहित स्वार्थों ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया है। अमरीकी कांग्रेस की मानवाधिकार समिति द्वारा भारत की स्थिति पर बातचीत करने का क्या उद्देश्य था ? इससे संयोजकों की विशेष मनःस्थिति का पता चलता है कि वे अमरीका के इस सत्तारूढ़ गुट के विचारों के अनुसार काम करते हैं, जो ऐसे लोगों को भारत विरोधी गतिविधियों में भाग लेने में रोकने की बजाय स्वयं सक्रिय रूप से उसमें सहयोग देते हैं। वे सोचते हैं कि समूचे विश्व में वे ही मानव अधिकारों के हिमायती और रक्षक हैं। इससे उनकी साम्राज्यवादी विचारधारा का पता चलता है कि वे विश्व के देशों के आन्तरिक मामलों और नीतियों पर शासन करना चाहते हैं।

यह बड़े दुःख की बात है कि ये लोग तथा उस देश के नेता मानव अधिकारों की बात करते हैं जबकि उनके हाथ उन पुरुषों और महिलाओं के खून से रक्तरंजित हैं जिन्होंने अपने अनन्य मानव अधिकारों के लिए लड़ाई की। मानव अधिकारों के सम्बन्ध में उनका रिकार्ड क्या रहा है ? अमरीका का सत्तारूढ़ गुट आज अपने देश तथा विश्व के अन्य देशों में मानव अधिकारों का हनन करने वाला सबसे बड़ा गुट माना जाता है। यहां तक कि पंजाब में भी बिगड़ती हुई स्थिति के लिए जो अपराधी जिम्मेदार हैं उनमें अमरीकी एजेंसियां भी सम्मिलित हैं। मानव अधिकारों के ये रक्षक उस समय कहां चले गए थे जब पंजाब में उग्रवादी निर्दोष लोगों की हत्या

कर रहे थे ? तब उन्होंने इसे रोकने के लिए उन्हें राजी क्यों नहीं किया ? दक्षिण अफरीका में क्या हो रहा है, मध्य अमरीका तथा श्रीलंका में क्या हो रहा है ?

एक के बाद दूसरे देश में मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है और अमरीका के प्रशासक बड़ी सक्रियता से इन दमनकारियों की सहायता कर रहे हैं और उन्हें दुरुत्साहित कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन की रंगभेद की नीतियों से लोगों को मानव अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और अमरीका बड़ी सक्रियता से उन्हें सहयोग दे रहा है। इस वर्ष 21 मार्च को जब 'ईस्टर्न केप' में लांगा में लोग 25 वर्ष पूर्व 'शार्प विले पुलिस' द्वारा गोली चलाये जाने के कारण मारे गए 69 व्यक्तियों का स्मृतिदिवस मनाया जा रहा था तो उन पर क्रूरता पूर्वक गोली चलाई गई जिसमें 21 अश्वेत मारे गये। मानव अधिकारों के महान अगुआ श्री रेगन को इन हत्याओं में कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी। उन्होंने पुलिस की इस कार्यवाही को उचित सिद्ध करने का प्रयास किया।

संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति ने रंगभेद की नीति के विरोध में अमरीका की निंदा की। इसके अध्यक्ष श्री जोसेफ गार्बा ने श्री रेगन की टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अमेरिका के उच्चाधिकारियों के प्रति अपना विद्वेश और दुःख प्रकट करना चाहता हूं। दक्षिण अफरीका की पुलिस के लिए कहा गया है कि वह कानून और व्यवस्था के पक्ष में है मानो वहां कानून और व्यवस्था कायम है। वे स्वदेशी बहुमत द्वारा किए जाने वाले दंगों की बात तो करते हैं। लेकिन पुलिस और देश की रंगभेद की नीति निरन्तर चालू हिंसा की घटनाओं को भूल जाते हैं।

महोदय, कल नामीबीया की आजादी के सम्बन्ध में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों के मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है। मानव अधिकारों का हनन करने के पीछे किसका हाथ है और कौन उन्हें स्वतन्त्र होने की अनुमति नहीं दे रहा है ? इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं ? इसमें संयुक्त राष्ट्र अमरीका और इसके सहयोगी, दक्षिण अफरीका का हाथ है। निकारगुआ में क्या हो रहा है ? वहां पिछले नवम्बर में हुए चुनावों के बाद वैध सरकार बनाई गई है। 40 देशों के 400 प्रेक्षकों ने चुनाव कराया। उन्होंने चुनावों को निष्पक्षता को प्रभावित किया। फिर भी अमरीका हाड्यूरास और 'कास्टा रिका' से अपने भाड़े के सैनिक भेज कर उनके माध्यम से निकारगुआ की स्वतंत्रता समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। वे निर्दयतापूर्वक लोगों की हत्या कर रहे हैं। अमरीका के राष्ट्रपति को प्रति क्रांतिकारी 'कान्टरा' के बारे में जो निकासगुआ में नरसंहार कर रहे हैं, क्या कहना है। राष्ट्रपति रेगन ने कहा कि "वे पूर्वज हैं" मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों कहा गया है।

संयुक्त राज्य स्वास्थ्य संगठन ने निकारगुआ में 'कान्टरा' की गतिविधियों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है। डा. डेविड सीगल, इस रिपोर्ट के सह-लेखक, ने कहा कि यह शोचनीय है कि राष्ट्रपति रेगन कान्टरा के बहादुर अथवा अपने पवित्र पूर्वजों के समकक्ष मानते हैं। उन्हें प्रति क्रांतिकारियों, जो लोगों की हत्या कर रहे हैं और उस देश की स्वतन्त्रता को समाप्त कर रहे हैं, के बारे में यही कहना है। राष्ट्रपति रीगन से पूछा गया था कि क्या वह सनडिनिस्ता

सरकार का तख्ता पलटने जा रहे हैं। श्री रोगन ने कहा—इस समय नहीं, अगर वे कहते हैं कि ठीक है। ऐसी स्थिति में हमें संदेह होने लगता है, क्योंकि देश में 'अंकल' से कुछ अपनेपन की भावना अभिप्रेत होती है। मैं यहां अतीत में किए गए मानव अधिकारों के हनन के उदाहरण नहीं दे रहा हूं, चाहे उनका हनन वियतनाम या कम्पूचिया और शाह के शासन काल में ईरान में किया गया हो।

आज भी चिली, ग्रेनेडा तथा अन्य देशों में, जहां अमरीका ने अपने पैर जमा रखे हैं, क्या हो रहा है ? फिलिस्तीनियों के बारे में चुप्पी क्यों साधी हुई है ? कब्जा किए गए क्षेत्र से इजराइलियों को हटाने तथा फिलस्तिनियों को अपनी मातृभूमि प्राप्त करने के मानवीय अधिकारों के बारे में आपका क्या विचार है ? यह बड़े आश्चर्य की बात है कि श्रीलंका में बड़े पैमाने पर हुई तमिलों की हत्या के प्रश्न पर मानव अधिकारों के ये रक्षक चुप्पी साधे हुए हैं। पाकिस्तान के बारे में आपको क्या कहना है। ये लोग पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। इसके बारे में मैंने कुछ समय पहले कहा था। उनके अपने ही देश में अश्वेतों की क्या स्थिति हैं। वास्तव में, वहां पर रंगभेद की नीति अपनाई जा रही है। अमरीका में एक तरह की रंगभेद की नीति का अनुसरण किया जा रहा है : प्यूरटो रिका में क्या हो रहा है। वास्तव में वहां उपनिवेशवाद स्थापित किया जा रहा है। उन लोगों के अधिकारों के बारे में आपका क्या विचार है। अमेरिका में रह रहे भारतियों के साथ क्या हो रहा है ? उनके नेता डेविस बैंकस को पुलिस के जातिगत व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, परेशान किया जा रहा है। अब यदि वे दावा करते हैं कि वे लोकतंत्र के विश्वसनीय सलाहकार तथा रक्षक हैं तो पहले उन्हें अपने ही में इस पर अमल करना होगा और उन्हें पहले अपने ही रिकार्डों की जांच करनी चाहिये। महोदय, हम इसको एक अकेली घटना के रूप में नहीं देखते। यह तो एक बड़े षडयंत्र का आभास है जो वर्षों से हमारे देश के विरुद्ध रचा जा रहा है। यही कारण है कि हम इस बारे में बहुत सतर्क हैं। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि हम ऐसे देश की स्वतन्त्रता के बारे में बैठक करने जा रहे हैं जिसे अमरीका तथा उसके सहयोगी देशों ने अपने वश में कर लिया है कि उन्हें इस तरह का काम करना ही होगा। महोदय, आपको याद होगा जब नेली में नर संहार हुआ था, दिल्ली में उस समय गुट निरपेक्ष देशों की बैठक हो रही थी। ये सब बात एक दूसरे से संबद्ध है। अब हमें इस बारे में सोचना होगा। वे हमारे देश को विखंडित तथा नष्ट करना चाहते हैं और यह उसका आभास मात्र है इसमें कुछ नई बात नहीं है। अमरीका के शासक निरन्तर भारत को विखंडित करने की बात सोच रहे हैं। श्री निक्सन ने अपनी पुस्तक 'दि लीडर्स' में यह लिखा था कि भारत में ऐसी घटनायें एक ही दिशा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

जब श्रीमती किरकपेट्रीक संयुक्त राष्ट्र में थी तो उन्होंने कहा मैं उसे उद्धृत करता हूं— "भारत में प्रथकतावादी आंदोलन इस हद तक बढ़ गया है कि वहां सचमुच ही विभाजन की संभावना है, जिससे तृतीय विश्व में उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा।" भारत को छोटे-छोटे विरोधी देशों में विभाजित करने के बारे में उन्होंने यही कहना है। ऐसा ही उनका रवैया है, तभी हम उनकी निन्दा करते हैं। हम यह वर्षों से बता रहे हैं। वे हमारे देश की स्वतन्त्रता, एकता तथा अखंडता के विरुद्ध षड़यंत्र कर रहे हैं।

अमरीकी कांग्रेस की मानवाधिकार समिति द्वारा पंजाब में तथाकथित मानव अधिकारों के विषय में अमरीकी कांग्रेस की अनेक्सी में दी गई जानकारी से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के बारे में चर्चा

अब मैं सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री को क्या कहना पड़ा जब उन्होंने लन्दन के 'सन्डे टाइम्स' में इन्टरव्यू दिया जो 11 जून 1984 के "इन्डियन एक्सप्रेस" में भी प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कहा "पंजाब में अस्थिरता लाने वाली शक्तियां जिसमें विदेशी हाथ की सम्भावना है, कार्य कर रही हैं। इस समस्त चीज में कोई भेद जरूर है। यह केवल अलग-अलग घटना क्रम नहीं है।" ये बेनाम तथा अनभिज्ञ शक्तियां हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं। उनके प्रयास कई तरह के हैं। वे पृथकवादियों को अपने देश में शरण देकर, उन्हें उत्प्रेरित ही नहीं कर रहे, उनकी मदद ही नहीं कर रहे तथा पाकिस्तान को हथियार ही नहीं दे रहे बल्कि वे दूसरी तरह से भी हमारे देश में जासूसी गतिविधियां कर रहे हैं। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। मैं निक्सन के संस्करणों में से एक अनुच्छेद उद्धृत करता हूं। यह सन् 1971 के युद्ध के दौरान की बात है जब उन्होंने अपने बेड़े को वियतनाम से बंगाल की खाड़ी में ले जाने का आदेश दिया था। वे कहते हैं "गुप्तचर विभाग के माध्यम से हमें पता लगा है कि श्रीमती गांधी ने भारतीय मन्त्रिमण्डल की बैठक में पश्चिमी क्षेत्र में युद्ध का विस्तार करने तथा पाकिस्तान पर आक्रमण करने की योजना पर चर्चा की है।" मैं नहीं जानता कि यह सच है या नहीं परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमारी मन्त्रिमण्डल की बैठक तक की भी जासूसी कर सकते हैं। वे उस सीमा तक जा सकते हैं। यह वास्तव में बहुत सतर्क रहने वाली बात है तथा विदेशी मामलों के बारे में वाद-विवाद के दौरान भी मैंने इसका उल्लेख किया था। इस उप महाद्वीप में, हमारे देश में पाकिस्तान में तथा बंगलादेश में अमरीका के राजदूत जाने माने सी. आई. ए. के एजेन्ट हैं। सच्चाई का पता लगाना सरकार का काम है। इससे क्या संकेत मिलता है ? हमारे देश की सुरक्षा तथा अखण्डता पर आए संकट को हमने समझना है तथा यह इस सन्दर्भ में है कि हम दृढ़ता से इस घटना की निन्दा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब में उत्पन्न स्थिति के बारे में तथा इनका समाधान कैसे किया जा सकता था, इस बारे में हमारी अलग-अलग धारणाएं हैं। आदेश देते समय यह बताया गया था कि तीन या चार कांग्रेस नेता हैं जिन्हें निकालकर गोली मार देनी चाहिए। परन्तु यह उनका कार्य नहीं है। हम जांच की मांग कर रहे हैं तथा वह स्वीकार कर ली गई है। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तथा हमें विश्वास है कि खुला दिमाग रखकर हम पंजाब की स्थिति का हल कर सकते हैं। ये सब बातें कहना उनका कार्य नहीं है। यह हमारा आन्तरिक मामला है। हमारे देश की सुरक्षा के विरुद्ध इस धमकी के बारे में हम वर्षों से बताते आ रहे हैं तथा मुझे विश्वास है कि इस सदन में सभी को यह बात माननी चाहिए। अकालियों को भी यह बात माननी चाहिए। उन्हें यह करना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि सदन की राय को हम सबको समर्थन करना चाहिए। मेरा आप से अनुरोध है मैं नहीं जानता कि यह सम्भव है या नहीं कि इसकी निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया जाए तथा भारत विरोधी गतिविधियां तेज करने वाले अधिकारियों को हमारी कटु भावनाएं पहुंचाई जानी चाहिए।

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले वक्ता ने मानव अधिकारों के बारे में अमरीकी सरकार के रिकार्ड का विस्तार से उल्लेख किया है तथा उनके द्वारा इस शासन की निन्दा करने में मैं भी उनके साथ हूं, अमरीकी शासन तथा अमरीकी गुट का यह जो कुछ भी

है यह ग्रुप या वह ग्रुप, जिसने हमारे देश में हो रही घटनाओं के बारे में अपना निर्णय देने की शक्ति रखने की स्वयं गलती की है।

आप जानते हैं कि अमरीका का पता कोलम्बस ने लगाया था, यह एक लम्बा इतिहास है। जलदस्यु नये रईस, समुद्री डाकू तथा समस्त यूरोप के निकम्मे लोग अमरीका में चले गए हैं। यह इतिहास की एक स्मरणीय विडंबना है कि इस अमरीकी देश का जन्म रैड इन्डियनों नीग्रों तथा अन्य स्वदेशी आदिम जातियों के संहार से हुआ। इन सभी जातियों का संहार कर दिया गया तथा इन्हें नष्ट कर दिया गया। वह अमरीका है जो द्वितीय महायुद्ध में मानव जाति को परमाणु बम से नष्ट करने का दोषी है, जो हिरोशिया तथा नागासाकी में शस्त्रहीन लोगों की हत्या का दोषी है यह वो देश है जो निकारगुआ अल साल्वाडोर, चिली तथा अन्य बहुत से देशों में नृशंस अमानुषिकता का दोषी है वह देश तथा उस देश के लोग हमारे देश की घटनाओं के बारे में सम्मेलन करें तथा अपना निर्णय दें।

आप जानते हैं कि जब से हम स्वतंत्र हुए हैं हम मानव स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं। यह केवल भारत के स्वतन्त्र होने के बाद ही हुआ है कि विश्वभर के उपनिवेशों ने अपने स्वतन्त्रता आन्दोलन शुरू किए। पण्डित जवाहर लाल नेहरू के प्रेरणा दायक नेतृत्व में तथा उनसे पहले महात्मा गांधी ने समस्त विश्व में अमानुषिक उपनिवेशी शासन से मानव जाति को स्वतन्त्र कराने की नींव रखी। यह कोई कम बात नहीं है कि अमरीका हमारे विरुद्ध है। भारत से इसकी पुरानी शत्रुता होने का कारण यह है कि उपनिवेशवाद से छुटकारा पाने वालों में हमारा देश प्रथम है तथा हमारे नेतृत्व के अधीन अफ्रीका तथा ऐशिया के बहुत से देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की, तथा समस्त विश्व में उचित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आन्दोलन शुरू किया गया। जो अपने अधिकारों से वंचित रह गए, ऐसे सभी देश जिनकी सभ्यता, जिनकी संस्कृति, जिनके प्राकृतिक संसाधन उपनिवेश वादी तथा साम्राज्यवादी शक्तियों ने लूट लिए थे वे सभी संगठित हो गए तथा जिससे एक नई विश्व व्यवस्था का विकास हुआ। उसके बाद से साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी शक्तियों का नेता अमरीका हमारे विरुद्ध हो गया और तभी से हमारे विरुद्ध षडयन्त्र किए जा रहे हैं। इस बारे में यह उल्लेख कर सकते हैं कि अमरीका इन सभी वर्षों में क्या करता रहा अमरीका तथा इसकी विदेश नीति का आशय यह है कि वह भारत को चारों ओर से घेर ले। अस्थिरता फैलाना कोई आसान काम नहीं है हमारे जैसे बड़े देश में अस्थिरता पैदा करना कोई आसान काम नहीं है, अस्थिरता फैलाने की यह प्रक्रिया काफी समय से चल रही है तथा यह प्रक्रिया हमारे देश पर विदेशी दबाव से शुरू हुई।

शान्ति की खोज में अमरीका तथा अमरीकी साम्राज्यवाद, प्रतिनिधित्व करने तथा प्रति-नियुक्ति करने की खोज में हमारे दरवाजे पर आया तथा आधारों का एक सिलसिला चलाया। इस प्रकार से इस बाहरी शक्ति ने जिसने मानवता का वर्षों से दमन किया है, दमन कारी शक्तियों से मिलकर एक षड़यन्त्र बनाया तथा इसने सबसे पहले हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा तथा हमारे समस्त सुरक्षा पर्यावरण को अपने वश में किया।

पाकिस्तान तथा डियागो गार्शिया में बेड़े का होना, सेना को तेजी से तैनात करना किसे

आजकल केन्द्रीय कमान कहते हैं, इस क्षेत्र के लिए खतरनाक है। अमरीका का पाकिस्तान के साथ सहयोग मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं केवल वहां की घटनाओं का ही उल्लेख करूंगा पहले हमारे चारों ओर के सम्पूर्ण क्षेत्र में आधार स्थापित किए गए। अन्तिम श्री लंका है। श्री लंका में जो जन संहार हो रहा है उसकी उन्होंने निन्दा नहीं की है। इसके अलावा 'वायस आफ़ अमरीका' ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं तथा बहुत कम लोग जानते हैं कि 'वायस आफ़ अमरीका' हिन्द महासागर में उनके सेना बलों को धीरे से संकेत देने के लिए बना एक रक्षा सीढ़ि सम्बन्धी संगठन है। यह सिद्ध हो चुका है।

इसीलिए ये सब घटनाएं हमारे चारों ओर हो रही हैं तथा उसके साथ-साथ सी. आई ए. के माध्यम से आन्तरिक तोड़-फोड़ भी कराई जा रही है। मैं सी. आई. ए. की गतिविधियों का उल्लेख किए बिना नहीं रहूंगा। सी. आई. ए. वर्षों से हमारे संगठनों में विशेष रूप से प्रमुख संगठनों में, हमारे शिक्षा संस्थानों तथा हमारी राजनीतिक निकायों में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए, अमरीका दो तरह से प्रहार कर रहा है। भारत को आकृष्ट बनाना उनका प्रमुख लक्ष्य है तथा मेरे मित्र ने जो निक्सन की पुस्तक का हवाला दिया है उस का उल्लेख मैं अवश्य करूंगा, मैं इस पुस्तक में से पढ़ूंगा तथा इसमें से उद्धृत करूंगा जो अमरीका के लोगों के विचार, उनका दिमाग तथा उसके साथ हमारी सुरक्षा, हमारी स्वतन्त्रता तथा हमारी प्रभुसत्ता के बारे में स्पष्ट करेगा। निक्सन ने अपनी पुस्तक 'लीडर' में पण्डित नेहरू के साथ अपनी बात चीत का उल्लेख किया है वे कहते है मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं :—

> "यद्यपि उनके शब्दों में भारत पर सम्भावित पाकिस्तानी हमले पर चिन्ता व्यक्त की गई थी उनके इस विचार को 18 वर्ष बाद उस समय साकार किया गया जब उनकी सुपुत्री के नेतृत्व में रूसी सेना द्वारा पाकिस्तान को विभाजित करने तथा समाप्त करने की धमकी दी गई, इस लक्ष्य से मैं उन्हें वंचित करने में सहायक हो सकता था यदि मैं लड़ाई में अमरीकी नीति का झुकाव पाकिस्तान की ओर कर देता।"

उसके बाद भारत की एकता तथा समस्त भारत की अखण्डता के बारे में वे कहते हैं कि भारत में एकता बनाए रखना सम्भव नहीं है यह विविधता क्षति देश एक राष्ट्र नहीं बन सकता। इस बारे में निक्सन कहते थे जिसे यहां मैं उद्धृत करता हूं :—

संकट के उन आरम्भिक वर्षों में खींचा-तानी की ताकतों के विरुद्ध भारत को एक राष्ट्र के रूप में केवल कोई अति शक्तिशाली मनुष्य ही इकट्ठा रख सकता था। जैसा कि शाह की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि भारत में चीजों की प्राकृतिक व्यवस्था को देखते हुए समस्त भारत एक देश नहीं हो सकता जैसे समस्त यूरोप एक देश नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा की दृष्टि से, जाति-धर्म की दृष्टि से तथा संस्कृति की दृष्टि से भारत यूरोप से कहीं अधिक विविधता प्रधान हैं परन्तु क्या इस प्राप्ति से भारत के लोगों को फायदा हुआ है या नहीं एक अलग प्रश्न है। एकता कई बार एक रहने वाले लोगों की अपेक्षा एकता कराने वालों को अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि देश की प्राकृतिक अपकेन्द्रित ताकतों का सामना करने के लिए यदि कम शक्ति नष्ट की गई थी तो लोगों का जीवन स्तर उन्नत करने के लिए शायद और अधिक किया जा सकता था अन्य

राष्ट्रों की तरह भारत को नेहरू ने एक देश बनाए रखा तथा इसमें प्रजातन्त्रीय प्रणाली कायम रखी ।''

यह भारत के प्रति अमरीका के रवैय्ये को स्पष्ट करता है। इसके टुकड़े करने की लज्जा-पूर्ण बकालत भारत के विरुद्ध निक्सन जसे व्यक्ति द्वारा की गई है। इस बारे में मैं यह भी उल्लेख करूंगा कि ये उग्रवादी किस प्रकार स्थिति का फायदा उठा रहे हैं तथा हमारे देश के टुकड़े करने के लिए उनकी दुष्टयोजनाओं में अमरीका तथा अमरीका के मित्र कैसे उनकी सहायता कर रहे हैं। भारत में झगड़ा कराने के लिए उन्हें अति आधुनिक हथियार दिए जा रहे है तथा उन्हें उकसाया जा रहा है हाल ही में पाकिस्तानी जनरल ने जो कहा है वह निक्सन के वक्तव्य की पुष्टि करता है। यह आदमी राष्ट्रपति जिया के चुने हुए वर्ग का है। इस वर्ग को 'थिंक टैंक आफ पाकिस्तान' कहते हैं। ये जनरल, श्री अकरम खाँ कहते हैं

> ''भारत एक देश नहीं है यह कभी भी संगठित नहीं रहा जो कि एक राष्ट्र की निशानी है क्षमता की दृष्टि से जो लोग अलग कहे जा सकते हैं वे सिक्ख हैं द्रविड़ हैं तथा उत्तरपूर्व के लोग हैं जिनमें नागा मिजो त्रिपुरा तथा आसाम के लोग शामिल हैं। यदि एक उपमहाद्वीप में दो देश हो सकते हैं तो तीन क्यों नहीं हो सकते, चार क्यों नहीं हो सकते, पाँच या छः क्यों नहीं हो सकते ?''

फिर वे अमरीका के इशारे पर भारत को विभाजित करने की सम्भावना पर कहते हैं :

> ''समय हमारे हक में है क्योंकि आठवे दशक में भारत में जो समस्यायें चल रही हैं उनका समाधान करना कठिन होता जा रहा है तथा ताकतवर होने की बजाय भारत और कमजोर होता जा रहा है।''

यह स्पष्ट रूप रेखा है, जो आप देखते हैं। इस बारे में मैं सदन से आग्रह करूंगा तथा इस सदन के माध्यम से समस्त देश से अनुरोध करूंगा कि इस चुनौति पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाएं, क्योंकि यह एक चुनौति है, यह देश की स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता तथा अखण्डता पर एक अभूतपूर्व प्रहार है। हमने व्यतीत की महान साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध बड़ी-बड़ी कुर्बानियां की हैं। अब इस अवस्था में, जब हमें स्वतन्त्र हुए 37 वर्ष हो चुके हैं तथा हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुके हैं, जिसका औद्योगिक आधार मजबूत है तथा जिसका सारे विश्व में सम्मान है, यदि साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा हमें चुनौती दी जाती है तो हमारी प्रभुसत्ता को दी गई इस चुनौती का मुकाबला हमें एक जुट होकर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसी किसी भी धृष्टता का सामना करने के लिए एक हैं।

प्रो. के. के. तिवारी : इस बारे में मैं कनाडा, अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में उग्रवादियों की गति विधियों का भी उल्लेख करूंगा। हाल ही में श्रीमती थैच्यर यहां दिल्ली में थीं। भारत की एकता तथा ब्रिटेन से कार्य कर रहे उग्रवादी सिखों की गतिविधियों पर अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने बहुत सुहावनी आवाज में कुछ कहा। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं केवल एक घटना, भय का भय, का उल्लेख करूंगा। श्रीमती इन्दिरा जी की हत्या से पहले भी

जगजीत सिंह चौहान जो एक उग्रवादी कपटी तथा पृथ्यकता वादी नेता हैं तथा ब्रिटिश तथा अमरीकी शक्तियों की शह से कार्य कर रहे हैं, बी. बी. सी. पर उन्होंने श्रीमती की हत्या के लिए इनाम की घोषणा की। उसके बाद, जब श्रीमती गांधी की हत्या कर दी गई और जब दुःखत त्रासदी सारे देश में छाई हुई थी, फिर दोबारा उसी व्यक्ति को बी. बी. सी. पर जाने की अनुमति दे दी गई तथा अपने हत्या दल की सफलता पर भाषण करने दिया। मैं इस सदन से तथा भारत की सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वे कहते हैं कि उनके कानून इन उग्रवादियों के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की अनुमति नहीं देते। यदि ब्रिटेन में वेस्टमिन्स्टर का कानून चलन में है जिससे वे उग्रवादियों की गतिविधियों को नहीं रोक पा रहे तो क्या बी. बी. सी. या ब्रिटेन की सरकार आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री या किसी अन्य पश्चिमी मित्र देश के प्रधान मन्त्री के बारे में ऐसी ही घोषणा करने की अनुमति देगा ? क्या यह संभव है ? संभव नहीं है। इसलिए ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों में भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा।

महोदय, आप जानते हैं कि कनाडा में क्या हो रहा है। कनाडा सरकार प्रत्यक्ष सहायता कर रही है। वहां की सरकार विभिन्न सिख संगठनों को लाखों रुपये की धनराशि मंजूर कर रही है। वहां सिख अल्पसंख्यक वर्ग में हैं। यह पैसा उन्हें इस आधार पर दिया जा रहा है कि इससे उनकी संस्कृति मजबूत होगी तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों में विस्तार होगा। यह सब वहां हो रहा है। अतः इस संबंध में हमें बहुत सतर्क रहना होगा तथा चाहे कैसा भी दबाव हम पर पड़े हमें सहना होगा। क्योंकि अपनी स्वतंत्रता के लिए हम जितना बलिदान कर सकते थे, हमने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के रूप में किया है। हमें अपनी स्वर्गीय नेता के प्रति नतमस्तक होना चाहिए जिन्होंने इनका मुकाबला किया। विदेशों तथा भारत में जहां भी वे भाषण देती थीं हमें वे निरन्तर इसके प्रति सचेत कराती रहती थीं। चाहे पंजाब हो असम हो अथवा पूर्वोत्तर राज्य वे ही ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने देश को विखंडित करने वाली इन साम्राज्यवादी ताकतों के विनाशकारी प्रभावों को पहचाना। इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सभी मित्रों ने, एक मत से इसकी निंदा की है। जब जब देश की एकता को खतरा हुआ है भारत की जनता ने, चाहे वह किसी भी दल से संबन्ध रखती हो दृढ़ता से एक जुट होकर चुनौतियों का सामना किया है।

अमरीका की हाल की घटना के बारे में पंजाब में मानव अधिकारों की तथाकथित स्थिति को सुनवाई के बारे में स्थिति बढ़ा चढ़ा कर झूठा बखान किया गया है। एक विवरण के अनुसार पंजाब में 20-22 अथवा 23 साल का कोई भी कुवारा व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। भारतीय सेना ने सबको मौत का घाट उतार दिया है। अमरीका हमारी सरकार को गिराना चाहता है, हमारे देश में अस्थिरता लाना चाहता है, दुर्भाग्य से पंजाब में इन दलों ने उग्रवादी कार्रवाईयां शुरू कर दी हैं। ऐसा लगता है जैसे भाग्य भी अराजकता की इस स्थिति को पैदा करने में सहायता दे रहा है। इस संदर्भ में मुझे यह कहते हुए खेद है कि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी अगर वे चाहे तो उन्हें हम बहुत से कुंवारे व्यक्ति पेश कर सकते हैं। जितने वे चाहें उतने।

श्री. के.के. तिवारी (बक्सर) : शादी शुदा लोग भी अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने को तैयार होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल कुवारों की बात कर रहा हूं ।

प्रो. के.के. तिवारी: इस संदर्भ में श्रीमती इन्दिरा गांधी को खत्म करने, देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने में साम्राज्यवादी अमरीका की भूमिका कितनी पैचाशिक, नृशस और नीचतापूर्ण रही है । मैं पूरी जिम्मेवारी से कहूंगा कि श्रीमती गांधी की हत्या की योजना अमरीका में बनाई गई थी तथा भाड़े के टटटुओं द्वारा उसे कार्य रूप दिया गया ।

मैं अमरीका में तैयार किए गये एक और दस्तावेज का उल्लेख करूंगा । मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारे जन संपर्क साधनों ने हमारी जनता को अमरीकी अधिकारियों द्वारा किए गए इस भयकर अपराध के बारे में अंधकार में रखा ।

1983 में जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश में अस्थिरता लाने में विदेशी शक्तियों का हाथ होने का उल्लेख कर रही थी उस समय अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक अध्ययन शुरू किया । एक प्रोफेसर, रोबर्ट हार्डग्रेव ने एक लम्बी रिपोर्ट तैयार की (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर हाईग्रेव ।

प्रो. के. के. तिवारी : जी हां, महोदय, प्रो. हार्डग्रेव ।

अध्यक्ष महोदय : मैं 'ग्रेव' शब्द पर जोर दे रहा हूं ।

प्रो. के. के. तिवारी : हार्डग्रेव की रिपोर्ट पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है । यह पुस्तक संभवत भारत के सिवाय सारे संसार में उपलब्ध है । रिपोर्ट में क्या कहा गया है क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि एक देश एक ओर भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात करता है और दूसरी ओर भारत के नेता की अचानक हुई मृत्यु के संभावी प्रभावों की जांच कराता है । अंतर्राष्ट्रीय राजनय के क्षेत्र में शाबाशी पाने के लिए हमें वास्तविक स्थिति से आंख नहीं मोडनी चाहिए । यह पुस्तक क्या कहती है ? अमरीका सरकार ने श्रीमती गांधी की अचानक हत्या पर जांच क्यों शुरू की उनकी अचानक मृत्यु स्वाभाविक मौत से हृदय गति रूकने या बीमारी से नहीं हुई थी । अमरीका उसे अचानक मृत्यु की संज्ञा देता है । इस अचानक मृत्यु का भारत तथा दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? महाशक्ति के रूप में उनकी नीति इस क्षेत्र में अपना महत्व बनाए रखने तथा इसे पराधीन बनाए रखने की है । उनकी दिलचस्पी का यही कारण है पहले में इस कागज की दो तीन पक्तियां पढ़ूंगा । इसमें कहा गया है ।

> "अगर श्रीमती गांधी की अगले संसदीय चुनावों से पूर्व अचानक (मैं इस अचानक शब्द पर जोर दूंगा) मृत्यु हो जाती है तो राजीव गांधी में उनकी दिलचस्पी के सत्ता में आने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी ।"

अमरीकी सरकार को जांच शुरू करने तथा उसके बाद अचानक मृत्यु के बारे में विचार करने के लिए किसने प्रेरित किया ।

अमरीकी कांग्रेस की मानवाधिकार समिति द्वारा पंजाब में तथाकथित मानव अधिकारों के विषय में अमरीकी कांग्रेस की अनेक्सी में दी गई जानकारी से भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के बारे में चर्चा

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) क्योंकि वे पहले ही योजना बना रहे थे।

प्रो. के. के. तिवारी : इससे प्रमाणित होता है कि श्रीमती गांधी को हटा देने से भारत में अराजकता फैल जाएगी और योजनानुसार-जैसा कि मेरे मित्र ने श्रीमती कारपेट्रिक योजना या श्री निक्सन की भारत को विखंडित करने की कल्पना का उल्लेख किया है—उनका स्वप्न साकार हो जायेगा। परमाणु अस्त्रों से लैस पाकिस्तान के साथ, समस्त दक्षिण एशिया पर अमरीकी साम्राज्यवाद का डंका बज जायेगा। योजना यही थी।

"इसके अलावा उन्होंने मजबूत, संगठित तथा सभी तरह के राजनैतिक प्रभावों से दूर भारतीय सेना की भी चर्चा की है। भारतीय सेना के बारे में जो उन्होंने कहा उसी से पता चलता है कि उनका आशय कितना धूर्ततापूर्ण था। उन्होंने समझौते की कल्पना की थी। वे कहते हैं : स्थिति यह है कि भारत कुछ समय के लिए तो अपना अस्तित्व बनाए रख सकेगा जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली अपना अस्तित्व बनाए रख सका था लेकिन यदि प्रशासन आदेशों को कम समझे जिसके कारण सामाजिक अशांति तथा क्षेत्र की स्थिरता को खतरा पैदा हो तो सेना को बुलाया जाएगा तथा राजनीतिज्ञों को हटा दिया जायेगा।

जिस देश ने अपनी संस्कृति, अपनी एकता को हजारों वर्षों से बनाए रखा है उसके भविष्य तथा भाग्य के बारे में यह अंतिम निर्णय लिया गया है। हजारों वर्षों से हमारा एक देश है। भारत एक आदर्श है भारत एक दर्शन है भारत भौगोलिक एकता का प्रतीक है। इस बारे में विवाद नहीं किया जा सकता अमरीका जिसकी संस्कृति तथा इतिहास कुछ सैकड़ों ही वर्ष पुराना है जो तृतीय विश्व में हत्याएं तथा लूट माट करवाता रहा है उसने उस भारत के लिए ऐसी कल्पना की जो शाश्वत है। चाहे अमरीका हो या ब्रिटेन अथवा उग्रवादी हम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।

इस संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा प्रश्न यह है कि उन्होंने श्रीमती गांधी की अचानक मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। बड़े खेद की बात है कि इस सदन के माध्यम से मैंने तथा मेरे मित्रों ने आवाज उठायी और आपसे अनुरोध भी किया था और आपने स्थिति की गंभीरता को भांप कर अपने मत भी व्यक्त किए थे। हमने कहा था कि यह धमकी काल्पनिक नहीं है सत्य है। अधिकारियों को सारे सदन ने चेतावनी दी थी लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं किया गया। संसद ने ही नहीं बल्कि अन्य जरियों से भी उनके जीवन को खतरे में होने की सूचना मिली थी। मुझे बताया गया है कि एक सूचना यह थी कि सुरक्षा गार्डों से खतरा है। लेकिन कुछ नहीं किया गया हमारे बीच से एक महान विभूति उठ गई। इस देश की एकता की रक्षा करने का दायित्व अब हमारे कंधों पर है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि रीगन···की रंगभेद तथा दमनकारी शासन का मुकाबला करने तथा नीग्रो और रेड इण्डियनों के मानव अधिकारों का समर्थन करने के लिए दिल्ली में एक कार्यालय क्यों नहीं खोल देती ?

हम अपने यहां आमरिश रिपब्लिक आर्मी का कार्यालय खोलने की अनुमति क्यों नहीं देते जबकि ब्रिटिश कानून हमारे देश के खिलाफ जिसके नेता की हत्या कर दी गई है, बिना रोकटोक के उग्रवादियों की कारंवाईयों के लिए अनुमति देता है। ब्रिटेन की सरकार ने उग्रवादियों

को हिंसा का पाठ पढ़ाने और हत्या की सफलता की खुशी मानने की मंजूरी दी थी। यह हत्या बहुत नीचतापूर्ण कृत्य है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ?

बड़ी खुशी की बात है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में होने वाली है। तृतीय विश्व के देशों की स्थिरता को होने वाले खतरे का उल्लेख करने का यह बहुत ही उपयुक्त समय है नामीबिया इस समय किया समस्या का सामना कर रहा है ? अपने लोगों की हत्याएं तथा अपने संसाधनों को लूट का हमने भी इस समस्या को झेला है। हम नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि इसके पीछे कौन लोग है। यह सदन संकल्प क्यों नहीं करता कि हम प्यूरेटो रीका जो कि एक उपनिवेश है की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। अमरीकी सरकार ने प्यूरेटो रीको को उपनिवेश बनाया हुआ है। जैसे हम नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं उसी तरह हमें प्यूरेटों रीको की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ना चाहिए। हमें यह निर्णय लेना चाहिए। हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें सच को सच कहने से इंकार नहीं करना चाहिए। राजनयिक भाषा की बारीकियों राजनयिक व्यवहार की अच्छाइयों का कोई महत्व नहीं रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से पहले तथा बाद में अमरीकी तथा ब्रिटिश शासन के रवैया को देखते हुए कम से कम मैं, अथवा मुझे विश्वास है कि समाप्त सदन समस्त भारत श्रीमती इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या करने वालों की कभी माफ नहीं करेगा और उन्हें कभी नहीं भूलेगा।

इस पृष्ठभूमि में, मैं माननीय मंत्री से कुछ प्रश्न भी पूछना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि वे इन घटनाओं को ध्यान में रखेंगे। बहुत खतरनाक घटनाएं घट रही हैं। हम अस्थितरता के मुहाने पर खड़े हैं। तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और देश तथा पड़ौसी देशों की स्थिति को देखते हुए मैं अपनी समझ तथा विश्लेशण के आधार पर मेरा विश्वास है कि इस समय हम जिस खतरे का सामना कर रहे हैं वह श्रीमती गांधी के शासन काल के दौरान सामना किए जा रहे खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा है। अतः भारतीय जनता की एकता सरकार तथा सदन की दृढ़ता एकजुट रहने तथा चुनौती का सामना करने में है। चाहे हम इस समूह के हो या उसके इस दल के हो या उस दल के हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। स्वतंत्रता की रक्षा का समय आ गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमने लड़ाई लड़ी। अब हमें उसकी रक्षा के लिए उसको बचाने के लिए लड़ना है। अतः मुझे विश्वास है कि देश और महोदय, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि हार्डग्रेव द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रत्येक संसद सदस्य को दी जाए। भारत सरकार को यह रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी जनता को शिक्षा मिलेगी। देश के हर गांव में यह रिपोर्ट पहुंचाई जानी चाहिए ताकि लोग जान सके कि अमरीका ने साम्राज्यवादी ताकतों ने क्या किया है। अब समय आ गया है। हमें निर्णय लेना चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीराजीव गांधी को सुरक्षा के बारे में प्रेस की हड़बड़ाने वाली रिपोर्टों का भी उल्लेख करूंगा। रिपोर्टों के अनुसार ब्रिटेन अमरीका कनाडा तथा जर्मनी की छत्रछाया में उग्रवादी एकजुट हो रहे हैं। एक विश्वसनीय रिपोर्ट के अनुसार अब इस काम में सिख उग्रवादी शामिल नहीं होंगे बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद दलों के किराये के हत्यारों को किराए पर लिया जा चुका है तथा प्रधानमंत्री की फ्रांस अमरीका तथा अन्य देशों की यात्राओं के दौरान उनकी हत्या का प्रयास किया जायेगा।

अतः महोदय, प्रधान मंत्री की सुरक्षा को बहुत महत्व देना है। हमें कोई मौका नहीं देना चाहिए। पहले ही हम भारी कीमत चुका चुके हैं। अब हम देश में अस्थिरता पैदा करने में जुटी ताकतों तथा अमरीका ब्रिटेन और जर्मनी को संतुष्ट करने के लिए दोबारा कीमत नहीं चुका सकते इस पृष्ठ भूमि में, इस परिप्रेक्ष्य में मेरे विचार से यह चर्चा भारत की सुरक्षा समस्या पर प्रकाश डालने में सफल रही है।

महोदय अब सुरक्षा समस्या की ओर केन्द्रित ध्यान किया जाना चाहिए और मैं आपको बता दूं कि छोटी समस्यायें भी जैसे आरक्षण विरोधी समस्या ऐसे आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा शुरू कराए हुए हैं। ये आर्थिक मामले हैं। अतः देश की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश को विखंडित करने के, उसके बंटवारे के प्रयास किए जा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री के समक्ष कुछ प्रश्न रख रहा हूं। मेरे पास एक पत्र है। यह भी परेशानी पैदा करने वाला है। एक संगठन है जिसका नाम उत्तरी अमरीका सिख परिषद। उन्होंने न्यूयार्क टाइम्स के समक्ष यह अपील की है। इस अपील को मैं केवल दो पंक्तियां पढूंगा। इस अपील में क्या कहा गया है।

> "5 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर में हुए बर्बर, अनैतिक अभूतपूर्व अविस्मरणीय, अक्षम्य में नरसंहार हुआ। जिसमें उनके पवित्र स्थल को अपवित्र किया गया और श्रीमती इन्दिरा गांधी की फास्सिट सरकार ने निर्दोष आदमियों, औरतों तथा बच्चों को मौत के घाट उतारा है। सिख, समस्त विश्व के न्यायप्रिय व्यक्तियों से, सरकार द्वारा आतंकित करने की कारंवाई को रोकने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी से अपील करके, सिख को मौलिक अधिकारों की बहाली अपना भाग्य स्वयं निर्मित करने के लिए सहानुभूति तथा समर्थन की अपील करता है।"

यह महत्वपूर्ण है। मैं इन शब्दों "गरिमा और सम्मान सहित उनका अपना भाग्य" पर जोर दे रहा हूं। मेरे विचार में ऐसी अपीलें विदेशी समाचार पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित हो रही हैं। इस अपील ने मानव अधिकार समिति अथवा मानव अधिकार प्रसम्मिलन अथवा मानव अधिकार ग्रुप का ध्यान आकर्षित किया है। वे इन बातों से खिलवाड़ करते रहे हैं। वे लोगों को संगठित होने और ऐसी बातें करने के लिए भड़काते और उत्तेजित करते रहे हैं। महोदय, हमें एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से जिसका नाम भारत भली भांति जानता है, चिन्ता बनी हुई है। दीदार सिंह बेन्स नाम का यह व्यक्ति इस संगठन के तथाकथित उस निदेशक मण्डल का अध्यक्ष है। जिसने 'सिखों द्वारा स्वयं अपने भाग्य का निर्णय" और "श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाले तानाशाही शासन" द्वारा हस्तक्षेप न करने की अपील जारी की है। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या दीदार सिंह बेन्स नाम का यह व्यक्ति यहां आकर राष्ट्रपति भवन में ठहरा जिसमें विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के ठहरने के लिए एक अतिथिगृह है। उसे वहां ठहरने की अनुमति किसने दी ? वह 1983 में यहां आया और ठहरा। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति योगी था जो पहले सीमाशुल्क निरीक्षक था परन्तु बाद में अचानक उसका अमरीका में उदय हुआ और उसने स्वयं को गुरु और योगी घोषित कर दिया और उसने अमरीकी लोगों को

सिख धर्म में परिवर्तित करना आरम्भ कर दिया। इस योगी का नाम भजन सिंह योगी है। दोनों दीदार सिंह बैंस और भजन सिंह योगी राष्ट्रपति भवन में ठहरे। वे अमरीका में मुसीबतें पैदा कर रहे थे। उनके सम्बन्ध अत्यन्त सन्देहास्पद हैं। उनका संबंध जगजीत सिंह चौहान, गंगा सिंह ढिल्लों और राल्फ सिंह से है जिसने तथाकथित मानव अधिकार समिति के समक्ष भारत के विरुद्ध बयान दिया था और भारतीय एकता पर चोट की थी।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे वहां कैसे ठहरे ? मैं इस देश के पदों और संस्थाओं की सराहना करता हूँ। उन पर किसी प्रकार के सन्देह की छाया नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये संस्थायें ही देश को एकता के सूत्र में बांधे रखती हैं। व्यक्ति आते हैं और चले जाते है। परन्तु संस्थायें कायम रहती हैं उन्हें शक्तिशाली और स्पंदित रहनी चाहिए। यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि एक व्यक्ति, जिसका इस समाचार में राष्ट्रपति भवन में जन सम्पर्क व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया गया है, अमृतसर में किसी स्थान पर गया और उसने स्वर्ण मन्दिर में सैनिक कार्यवाही से संबंधित गुप्त प्रलेखों को प्रकट किया। यह समाचार प्रकाशित हुआ है और मैं इस संबंध में जानना चाहता हूं। यह व्यक्ति कौन है ? उसे ऐसा करने का अधिकार किसने दिया ? इस देश के उच्चतम पद को विवाद में घसीटा जा रहा है। अतः मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी बातों की अनुमति कैसे दी जा रही है। वे व्यक्ति जो इस देश से प्रेम नहीं करते वही ऐसा कर रहे हैं।

मैं आप से एक अपील करने के बाद समाप्त करता हूं। मैं अपील करता हूं कि अमरीकी एजेन्सी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 'हार्डग्रेव रिपोर्ट' संसद सदस्यों में परिचालित की जाए। इस रिपोर्ट का हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाए। यह रिपोर्ट देश के प्रत्येक गांव में पहुंचनी चाहिए ताकि लोग स्वयं जान सकें और महसूस कर सकें कि राष्ट्र के समक्ष क्या खतरा है और देश को अस्थिरता प्रदान करने वाली और तबाह करने वाली शक्तियों के साथ मुकाबला करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें।

महोदय, मैं आप से विशेषरूप से अनुरोध करता हूं, क्योंकि आप सभा के संरक्षक हैं, कि आप सरकार से इन बातों के बारे में पूछें। ऐसे समाचार बहुत अधिक मिल रहे हैं कि कुछ बेईमान तत्व इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और देश के महत्वपूर्ण पदों और व्यक्तियों की महत्ता कम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छे व्यक्ति भी हर जगह मिल जाते हैं। मेरे विचार में हमें उन लोगों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो अच्छे काम के लिए अमरीका में संघर्ष कर रहे हैं। ये शैतान ही अपनी रक्षा हेतु धर्म ग्रन्थों को उद्धृत कर रहे हैं। मेरे विचार में आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं।

पो. के. के. तिवारी : मैं कुछ अनुरोध कर के अपना भाषण समाप्त करता हूं। सर्वप्रथम, हार्डग्रेव रिपोर्ट परिचालित की जाए। दूसरा हमें नामीबिया की मुक्ति हेतु और दक्षिणी अफ्रीका में जातिवादी नीतियों और रंगभेद नीति के विरुद्ध चलाए जा रहे आन्दोलनों की भांति एक राष्ट्रीय आन्दोलन चलाना चाहिए। हमें पुरटो रिको की मुक्ति तथा रेड इण्डियन, नीग्रो और

अन्य जातिय ग्रुपों के, जो अमरीका में अल्पसंख्या में हैं, मानव अधिकारों की रक्षा हेतु आन्दोलन आरम्भ करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री ई. अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता केवल भारत के स्वतन्त्रता सेनानी नहीं थे वे मूलतः मानव अधिकारों के समर्थक थे। महात्मा गांधी के प्रेरक नेतृत्व में भारत का स्वतन्त्रता संग्राम वास्तव में मानव अधिकारों के लिए एक सबक है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूलभूत अधिकार विश्व के किसी भी देश के संविधान में सम्मिलित सर्वोत्तम सिद्धान्तों में से हैं।

हमें मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय की शरण में जाने का हक है। भारत का उच्चतम न्यायालय विभिन्न निर्णयों में मानव अधिकारों के सर्वोत्तम समर्थक के रूप में उभर कर सामने आया है। यह बात किसी भी सभ्य व्यक्ति या मानव अधिकारों में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को नहीं भूलनी चाहिए।

दुर्भाग्यवश, मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच के नाम पर कांग्रेस वालों ने हमारे सर्वप्रभुता सम्पन्न देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी एकता की रक्षा करने और फूट तथा विघटन को रोकने का अधिकार है। अमरीका के अपने इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि अमरीका की एकता बनाए रखने के लिए सिविल युद्ध हुआ था। यदि इन भद्र पुरुषों के अनुसार पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयास करना मानव अधिकारों का दमन है तो अब्राहम लिंकन भी संभवतः मानव अधिकारों के दमन का दोषी होगा क्योंकि उसने अमरीका की फूट और विघटन के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया था।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने कहा है कि अच्छे लोग भी होते हैं।

श्री ई. अय्यापु रेड्डी : मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिससे अमरीका और भारत के बीच संबंध टूटें और भारत और अमरीका सरकारों के बीच संबंधों पर दबाव पड़े।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ये लोग सिख समुदाय के मूलभूत अधिकारों के तथाकथित उल्लंघन की जांच करने के नाम पर इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। वे इस तथ्य को भूल गए हैं कि एक सिख भारत का राष्ट्रपति है। वे यह भी भूल गए हैं कि स्वयं अमरीकियों में बहुत सी कमियां हैं। मैं उन सबका यहां उल्लेख नहीं करूंगा परन्तु यही कहना काफी होगा कि आज तक एक भी नीग्रो अमरीका का उपराष्ट्रपति नहीं बना और न ही किसी पद के लिए आज तक उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी अपनी त्रुटियां हैं परन्तु मैं इन सबका यहां उल्लेख नहीं करूंगा। परन्तु हम जानते हैं कि कांग्रेस जो विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा से जुड़ी हुई है समान दृष्टिकोण नहीं अपनाती। यह सुविदित है कि जब पाकिस्तान के सैनिक शासन और सैनिक तानाशाही ने वर्तमान बंगला देश में मानव अधिकारों का दमन आरम्भ किया। जब

ढाका विश्वविद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थियों को गोली मार दी गई और कत्ल कर दिया गया, जब दस लाख लोग भारत में शरण लेने आए और जब हमारी प्रधान मंत्री शन्ति मिशन पर अमरीका गई तब कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने यह नहीं सोचा कि यह मानव अधिकार का स्पष्ट मामला है। हमारे मित्रों ने विश्व के अन्य भागों में मानव अधिकारों के दमन का उल्लेख किया है। मेरे लिए उन सब को दोहराना आवश्यक नहीं है परन्तु कांग्रेस वालों ने जो कुछ किया है वह वास्तव में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं किया है। दूसरी ओर उन्होंने एक लोकतन्त्र की प्रभुता में हस्तक्षेप द्वारा स्वयं को नीचे गिराया है।

अतः मैं अपने मित्रों द्वारा व्यक्त की गई इस भावना का समर्थन करता हूं कि यह हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है और हम इसकी निन्दा करते हैं।

धन्यवाद।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि पंजाब के प्रश्न पर अमरीकी कांग्रेस द्वारा की गई सुनवाई से और भारत या अन्य किसी देश या विश्व के विभिन्न भागों के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करने की उसकी नीति से मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ हूं क्यों कि अमरीका का सैनिक उद्योग स्वयं को विश्व का सशस्त्र पुलिसमैन समझता

7.00 म. प.

है। अमरीकी कांग्रेस ने भारत के साथ कोई पहली बार बेतुका व्यवहार नहीं किया है। मुझे याद है कि आपातकाल के दिनों में इसने डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी, श्री राम जेठमलानी और कई अन्य व्यक्तियों को इसी मानव अधिकार के प्रश्न पर सुना था। और मैं उस समय संयोगवश वहीं अमरीका में, संयुक्त राष्ट्र संघ में था और मुझे वहां कांग्रेस की उपसमिति के सदस्यों के साथ अनौपचारिक रूप से बात करने का अवसर मिला। वे किसी देश की प्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली इस प्रकार की बेतुकी जांच करने के अधिकार पर अड़े हुए थे। इसका कारण यह है कि उनका दृष्टिकोण मूलतः हमसे भिन्न है। अमरीका में मानव अधिकार का प्रश्न ही सबसे बड़ी राजनीति है और अमरीकी सैनिक-उद्योग के सामरिक हितों को छिपाने का एक सुविधापूर्ण नकाब है। जी हां भारत में—पंजाब में या अन्य किसी स्थान पर मानव अधिकार का सवाल है परन्तु एल. साल्वाडोर में नहीं, निकारागुआ में नहीं, कम्पूचिया में नहीं वहां वे पोल पोट शासन के अवशेषों को पुनः जोड़ने में लगे हैं। वहां अमरीका का मुख्य हित निहित है, उसका सामरिक हित है और विश्व हित है। अतः यदि मैं यह कहूं कि आप इतने विचलित और चिंतित क्यों हैं, हमने अचानक पुनरुज्जीवित क्यों कर दिया है तो आप मुझे गलत नहीं समझेंगे क्योंकि क्या हम नहीं जानते थे कि ऐसा होगा और भविष्य में भी होता रहेगा ?

इस सुनवाई के संदर्भ में मैं जिस बात से चिन्तित हूं वह हमारी अपनी विदेश नीति है। जनवरी से जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है हम बहुत सी मीठी-मीठी बातें सुन रहे हैं। सर्व प्रथम, वह मीठी बात हमने डा. हेनरी किसिंजर की यात्रा अथवा जनरल जिया से पुरस्कार लेने हेतु इस्लामाबाद जाते 19 जनवरी को जब वे यहां रुके तब सुनी थी। और आप जानते हैं किस लिए। उनका यहां भव्य स्वागत किया गया और विदेश मंत्रालय के व्यस्तम अधिकारियों ने

अमरीकी कांग्रेस की मानवाधिकार समिति द्वारा पंजाब में तथाकथित मानव अधिकारों के विषय में अमरीकी कांग्रेस की अनेक्सी में दी गई जानकारी से भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के बारे में चर्चा

उनका ध्यान रखा। इस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया था, इसने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का अपमान किया था। श्रीमती इन्दिरा गांधी का अपमान करके इसने इस महान देश का अपमान किया था और श्रीमती गांधी ने उस समय के बाद से इस व्यक्ति से मिलने से इन्कार कर दिया। उसे बताया गया था कि उसका यहां कोई स्वागत नहीं है। वह यहां कुछ वर्ष पहले कहीं जाते हुए रास्ते में रुका था वह जब "चेस मेनहटन बैंक मिशन' पर आया था तो उसे बताया गया था कि उसका यहां स्वागत नहीं होगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी उससे नहीं मिली। अब श्रीमती इन्दिरा गांधी नहीं रही तो हम उस अपमान और चोट को भूल गए हैं जो उसने न केवल श्रीमती गांधी पर नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान पर की थी वह प्रसन्न था कि उसका बहुत स्वागत किया गया। उसने बदली हुई परिस्थितियों में सुधार का पक्का वायदा किया।

इसके बाद 'वाल स्ट्रीट जर्नल' में एक सम्पादकीय प्रकाशित हुआ जिसमें हमारे प्रधान मंत्री को 'राजीव-रीगन' कहा गया था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने उसे सराहना के रूप में लिया या नहीं। और न्यूयार्क के मेयर का भाषण प्रकाशित हुआ जिसमें हमारे प्रधान मंत्री की प्रशंसा की गई थी और भारत-अमरीकी संबंधों में सुधार का वायदा किया गया था। इसके बाद कुछ सप्ताह पहले हमने भारत-अमरीकी प्रौद्योगिक पर एक बहुत बड़ा सौदा किया है और अमरीकी विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सेनेटर लूगर ने भी यह घोषणा की हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है। प्रधान मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को हथियारों की सहायता एक अड़चन है। व्यस्तम व्यक्ति सक्रिय रहे। श्री लक्ष्मीकांत झा की भारत-अमरीजी संबंधों में सुधार नजर आने लगा। और गिरिलाल जैन से विद्वान को संभावित 'ऊषा काल' से सुख का आभास हो रहा है। विनिमय हुतु 1100 लाख डालर का फंड रखा गया है।

मैं अब एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या इस घटना के बाद आपने कोई सबक सीखा है? अमरीकी वाणिज्य सचिव श्री मेकम बालड्रिज शीघ्र ही यहां आने वाले हैं। मैं नहीं जानता क्यों आ रहे हैं। क्या आप उन्हें कृपया बतायेंगे कि बदली हुई परिस्थितियों में उनका कम से कम इस समय स्वागत नहीं है? श्री जी. पार्थसारथी का विदेश नीति व्यवस्था में क्या स्थान है. मैं नहीं जानता। वह अमरीका की यात्रा पर जा रहे हैं। संबंध सुधारने का वह एक और छोटा-सा प्रयास है ..... (व्यवधान) यही मैंने बात समाचार पत्रों में पढ़ा है। मैं उनसे लम्बे अरसे से नहीं मिला हूं। प्रधान मंत्री भी जून में जा रहे हैं। महोदय, लोग यह पूछ सकते हैं कि हम नैतिक दृष्टि से क्यों अपमानित महसूस कर रहे हैं? जब उन्होंने अमरीकी कांग्रेस में पंजाब के सम्बन्ध में कुछ कहा तो हमें इस छोटी सी बात पर इतनी चिन्ता क्यों हो रही है। अथवा क्या हम इसके पीछे निहित रवैये का विरोध कर रहे हैं? यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है? क्या आप यह नहीं जानते अथवा क्या हम न जानने का बहाना कर रहे हैं और हम नहीं जानते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है? मूल रूप से हितों के संबंध में वह भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधारा और समझ की बात है। संयुक्त राज्य अमरीका का यह विचार है कि इसके कतिपय हित और अधिकार हैं किन्तु मेरे विचार से यह हमारे हितों के बिल्कुल विपरीत बात है और इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हो सकती है। हम उनके साथ राजनयिक संबंध, अच्छे

सबंध बना सकते हैं किन्तु इससे अधिक नहीं, क्योंकि उनकी विचारधारा विभिन्न है और व्यक्तियों के बदल जाने से उसमें परिवर्तन नहीं आया है। अथवा यह बात मात्र पाकिस्तान को हथियार देने की नहीं है। जब तक हम इस मूल तथ्य को नहीं समझेंगे हम छोटी छोटी बातों पर स्वयं को अपमानित महसूस करते रहेंगे और विभिन्न प्रकार की बातचीत आरम्भ करने के लिए पुनः वहां जाते रहेंगे।

मैं पंजाब के मामले पर कुछ कहना चाहता हूँ। यह पहली बार नहीं हुआ कि जब अमरीकी प्रशासन पंजाब के मामले में रूचि ले रहा हो। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से लेकर उन्हें दोनों देशों के पंजाब भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में अत्यधिक दिलचस्पी रही है क्योंकि साम्राज्यवाद के समर्थक सर ओलफ कारयो, जो नार्थ-वेस्ट फ्रन्टियर प्रोविन्स के गवर्नर थे, ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था कि जिनका पंजाब पर नियन्त्रण होगा, वे समूचे दक्षिण एशिया और फारसकी खाड़ी के देशों पर नियन्त्रण रख सकेंगे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है 'वेल्स आफ पावर' के नाम से प्रसिद्ध इस कृति का विश्व की राजनीतिक विचारधारा में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 'वेल्स आफ पावर (शक्ति केन्द्र) सिद्धान्त का अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है और पाकिस्तान तथा भारत के सन्दर्भ में वे इस सिद्धान्त से ही प्रेरित हुए हैं और वे इसे सामरिक हितों का नाम देते है। पंजाब में हाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद यह तर्क दिया जाता है कि यदि भारत का अभिन्न अंग, पंजाब स्वतन्त्र हो जाता है तो हमें अपनी आंखें बन्द नहीं कर लेनी चाहिए। अतः इस प्रकार की खतरनाक विचारधारा के कारण हमारी प्रभुसत्ता ही खतरे में पड़ गई है और इस विचारधारा की भर्त्सना की जानी चाहिये क्योंकि नव स्वतन्त्र देशों अथवा तीन दशक पहले स्वतन्त्र हुए भारत जैसे देशों के विरुद्ध यह नव उपनिवेशवाद के षड़यन्त्र का एक अंग है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह समस्या तो निरन्तर बनी रहेगी और हमें इस घटना विशेष के कारण विचलित नहीं होना चाहिये। जब तक हम अमरीका की विचारधारा को नहीं समझते हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। इसलिए हमें इस उपमहाद्वीप में अमरीका के मूल हितों के बारे में जानने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिये क्योंकि इसका हमसे सम्बन्ध है। अतः यद्यपि संसद को दोनों प्रभुसत्ता-सम्पन्न सदनों के बीच इस प्रकार के उल्लंघन और यहाँ तक कि परम्परा के उल्लंघन की बात नोट करनी चाहिये किन्तु इन घटनाओं के बाद हमें अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है।

श्री जी. जी. स्वैल (शिलांग) : मैं समझता हूं कि यह सभा हमारे प्रभुसत्ता सम्पन्न देश के आन्तरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप और विश्व में कतिपय सामरिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से हमारे देश का विकृत चित्र प्रस्तुत करने के घृणित प्रयास से चिंतित और व्यस्थित है। मैं इस घटना को इस दृष्टि से देखता हूं। किन्तु इस प्रश्न पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हम कठिन समय का सामना कर रहे हैं यह हमारे देश के लिए कठिन समय है मैं अपने मित्र प्रो. तिवारी का आभारी हूं कि उन्होंने सभा का ध्यान अनेक दस्तावेजों की ओर दिलाया है और जब उन्होंने यह बताया कि इनमें से विदेशों से कुछ खालिस्तानी उग्रवादी हमारे यहां उस स्थान पर आतिथ्य ग्रहण कर चुके है जिसे हम देश की

अमरीकी कांग्रेस की मानवाधिकार समिति द्वारा पंजाब में तथाकथित मानव अधिकारों के विषय में अमरीकी कांग्रेस की अनेक्सी में दी गई जानकारी से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के बारे में चर्चा

प्रभुसत्ता प्राधिकार और एकता का प्रतीक मानते हैं, तो मुझे यह खबर सुनकर बड़ा क्षोभ हुआ है। यदि प्रो. तिवारी ने जो बात कही है वह सत्य है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह खतरे के संकेत हैं और हमें ठन्डे दिमाग से मिल बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए, किसी घटना के प्रति भावुकता पूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिये। किसी संघर्ष विशेष में भावुक होने वाले व्यक्ति हमेशा हानि उठाते हैं ? इसलिये आपको पूर्ण शान्त मन से सोचना होगा और आपको मजबूत बनना होगा इस पर इस घृणित घटना पर मैं इस सम्बन्ध में 'घृणास्पद' शब्द का प्रयोग कर रहा हूं इस बारे में कुछ कहने से पहले मैं इस समाचार की, जो हमारे पास स्पष्ट स्रोत से आया है, निरपेक्ष ढंग से विवेचन करना चाहूंगा और हमें यह देखना होगा कि इस सम्बन्ध में हमारा कर्त्तव्य क्या है।

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तथाकथित सुनवाई का आयोजन मानव अधिकार सम्बन्धी कांग्रेस गुट के तत्वावधान के अन्तर्गत किया गया था। इन व्यक्तियों ने भलाई की भावना से प्रेरित होकर ऐसा नहीं किया, आपको इस प्रकार के व्यक्ति अमरीका, यू. के अथवा कहीं भी मिल जाएंगे जो जानने तथा मंच प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यह सबसे बुरी घटना कांग्रेस के तत्वावधान में हुई जिसका अर्थ है कि अमरीकी कांग्रेस अथवा अमरीकी कांग्रेस के कुछ सदस्य इसमें शामिल थे।

महोदय, मेरे विचार से उन्होंने जो किया है वह घृणित बात है। दूसरा, बैठक का स्थान अमरीकी कांग्रेस भवन था और इसलिये इसे कांग्रेस की स्वीकृति अथवा समर्थन प्राप्त था। इससे भी अधिक विचलित करने की बात यह है कि यहां यह बताया गया कि इस प्रकार की सुनवाई एक ही बार नहीं होगी बल्कि इस प्रकार की अन्य बैठकें भी होंगी ताकि इस प्रकार की स्थिति तैयार की जा सके कि अमरीकी कांग्रेस स्वयं भारत के आन्तरिक मामलों पर सुनवाई करे।

महोदय, मैं यह कहता हूं कि यदि कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो मेरे विचार से अमरीका से सम्बन्ध विच्छेद की स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें हमारे आन्तरिक मामलों में किसी के हस्तक्षेप को कभी सहन नहीं करना चाहिये। मेरा यह विश्वास है कि यदि भारत की संसद अमरीकी कांग्रेस अथवा अमरीकी सरकार के आन्तरिक मामलों पर सुनवाई का आयोजन करती है तो कोई भी अमरीकी व्यक्ति इस बात को एक दिन भी सहन नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर हम पाकिस्तान की जनता के मानवीय अधिकारों के मामले पर सुनवाई का आयोजन कर सकते हैं। भारत में हमारी जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए उन्मुक्त रूप से मतदान करने का अधिकार है ? उन्हें अपनी सरकार बनाने का अधिकार है सरकार हटाने का अधिकार है। अमरीकी लोग स्वयं के साथ भी निष्पक्ष नहीं रह पाये हैं और उन्होंने अपने ही साथ अन्याय किया है। वे लोकतन्त्र की कसमें खाते हैं। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से चुनाव होते हैं। आप विश्व के मानचित्र को देख लें एशिया, अफ्रीका, अमरीका अथवा यूरोप में ऐसे कितने देश हैं जहां पर स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं भारत ही एक ऐसा देश है जहां निष्पक्ष चुनाव होते हैं जहां जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, जहां सत्ता का शान्तिपूर्ण ढंग से अन्तरण होता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वैल, एक कहावत है। कथनी और करनी में बड़ा अन्तर होता है और सदा यही अन्तर होता है। वे उपदेश तो कुछ और देते हैं, करते कुछ और हैं। वे हमेशा तानाशाह को प्रोत्साहन देते हैं।

श्री जी० जी. स्वैल : किन्तु यह बात स्वयं अपने लिये कर रहे हैं। वे अपने लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव का अधिकार देते हैं किंतु वे इस सम्बन्ध में भारत की उपलब्धि से आंखें चुरा रहे हैं। आप इतिहास उठा कर देख लीजिये, मेरा यह कहना है कि भारत ने देश की एकता को सूत्र में बांध कर सर्वोत्तम सफलता प्राप्त की है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने के लिये हम दूसरों की भी सहायता करते हैं।

श्री जी. जी. स्वैल : लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसा करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। मैं अमरीकी लोगों से कहता हूं कि जैसा हमारा इतिहास है, गरीबी की समस्याएं हैं, विविधता की समस्या है, समाज में विरोधाभास हैं, यदि अमरीका को उसका चौथा अथवा दसवां हिस्सा भी मिलता तो अमरीकी लोकतन्त्र कब का ध्वस्त हो चुका होता वे लोकतन्त्र की कसमें उठाते हैं। किन्तु वे इस बात को नही देखते कि भारत में क्या किया जा रहा है।

अब मैं यह बात पुनः कह रहा हूं कि यदि अमरीकी कांग्रेस पुनः सुनवाई करने की भूल करेगी कि भारत में क्या हो रहा है—पहले ही जो हुआ है काफी बुरा हुआ है—अगर हमें कभी उस अवस्था का सामना करना पड़ा तो हमें अमरीका के साथ अपने सम्बन्ध तोड़ने पड़ेंगे। महोदय मैं सदन का ध्यान समाचार के दूसरे पहलु की ओर दिलाना चाहता हूं हमारे देश के कतिपय खालिस्तान समर्थक लोगों ने यह नया ढंग अपनाया है। उन्होंने सबसे पहले गुंडागर्दी आरम्भ की हमारे राजनायिकों पर हमले किये हमारे दूतावासों और हमारे झंडे का अपमान करना आरम्भ किया। बाद में उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने उन देशों में स्वयं को बेवकूफ सिद्ध कर दिया है, कनाडा और अन्य देशों के लिए वे विधि और व्यवस्था की समस्या बन गये हैं। इस प्रकार खालिस्तान का प्रचार करना तथा भारत को नीचा दिखाना उनकी कार्य प्रणाली बन गई और इसके लिए वे विश्व के अन्य देशों में हमारे विरूद्ध जन अभिमत तथा सरकारी अभिमत बनाने लगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। मैं विदेश राज्य मंत्री जो यहाँ उपस्थित हैं, से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अमरीका में हमारा दूतावास क्या कर रहा है? आप कहेंगे कि आपने विरोध प्रकट कर दिया है। यह अच्छी बात है कि आपने अपना विरोध प्रकट कर दिया है। किन्तु आपने इस प्रकार की बात की पुनरावर्ती रोकने के लिये क्या कार्य किया है? यदि भुल्लर और ढिल्लों जैसे व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं?

महोदय, मुझे एक और बात पता लगी है जो एक भूतपूर्व राजदूत होने के नाते मुझे झूठ और गलत लगी है। विरोध पत्र में यह कहा गया है कि वे उसमें उपस्थित नहीं हो रहे हैं। स्पष्ट ही भारत के दूतावास से भी कहा गया कि वे भी अपना दृष्टिकोण उस कांग्रेस गुट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि उससे समस्या के समाधान की प्रक्रिया में कोई सहायता नहीं मिलेगी, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इस प्रक्रिया में इससे सहायता मिलती तो उन्हें उपस्थित होने में कोई आपत्ति नहीं थी यह बिल्कुल गलत बात है। विदेशों में हमारे दूतावास हमारे देश की प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अपने देश की

प्रभुसत्ता के अतिरिक्त किसी भी देश की प्रभुसत्ता के अध्याधीन नहीं है। हम किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी कांग्रेस अथवा विदेशी संसद द्वारा गठित किसी भी समिति के समक्ष स्वयं को उपस्थित नहीं कर सकते हैं। आपत्ति के लिए यह मूल बात कही जानी चाहिये थी न कि यह कि समस्या के मैत्रीपूर्ण समाधान में सहायक नहीं होगा। मैं विदेश राज्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह बात हमारे दूतावास के साथ उठाई जानी चाहिए और उन्हें उस पत्र की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए जो उन्होंने इस सम्बन्ध में कांग्रेस ग्रुट को लिखा था।

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं कि उससे पहले मैं यह कहूंगा कि यह भलाई करने वाले, अमरीका में मानव अधिकारों के यह हिमायती विश्व में ऐसे लोग कहीं भी मिल जाएंगे इन्होंने न तो किसी के प्रति और न ही अपने प्रति कोई अच्छा कार्य किया है। मैं यही बात कर रहा हूं। उन्होंने बेईमानी का परिचय दिया है। वे झूठे थे। वे भारत के प्रति, लोकतन्त्र के प्रति तथा भारत द्वारा लोकतन्त्र के हेतु किये गये कार्य के प्रति वफादार नहीं रहे। वे सिखों के प्रति वफादार नहीं रहे। उन्होंने हमारे देश की जनता, हमारे देश में सम्मानित सिख समुदाय के प्रति गद्दारी की है।

अध्यक्ष महोदय : वे जान बूझ कर ऐसा कर रहे हैं।

श्री जी. जी. स्वैल : वे उनके प्रति बेईमान रहे हैं। महोदय, आपने जैसा बताया है कि उन्होंने यह झूठ बोला है कि सेना ने सभी सिख पुरुष जनता को मार डाला है कि अगले बीस वर्ष तक कोई भी युवा सिख नहीं मिलेगा यह बात एक दम इतनी सफेद झूठ है कि समझ में नहीं आता कि उस पर हंसा जाये या रोया जाये मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि यदि अमरीका में युवा व्यक्तियों की कमी है तो दाढ़ी और पगड़ी धारी हमारे अनेक युवा खुशी से वहां जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका अभिप्राय पंजाब से है ?

श्री जी. जी. स्वैल : हां, उन्हें खुशी-खुशी विदा किया जा सकता है। मुझे खेद है, आपको भी दाढ़ी लगा लेनी चाहिए। यह इतनी झूठी बात है कि भारत आने वाला कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं आकर देख सकता है कि यहां राजधानी में भी सिख कितनी स्वतन्त्रता से घूम रहे हैं, कार्यालयों में, सेना में, जहां कहीं भी वे हैं स्वतन्त्रतापूर्वक घूम रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह उनका देश है और वे मौज उड़ा रहे है।

श्री जी. जी. स्वैल : क्या इस प्रकार की अन्धता और अज्ञानता से, ये अमरीकी अमरीका का कुछ भला कर रहे हैं ? क्या वे विश्व को यह नहीं बता रहे हैं कि अमरीका अन्धों और बेइमानों का राष्ट्र है ? क्या वे स्वयं की कोई भलाई कर रहे हैं वे तो स्वयं अपने इतिहास को झुठला रहे हैं।

आज से 120 वर्ष पूर्व अमरीका ने एक गृह युद्ध लड़ा था और जिस व्यक्ति ने उस युद्ध का नेतृत्व किया था, उसको अमरीकी आज भी और शेष विश्व ठीक ही अमरीका का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति मानते हैं—अब्राहिम लिंकन—जो कि ईश्वर प्रिय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और जनता के दुःख दर्द को समझता था। दुनिया में बहुत दुःख हैं।

वह व्यक्ति जन चला करता था तो वह दुःख और वेदना की तसवीर दृष्टिगोचर होता था। जब अमरीका की एकता के हक में अमरीका का गृहयुद्ध समाप्त हुआ वो तो उस पर कोई दबाव नहीं पड़ा था। फिर उसने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका विचार था कि अमरीका के भविष्य के लिए अमरीका की एकता अत्यधिक महत्व है। और यदि आज अमरीका एक सुपर शक्ति है तो यह अमरीका की एकता के ही कारण हैं और इसलिए क्योंकि अमरीका की अब्राहिम लिकन ने एकता बनाये रखी। यदि अमरीका की एकता नहीं बनी रहती और यदि अब्राहिम लिकन यह बलिदान नहीं करते तो अमरीका भी केलों के गणतन्त्र में से ही एक होता।

हमारी दिवंगत प्रधान मन्त्री महोदया ने क्या किया था ? मन्दिर में सेना भेजने में उन्हें कोई खुशी नहीं हुई थी क्या ऐसा उन्होंने खुशी से किया गया था ? मेरे विचार से जब उन्हें ऐसा करना पड़ा था तो उन्होंने अवश्य आँसू बहाये होंगे, जैसा कि अब्राहिम लिकन ने दक्षिण में सेना भेजते समय बहाये थे। उन्होंने (इन्दिरा जी) ऐसा देश की एकता बनाए रखने के लिए किया। इस बारे में अमरीकियों को क्या कहना है ? आपको विश्व में पागलों के अनेक ग्रुप मिल जायेंगे परन्तु विश्व भर से कहीं अधिक पागल अमरीका में है।

अब मुझे नाम तो याद नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व अमरीका का एक नेता लगभग 1000 लोगों को कहीं ले गया और वहां जाकर गरल पीकर उन्हें आत्म हत्या करने पर मजबूर किया। उस बारे में अमरीकियों को क्या कहना है ? पागल लोगों का क्या मैं उन्हें एक झुन्ड कहूं जो कि मतिभ्रम के और काल्पनिक वंचनवश ऐसा नृसंश कार्य कर बैठे थे और देश में एक ऐसी स्थिति और वातावरण पैदा करने हेतु मनमाने ढंग से निर्दोष लोगों की हत्या पर उतर आए थे। जिससे कि इस देश का एक भाग अलग हो जाता। वे ऐसा ही कर रहे थे। इन्दिराजी ने जो कुछ किया वह इस सबको रोकने के लिए था।

मेरे विचार से इस तरह की बातों के बजाय आज अमरीकियों आगे आकर श्रीमती इन्दिरा गांधी को उनके कार्य के लिए और अपना जीवन देकर चुकाए गये मूल्य के प्रति उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए और यदि वे ईमानदार हैं तो उन्हें इन्दिरा जी को भी विश्व के महानतम नेताओं की पंक्ति (देवकुल) में इब्राहिम लिकन की तरह बिठाना चाहिए।

वे नागरिकों के मानवाधिकारों की बात करते हैं। हम विश्व में हर कहीं लोगों के मानवाधिकारों हेतु प्रवक्ता बनकर आगे ही आगे रहे हैं। परन्तु मैं अमरीकियों से पूछता हूं कि उस गैर-सिख जनसंख्या के बारे में उन्हें क्या कहना है जो कि यह सब घटने से पूर्व मौत के कगार पर खड़ी थी ? बहुत से हिन्दुओं ने क्या अपनी जानें नहीं गवायीं ? जब डाकूओं, जलदस्युओं और मतिभ्रम लोगों या कुछ ताकतों द्वारा कठपुतली बनाये गये स्वार्थी लोगों का यह ग्रुप हत्याओं का तांडवनृत्य कर रहा था तो क्या उन्होंने मानवाधिकारों के बारे में एक भी शब्द बोला था ? यह पाखण्ड है। यह मिथ्याचार है। इस बात पर मैं अपने मित्र और अन्य मित्रों से सहमत हूं।

क्या हमें ऐसी बातों की और भी आशा करनी चाहिये ? कि क्या ऐसी बातें होनी नहीं

अमरीकी कांग्रेस की मानवाधिकार समिति द्वारा पंजाब में तथा-कथित मानव अधिकारों के विषय में अमरीकी कांग्रेस की अनेक्सी में दी गई जानकारी से भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के बारे में चर्चा

चाहिये ? अमरीकन कांग्रेस कोई अज्ञानियों का निकाय तो है नहीं। उन्हें तो भू-राजनीतिक, भू-सामरिक लक्ष्य प्राप्त करना है। हर बात के बावजूद वे जो कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं, वह वे अपने भू-सामरिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिये कर रहे हैं। और उनके आकलनों में एक अखण्ड, प्रजातान्त्रिक देश बुरा मत मानिये—उनकी भू-सामरिक परिकल्पनाओं में खरा नहीं उतरता है। और इसलिये भारत के टुकडे होने चाहिये और उसे ऐसी स्थिति में कर दिया जाये जहां वह असहाय हो जाएं।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु उनका सपना कभी साकार नहीं होगा।

श्री जी. जी. स्वैल : मेरे विचार से इस वाद-विवाद का उद्देश्य पूरा हो गया है। हमें आपे से बाहर तो नहीं होना चाहिए, परन्तु हमें उन्हें यह बता देना चाहिए कि हम इस प्रकार की बातों को हम समझते हैं और इस प्रकार की हरकतों से निपटने के लिये हम सब एक हैं।

परन्तु इतना कुछ कहने पर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें एक परिपक्व राष्ट्र की तरह कार्य करना चाहिए और आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, हमें तोप से मक्खी मारने का प्रयास नहीं करना चाहिये। कुछ भी हो, वे मुटठी भर लोग ही तो हैं। मैं इस अवस्था पर भी यह नहीं कहूंगा कि इसमें अमरीकी सरकार का हाथ है। मैं यह तो नहीं कहूंगा। मैं फिर भी उन्हें सन्देह का लाभ देता हूं। (**व्यवधान**)

श्री भगवत झा आजाद : हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। कूटनीतिक बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम अच्छे आदमी हैं। हम शांति से सोचने वाले हैं।

श्री जी. जी. स्वैल : यदि आपने ध्यान किया हो तो आन्तरिक बैठकों में भाग लेने वालों में से एक जिसने परिक्षण-दीक्षा में भाग लिया था, वह राज्य विभाग का एक प्रतिनिधि श्री रोज था और उसने अनेक समझदारी की बातें कहीं थी। उसका कहना था कि विदेशों में रहने वाले सिखों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भारत में रहने वाले सिखों के लिए कठिनाई पैदा हो। (**व्यवधान**) उनका यह भी कहना था कि भारत में सिखों के साथ भेदभाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उनका कहना था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अवश्य कहा होगा।

श्री जी.जी. स्वैल : परन्तु श्री रोज यहां से चले गये। क्या हमें इसकी न्यायिक जांच करनी चाहिए—यह देखना हमारा काम है। यह सब हमें यहां कौन बतायेगा ? यह कहने वाले श्री रोज कौन होते हैं कि तीन या चार कांग्रेसियों को पकड़ कर गोली से उड़ा दिया जाए ? और वह ऐसा कैसे कह सकते हैं ? (**व्यवधान**)। मेरे विचार से यह पूर्व अधिकृत और अक्खड़पन है। परन्तु मैं प्रधान मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि क्योंकि वह अमरीका जा रहे हैं तो उन्हें अवश्य जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : उन्हें रोकिए।

श्री जी. जी. स्वैल : मेरा ऐसा विचार नहीं है वह ज्यादती होगी। हम जल्दबाजी नहीं

करते हैं, हम तो परिपक्व ढ़ग से कार्य करते हैं। कुछ भी, हमें बातचीत तो करनी ही पड़ेगी और करेंगे हम तो अपने घोर शत्रुओं से भी बातचीत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम उन्हें समझदारी सिखायेंगे।

श्री जी. जी. स्वैल : मेरा विश्वास है कि वह हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेकर जायेंगे और भगवान करे उन्हें पूर्ण सफलता मिले जिससे कि अमरीका के लोगों के दिमाग से वे सब बातें इस प्रकार से मिट जाएं जिस प्रकार कि सूर्योदय के समय ओस की बूंदें मिट जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि अमरीका के लोग इस बारे में सोचेंगे।

श्री जी. जी. स्वैल : इसके साथ ही साथ हमें भारतीय महोत्सव का आयोजन होने दिया जाए, और भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करना चाहिए। कुछ भी हो अमरीका में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अब हमारे बारे में और अच्छा सुनना और जानना पसन्द करेंगे। जैसा कि संस्कृति मंत्री ने उस दिन कहा था, इस उत्सव का अधिकांश व्यय अमरीका की जनता वहन करेगी, जिसका अर्थ है बहुत सारा खर्च। इसका मतलब है कि वहां हमें समझने की ललक है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। परन्तु यह सब मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं। आपको अपने दूतावासों को थोड़ा और सक्रिय करना होगा। आपको अपने दूतावास में शीर्स्थ स्थानों पर कल्पना शक्ति से भरपूर गतिशील लोगों को बिठाना होगा, उनको नहीं जो वहां पर मौज उड़ाते हैं और इस प्रकार के पत्रों को उदघाटित करते रहते हैं। मैं नहीं जानता कि इस पत्र को किसने लिखा है। हो सकता है आपके दूतावास के तृतीय सचिव ने लिखा हो। काश कि मैं राजदूत होता तो मैं सारे पत्र का प्रारूप स्वयं ही तैयार करता और दूसरों के भरोसे न रहता। निस्सन्देह, इससे मेरा नाम ऊंचा नहीं होगा क्योंकि कुछ रूतबा तो होता ही है। परन्तु मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि पत्र इस प्रकार कोई तर्कहीन बात न कहे कि हम इसलिए भाव नहीं लेते हैं क्योंकि इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा।

हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच रहे हैं जबकि इन खालिस्तानियों ने एक अत्याधुनिक अभियान छेड़ दिया है। हमें उनसे उनकी ही आधार-भूमि पर मिलना चाहिए। हमें विश्वभर की जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। और हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम अपने देश के कार्यों में किसी प्रकार की ताक-झांक और दखलंदाजी सहन नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत हूं। इस विश्व में हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, परन्तु फिर भी इस संसार में थोड़ा बहुत सोना तो बचा ही है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) तथाकथित अमरीकी गुट ने जो कुछ भी किया है, उसकी निन्दा करने में, मैं सारे सदन के साथ हूं।

7.39 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

मेरे से पहले के वक्ता ने अभी-अभी बहुत ही अच्छा भाषण दिया है। मैं सविनय निवेदन करता हूँ कि अमरीका द्वारा भारत के विरुद्ध ऐसा उत्तेजनापूर्ण भाषण करना कोई नई बात

नहीं है। जिस किसी ने भी भारत का इतिहास पढ़ा है वह जानता है कि भारत की स्वतन्त्रता के बाद से अमरीका ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है और कश्मीर तथा गोवा के मामले में अमरीकियों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है। आज कश्मीर हमारे साथ नहीं होता यदि हमने अमरीकियों पर विश्वास किया होता। भारत उनका विशेष लक्ष्य है। परन्तु क्यों ? यदि पंजाब को स्वयं पर ही छोड़ दिया जाता तो समस्या बहुत पहले हल हो गई होती। परन्तु भारत में बाधाएं खड़ी करने के लिए पंजाब की समस्या अमरीकी खेल का एक अंग है। यह कोई आकस्मिक मामला नहीं है कि भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश तीनों के ही राजदूत योग्य और पुराने सी.आई.ए. एजेन्ट हैं। अमेरीका में 1968 में प्रकाशित 'हूज हू' पुस्तक में यह बताया गया है कि अमरीका के भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश स्थित तीनों ही राजदूत अनेक लम्बे वर्षों तक सी.आई.ए. के एजेन्ट रहे हैं। यह कोई दैवी घटना नहीं है कि इन तीनों ही अमरीका के सी.आई.ए. एजेन्टों को इस उप-महाद्वीप में ऐसे समय में रखा गया है जबकि इन्दिरा गांधी की हत्या की गई और पंजाब और असम की समस्याएं खड़ी की गईं। वास्तव में सारा अभियान इस लिए चलाया गया कि भारत को विभाजित किया जाए, भारत को कमजोर किया जाए। वास्तव में 'खालिस्तान' आन्दोलन का मुख्यालय न पंजाब में है और न ही भारत के किसी अन्य भाग में। यह या तो कनाडा अथवा ब्रिटेन में है या अमरीका में। जैसा कि मेरे मित्र तिवारी ने ठीक ही कहा है कि ऐसा कैसे है कि ये तथाकथित पश्चिमी देश जहां प्रजातन्त्र राज्य हैं थोड़े से उग्रवादी सिखों को अपनी मनमर्जी करने की अनुमति देते हैं ? कनाडा में अभी हाल ही में समाचार-पत्रों में एक विज्ञापन छपा है कि कोई भी सिख जो लडाकू प्रशिक्षण लेने का इच्छुक होगा और तत्पश्चात पंजाब जाना चाहेगा, उसे प्रतिमास 1,250 डालर और निःशुल्क खाना एवं निवास मिलेगा तथा वह बोनस का भी हकदार होगा। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बहुत ही सम्मानित दाह-संस्कार किया जायेगा। प्रेस में ऐसा ही विज्ञापन छपा है। अतः, महोदय ये खालिस्तानी ही हैं जो हमारे राजदूतों की पिटाई कर रहे हैं और अधिकारियों का मनोबल, विश्वास खण्डित कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारे खिलाडी-दल को भी जब वे लास एन्जिलस खेलने के लिए गये थे तो तंग किया था। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जब ये सिख प्रदर्शनकारी इन देशों में प्रदर्शन करते हैं तो उनमें तथाकथित अफगान फ्रीडम फाइटर्स भी सम्मिलित हो जाते हैं तथा कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट के लोग और यहां तक पाकिस्तान दूतावास के पर्यवेक्षक तक सम्मिलित हो जाते हैं। अतः, हमें यह समझ लेना चाहिए कि अमरीका का यह खेल कोई नया तथा अचानक नहीं शुरू हुआ, अमरीका का यह खेल साम्राज्यवादी नीतियों का खेल है। उनका स्वतन्त्र भारत से कोई तालमेल नहीं बैठ पाता है, वे गुट-निरपेक्ष नीति वाले देश से पटरी नहीं खाते हैं और जो देश उनके 'नाटो' 'सीटो' तथा 'सेन्टो' से हाथ मिलाता है, उनकी उससे नहीं पटती है। अतः, स्वाभाविक है कि वे हमारे स्थायीत्व को अस्थिर बनाना चाहते हैं। यह है उनका खेल। यदि हमारी सरकार इसे नहीं समझती है, यदि कांग्रेस पार्टी के नेता अमरीकी साम्राज्यवाद के इस खेल को नहीं समझते है तो हमारा वाद-विवाद बेकार जायेगा। अमरीका की सरकार इस बात पर चर्चा करने का दुःसाहस करती है और वे अपनी सीनेट के मंच से हमारे सभी आन्तरिक मामलों पर पूर्ण चर्चा करने को तैयार है, परन्तु वे इस बात पर कभी चर्चा नहीं करते हैं कि अमरीकी निग्रों लोग कैसी स्थिति में हैं। वे कभी छात्रों से बातचीत नहीं करते हैं।

लोकतांत्रिक अमरीका में निग्रों लोगों को किसी विद्यालय में ले जाने के लिए सेना को बुलाना पड़ता है। और अब बहुत से क्षेत्रों में निग्रों और गोरे अमरीकी साथ-साथ नहीं रहते हैं। आप जानते हैं ये अमरीकी नामिबिया, निकारगुआ, दक्षिणी-अफ्रीका और विश्व के अन्य भागों में क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार कम्पूचिया में उस 'पोल-पोट' सरकार का समर्थन किया जो कि 30 लाख लोगों की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं। इन बातों का वे कभी भी उत्तर नहीं देते हैं। यह भी तो अमरीकी साम्राज्यवाद की नीति है। जैसा कि श्री तिवारी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या से तीन मास पूर्व यह कैसे हुआ कि उन्हें यह रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ी कि यदि श्रीमती इन्दिरा गांधी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो भारत में क्या कुछ होगा ? वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए, यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि इन्दिरा जी की हत्या में अमरीका का हाथ है तो सच्चाई से दूर नहीं होगा क्योंकि अमरीका ने इन्दिरा गांधी और उनकी गुट-निरपेक्ष नीतियों को कभी सहन नहीं किया। आज से नहीं जब हमारे देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त की तभी से हम बहुत से देशों के स्वतन्त्रता संग्राम का समर्थन करते आये हैं। हमारे देश ने ही, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1936 में चीन में चिकित्सा दल भेजा था। उस समय जब हम स्वतंत्र भी नहीं थे हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष का समर्थन करते रहे थे। हमें ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। इस समय हम क्या कर सकते हैं। जो कुछ हो रहा है, हमें समझना चाहिए कि एक योजना है, हमारे देश के बटवारे के लिए निरन्तर प्रयत्न हो रहे हैं। परन्तु भारत एक रहेगा। भारत विविधता में एकता वाला देश है। हमारे नेताओं ने सदा इस बात को समझा है। यह सही है हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं बहुत से धर्म हैं हमारी बहुत सी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, तो भी देश एक रहा और सदा एक रहेगा, इस एकता को कोई नहीं भंग कर सकता। अमरीकनों को समझ लेना चाहिए कि उनकी चालें नहीं चलेंगी। हर जगह अमरीका बचाव पर है, वियतनाम में वे असफल रहे, कम्पूचिया में वे असफल रहे। अफगानिस्तान में उनकी चालें विफल हो रही हैं, पूरे अमरीकी काले अमरीकी साम्राज्य के विरुद्ध है। भारत में, जिसने संघर्ष द्वारा स्वतन्त्रता अर्जित की है—भले ही वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद था—वे निश्चय ही अमरीकी साम्राज्यवाद का भी सामना कर पायेगा।

अब हमें क्या करना चाहिए ? मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे देश के लोगों को साम्राज्यवाद के कार्यों के बारे शिक्षित करना है। यह आवश्यक है। हमारी सरकार के श्रीमती प्रैंचर तथा श्री रिगेन के प्रिय वक्तव्यों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार हमने अमरीकी साम्राज्यवाद का नाम लेने से इनकार कर दिया। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कुछ दृढ़ता अपनायें। सरकार को अमरीकी साम्राज्यवाद से डरने का कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं है कि राजनयिक शिष्टाचार के नाम पर अमरीकी साम्राज्यवाद की चर्चा न की जाये। अमरीकी सिनेट तथा उसके सदस्यों की पाप-पूर्ण चालों से सबक लेना चाहिए। सरकार को सभी प्रचार माध्यमों, तथा प्रेस, दूरदर्शन आकाशवाणी तथा पुस्तकों के माध्यम से भी अमरीकी साम्राज्यवाद को समझाना चाहिए। अतः यह अच्छा कार्य किया जाना चाहिए। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं। पूरे राष्ट्र द्वारा अमरीकी साम्राज्यवादी पापाचारों के विरुद्ध पूरे राष्ट्र ने आवाज उठाई है। यदि हम अमरीकी साम्राज्यवाद पर निर्भर करते रहें तो

राजनीतिक मामलों में हमारे विरोधों का कोई फल नहीं होगा क्योंकि राजनीति तथा अर्थनीति साथ-साथ चलते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने कर्तव्य से च्युत रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसी नीति अपनायेगी आर्थिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके। अन्यथा राजनीतिक मामलों में हमारे विरोधों का कोई लाभ न होगा। मैं अमरीकी चालों की निन्दा करने में पूरे राष्ट्र का साथ देता हूँ। जो कि हमारे देश को विभाजित तथा बदनाम करना चाहते हैं, उन्हें अपनी चालों में कभी सफलता नहीं मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, अमरीका में जो कुछ हुआ है और जिसके बारे में आज हम सब लोग चिन्ता प्रकट कर रहे हैं, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और खास कर ऐसे समय में जब कि अभी जून में माननीय प्रधान मंत्री जी अमरीका की यात्रा करने वाले थे। अभी हमारी सरकार ने अमरीका से अपने सम्बन्धों के सुधार के लिए काफी आगे बढ़ने का इरादा किया था। प्रधान मंत्री जी के इन्टरव्यूज जो विदेशों में और हमारे देशों के अखबारों और पत्रिकाओं में निकले हैं, उनसे यह अन्दाजा हो रहा था कि हम अमरीका के साथ अपने सम्बन्धों को और अच्छा बनाने के लिये कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन अमेरीका में पिछले दिनों जो यह मानवाधिकार के नाम पर हियरिंग हुई है, उसने हमारे संबंधों को और पीछे कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। अमरीका में मानवाधिकार का अर्थ राजनीति और कूटनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। अभी पहले बोलने वाले सम्मानित सदस्यों ने बहुत ही डिटेल में इस बात का हवाला दिया है कि जहां उनकी राजनीति और कूटनीति कहती है, वहीं वे मानवाधिकार का सवाल उठाते हैं और जहां राजनीति और कूटनीति नहीं कहती है, वहां पर चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। बंगलादेश का हवाला दिया गया और दूसरे देशों का भी हवाला दिया गया, साऊथ अफ्रीका का हवाला दिया गया, और फिलीस्तीन में जो कुछ हो रहा, उसका हवाला दिया गया, जहां कि वाकई में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जहां कि वाकई में लोगों को समाप्त किये जाने, नष्ट किये जाने की व्यवस्था हो रही है, जहां लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, टारचर हो रहा है। श्रीलंका में अभी जो घटनाएं हो रही हैं, रोजाना लोग मारे जा रहे हैं, रोजाना लोगों को जलाया जा रहा है, इन घटनाओं से दुःख-दर्द अमेरीका के लोगों को नहीं हो रहा है और उनकी निगाह गई पंजाब पर, वह पंजाब जो हमारे भारत का अभिन्न अंग है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, वे भारत को विखंडित करने के लिए हो रही हैं। जो गतिविधियाँ यहां शुरू की गई हैं या की जा रही हैं और जिनका विदेशों में प्रचार किया जा रहा है, उनमें दखल देना, भारत के घरेलू मामलों में दखल देना है।

सिख हमारे देश की सबसे ज्यादा सम्पन्न कौम है। चाहे व्यापार में हों, चाहे उद्योग-धंधों में हों, चाहे खेती में हों, चाहे नौकरियों में हों, जहाँ भी हमारी दृष्टि जाती है, भारत के सभी वर्गों के मुकाबले में सिख ज्यादा आगे हैं और ज्यादा सम्पन्न है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं और हमें सिखों पर गर्व है। सिखों ने इस देश के लिए काम किया है, सिखों ने इस देश के विकास के लिए काम किया है, सिखों ने इस देश की रक्षा के लिए काम किया है और सिखों ने इस देश को बनाने के लिए काम किया है। हमारी सिखों से दुश्मनी नहीं है लेकिन जो भी शक्ति हमारे देश

की एकता और अखण्डता को खतरा पहुंचाना चाहती है, उससे उसी प्रकार से निपटा जाएगा, जिस प्रकार से अमेरीका में इब्राहिम लिंकन अमेरीका की एकता और अखण्डता को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों से निपटा था। अमेरीका अब वह देश नहीं है जो इब्राहीम लिंकन के जमाने में हुआ करता था यहां तक कि जब हमारी स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त अमेरीका हमारी आजादी की लड़ाई के प्रति हमदर्दी रखता था। अमेरीका एक जनतांत्रिक देश है। जहा-जहां लोगों ने जनतंत्र के लिए और गुलामी से अपने को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, वहां अमेरीका की सिम्पैथी उनके साथ थी लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरीका का दृष्टिकोण बदला। पहले दुनिया की सारी जनतांत्रिक शक्तियां, दुनिया के सारे गुलाम देश अपनी आजादी के लिए और जनतंत्र को स्थापित करने के लिए अमेरीका की तरफ देखा करते थे और अमेरीका के लोगों की उन को सिम्पैथी मिलती थी लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरीका एक पावर हंगरी देश बन गया और जब अमेरीका एक सुपर पावर बनकर उभरा, तो उसका दृष्टिकोण बदल गया। अमेरीका एक जनतांत्रिक देश है, इसमें दो राय नहीं है लेकिन अमेरीका की जो खुफिया एजेन्सी है, सी. आई. ए. है, इसने दुनिया के सबसे अधिक जनतांत्रिक देशों का तख्ता पलटा है, दुनिया में सबसे अधिक देशों में फौजी तानाशाही स्थापित की है और अमेरीका ने दुनिया में सबसे अधिक देशों में लोकतन्त्र को समाप्त कराया है। अब वह अमेरीका हमारे सामने है। यह वह अमेरिका है जो संगठित भारत को, आर्थिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से मजबूत भारत को अपनी नीति से अपने खेमे से बाहर मानता है। आज हमारे देश का घिराव हो रहा है। क्यों हो रहा है ? आखिर अमेरिका को हमसे क्या खतरा है ? आज क्यों पाकिस्तान को हथियार दिये जा रहे हैं, किस लिए दिये जा रहे हैं ? पाकिस्तान को हमसे क्या खतरा है? हम पाकिस्तान को क्या खतरा पहुंचा सकते हैं ? बार-बार इस देश ने यह कहा है कि जब जब अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिये तब तब उस देश ने हमारे देश के साथ युद्ध किया। अब पाकिस्तान को हथियार अफगानिस्तान के नाम पर दिये जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान को खतरा है लेकिन पाकिस्तान की अधिकांश फौजें हमारी सरहदों पर बैठी हुई हैं. वे अफगानिस्तान की सरहदों पर नहीं लगी हुई हैं।

यह सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरा नही है क्योंकि अफगानिस्तान में रूस की फौजें हैं और रूस की फौजों के सामने पाकिस्तान टिक नहीं सकता। यह बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है और अमेरिका भी जानता है। आज अमेरिका द्वारा जो पाकिस्तान को हथियार दिये जा रहे हैं वे हमको नुकसान पहुंचाने के लिए दिए जा रहें हैं।

आज पाकिस्तान में खालिस्तान के जो तथाकथित अगुवा बने हुए हैं उनको आने की इजाजत दी जाती है। गंगासिंह ढिल्लों, जगदीश सिंह चौहान को कौन नहीं जानता कि वे कितनी बार पाकिस्तान जा चुके हैं। हमारे यहां पंजाब में जो उग्रवादी हैं उनको पाकिस्तान में शस्त्रों की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके लिए कैम्प लगाये जा रहे हैं। उन कैम्पों में पंजाब के उग्रवादियों को छापामार लड़ाई सिखाई जाती है। यह सारी चीजें अमेरिका के इशारे पर चल रहीं हैं। पाकिस्तान में जनतन्त्र का गला घोटने वाला कौन था ? वह भी अमेरिका है। आखिर जनरल जिया को लाने वाला कौन है, पाकिस्तान में फौजी शासन को किसने स्थापित किया ?

अमरीकी कांग्रेस की मानवाधिकार समिति द्वारा पंजाब में तथाकथित मानव अधिकारों के विषय में अमरीकी कांग्रेस की अनेक्सी में दी गई जानकारी से भारतके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के बारे में चर्चा

सभी जानते हैं कि इस सब के पीछे अमेरिका का हाथ था। भुट्टो को फांसी दिलाने के पीछे कौन-सी ताकत थी ? पाकिस्तान में जनतन्त्र की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई के लोगों को पीट करने और उन्हें जेलों में भरने में कौन-सी शक्ति साथ दे रही है ? यह अमेरिका के अलावा और कोई शक्ति नहीं हो सकती।

आज अमेरिका ने सारे भारत का खिराब कर रखा है। चाहे वह हिन्द महासागर हो, चाहे बंगलादेश हो, चाहे श्रीलंका हो। एक तरफ श्रीलंका में तमिल लोगों को मारा जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका उत्पीडन हो रहा है दूसरी तरफ अमेरिका की सेना लंका में आना चाहती हैं। अमेरिका श्रीलंका को बहुत कुछ दे रहा है। अभी श्रीलंका सरकार ने ब्रिटेन से फौजें मांगी हैं और कहा है कि वहां ब्रिटिश सेनाएं रखी जाएं। यह कहां की राजनीति चल रही है ? यह कहां से कूटनीति चल रही है ? इसको हमारे देश को सोचना होगा और इसी के अनुसार हमें अपनी रणनीति बनानी होगी।

आज जो कुछ हमारे पंजाब में हो रहा है, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर ये विदेशी ताकतें अपना हाथ इसमें से हटा लें तो कल पंजाब में शांति हो सकती है और अकाली दल भी ढीला पड़ सकता है। लेकिन ये सारी बातें विदेशों में हो रही हैं, लन्दन में हो रही हैं, ओटावा में हो रही हैं, न्युयार्क और वाशिंगटन में हो रही हैं। यह जो खालिस्तान का तथाकथित नेता जगजीत सिंह चौहान है, गंगासिंह ढिल्लो है या भजन जोगी है, ये सारे के सारे लन्दन से वाशिंगटन, वाशिंगटन से केनाडा जा-आ रहे हैं और ब्रिटेन की सरकार और केनाडा की सरकार इन्हें शरण दे रही है। वहां उनको यह शरण क्यों दी जा रही है ?

8.00 म.प.

मैंने पत्रों में पढ़ा कि लन्दन के गुरुद्वारे में एक मीटिंग हुई जिसमें सभी उग्रवादियों ने भाग लिया चाहे वे पंजाब के हों, चाहे जम्मू कश्मीर के हों और चाहे नार्थ-इस्टर्न के हो। सारे के सारे लोग मिलकर भारत की एकता और अखण्डता को खतरा पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। यह सब वहां पर ब्रिटिश और अमेरिकी सरकार के इशारे पर हो रहा है। यह सारी बातें हम लोगों को मालूम है। इसके लिए क्या किया जाए। अमेरिका को हम लोगों को साफ-साफ यह बात बता देनी चाहिए कि हम इस बात को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरीका से जो हमारा तजुर्बा है, वह बड़ा दुखद है। जब भी इस देश ने अमेरीका के साथ सम्बन्धों को सुधारने की बात की है, इस प्रकार की कोई न कोई घटना घट गई है। आखिर क्यों ऐसा होता है। अमेरीका के लोग ऐसा क्यों करते हैं। भारत ने उनका क्या बिगाड़ा है। हम तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। हम किसी गुट के साथ भी मिले हुए नहीं है। हम उनकी आजादी और एकता के लिए खतरा भी नहीं है। हम तो इस देश की गरीब जनता को रोजी-रोटी देना चाहते हैं। उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। उनके पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं। अपने आप निर्भर होना चाहते हैं। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। हम किसी देश के शासन पर कब्जा करना नहीं चाहते हैं। हम विश्व में कोई साम्राज्य नहीं बनाना चाहते। हम कुछ नहीं चाहते। हम तो सिर्फ जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी जिन्दा रहें। हम तो सम्मान से जीना चाहते हैं और चाहते है कि दूसरे भी सम्मान से जीवित रहें। लेकिन पता नहीं क्यों

अमरीकी कांग्रेस की मानवाधिकार समिति द्वारा पंजाब में तथा-कथित मानव अधिकारों के विषय में अमरीकी कांग्रेस की अनेक्सी में दी गई जानकारी से भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के बारे में चर्चा

18 अप्रैल, 1985

अमेरीका अपनी विश्व की राजनीति और कूटनीति से हमें घेरे हुए है। हमारा पीछा कर रहा है। हमको उससे बचना चाहिए। हमको उससे सतर्क रहना चाहिए और अमेरीका को एक बार नहीं अनेक बार इस बात को बता देना चाहिए कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग अमेरीकन साम्राज्यवाद के पुर्जे नहीं हो सकते। पाकिस्तान या श्रीलंका हो सकता है। बर्मा या बंगलादेश हो सकता है लेकिन भारत नहीं हो सकता। निर्गुट राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन नामिबिया के ऊपर यहां पर हो रहा है। इस सम्मेलन को हमें मजबूत बनाना चाहिए। इसकी मजबूती से ही सारे निर्गुट देशों का आत्म-सम्मान बरकरार रहेगा। अगर इस संगठन में मजबूती रही तो इसमें ताकत आयेगी नहीं तो आज हिन्दुस्तान के बारे में, कल दूसरे और परसों तीसरे के बारे में वहां पर कांग्रेस की एक कमेटी बनकर मानव अधिकारों का सवाल उठा लेगी। मानव अधिकारों का ठेका अमेरीका के लोगों ने ही ले रखा है। मानव अधिकार उन्हीं की वजह से कायम हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बारे में जहां मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहां वे चुप हैं। कुछ नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब पर उनकी निगाह चली गई। उनका सोचने का जो तरीका है, वह बहुत ही गलत है।। उसकी हमको निंदा करनी चाहिए। एक बात और कह देना चाहता हूं। खालिस्तानी समर्थक जो इंगलैंड, अमेरीका और कैनडा में हैं और खुले रूप में भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके बारे में हमारी सरकार क्या कर रही है। अभी ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री हमारे देश में आई थी। उनसे क्या बात हुई। प्रधान मन्त्री और हमारे विदेश मन्त्री की उन पर रोक लगाने की क्या कार्यवाही हो रही है। अमेरीका और कैनडा में भी वे लोग खुले रूप में घूम रहे हैं। पंजाब के ही नहीं बल्कि नार्थ-इस्टर्न स्टेट और काश्मीर के अमानुल्ला खां इंगलैंड में गतिविधि कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। हम चाहते है कि हमारे देश को एकता बनी रहे। उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है, क्या कदम उठा रही है। आखिर इन गद्दारों को अब तक हमने गद्दार क्यों नहीं घोषित किया, किन कारणों से अब तक उनके विरुद्ध मुकदमे नहीं दायर किए गए और उन देशों से उन्हें वापस लाने की कार्यवाही क्यों नहीं की, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूँ कि सरकार उन्हें अविलम्ब गद्दार घोषित करे, उनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए जाएं और उनको वहां से यहां वापस लाकर उन मुकदमों को सुनवाई की जाए। क्या कारण है कि वे लोग आज भी फ्रीली घूम रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है बल्कि इंगलैंड की सरकार तो उनको ट्रैवल डाक्यूमैंटस भी उपलब्ध करा रही है जिससे वे जहां चाहें, घूम सकते हैं। वे लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, मिल रहे हैं और यहीं पर उग्रवादियों को सशस्त्र ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसे रोकने के लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाये है। अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जैसा हमारे तिवारी जी ने यहां अभी कहा, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे बड़ी चिन्ता उत्पन्न हो गई है। उन्होंने वहां चल रहे षडयन्त्र का ऐसा भण्डाफोड़ किया है कि जिससे सारे देश में चिन्ता का वातावरण फैलना स्वाभाविक है। हमारे मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि भजन योगी और दूसरे खालिस्तानी समर्थक हमारे मेहमान बन कर कुछ समय तक रहे और राष्ट्रपति भवन में मेहमान बन कर रहे जो कि हमारी एकता का प्रतीक है। आखिर कैसे ये लोग भारत में आकर, हमारे सर्वोच्च स्थान पर ठहर कर वापस चले गए, यह हमारे लिए बड़े दुःख की बात है। गंगा सिंह दिल्ली भी पंजाब आये, कब आये, यहां मैं उसमें ज्यादा नहीं

जाना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और इस डिबेट को राजनैतिक डिबेट नहीं बनाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि पंजाब समस्या का किस तरह से समाधान हो, इस विषय पर हमारे विपक्षी पार्टियों के साथ मतभेद पैदा हों, पंजाब में क्या किया जाए, इस बारे में हमारे और विरोधी लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं, मैं उन मतभेदों को उखाड़ना नहीं चाहता लेकिन पंजाब के बारे में, वहां की समस्या को हल करने के लिए क्या किया जाए, इसके ऊपर भारत सरकार विचार कर सकती है, अमेरिका या ब्रिटेन के लोग नहीं सोच सकते और वहां की सरकारें तो बिल्कुल नहीं सोच सकतीं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस बात की सफाई यहां दें अन्यथा सारे देश में गलतफहमी का वातावरण फैल जाएगा। किन परिस्थितियों में देशद्रोही लोग राष्ट्रपति भवन में आकर रहे, मेहमान बन कर रहे, यहां उनकी खातिर की गई और वे सकुशल वापस लौट गए, इसका जवाब आपको देना होगा। आज जिस तरह की बातें इस चर्चा के दौरान सामने आई हैं, उनसे निश्चय ही सारे देश में गलतफहमी का वातावरण पैदा हो सकता है। आप बताईये कि इस विषय में आप क्या कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि इस देश की एकता और अखण्डता कभी समाप्त नहीं हो सकती। यह देश हमेशा एक रहेगा, अखण्ड रहेगा और यह देश निकट भविष्य में विश्व रंगमन्च पर एक शक्तिशाली और संगठित देश बन कर उभरेगा, आदर्श देश बन कर उभरेगा। जहां-जहां भी मानव अधिकारों का हनन होगा, जहां-जहां जनतन्त्र का गला घोंटा जाएगा, जहां-जहां लोगों के विरुद्ध अत्याचार होगा, हमारे देश की जनता सही मायनों में उसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। हमारा देश हमेशा मानव अधिकारों के उल्लंघन का विरोध करता रहेगा। ऐसे मामलों में हमारे सामने किसी तरह की राजनीति नहीं होगी, कूटनीति नहीं होगी। जहां जहां अत्याचार होंगे, वहां हम दखल देंगे। अमेरिका का कोई काम नहीं है कि हमारे मामले में हस्तक्षेप करे, हमारे देश के मामलों में दखल दे। भारत सरकार को सख्ती के साथ अमेरिका को बता देना चाहिए, उनसे कह देना चाहिए कि हम हमेशा से अमेरिका के साथ मधुर सम्बन्धों के पक्षधर हैं. हम उनसे सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं, हम सभी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं, इसमें हमें किसी तरह का ऐतराज नहीं है बल्कि अच्छी बात है, हमारी सरकार कोशिश भी कर रही है कि अमेरिका से हमारे अच्छे सम्बन्ध रहे, हमारे प्रधान-मन्त्री जी जून में अमेरिका जा रहे हैं, वे अवश्य अमेरिका जाए लेकिन उनको सख्ती के साथ अमेरिका को बता देना चाहिए कि हमारे और आपके सम्बन्ध आत्म-सम्मान के आधार पर होंगे, हमारे और आपके सम्बन्ध एकता के आधार पर होंगे, हमारे और आपके सम्बन्ध ऐसे नहीं होंगे कि आप हमारे मामलों में हमेशा दखल देते रहें। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री वी. एस. कृष्ण आयर (बंगलोर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, अमरीका द्वारा मानव अधिकारों के सम्बन्ध में हमारे देश के सिक्खों के मामले को उठाने का यत्न पर अपने मित्रों द्वारा की गई निन्दा उनको साथ देता है। अमरीका का इरादा स्पष्ट है। अब तक यह बात छिपी हुई थी अब प्रकट हो गई है। मेरे साथियों ने सभा में जो कुछ कहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मेरे पास कोई और बात कहने को नहीं है सिवाये इसके कि हमारे देश के मामले,

में सीधा हस्तक्षेप अमरीका द्वारा किया जा रहा है। अमरीका द्वारा हमारे देश के मामलों में दखल देने का कोई अर्थ नहीं है। मानवीय अधिकारों की बात अमरीका द्वारा नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई देश मानवीय अधिकारों की बात कर सकता है ऐसा देश भारत ही है—जोकि गौतम बुद्ध महात्मा गांधी की धरती है। भारत ने ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में दक्षिणी अफरीका में मानव अधिकारों का संघर्ष लड़ा था। अतः हमें मानव अधिकारों की बात नहीं बतायी जानी चाहिए। अमरीका विश्व के रूक से बड़े लोक तंत्र को समृद्धि को सहन नहीं कर सकता। अमरीका इसके प्रति समझौता नहीं कर पाया। उन्हें सभी क्षेत्रों में हमारी समृद्धि से ईष्या है।

न केवल पूरा सदन अपितु पूरा देश आप के साथ है तथा हम चाहते हैं कि आप दृढ़ता से इसकी निन्दा करें। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी कार्यवाही उस समय की गई जब कि प्रधान मंत्री सद्भावना यात्रा पर वहां जाने वाले हैं। मुझे इतना ही कहना है। सभी जानते हैं कि देश ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सामना किया। हमें किसी साम्राज्तवाद से भय नहीं पूरे विश्व को तथा विशेषतः अमरीका को यह जान लेना चाहिए कि हम अपने देश में साम्राज्यवाद को सहन नहीं करेंगे।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा। कि हमें स्पष्टवादी होना चाहिए। भारत की एकता की रक्षा के लिए पूरा देश सरकार के साथ है। हमें खुले रूप से विश्व की शक्तियों को बता देना चाहिए कि हम आंतरिक मामलों में किसी हस्ताक्षेप को सहन नहीं कर सकते। हमारा शान्ति प्रिय राष्ट्र है, हम गुट-निर्पेक्ष हैं तथा हमारी सभी देशों के साथ मैत्री होनी चाहिए। वास्तव में हम दूसरे देशों में मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब यही स्थिति है यह दुर्भाग्य की बात है कि अमरीका ऐसी कार्यवाही करे और वह भी अमरीकी कांग्रेस की एनेक्सी में। इससे पता चलता है कि उनको पूरा समर्थन प्राप्त है। हम इसकी घोर निन्दा करते हैं। पूरा सदन पूरा देश सरकार के साथ है। इसकी दृढ़ता से निन्दा की जानी चाहिए। अमरीका को अपने तरीके बदलने चाहिएं। अन्यथा भारत अमरीकी मैत्री को खतरा पैदा हो जायेगा तथा यह अमरीका के हित में नहीं होगा कि वे हमारी मैत्री से हाथ धोलें।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अमरीका द्वारा हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कड़ी निन्दा करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, आरम्भ में ही मैं अमरीका द्वारा हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की निन्दा करने में अपने साथियों का समर्थन करता हूं।

बहुत कुछ कहा जा चुका है तथा मैं सभा का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ। जब 1981 में श्रीमती किर्क पेट्रिक भारत आयीं तो उनके पास एक दस्तावेज था जिसमें उन देशों की सूची थी जिनकी स्थिरता भग करनी है तथा उन देशों की सूची में हमारे देश का नाम सब से ऊपर था। देशों के नाम हैं भारत, कयूबा, निकरगुमा वियतनाम, इरान, इराक, दक्षिण यमिन, इथोपिया, अंगोला, मोजम्बीक, अल्जीरिया और मदानासकर। यही सूची है।

अब अमरीकी इतने बौखलाए हुए क्यों हैं। इसका कारण तो यह है कि भारत गुट-निर्पेक्ष आन्दोलन का नेता है जोकि दिन-प्रति दिन प्रगति कर रहा है तथा हम हर स्थान पर मानव अधिकारों की बात करते हैं। इससे साम्राज्यवादी देश कुंठित हैं तथा वे सी. आई..ए. के

माध्यम सभी राष्ट्रों पर अपना अधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। भारत के बारे में वे जानते हैं कि हमारे कई मामलों में मतभेद है। हमारा देश गरीब भी है जहां पर गरीबी की तथा कई ऐसे तत्वों की समस्याएं हैं जोकि पृथकता चाहते हैं। तथा क्षेत्रवादी हैं। यही बातें हैं जिनमें विदेशी हस्ताक्षेप किया जा सकता है, गरीबी के कारण उन्होंने कुछ जड़े जमाई हुई हैं तथा हमारे प्रिय देश भारत को खंडित करने पर लगे हुए हैं। भारत एक है तथा एक बना रहेगा।

अमरीका को पता होना चाहिए कि अवसर पड़ने पर हम एक राष्ट्र के रूप में संघर्ष करते हैं तथा अपनी एकता गरिमा तथा अखंडता के लिए लड़ते हैं। अमरीकी लॉबी को बताया जाना चाहिए कि इस महाद्वीप से सी. आई. ए. को वापस बुलाना चाहिए—एक सुपर शक्ति के रूप में यह हमारा ही शत्रु नहीं है अपितु पूरे तीसरे विश्व जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यह हमारा सैनिक ब्लाक नहीं है अपितु गुट-निर्पेक्ष ब्लाक है। तीसरा विश्व किसी से संघर्ष नहीं चाहता तथा ये विश्व शान्ति और मानवता के लिये प्रयास करता है। अमरीका को जानना चाहिए कि अमरीका की जनता तथा पूरे विश्व की जनता युद्ध नहीं चाहती, विशेषत: आण्विक युद्ध तथा अमरीका पूरी मानवता का शत्रु बन गया है। वे प्रमाणु युद्ध में विनाश में विश्वास करते हैं। वे भय पैदा करके अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं। वे हमारे मित्र हो सकते हैं—वे आर्थिक क्षेत्र में हमारी सहायता कर सकते हैं। परन्तु हम अपनी गरिमा लोकतंत्र का सौदा नहीं कर सकते। तथा उन्हें इस देश से अपने कुचक्र वापस लेने चाहिए। भारत इन्हें कभी सहन नहीं करेगा तथा इसके विरुद्ध तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक ऐसे तत्व भारत में बने हुए हैं।

हम सिख मित्रों के बारे में गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि एक—दो सिख भूल करते हैं। सिख भारतीय हैं तथा समग्र भारत सिखों का है—वे जहां चाहे जा सकते हैं—जो भी कार्य करना चाहें कर सकते हैं—उनका सदा स्वागत है तथा उन पर हमारा विश्वास है। ये बातें सभी भारतीय सिखों पर लागू होती हैं परन्तु उन पर नहीं जिन्होंने अमरीका केनेडा की नागरिकता लेली है—परन्तु भारतीय सिखों को अन्य भारतीय के साथ सभी अधिकार प्राप्त है।

अत: सिख समुदाय को निडर होकर इन एजेंटों की निन्दा करनी चाहिए जो बाहर से हमारे देश को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री वी. पी. कुलनदई वेलू (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय इस मामले की एक स्वर से निन्दा की जानी चाहिए। हमने महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं से स्वतन्त्रता प्राप्त की है और हम लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं इस विशाल देश की एकता की रक्षा कर रहे हैं। महान कवि भारती ने कहा है ?

"आईरम ईमुंडु जाति

इतदिल, अनियर वन्धु पुहाल येन्नानिधि।"

इसका अर्थ है कि हमारे यहां हजारों धर्म और जातियां हैं परन्तु हम कभी किसी विदेशी को अपने मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी प्रकार हमें अमरीकी सरकार द्वारा भारतीय हितों के विरुद्ध किए गए भद्दे कार्य की निन्दा करनी होगी। सिखों द्वारा बुलाई गई बैठक का उद्देश्य पंजाब के सम्बन्ध में कांग्रेस द्वारा पूर्ण सुनवाई का मार्ग प्रशस्त करना था और हमारे माननीय

प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की अमरीका की जून यात्रा से पहले भारत के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक परेशानियाँ पैदा करना था। अतः उन्होंने परोक्ष उद्देश्यों से और पूर्व निर्धारित ढंग से ऐसा किया है अतः इस की निन्दा करनी होगी और सम्पूर्ण देश तथा सम्पूर्ण जनता अमरीका सरकार के इस कार्य की निन्दा करती है। एक वक्ता श्री राल्फसिंह ने भारत सरकार पर पंजाब राज्य में मानव अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मैं समझता हूं। वास्तव में सरकार देश के प्रत्येक भाग में शांति बनाए रखने के लिये सभी कदम उठा रही है परन्तु राल्फसिंह ने अमरीका में ऐसा कहा है मानों सरकार मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो। यदि अमरीका सरकार विश्व के प्रत्येक भाग में मानव अधिकारों की रक्षा कर रही है तो उसे वास्तव में श्रीलंका में हो रहे नरसंहार की निन्दा करनी चाहिए। हजारों तमिलों की हत्या की जा रही है और यह सब प्रतिदिन हो रहा है। उन्होंने इसकी निन्दा नहीं की है परन्तु वे पंजाब में इसकी निन्दा करना चाहते हैं। मैं यह कहता हूं कि बड़ी शक्तियाँ, साम्राज्यवादी देश विश्व के इस भाग में विश्व युद्ध पैदा करना चाहते हैं। विश्व युद्ध पैदा करके वे यह दिखाना चाहते हैं कि उनके पास सैनिक शक्ति बहुत अधिक है। महोदय, मेरे विचार में यह कहने का उचित समय है कि हमारी अमरीका से कोई मित्रता नहीं है। हमारा अमरीका से कोई सम्बन्ध नहीं है और हमें इस मामले में अमरीकी द्वारा अपनाए गये दृष्टिकोण की एक स्वर से निन्दा करनी चाहिये।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अमरीका द्वारा हमारे अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप की निन्दा सारी सभा के साथ करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कल इण्डिन एक्सप्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। जिसमें लिखा है :

> '.....कैलफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोज ने कहा कि मेरे विचार में दिल्ली में कांग्रेस के तीन या चार नेता हैं जिन्हें अलग करके गोली मार दी जानी चाहिए।'

क्या मैं आपके माध्यम से अमरीका से यह पूछ सकता हूं कि कांग्रेस वालों को गोली मारने का अधिकार किसने दिया है ? यहां कांग्रेस के लोग हैं, साम्यवादी हैं, फारवर्ड ब्लाक के हैं और सी. पी. आई. (एम) के लोग हैं। उनमें राजनीतिक मत भेद हो सकते है परन्तु जब राष्ट्रीय एकता का प्रश्न आता है तो हम भारत के लोग चाहे वे कोई भी हों, कांग्रेस के हों, सी. पी. आई. (एम) के हैं, अन्ना डी. एम. के. हैं या डी. एम. के. हैं या जनता पार्टी के हैं, एक है।

महोदय, हम अमरीकी सरकार द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। यह उचित समय है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए हमारे देश की एकता को साम्राज्यवादी चुनौती दे रहे हैं।

हम जानते हैं कि अमरीकी शिकार सूची में बहुत से नाम हैं परन्तु उन्हे यह नहीं भूलना चाहिए हम भारतीयों की एक लम्बी परम्परा रही है। यह महात्मा गांधी का देश है, यह नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का देश है, रविन्द्रनाथ टैगोर का देश है, यह भगत सिंह का देश है, यह

चन्द्र शेखर आजाद का देश है, यह खुदीराम, सत्यम कनाई का देश है। हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। (व्यवधान) हम अमरीका की शिकार सूची में शामिल होने के लिए तैयार हैं परन्तु अमरीका की अपमान सूची में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। अमरीका को पता होना चाहिए कि हमें भारतीय उनकी क्रूरता को सहने के लिए तैयार हैं परन्तु उनके मिल्याचार को नहीं। वे पाखण्डी हैं और इसी पाखण्ड से उन्होंने मानव अधिकारों के नाम पर काम करना आरम्भ कर दिया। ये लोग कौन हैं जो मानव अधिकारों के बारे में बोल रहे हैं ? क्या उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है ? हम नामीबिया, निकारागुआ और एल सालवाडोर में अमरीकी भूमिका से अवगत हैं। हम श्रीलका में त्रिनकोमाली में अमरीका की भूमिका से अवगत हैं कि वे किस प्रकार श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ सांठ गाँठ कर रहे हैं। हम डियागो-गार्शिया में अमरीकी भूमिका से अवगत हैं। हम फिलीस्तीनी मुक्ति आन्दोलन के समय अमरीकी भूमिका से अवगत हैं। हम काश्मीर में अमरीका की भूमिका जानते हैं। हम वियतनाम और कम्पूचिया में अमरीका की भूमिका जानते हैं। बंगलादेश मुक्ति आन्दोलन के दौरान हम अमरीका की भूमिका से अवगत हैं। हम मानव अधिकारों के संबंध में उनसे कोई भाषण नहीं सुनना चाहते। हमारी एक लम्बी परम्परा रही है। हम भारतीय जानते हैं कि मानव अधिकार क्या हैं और हम अन्य देशों में मानव अधिकारों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं ताकि मानव अधिकार बने रहें। यह केवल भारत के लोगों का मामला नहीं है बल्कि यह विश्व के लोगों का मामला है।

मैं एक अन्य बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि :

> "सुविज्ञ स्रोत यहां अनुभव करते हैं कि बैठक का उद्देश्य, पंजाब के संबंध में कांग्रेस द्वारा पूर्ण सुनवाई के लिए, मार्ग प्रशस्त करना था और प्रधान मंत्री जी राजीव गांधी की अमरीका को जून यात्रा से पहले भारत के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक परेशानी पैदा करना है"

अगले महीने जून में प्रधान मन्त्री की अमरीका यात्रा तय है। यह सदभावना यात्रा है। देश के हित सर्व प्रमुख हैं। इस प्रकार उप महाद्वीप के ईर्द-गिर्द सी.आई.ए. एजेंटों और यू. एस. ए. एजेंटों की गतिविधियों की वजह से जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए मैं माननीय राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह प्रधान मन्त्री से अमरीका की यात्रा स्थगित करने का परामर्श दें। यह भावनाओं का प्रश्न नहीं है। यह राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है। यह राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है और हम भारतवासी इस मामले में एक हैं। अतः मैं माननीय राज्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं और आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि यह यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दी जाए और जब स्थिति बदली हुई हो तब यात्रा की जाए। मैं अपने देश में अमरीकी गतिविधियों और सी.आई.ए. गतिविधियों की निन्दा करता हूं और मेरे विचार में न केवल इस सभा के सदस्य बल्कि बाहर के लोग, और सम्पूर्ण देश हमारा समर्थन करेगा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में मैं इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का समर्थन करता हूं। केवल मैं

ही नहीं, बल्कि मेरे विचार से प्रत्येक भारतीय इन भावनाओं का समर्थन करेगा। यह स्वाभाविक है कि जहां देश की प्रतिष्ठा, एकता और सम्मान का प्रश्न निहित होगा तो कोई भी भारतीय किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं होगा।

महोदय, मैं प्रारम्भ में ही बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह देखकर बहुत सन्तोष होता है कि जब हमारे देश की एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष चुनौती है तो सम्पूर्ण राष्ट्र एक व्यक्ति की भांति उठ खड़ा हुआ है। यही देश की सुरक्षता की सबसे बड़ी गारन्टी है और वे सब व्यक्ति जो यह सोचते हैं कि वे इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, आगे आएं और इस निश्चय के विरुद्ध टक्कर लें तो उनकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी।

जहां तक अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है, हम सभी देशों से मैत्री और सौहार्दपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं परन्तु हम अपनी स्थिति से समझौता नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी पसन्द से और मर्जी से संबंध रखेंगे और ऐसे संबंध रखेंगे जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद होंगे। यदि कोई देश इन संबंधों से लाभ उठाना चाहे तो उसे निस्सन्देह निराशा होगी और हम इसकी अनुमति भी नहीं देंगे चाहे वह अमरीका हो या पाकिस्तान हो या अन्य कोई देश हो, हम अपनी पसन्द के अनुसार संबंध रखेंगे।

महोदय, मैं अधिकांश सदस्यों के साथ सहमत हूँ कि ब्रिटेन, कनाड़ा और अमरीका जैसे कुछ देशों में इन आंतकवादियों के प्रति विशेष स्नेह दिखाया गया है। यह वास्तव में अत्यन्त खेदजनक है और हमने इन देशों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत की मित्रता इन लोगों के साथ किए गए व्यवहार पर निर्भर करेगी। जब तक इन लोगों की गतिविधियों को नहीं रोका जाता तब तक इन लोगों की सहायता करने वाले देशों के आगे भारत मैत्री का हाथ नहीं बढ़ायेगा।

महोदय, मैं अब यह स्पष्ट करना चाहता हूं। अमरीका द्वारा यह कहा गया है कि सुनवाई करने वाला संगठन सरकारी नहीं था। यह सरकारी हो या गैर-सरकारी। परन्तु मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। उनकी किस प्रकार के लोगों के साथ मित्रता है। डा. गंगा सिंह ढिल्लों, मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुल्लर, सिखों के स्वयंभू प्रवक्ता राल्फ सिंह के साथ। प्रो. तिवारी ने जैसा कि कहा है यदि वे दीदार सिंह और भजन सिंह योगी जैसे व्यक्तियों के साथ मित्रता रखना चाहते हैं, रखने दीजिए। आप जानते हैं कि ये अवांछित लोग हैं और हम उन्हें अपने देश में नहीं रखना चाहते, हम उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। मैं एक बार पुनः यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी संबंध हो, कोई भी अन्य बात हो, सबसे पहले हमें भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, भारत की क्षेत्रीय अखण्डता सुनिश्चित करनी होगी, भारत की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करनी होगी, भारत का स्वाभिमान सुनिश्चित करना होगा। वे उन देशों को, जो यह सोचते हैं कि वे भारत में अस्थिरता पैदा कर देंगे, हमेशा निराशा का सामना करना पड़ेगा। वे गलती पर हैं, वे उन लोगों को, जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, उन्हें अमरीका जा कर देखना चाहिए, कम्पूचिया जा कर देखना चाहिए, उन्हें और भी कई स्थानों पर जाकर देखना चाहिए। वे पाएंगे कि केवल

हमारा देश और हमारे नेताओं ने मानव अधिकारों की रक्षा हेतु आवाज उठाई है। हम आवाज उठाना जारी रखेंगे और हमेशा उठाते रहेंगे।

वास्तव में कल ही हम 'गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो, की बैठक करने जा रहे हैं और यह बैठक नामीबिया पर हो रही है। सच्चाई तो यह है कि अन्य कोई देश यह बैठक अपने यहां नहीं बुलाना चाहता था। हमने अल्प सूचना पर यह प्रस्ताव रखा कि बैठक हम बुलाना चाहते हैं क्योंकि हमने इसे एक पवित्र काम समझा। यह अत्यन्त खेद की बात है अमरीका या अन्य कोई देश जो हमसे मैत्री चाहता है या हम से संबंध बढ़ाना चाहता है या द्विपक्षीय संबंध सुधारना चाहता है और साथ ही अपने देश में यह सब होते रहने देना चाहता है तो इसे कोई भी देश सहन नहीं करेगा। अन्य कोई देश भले ही सहन कर ले परन्तु मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूँ, मैं इस सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी देश इसे सहन नहीं करेगा।

प्रत्यर्पण और अन्य मामले कानूनी हैं। इनके संबंध में मेरे लिए इस समय कुछ कहना संभव नहीं होगा। परन्तु मैं अपने मित्र श्री तिवारी को यह आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसी सभी संस्थाएं जो प्राधिकार का केन्द्र हैं, पवित्र हैं, सम्मानित हैं और निस्सन्देह उस पवित्रता, उस सम्मान को सुनिश्चित करना होगा और बनाएं रखना होगा और इसलिए इस संबंध में किसी को कोई आशका नहीं होनी चाहिए।

श्री तिवारी ने हार्डग्रेव की पुस्तक का भी उल्लेख किया है। यह सख्त कब्र हो (हार्ड ग्रेव) या नरम कब्र हो (साफ्ट ग्रेव) हमने इसे एक शानदार ढंग से दफना दिया है। अपनी पुस्तक में उन्होंने जो भविष्यवाणी की थीं, हमारे महान नेता की हत्या के बाद जो कुछ हुआ उसके कारण उससे उन्हें वास्तव में निराशा हुई। देश ने उनके उत्तराधिकारी को भारी बहुमत दिया। इतना भारी बहुमत पहले कभी किसी को नही मिला और इससे सिद्ध हो गया कि भारतीय परिपक्व हैं वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कब करना है।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि देश की सुरक्षा के बारे में कोई दो राय नहीं हैं। हम प्राय: विदेशी हाथ होने की बात भी सुनते हैं। हम निस्सन्देह विदेशी हाथ से भी निपटेंगे। मेरे वरिष्ठ मित्र जो यहां उपस्थित हैं आन्तरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हैं और हमें उनमें पूरी निष्ठा है।

परन्तु मैं यहां माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें एक बात के बारे में अधिक सावधान होना चाहिए, हमें एक बात के बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए, यह है इसमें देश के लोगों का हाथ नहीं होना चाहिए।

प्रो. के. के. तिवारी : आपने जो कुछ कहा है कृपया उसे और स्पष्ट कीजिए। अमरीका में उसकी क्या गतिविधियां हैं ? भजन योगी के बारे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खाँ : मैं निश्चय ही इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि योगी अर्थात भजन योगी की गतिविधियां बिल्कुल अवांछनीय है। हम उनमें नहीं जाना चाहते।

प्रो. के. के. तिवारी : वे यहां कैसे ठहरे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मेरे लिए इसका उत्तर देना अत्यन्त कठिन है । इसीलिए मैंने अपने मित्र जो यहां मौजूद हैं को अनुरोध किया है । ऐसे मामलों के लिए वही जिम्मेवार हैं ।

(व्यवधान)

उन्हें इस मामले की जांच करनी होगी और उसके बाद ही वह उत्तर दे सकेंगे ।

श्री पियूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : आप इस सम्बन्ध में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त कर सकते हैं ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं न केवल अप्रसन्नता बल्कि क्रोध भी प्रकट करना चाहता हूं ।

मेरे मित्र और सहयोगी निश्चय इसकी जांच करेंगे और उसके बाद ही वह आवश्यक कार्यवाही करेंगे । मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि हमने अमरीका को अत्यन्त कड़े शब्दों में कहा है कि भारत ऐसी बातें और इस प्रकार की सुनवाई सहन नहीं करेगा । क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि कोई भी देश अगर वास्तव में हमारा मित्र है तो ऐसी बातें नहीं होने देगा । हम अपने देश में ऐसी बातें नहीं होने देते । यदि कोई संबंध रखने हैं तो वे परस्पर समझ और परस्पर संबंधों के आधार पर ही रखे जायेंगे जो कि दोनों के लिए लाभप्रद होंगे ।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई बात हो जिस पर सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने की जरूरत हो तो सरकार कभी पीछे नहीं रहेगी । और चाहे कोई भी देश हो कोई भी शक्ति हो सरकार कभी नहीं डरेगी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे मामलों में आर्थिक स्वतन्त्रता का जिक्र किया है । मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि राजनीतिक स्वतन्त्रता आर्थिक स्वतन्त्रता से ही बनी रह सकती है और इसीलिए स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने सातवें शिखर सम्मेलन के बाद यह कार्यवाही आरम्भ की थी और गुट-निरपेक्ष देशों के आर्थिक विकास और वित्तीय समस्याओं के संबंध में पांच विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी और उन विशेषज्ञों ने एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत भी कर दिया है। इस प्रतिवेदन को सभी गुट निरपेक्ष देशों के पास भेजा गया है और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है । उनकी सलाह के अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी ।

यह ठीक है कि श्री स्वैल ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत अच्छी बात कही है । उन्होंने अपने अनुभव का सदा अच्छा उपयोग किया है । वह बर्मा और कनाडा में हमारे राजदूत थे उन्होंने अनुभव का अत्यन्त लाभकारी ढंग से उपयोग किया है । परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह कहा है कि भारतीय अत्यन्त परिपक्व हैं, वे जल्दी में कोई कार्यवाही नहीं करते, वे भावुकता में आकर कोई कार्यवाही नहीं करते, निस्सन्देह ठीक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह नार्वे और बर्मा में हमारे राजदूत थे, कनाडा में नहीं ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने पहले बर्मा कहा था परन्तु मुझे इन लोगों ने गुमराह किया । उन्होंने मुझे गुमराह किया है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सावधान रहना चाहिए ताकि अन्य मंत्री आपको गुमराह न करें ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मुझे हैरानी हुई है कि विदेश मंत्रालय के अत्यन्त अनुभवी व्यक्ति जो मेरी बाईं ओर बैठे हैं··· (व्यवधान)

मैं यहां यह भी बताना चाहता हूँ कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह पूछा था कि सुनवाई करने वाले लोगों को वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास ने क्या लिखा था। उन्होंने अत्यन्त कड़ा पत्र लिखा था। हमारे राजदूत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय प्रतिनिधि स्वयं को इस प्रकार की हरकत से नहीं जोड़ सकते जो कि उनकी राय में नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने अमरीकी सरकार से विरोध प्रकट किया था। मुझे विश्वास है कि वे महसूस करेंगे कि जो कुछ हुआ है वह दोनों देशों के हित में नहीं है और किन्हीं भी हालत में दोहराया नहीं होना चाहिए।

मैं यहां अपने सिख भाइयों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि उन्हें अपनी तथाकथित समस्याओं का समाधान कनाडा, अमरीका या ब्रिटेन में नहीं मिल सकता। उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान केवल इस देश में और इसके नेताओं से मिल सकता है। उन्हें उनसे बात करनी होगी। इस देश के नेताओं ने यह दिखा दिया है कि वे कितने कृपालु हैं वे उन्हें साथ लेकर चलने के कितने इच्छुक हैं। परन्तु इसके साथ ही कुछ सिद्धान्तों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती और देनी भी नहीं चाहिए। इसका सबको पता होना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : हमें अपने ढंग से फैसला करना चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने भी यही कहा है। उन्हें ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा या जर्मनी में हल नहीं मिल सकता। उनका हल इस देश में इस देश के नेताओं के माध्यम से ढूंढना होगा क्योंकि इस देश की समस्या कोई भी बाहर से हल नहीं कर सकता।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। यदि कोई इस देश के मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है तो उसे सहन नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने सदा अन्य देशों के मामले में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त में विश्वास किया है। हम भी यह आशा करते हैं कि अन्य देश भी हमारी नीति का सम्मान करेंगे और हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे।

जैसा कि मैंने कहा है भारत एक विशाल देश है और कोई भी देश की उपेक्षा नहीं कर सकता इसके साथ हो, जैसा कि मैंने कहा है यह स्वतन्त्र देश है और इसे वे देश पसन्द नहीं करेंगे। परन्तु वे कुछ भी सोचें हमें अपनी नीतियां और सिद्धान्तों का पालन करना है चाहे वे कुछ भी क्यों न हों। इस संबंध में कोई समझौता नहीं करेंगे कोई रियायत नहीं देंगे। वे सभी देश जो हमारे देश से व्यवहार करते रहे हैं पूर्णतया जानते हैं कि भारत सिद्धान्तों का देश है और अपनी नीतियों के लिए इसके अपने निश्चत मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं और उनसे हटना भारत के लिए संभव नहीं होगा। यह महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे महान नेताओं द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करेगा। हम इस नीति का पालन करते रहेंगे।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में अपना उपयोगी योगदान किया है।

श्री पीयूस तिरकी : इस अमरीकी लाबी को निन्दा के बारे में क्या हुआ ?

श्री खुर्शीद आलम खां : वह तो आप कर चुके ।

मैंने जब यह कहा है कि सभा के दोनों पक्षों की ओर से इस विषय पर जो कुछ कहा गया है मैं उनसे सहमत हूं तो····· (**व्यवधान**)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाना चाहती है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं यही सब तो बता रहा था । मैं नहीं जानता कि क्या··· (**व्यवधान**)

श्री सुरेश कुरूप : आप हल्के ढंग से बोल रहे थे । जैसे सदस्य वाद-विवाद में भाग ले रहे थे आप भी उसी तरह वक्तव्य दे रहे थे ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं वक्तव्य नहीं दे रहा हूं । मैं वे तथ्य बता रहूं जो जानता हूं··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं ।

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय, गृह मंत्री भी कुछ कहना चाहेंगे ··(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ भी नहीं । कृपया बैठ जाइये । मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि सभी सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया । निष्कर्ष के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि सारी सभा किसी भी देश द्वारा किसी भी संगठन द्वारा भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की सर्वसम्मति से निन्दा करती है । धन्यवाद

सभा अब कल 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

8.52 **अ.प.**

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 19 अप्रैल, 1985/29 चैत्र 1907 (शक) के ग्यारह बजे अ. पू. तक के लिए स्थगित हुई ।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6